राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवे सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या : 13

मंगलवार

21 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

नागौर जिले में बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश हेतु कार्य-योजना

83. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा जिला नागौर में बढ़ते अपराधों में कमी हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जिला नागौर में अपराधों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । वर्ष 2005 में 2004 की अपेक्षा 2.40 प्रतिशत अपराधों में कमी नागौर जिले में आई है । अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही, गश्त व नाकाबंदी की जाकर रोकथाम के प्रयास जारी हैं। इसके साथ ही अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु, केस आफिसर स्कीम, हार्डकोर अपराधियों का चिन्हिकरण व 48 घंटे में मौके की केस डायरी सुपरवाइजरी अधिकारी के पास पहुंचने की व्यवस्था आदि कदम उठाये गये हैं।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हार्ड कोर अपराधियों में से कौन-कौनसे अपराधियों को चिह्नित किया आप यह बताने की कृपा करें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): टोटल सूची तो नहीं है पर हमने प्रत्येक थाने के हिसाब से जो व्यक्ति लगातार कई अपराधों में लिप्त हैं ऐसे सारे लोगों को हमने चिह्नित किया और इनमें से कइयों को तो किसी धारा में पाबंद करके अंदर किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगोड़ों की तरह से थे उन लोगों को भी पकड़ने की कोशिश की है। टोटल सूची तो मैं अभी देने की हैसियत में नहीं हूं सारे जिले में हार्ड कोर क्रिमिनल कौन-कौन हैं । वह सूची

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिले की और थाने के अनुसार बनी हुई है और उसके अनुसार हम समय-समय पर उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार से जो हमारे रोकने के जो तरीके हैं उनको ध्यान में रखकर उनको हम बराबर बदलते हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि नागौर जिले में 2.40 प्रतिशत 2005 में 2004 की अपेक्षा कम हुआ है । नागौर जिले में 2004 की तुलना में 2005 में चोरी और नकबजनी के कितने अपराध बढ़े हैं और आपकी रिकवरी प्रतिशत क्या रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं पूरे ही नागौर जिले का एक -एक चीज के हिसाब से बताता हूं, आप तो नोट करते जायें । 1999 से लेकर के 2005 तक के फीगर हैं 2000 में एक डकैती हुई और 2001 में दो डकैती हुई, 2003 में दो हुई, 2004 में दो हुई और 2005 में एक हुई ।

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, नो, नो, मंत्रीजी बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक पूछा है। जो 2.40 प्रतिशत इन्होंने कम बताया है। सिर्फ दो साल का मैं पूछ रहा हूं। यह पूरी जन्म पत्री 1999 से पढ़ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। सिरोही से आने वाले माननीय जब आपने पूछा कि कम कैसे हुए तो उन्होंने ठेठ 1999 से लेकर के 2005 तक के आंकड़े बता दिये। इसमें आपको क्या तकलीफ हुई? प्लीज, अब आप बीच में न बोलें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इनको तकलीफ होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सारे फीगर पूरे जिले के बताऊं इसमें किसी में भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। लूट में, हत्या में, बलात्कार में, बलवा में कोई एक भी ऐसा नहीं है और टोटल फीगर भी आप चाहें तो मैं आपके सामने रख देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने दो का ही पूछा है । वह दो ही बतायें बस ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 2003 में 5447 टोटल अभियोग दर्ज हुए, 2004 में 5135 और 2005 में 5012 और इसके कारण से मैंने जो प्रतिशत बताया, एक-एक चीज का, थाने के अनुसार, प्रत्येक थाने के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अनुसार कौन से अपराध बढ़े हैं। तीस थाने हैं जिनमें से पांच थाने ऐसे हैं जिनमें 2005 में 2004 की तुलना में अपराध बढ़े हैं। अगर आप वह चाहें तो वह भी मैं बता सकता हूं। वह थाने कौन-कौनसे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ चोरी और नकबजनी का पूछा है कि 2004 की तुलना में 2005 में क्या हुआ और रिकवरी प्रतिशत आपका क्या है? आपसे सिर्फ स्पेसिफिक पूछा है।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा क्यों बताते हैं आप? वह नहीं सुनना चाहें तो क्यों बताते हैं आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप वह भी सुन लें। 2004 से लेकर के, नकबजनी के 1999 से बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जायें ।

श्री अध्यक्ष : आप तो 2004 से बोलें...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब आपने अपने उत्तर में 2.40 प्रतिशत दिया है 2004 की तुलना में 2005 का आप प्रतिशत नकबजनी और चोरी का बतायें न ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जब उन्होंने 2004 से लेकर 2005 के बीच में दो ही चीजों के बारे में चोरी और नकबजनी का पूछा है, उसी का जवाब दीजिये। बाकी का मत दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): नकबजनी में 2004 में 208 मुकदमे दर्ज हुए थे।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों खड़े होते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और अब हुए 208 की तुलना में 169, अगर इसका प्रतिशत निकालें और भी ज्यादा इसमें कमी है। चोरी के मामले में 2004 में चार सौ मुकदमे दर्ज हुए और 2005 में 350 हुए। अगर प्रतिशत में लेगें यह तो टोटल है, 2.40 इसमें भी इन दोनों अपराधों में और भी कमी हुई है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब रिकवरी का भी बता दें। आप चोरी और नकबजनी का।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): रिकवरी प्रतिशत चाहते हैं चोरी और नकबजनी का।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चोरी और नकबजनी का।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठें नहीं बोलें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वह एकदम अभी मेरे सामने नहीं है। अलग से नहीं है। एक-एक की रिकवरी का मेरे सामने नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एग्जेक्ट फीगर तो नहीं बता सकता हूं लेकिन टोटल 29 प्रतिशत रिकवरी आती है चोरी और नकबजनी में जो हमेशा आज तक 24 प्रतिशत था और पिछले साल में पांच प्रतिशत था, नकबजनी और चोरी में चार प्रतिशत रिकवरी बढ़ी है इस जिले में। आप चाहेंगे तो मेरे पास सारे प्रदेश के आंकड़े भी हैं। मैं साथ लेकर के आया हूं। प्रदेश के अंदर अपराधों में किस-किस जिले में क्या है।

श्री अध्यक्ष : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलें...(व्यवधान) अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो हार्ड कोर अपराध हैं जिनके खिलाफ लगातार मुकदमें दर्ज हुए हैं इसमें आपने क्या कार्यवाही की है? संख्या तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है लेकिन उनके खिलाफ जो मुकदमें दर्ज हुए हैं उनके अलावा क्या कार्यवाही की है? उनको चिह्नित करने का ही काम किया है या उन पर कार्यवाही की है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कि यह जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं इनको हम जो विभिन्न सैंक्शन हैं, इनके तहत पाबंद करते हैं। इसमें से भी संख्या बढ़ी है। इसमें से आप देखेंगे कि पिछली बार 2004 में इस प्रकार के अभियुक्त जो अपराध करते हैं, उनके खिलाफ 824 मुकदमें बनायें 2004 में और 2005 में 934 मुकदमें ऐसे लोगों के खिलाफ बनाये जो आये दिन कुछ न कुछ इस प्रकार की वारदातें करते रहते हैं जैसे विशेषकर पीटा एक्ट में भी, ड्रग्स के लोग भी इसमें है और बाकी जो इस प्रकार के अपराधी होते हैं उनको हम इसमें पाबंद करते हैं। उनको केस बनाकर के पाबंद करते हैं। मैं सोचता हूं कि यह जो बढ़ोत्तरी है अपराध में वह अपराध इसलिए बढ़े हैं क्यों कि अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए अधिक मुकदमें बनाये कि अपराधियों को रोकने का प्रयास किया।

श्री अध्यक्ष : नैकस्ट क्वेश्चन।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। श्री प्रहलाद गुंजल।

राजस्थान उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा कैरोसीन मूल्य समानीकरण हेतु जमा राशि

84. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्ष 2003 में खाद्य सचिव द्वारा राजस्थान उपभोक्ता कल्याण समिति का गठन किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि इसमें कैरोसीन के मूल्य के समानीकरण के नाम पर 12 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा की गई ? यदि हां, तो उक्त राशि को किस-किस मद में कितना-कितना खर्च किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : (1) जी हां। विभाग द्वारा राजस्थान उपभोक्ता कल्याण समिति का गठन किया गया है किन्तु वर्ष 2003 में नहीं बल्कि इस समिति का गठन 16 अप्रैल,2004 को हुआ है।

(2) 1- जी हां। यह सही है कि केरोसीन के दर समानीकरण से प्राप्त राशि से फरवरी,2006 तक प्राप्त राशि रूपये 12,91,72,443(बारह करोड़ इक्यानवे लाख बहत्तर हजार चार सौ तियालीस) इस समिति द्वारा संचालित पी.डी.खाते में जमा कराई गयी है।

2- केरोसीन दर समानीकरण कोष के मद से माह फरवरी, 2006 तक...

श्री अध्यक्ष : तीन कहां हैं, दो ही तो हैं इसमें, तीसरा है ही नहीं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): खण्ड तीन हैं।

श्री अध्यक्ष : खण्ड दो ही हैं यह तो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, तीन हैं, तीन हैं।

श्री अध्यक्ष : दो ही हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): खण्ड दो का भाग दो... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाग है ही नहीं, खण्ड दो ही हैं। आप किसे तीन कह रहे हों...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दो का पैरा दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष : दो ही हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कल का लेकर के आ गये हैं... **(व्यवधान)**

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, खण्ड दो का ही पार्ट है खण्ड तीन, माननीय मंत्रीजी ने कर दिया है ।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तीन कर दें, इसमें तो दो ही है। ...(व्यवधान)... वह अलग चीज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह विस्तृत बता रहे हैं उसके लिए तो आप इनको धन्यवाद दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : खण्ड 2 में कैरोसिन दर समानीकरण कोष के मद से माह फरवरी,06 तक कुल रुपये 2,93,30,000 (दो करोड़ तिरानवे लाख तीस हजार) व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। व्यय हेतु स्वीकृत की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकरी करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान उपभोक्ता कल्याण समिति का गठन किया है और खण्ड 2 के परिशिष्ट 'क' पर राशि खर्च करने का उल्लेख किया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं के कल्याण पर इसमें कितनी-कितनी राशि खर्च हुई है और इस संस्था का विधिक स्वरूप क्या है, किन नियमों के तहत इस संस्था का गठन किया गया है और इस संस्था के सदस्य कौन-कौन हैं और उपभोक्ता के वास्तविक कल्याण की दृष्टि से इस संस्था के उद्देश्य क्या हैं, इस बारे में माननीय मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि उपभोक्ता के हित में क्या-क्या खर्च किया। इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमने राशन टिकट मुद्रण करवाये, जो संलग्न 'क' पर लिखा हुआ है। 32 लाख रुपये इसमें खर्च हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राशन टिकट योजना लागू की है। राजस्थान में पी.डी.एस. के गेहूं का आम तौर पर लीकेज हुआ करता था, उस लीकेज को रोकने के लिए हमने राशन टिकट योजना लागू की है। मैं सदन को इस बात की सूचना देना चाहता हूं, मुझे बहुत हर्ष है कि देश में यह पहली योजना है जो राजस्थान में लागू हुई है और उससे 30 प्रतिशत डाइवर्जन रुका है। एक तो यह हमने काम किया है और उपभोक्ता कल्याण समिति के कार्यालय का स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे जिला लेवल पर डी.एस.ओ. है उसको कंजूमर आफिसर मानकर हमने उसके ऑफिस का स्ट्रेंथन किया है। इसके अलावा खाद्यान परिवहन का जो पुराना भुगतान था, करीब 4 करोड़ के बराबर था इससे पी.डी.एस. पेरेलाइज होने की स्थिति में था उसका हमने 1 करोड़ 98 लाख रुपये के करीब भुगतान किया है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उपभोक्ताओं के हित, निर्धन और असक्षम उपभोक्ताओं के लिए विधिक सहायता, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तिकरण के लिए 4 लाख 20 हजार रुपए खर्च किए। प्रथम चरण में उपभोक्ता क्लबों के लिए 30 लाख रुपए, द्वितीय चरण के लिए 50 लाख रुपये, राज्य आयोग के स्ट्रेंथन के लिए 5 लाख रुपये और राष्ट्रीय एवं विश्व उपभोक्ता दिवस के लिए 6 लाख रुपये, इस ढंग से हमने कंजूमर मूवमेण्ट को सशक्त बनाने के लिए यह खर्च किया है।

इसके अलावा माननीय सदस्य, ने यह पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कंजूमर मूवमेण्ट को तेज करने का है और कोआपरेटिव एक्ट के हित यह समिति रजिस्टर्ड हुई है और यह हमारे घोषणा-पत्र में भी है कि उपभोक्ता कल्याण कोष बनाया जाए इसलिए हमने उपभोक्ता कल्याण कोष बनाया है। भारत सरकार के डाइरेक्शन भी कई बार आए कि उपभोक्ता कल्याण कोष बनाया जाए इसलिए भारत सरकार के डाइरेक्शन में हमने उपभोक्ता कल्याण कोष बनाए हैं।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि पी.डी.एस. में राशन टिकट जारी करने के बाद डाइवर्जन 30 प्रतिशत रोक दिया गया। आप कृपा करके यह बताएं कि 30 प्रतिशत आपने रोक दिया तो टोटल डाइवर्जन कितना हो रहा है जिसमें से 30 प्रतिशत आपने रोक दिया है। इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं कि डाइवर्जन टोटल कितना होता है जिसका 30 प्रतिशत रोक दिया?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, डाइवर्जन हो रहा था, लीकेज ज्यादा था, गेहूं या अन्य खाद्य पदार्थों का इसलिए हमने यह रास्ता निकाला। इसके बाद हमारे पास जो डेटा आए हैं उनके अनुसार करीब 30 प्रतिशत लीकेज हमने रोका है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप कितना मानते थे? डाइवर्जन कितना हो रहा था जिसमें से 30 प्रतिशत कम कर दिया गया। अभी आप कितना मानते हैं, कितने प्रतिशत डाइवर्जन हो रहा है?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अभी हम मानते हैं कि 60-70 प्रतिशत के करीब उपभोक्ता के पास पहुंचता था। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि अब 100 प्रतिशत उपभोक्ता के पास गेहूं और खाद्यान पहुंच रहा है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह तो कण्ट्राडिक्ट्री हो गया। 100 प्रतिशत कैसे? जब आपने बोला कि 30 प्रतिशत डाइवर्जन कम हो गया है, मतलब 70 प्रतिशत डाइवर्जन अभी भी हो रहा है। वह 70 प्रतिशत डाइवर्जन किस कारण से हो रहा है, सरकार की क्या योजना है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, आप बैठ जाएं। 70 प्रतिशत डाइवर्जन हो नहीं रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो डाइवर्जन होता था, हमने राशन टिकट चलाए जो आपकी जानकारी में भी होगा, राशन टिकट हमने दो तरह के उपभोक्ताओं को दिए, एक बीस किलो का और एक पन्द्रह किलो का। पैंतीस किलो का राशन टिकट उपभोक्ता लेकर पी.डी.एस. की दुकान पर जाता है और वह पी.डी.एस. की दुकान पर टिकट जमा कराता है और उतना गेहूं प्राप्त करता है। पैसा जमा कराकर उसका डी.एस.ओ. में रिकंसाइलेशन किया

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

जाता है। इसलिए आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि एक दाना गेहूं का भी लीक नहीं हो सकता, यह मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं और भारत सरकार ने भी इस बात के लिए, राशन टिकट योजना के लिए हमारी प्रशंसा की है।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं कि किस कानून के तहत आपने यह पैसा कलेक्शन करने का आदेश दिया, किस नियम के तहत आपने यह पैसा कलेक्ट करके और फण्ड क्रिएट करने का तय किया। आपने को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट के तहत जिस समय को रजिस्टर्ड बता रहे हैं, उसको पैसा ट्रांसफर करने का अधिकार आपको है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें भाषण नहीं। आपने पूछ लिया कि किस कानून के तहत किया है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आपने जिस को-आपरेटिव एक्ट के तहत सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको यह सारा पैसा ट्रांसफर करने का अधिकार किसको है? 13 करोड़ रुपये, गलत ढंग से इकट्ठा करके, मनमाने ढंग से उसको खर्च किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई कानूनी पाबन्दी नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, स्वविवेक से चाहे जो कर दो, ऐसा चलने वाला नहीं है, आप बताइए किस नियम के तहत है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में आप भाषण न दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि भारत सरकार का बार-बार स्ट्रेस आ रहा था।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो नियम बता दो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह मैं बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। शरद यादवजी ने एक पत्र लिखा था, 19 सितम्बर,2003 को अशोक गहलोत साहब को और उसके बाद दो पत्र और

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

लिखे थे और भारत सरकार द्वारा बार-बार यह प्रेशराइज किया गया कि कंज्यूमर वेलफेयर फण्ड बनाया जाए। कंजूमर वेलफेयर फण्ड बनाने के लिए कांग्रेस के राज में एक समिति का भी गठन हुआ था, उसको हमने आगे बढ़ाकर यह समिति बनाई है, उसके बाद आप चाहे तो डिटेल दे दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप नियम का हवाला दो, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बी.जे.पी. का राज हो, किस नियम के तहत आपने किया, वह बताओ आप।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिखा है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नियम बता रहा हूं। 21.5.2005 को....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : इस पत्र से नियम थोड़े बन जाएंगे साहब। ...(व्यवधान)... हां, भले ही केन्द्र सरकार का हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय हो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कैरोसिन उपभोग पर निरबन्धन कीमत नियतन आदेश, 1993 जो सेण्टर का है, के खण्ड 2 डी 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्दर केरोसिन ब्लू डाइट के विक्रय पर दिनांक 1 जून, 2005 से सम्पूर्ण राज्य में रुपये दस प्रति लीटर निर्धारित करती है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो निर्धारित करती है, कौनसा कानून हुआ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री बाबूलाल नागर।

प्रश्न संख्या-85

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह करोड़ों रुपयों का मामला है और इसको अगर कानूनी रूप से जवाब नहीं दे पाए और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जवाब दिलवाइए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप कानून बताइए।

श्री अध्यक्ष : श्री शान्तिलाल चपलोत।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किस नियम के तहत आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कौनसे नियम हैं, आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है, अंकित न हो। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है, शान्तिलालजी चपलोत।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री अध्यक्ष : बता तो दिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, यह इसलिए नहीं हो रहा कि हमने पूरे राजस्थान भर की रेट देखी तो कई जगह रेटों में फर्क था 9.32 से लेकर 10.35 तक, रेगिस्तानी और आदिवासी इलाकों में कहीं 10.35 था तो कहीं 10.40 था, कहीं कम था तो हमने इसका इक्वेलाइजेशन किया, क्योंकि वह पैसा उपभोक्ता का था। (व्यवधान).. डीलर की जेब में जाता था। आपके पास 10-20 रुपये देकर जाऊंगा तो आप 68 पैसे दे दोगे क्या? इसलिए उपभोक्ता के शोषण को रोकने की दृष्टि से उपभोक्ता एक्टिविटीज को प्रभावी बनाने की दृष्टि से यह केरोसीन रेट इक्वलाइजेशन कोष बनाया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री अमराराम (धोद): केरोसीन की दर समान करने की बात समझ में आती है बराबर मिले, लेकिन इस नाम पर केरोसीन लेने वालों से 13 करोड़ रुपये वसूल करना, यह कहां तक न्यायोचित है कि उन विभागों में कम्प्यूटर खरीदने के लिए उसका खर्चा कर रहे हैं। कोष बनाना था, उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए और उन उपभोक्ताओं से एक साल में ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछ लो। भाषण नहीं।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केरोसीन मूल्य समानीकरण के नाम से राजस्थान के उपभोक्ताओं से लगभग 13 करोड़ के जो वसूली की गई है और उसका सरकार अपने कार्यालयों को सुदृढ करने के लिए काम में ले रही है..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप फिर भाषण देने लग गये हैं।

श्री अमराराम (धोद): क्या यह उचित है?

श्री अध्यक्ष : बस हो गया, बता देंगे उचित है या नहीं।

श्री अमराराम (धोद): आपने 13 करोड़ रुपये वसूल किये नाजायज रूप से, समानीकरण ज्यादा-कम वाले को बराबर करते उनको देते, इसकी बजाय 13 करोड़ रुपये की वसूली करके अपने विभागों को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। क्या यह न्यायोचित है?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि जितना राजस्थान में कंज्यूमर मूवमेंट तेजी से चला है उसका परिणाम यह है कि नेशनल लेवल पर राजस्थान के दो छात्रों को अवार्ड दिया है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कंज्यूमर मूवमेंट में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नम्बर पर हमारे यहां की एक छात्रा आई है, एक बच्चा यहां पर आया है और जो यह कह रहे हैं कोई एकाध फोटोस्टेट मशीन डीएसओ या स्टेट लेवल पर आफिस को स्ट्रेंथन करने के लिए खरीद ली हो वह बात अलग है वरना हमने एनजीओ का सशक्तीकरण किया है, हमने डीएसओज् की स्ट्रेंथनिंग की है, हमने राशन टिकट चलाया है, लम्बित खाद्यान्न परियोजनाओं ..(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इससे क्या लेना-देना? आप सरकारी पैसे को उस रजिस्टर्ड सोसाइटी को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, किस नियम के तहत आप ट्रांसफर करते हैं पैसा? आप किस नियम के तहत पैसा ट्रांसफर करते हैं?

श्री अमराराम (धोद): जनता से केरोसीन का ज्यादा पैसा वसूल करके डीएसओ कार्यालय के कंप्यूटर के लिए दो करोड़ रुपये ..(व्यवधान)..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे सरकार की मंशा यह थी कि इस रुपये को सरकार वसूल करे और क्वाइटली इसको ट्रांसफर कर दे एक सोसाइटी को। क्योंकि सोसाइटी का अकाउंट होगा वह सीएजी के परव्यू से बाहर रहेगा। मनमाने तरीके से आप इसको खर्च करो,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वरना सरकार इस पैसे को खर्च करती, सरकार भी खर्च कर सकती थी कंज्यूमर मूवमेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है आप ..(व्यवधान).. आप एक मिनट सुन लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपको बताऊं हमारा चार करोड़ रुपया बार-बार पड़ा रहा, हम कहते रहे और हमको चार करोड़ रुपया नहीं मिला, आने के बाद हमने वह निपटा दिया और 50 परसेंट जो सेंटर का शेयर था वह शेयर हमको नहीं मिला तो मात्र 27 लाख रुपये सेंटर का शेयर मिला।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मंत्री महोदय, इसके अंदर आपकी सीधी भावना है कि इस पैसे को आप खर्च करने की स्थिति में सरकार नहीं थी। सीधी बात यह है कि आप आडिट के परव्यू में आते इससे बचने के लिए आपने क्वाइटली रास्ता, गली निकाली कि एक सोसाइटी बना दो और सोसाइटी के माध्यम से इस पैसे को आराम से हम खर्च कर देंगे, मेरा आपसे यह कहना है कि कृपया आप देखें।

श्री अध्यक्ष : कहना नहीं अब आप प्रश्न पूछें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): दो-तीन बातें यहां पर और कहीं ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : Question Hour is meant to seek the information.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कि हमने कंज्यूमर्स के लिए लीगल एड दी। आपने कंज्यूमर को कहां दी?

श्री अध्यक्ष : भाषण के लिए नहीं। Question Hour is only to seek the information

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, हम इंफार्मेशन ही ले रहे हैं। हमारा सीधा सरकार के ऊपर आरोप है कि सोसाइटी के माध्यम से सरकार अपने चहेते एनजीओज. को, अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा यह आरोप है। अगर नहीं है तो आप कृपया इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष: आप क्वेश्चन आवर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया कि अपने एनजीओज् को पैसा दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। न हमारे एनजीओ हैं, न इनके कोई एनजीओ हैं, एनजीओ वही हैं जो उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में काम करते हैं जिनका आउटस्टेंडिंग वर्क होता है उसको भारत सरकार 50 हजार रुपये से ज्यादा देती है उसमें 50 परसेंट हमारा होता है 50 परसेंट उनका होता है। एक भी एनजीओ ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमने पैसा दिया हो। जो आपने बताया है कि हमने आडिट से बचने के लिए यह किया है, इसमें डिप्टी सेक्रेट्री सहित, फाइनेंस सदस्य हैं और यह जीएफ एण्ड आर रूल्स का सारा पालन कर रहे हैं और फाइनेंस की अप्रूवल से यह समिति बनी है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और गैर संवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सोसाइटी कंज्यूमर बनाएंगे, सरकार कैसे बनाएगी? अध्यक्ष महोदय, सोसाइटी कंज्यूमर की है तो कंज्यूमर बनाएंगे, कंज्यूमर मेम्बर थोड़े ही हैं इसमें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कंज्यूमर का पैसा ले रहे हैं तो कंज्यूमर उसको शेयर बनाएंगे। को-आपरेटिव मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उपभोक्ता के बिहाफ पर आप सोसाइटी कैसे बनाएंगे? उपभोक्ता का यदि पैसा है, उस पैसे से बचाकर आप काम कर रहे हैं तो सोसाइटी का उपभोक्ता ही मेम्बर बनाएगा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कि आप एनजीओज् को..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं यह नहीं कह रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वे कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने खुद ने उत्तर में कहा है कि अलग-अलग पैसे की कीमत थी, उसको करने के लिए कहा है। वह पैसा कंज्यूमर का था।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): प्रश्न संख्या 86।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कंज्यूमर मैम्बर बनकर सोसाइटी बनाये तब तो समझ में आता है, आप सोसाइटी कंज्यूमर की तो बना नहीं रहे और कंज्यूमर से पैसे लेकर कर रहे हो आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने आपको निवेदन कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जितना पैसा आया वह कंज्यूमर के हित में हमने खर्च किया है। एक पार्टी दांये-बांये हो गई तो मैं कान पकड़कर आपको मुर्गा बनने के लिए तैयार ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो आदमी को-आपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर हो, उसका हित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया। ..(व्यवधान).. अंकित नहीं हो। क्वेश्चन आवर तो इंफार्मेशन सीक करने के लिए होती है। अब आप आरोप लगा रहे हो इन पर।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री शान्तिलाल चपलोत।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हो रहे हैं। I have called the next question.

श्री शान्तिलाल चपलोत।

गैर शिक्षण कार्यों हेतु प्रतिनियुक्त अध्यापक

86. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में भिन्न-भिन्न शिक्षकों के कितने-कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई अध्यापक विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से अध्यापक कहां-कहां प्रतिनियुक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थिति से विद्यालयों में अध्यापन कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल उक्त अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें अध्यापन कार्य में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): (1) शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण जिलेवार परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) जी हां। प्रतिनियुक्त अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रतिनियुक्ति से रिक्त हुए पदों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाकर शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कराया जा रहा है। अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति डीपीईपी, सर्व शिक्षा योजना, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण के आवासीय विद्यालयों में की हुई है जो समस्त शिक्षा से जुड़े आयामों में ही कार्य कर रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने परिशिष्ट ''क'' में सैकण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या सारे राजस्थान में 5778 और 20595 बतायी है। यह परिशिष्ट क पर है और उसकी कुल संख्या 26173 होती है। दूसरी तरफ आपने परिशिष्ट क एक दूसरा और है उसमें आपने बताया है कि सारे राजस्थान में व्याख्याता के 4601, वरिष्ठ अध्यापक के 7970 और दूसरे अध्यापकों के थर्ड ग्रेड के 3123 पद खाली हैं। मुझे यह समझ में नहीं आया आपका यह परिशिष्ट सही है या यह सही है? उस परिशिष्ट से पहला जो परिशिष्ट है उससे तो कुल मिलाकर 26173 पद रिक्त आते हैं और जो परिशिष्ट है उसके हिसाब से 15694 पद ही आते हैं। उसमें से कौनसा सही है यह माननीय मत्री महोदय, स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि जो पहला परिशिष्ट है वह प्रारंभिक शिक्षा का है। उसमें कुल 1,87,530 स्वीकृत पद हैं जिसमें से 20595 पद रिक्त हैं वह केवल 11 परसेंट है। इसी तरह से सैकण्ड ग्रेड के 18430 पद स्वीकृत हैं उसमें से 5778 रिक्त पद हैं। सैकण्डरी सैट अप में जो जानकारी

(श्री वासुदेव देवनानी)

आपके पास हमने भिजवायी है परिशिष्ट "ख" पर, उसमें व्याख्याता के 17763 पद स्वीकृत हैं उसमें से 4601 रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के 36324 पद स्वीकृत हैं उसमें से 7970 रिक्त हैं। अध्यापकों के 14383 पद स्वीकृत हैं इनमें से 3123 पद रिक्त हैं इनमें से केवल 1720 पद प्रतिनियुक्ति पर हैं जो केवल 0.8 परसेंट है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। ...(व्यवधान)...

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सैकण्डरी स्कूल में और हायर सैकण्डरी स्कूल में व्याख्याता होते हैं, हायर सैकण्डरी स्कूल में, अब 4601 पद आप रिक्त रखो और सैकण्ड ग्रेड के भी इतने हैं 7970 पद रिक्त रखे हैं तो किस प्रकार से शिक्षण कार्य चल पाएगा इसीलिए कई विषयों में अध्यापक नहीं होने से बच्चों को अभी इम्तिहान में काफी तकलीफ आ रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जाना चाहता हूं कि आप यह रिक्त पद कुल मिलाकर 26 हजार या जितने भी बताये हैं, यह आप कब तक भर देंगे ?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद हमने 2838 डीपीसी के द्वारा और 1019 तदर्थ पदोन्नति के द्वारा व्याख्याताओं के पद भरे हैं, साथ में 1407 पद आरपीएससी के द्वारा भरे जा रहे हैं, 18 विषयों के जिनकी स्वीकृति आनी शुरू हो गई है उसमें से पहली सूची में 34 पद आये हैं जिनका हमने पदस्थापन कर दिया है। इसी तरह वरिष्ठ अध्यापकों के भी 1762 पद हमने सीधी भर्ती के द्वारा भरे हैं और 1618 पद डी.पी.ई.पी. के द्वारा, इस तरह 3380 पद भरे गये हैं, फिर अभी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम 26 हजार पद थर्ड ग्रेड के और 5 हजार सैकण्ड ग्रेड के पद हम भरने के लिए जा रहे हैं। मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि जब बीजेपी की सरकार माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे उस समय 21736 पद भरे गये, कांग्रेस के पांच साल के अन्दर केवल 443 पद भरे गये और पिछले दो साल में 35560 पद भरे गये और 31 हजार पद हम और भरने के लिए जा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सवाल का जवाब लगभग सौ पेजों में आपने दिया है, आपके पास भी होगा, आपने इन अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर महिला बाल विकास विभाग में, समाज कल्याण में, सर्व शिक्षा योजना में और दूसरे विभागों में लगा रखा है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर कब से लगे हुए हैं, क्या इनमें कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जो 2-2, 3-3 साल से दूसरे विभाग में लगातार प्रतिनियुक्तियों पर हैं और शैक्षणिक कार्य उससे प्रभावित हो रहा है। दूसरा आपने जो सूची दी है, जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि बाड़मेर में तो सैकण्ड ग्रेड के 283 और थर्ड ग्रेड के 1914 पद रिक्त हैं, समझ में आता है, चित्तौड़गढ़ में सैकण्ड ग्रेड के 290 और थर्ड ग्रेड के 1360 हैं, नागौर में सैकण्ड ग्रेड के 388 और थर्ड ग्रेड के 1182 हैं लेकिन झुंझुनूं जिला जहां तो शिक्षकों की बहुतायत है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय है, वहां भी आपने पांच सौ अध्यापकों के रिक्त पद छोड़े हुए हैं और फिर वहां के अध्यापकों को भी दूसरे विभाग में आपने प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक सवाल यह पूछा था कि आप इन प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करके इन अध्यापकों को वापस इनके विभाग में और विद्यालयों में भेजने का इरादा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो आपने जो पद भरे हैं उसमें प्लान में कितने पद भरे हैं और नान प्लान में कितने पद भरे हैं, यह जानकारी दे दें और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है कि आपने यह सारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति शिक्षा के आयामों से जुड़े हुए विभागों में है, वह गलत है, आपने एसडीएम आफिस पर, आपने एडीएम और बीडीओ आफिस में भी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की हुई है तो क्या सरकार जो यह राजस्व अधिकारियों के कार्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है, क्या उसको निरस्त करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: डी.पी.ई.पी. में भी कर रखी है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न था, कुल प्रारम्भिक शिक्षा में 1720 पद

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक हैं जिनमें से 1579 डी.पी.ई.पी. में हैं, साक्षरता में 8 हैं, महिला बाल विकास विभाग में 7 हैं, समाज कल्याण आवासीय विद्यालय छात्रावास में 60 हैं। इस तरह 1654 शिक्षा से जुडे हुए कामों से ही हैं, केवल 66 लोग सारे जिसमें एसडीएम, रसद विभाग, निर्वाचन कार्यालय, नगर निगम, जिला परिषद्, तहसील, पंचायत समिति, कुल मिलाकर के 2 लाख 30 कर्मचारियों में से केवल 66 कर्मचारी हैं । इसी तरह सैकण्डरी सैट-अप में कुल 582 प्रतिनियुक्ति पर हैं उसमें से केवल 4 ऐसे हैं जो शैक्षणिक कार्यों में नहीं हैं, बाकी सारे के सारे शैक्षणिक कार्यों में हैं, यह जाकर के .1 या .2 परसेंट भी नहीं होते। इसीलिए इसका शैक्षणिक कार्यों में किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, आवश्यकता हुई, हमने पिछले दिनों सैकण्डरी सैट-अप में 4660 लोगों को शैक्षणिक काम में ही भेजा था उनको वापस 28 फरवरी को हमने उनकी नियुक्ति समाप्त करके ओरिजनल स्थान पर भेज दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे दोनों प्रश्नों का आपने जवाब नहीं दिया मंत्रीजी।...(व्यवधान)...पहला तो मेरा प्रश्न यह है कि कितनी पोस्ट आपने प्लान में भरी और कितनी नान प्लान में भरी, पहला तो क्वेश्चन यह है, इसका जवाब दो आप और जो प्रतिनियुक्ति गैर शैक्षणिक कार्यों में की है, एक शिक्षक को आपने ऐसे विभाग में लगा दिया जहां शिक्षा का काम नहीं है तो उसकी पूरी प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्या इनको वापस बुलाने का विचार रखते हो? दोनों स्पेसिफिक बात पूछी है।...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो स्पेसिफिक सवाल यह था कि क्या इनमें से दो वर्ष से ज्यादा समय से प्रतिनियुक्ति पर कितने अध्यापक हैं और आप क्या इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करके इनको इनके मूल विभाग में भेजने का विचार रखते हैं क्या? ...(व्यवधान)...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि डी.पी.ई.पी. में जितने पदों की नियुक्ति राजस्थान सरकार ने दी है, डी.पी.ई.पी. के अध्यापक अध्यापन कार्य से हटकर केवल भवन निर्माण में लग गये हैं, क्या राजस्थान सरकार यह नीति निर्धारित करना चाहती है कि डी.पी.ई.पी. की नियुक्ति के लिए कोई और कैडर के अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करे और उन अध्यापकों को वापस मूल विभाग में भेज कर शिक्षा अध्ययन का काम पूरा करवाए, क्या सरकार यह करना चाहती है?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि गत वर्ष आरपीएससी में जितने रिक्त पदों के लिए आरपीएससी के माध्यम से नियुक्ति के लिए परिपत्र भेजा गया था उसमें से कितने अध्यापकों को नियुक्ति दे दी गई, शेष जो बचे क्या यह अनुसूचित जाति, जनजाति के पद रिक्त हैं, मैं तो मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो शेष बचे हैं जिनके बारे में मुझे मालूम हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं क्या उनको आरपीएससी के माध्यम से नियुक्त करने का प्रस्ताव रखते हैं या नहीं ? ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से ... ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैंने आपका नाम कब पुकारा ? ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का जवाब तो दिलवाएं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब पहले आने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हमारा जवाब आया ही नहीं कि यह प्रतिनियुक्ति पर कब से गये हुए हैं, आप यह तो बताओ कि कब से लग रहे हैं ये।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कब से प्रतिनियुक्ति पर हैं और कब खतम करेंगे यह बताइए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, प्रतिनियुक्ति पर संबंधित विभागों के द्वारा मांगे जाने पर दी जाती है उसकी कोई समय अवधि नहीं है, कोई साल से है, कोई दो साल से है, कोई तीन साल से है, जब भी विभाग को, चूंकि मैंने गिनती करके बताये हैं कि दो लाख में से केवल 50 या 60 लोग हैं जब आवश्यकता होगी सरकार निश्चित रूप से उनको बुलाएगी, इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूं बाकी जहां तक प्लान नान प्लान टोटल को ध्यान में धरे, इसको अलग से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कैसे आवश्यकता नहीं है, आप फालतू की डींगें हांक रहे हो। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो बाद में गिनती करके बता दें आप। ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान सरकार का कितना पैसा खर्च किया आपने, बताइए आप।...(व्यवधान)...सारे पद खाली पड़े हुए हैं आज।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य मंत्रीजी, एक अवधि होती है डेपुटेशन की, तीन साल से ज्यादा नहीं लग सकते और उसके बाद एक साल का एक्सटेंशन दे सकते हो उससे अधिक नहीं रख सकते।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): साधारणतया इससे ज्यादा नहीं हैं फिर भी यदि कोई होगा तो उसकी जांच करके हम बुला लेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, डी.पी.ई.पी. के लिए कोई कैडर निर्धारित करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, डी.पी.ई.पी. के लिए कोई कैडर निर्धारित करेंगे क्या और उन अध्यापकों को मूल विभाग में भेजने का काम करेंगे क्या ? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट को ही देख लीजिए, सन् 2001 से बैठे हुए हैं कई लोग तो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं इनको जो भी चार वर्ष से ज्यादा होंगे इनकी करके निश्चित रूप से हम इनको वापस बुलाएंगे।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): डेपुटेशन पर पांच साल तक रह सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ...(व्यवधान)... तीन साल है और एक साल का एक्सटेंशन है।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, यह जो डी.पी.ई.पी. के 1700 अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब बात हो गई है, उन्होंने कह दिया, आप स्थान ग्रहण करें।...(व्यवधान)...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया।...(व्यवधान)...माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछा था।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)... अब मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी, स्थान ग्रहण करें।

श्री अमराराम (धोद): डी.पी.ई.पी. योजना थी वह दिसम्बर, 2005 में समाप्त हो गई है और आप उत्तर दे रहे हैं कि अभी भी 1700 अध्यापक डी.पी.ई.पी. योजना में प्रतिनियुक्ति पर हैं। योजना ही दिसम्बर, 2005 में जब समाप्त हो गई है...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2007 तक बढ़ गई है।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न किया था कि आर.पी.एस.सी. के माध्यम से कितनी रिक्वीजिशन भेजी थी और कितने अध्यापकों को नियुक्तियां दे दी और शेष जो बचे है एस.सी., एस.टी. के उनको कब तक नियुक्ति देने का विचार रखते हैं। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया कि दूसरा कैडर रखेंगे क्या आप डी.पी.ई.पी. में?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आर.पी.एस.सी. के पास 1820 पदों के आवेदन मांगे हैं, जब भी प्राप्त होते हैं हम नियुक्तियां दे देंगे। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): आप डी.पी.ई.पी. में दूसरा कैडर बना रहे हैं या नहीं ? एक तो मंत्री महोदय इसका जवाब दीजिये और अध्यापकों को मूल विभाग में भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मंत्री महोदय, प्लान से कितने पद भरे हैं और नान प्लान से कितने पद भरे हैं, यह तो बता ही नहीं रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: चार साल से अधिक जो भी होंगे उनकी प्रतिनियुक्ति खतम हो जाएगी, यह बात आ गई। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): xxx

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): xxx

श्री अध्यक्ष: आसन को तो सुनाई नहीं देता, आप एक साथ बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप कोई विशेष हो क्या कि आसन खड़ा होता है और आप परवाह ही नहीं करते इस बात की। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप प्रश्न को फिर से पढ़िये। इसमें कहीं नान प्लान और प्लान में कितने-कितने हैं, आपने कोई पूछा नहीं है और जो उनके पास इन्फार्मेशन थी वो उन्होंने दे दी। मैं बाध्य नहीं कर सकती मंत्री जी को इस बात के लिए कि जो प्रश्न में पूछा नहीं गया है उससे अतिरिक्त भी वो आपको सूचना दें। मैं बाध्य नहीं कर सकती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: कोई आवश्यक नहीं है। गलत बात है। नहीं, अब कुछ नहीं। चर्चा समाप्त। नैक्स्ट क्वेश्चन। समाप्त हो गया। श्री बहादुर सिंह गोदारा। स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें।

रेगिस्तान प्रसार के रोक हेतु कार्य-योजना

87. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय कहां-कहां किये गये तथा इससे कहां-कहां कितने क्षेत्र में बढ़ता रेगिस्तान रुका?

(2) क्या सरकार उन वृक्षों, जो सूख गये हैं, अन्धड़ से गिर जाते हैं अथवा जिनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, को रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कैसे? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार यह वन भूमि जिसमें न वृक्ष हैं न घास है, का समुचित उपयोग करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे व कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे): (1) बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिये गत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 12

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

मरुस्थलीय जिलों में 1.03 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया है। कृषि वानिकी के अंतर्गत इन जिलों में 221.46 लाख पौधों का वितरण किया गया है। जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है। किस स्थान पर कितने क्षेत्र में बढ़ता रेगिस्तान रूका इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कराया गया है। कराये गये कार्यों से मरुस्थलीय क्षेत्रों की हरितिमा में वृद्धि हुई है। साथ ही इन क्षेत्रों में मिट्टी उड़ने एवं धूल भरी आंधियां चलने में भी कमी आई है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार परिपक्व वृक्षों का विदोहन कराया जा रहा है। आंधी, तूफान से गिरे पड़े वृक्षों की लकड़ी, विभागीय कार्य इकाइयों को संभलायी जा रही है। विभागीय कार्य इकाइयों द्वारा एकत्रित लकड़ी का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। वृक्षों के अवैध कटान की रोकथाम के कार्य स्थानीय वनकर्मियों एवं गश्ती दलों द्वारा किया जा रहा है।

(3) वृक्ष विहीन एवं कम वनस्पति वाले वन क्षेत्रों को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के क्षेत्र विशेष की स्थिति के अनुसार वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास के कार्य करवाये जाकर विकसित किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने केवल इतना ही बताया है कि हमने इतने वृक्ष लगाये हैं। आपने यह नहीं बताया कि आपने रेगिस्तान रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं। केवल आपने सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, गोचर भूमि में वृक्ष लगवा दिये उससे रेगिस्तान नहीं रुक सकता। काश्तकार के खेतों से रेत का उठाव हो रहा है और उससे रेगिस्तान फैलता जा रहा है। उसको रोकने के लिए आपने कहीं कोई उपाय नहीं किये।

दूसरा, आपने जवाब दिया कि किस स्थान पर कितने क्षेत्र में बढ़ता रेगिस्तान रुका, इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कराया गया है। आपने इतना भारी भरकम खर्च करने के बावजूद आज इतने सालों के बावजूद यह असैस करने की कोशिश ही नहीं की कि रेगिस्तान बढ़ता हुआ कहां रुका है, कितने क्षेत्र में रुका है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने आज तक रेगिस्तान रोकने के लिए जो पैसा खर्च किया है वह पैसा बर्बाद हुआ है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछिये। प्रश्न पूछिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आपका यह सारा पैसा बेकार गया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): क्या आप इसे रोकने का कोई उपाय करने का विचार रखते हैं ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का 2/3 भाग मरूस्थलीय क्षेत्र है और वह करीब 2 लाख 10 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। माननीय सदस्य ने रेगिस्तान को रोकने के लिए जो बात कही है, टीबा स्थिरीकरण की योजनाएं करीबन 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर यह कार्य राज्य सरकार के द्वारा कराया गया और मरू प्रसार योजना, मरू गोचर योजना और राजस्थान जैव विविधता परियोजना के तहत कार्य किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इन 12 जिलों में मरू प्रसार रोकने की जो योजना है यह निजी काश्तकारों के लिए नहीं है। जहां चरागाह भूमि है, सिवाय चक लैंड है उन लैण्ड में रोकने के लिए इन योजनाओं के तहत मरू प्रसार योजना है, मरू गोचर योजना का, राजस्थान जैव विविधता योजना के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। माननीय सदस्य जो चाहते हैं, 1978 और 1980 में एक व्यक्तिगत लाभार्थ योजना प्रारम्भ की गई थी उसके अन्दर किसान अपने खेत के अन्दर अगर प्लांट लगाता था तो एक योजना थी कि उस योजना के अन्दर अनुदान के रूप में दो रुपये प्रति व्यक्ति मिलते थे। अगले वर्ष अगर वो पेड़ सरवाइव होता था तो एक रुपया अनुदान और दिया जाता था और उसके अगले वर्ष अगर वह पेड़ सरवाइव होता तो एक रुपया और दिया जाता था। यह योजना 1980 तक थी उसके बाद में यह योजना समाप्त हो गई।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं, इंदिरा गांधी नहर योजना में कई जगह जहां आपने सड़कों के किनारे वृक्ष लगाये वे वृक्ष सूख रहे हैं, आंधी-तूफान से गिर जाते हैं, आये दिन लोग लकड़ी चुराकर के ले जाते हैं, दिन-रात देखते हैं। मैंने आपको कई बार लिख कर भी दिया है पर उन वृक्षों को बचाने के लिए आप कोई उपाय नहीं कर रहे हैं जहां करोड़ों रुपये का आपका नुकसान हो रहा है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये न। आपने यह तो पूछ लिया।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि हमारे एक कोला फार्म है जिसकी हजारों एकड़ बहुत ही उपयोगी जमीन है। उसमें न तो आपके वृक्ष लगे हुए हैं, न आप उसका उपयोग कर रहे हैं। आपने उस जमीन को रोककर रख रखा है और उसके ऊपर आपका विभाग भी तैनात है, उसमें आपके कर्मचारी भी तैनात हैं। जैतसीसर का फार्म है, इसी तरह से जैसलमेर का फार्म है। वहां आपके करोड़ रुपये सालाना खर्च हो रहे हैं लेकिन उस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: वन की मांग है उस पर बोलना आप यह सब। आज वन की भी मांग है उस पर आप खूब बोलना, यह बात उस समय कहना।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं थोड़ी जानकारी चाहता हूं कि वन का जो क्षेत्र राजस्व रिकार्ड में, 500 वर्षों से, हजार वर्षों से राजस्व रिकार्ड में जो गांव बसे हुए हैं, आबादी है, हजार की, 1500 की आबादी है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रेगिस्तान के प्रसार के रोक हेतु है यह कार्य योजना।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): उनके बीच में 400-500 मीटर की दूरी में वन विभाग आ जाता है। उन रोड को रोक दिया गया। ऐसे गांवों के हालात अब तक 500 साल के बाद भी जर्जर हैं। उनकी क्या व्यवस्था है ? मंत्री महोदय, यह जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये। स्थान ग्रहण करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वन क्षेत्र में 1980 के पूर्व... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आज वन पर विचार भी हो रहा है, उस समय आप अपनी बात कहना।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 1980 के पूर्व वन क्षेत्र, वन आबादी में जो लोग रहते थे, कल्टीवेशन करते थे, उनके नियमन की कार्यवाही, ऐसे 5466 प्रकरण थे, उनको राज्य सरकार द्वारा नियमन करने के लिए भारत सरकार को भेजा गया था और भारत सरकार ने नियमन की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण स्थगन आदेश प्राप्त हुआ, इसके कारण भी मामले लम्बित हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में इनके नियमन की कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

रामगढ़ (अलवर) में कंसखाल नहर की स्वीकृति

88. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़(अलवर) में कंसखाल नहर योजना की स्वीकृति हेतु तकमीना भेजा गया है? यदि हां, तो उपरोक्त योजना हेतु कितनी राशि की आवश्यकता होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उपरोक्त योजना की स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): (1) जी हां। इस कार्य पर 90.00 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

(2) परीक्षण के बाद निर्णय लिया जायेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 'अ' में तो मंत्री महोदय ने माना है कि एक ऐसी समस्या है, कंसखाल एक योजना है जिससे 25-30 गांवों के लिए बरसात का पानी जो पहाड़ों से बहकर आता था, उन गांवों में जाता था और उन गांवों में गेहूं बगैर पानी के होता था, ढहरी इलाका था, लेकिन 1995 में बाढ़ आने के कारण इसका डाइवर्सन हो गया और यह सारा पानी रूपारेल में गिरकर निकल जाता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो,प्रश्न पूछो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप जिले के प्रभारी भी हो। यह लम्बे समय से मांग चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसान हो और आपके बारे में यह भी है कि आप किसान के बारे में चिंतित हो। जब जहां 20 25 गांवों का भला हो सकता है, पानी वेस्ट जा रहा है, वह इसमें आ सकता है, आप इसको कब तक बनवाने का विचार रखते हो? आज इसकी स्वीकृत करने की घोषणा करिये मंत्री महोदय, जहां पानी के संरक्षण के लिए आप तरह-तरह के सेमिनार कर रहे हैं, जन जागरण अभियान चला रहे हैं, विभाग का नाम बदल रहे हैं और यह ऐसा मुद्दा है, आप उसके ऊपर क्या कार्यवाही करने जा रहे हो?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये माननीय सदस्य। प्रश्न पूछिये। अंकित नहीं हो। आप प्रश्न पूछिये। आप भाषण देने लग जाते हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: कहां पूछा? नहीं पूछा। प्रश्न पूछने में कोई भूमिका बनाई जाती है? ठीक है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी के सम्बन्ध में जो स्थिति बता रहे हैं, बिलकुल ठीक है। पूरे राजस्थान में, हिन्दुस्तान में, दुनिया में यह समस्या है। आपने जो बात बताई है, उसके बाद ही मैंने इसका एस्टीमेट मंगवाया है, इससे पहले इसका कोई तकमीना भी नहीं बना। मैंने कहा कि माननीय सदस्य इतनी चिंता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। आपने 20-25 गांवों का बताया, हमारे पास जो जानकारी है, मेरे हिसाब से लगभग 17 गांवों को इससे फायदा मिलेगा। भूजल स्तर ऊपर आएगा अगर भगवान ने बरसात की तो। अब इसमें तीन पार्ट हैं, एक तो इस नाले के किनारे पर एक मकान बना हुआ है और उस मकान को सुरक्षित रखने की सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए एक प्रोटेक्शन वाल बनेगी, उसके लिए 15 लाख रुपये लगेंगे, यह हम कर देंगे। अब गांव के सरपंच साहब ने यह लिखकर दिया कि एनीकट बनने के बाद में कुछ ऊंचा लेवल है, वहां पर हम हमारे द्वारा या पंचायत के द्वारा उसको ठीक करवाकर पानी उस नाले के अन्दर ओरिजिनल जो पहले जाता था, हम डाइवर्ट करवा देंगे पर हमारे पास जो की-फैक्टर है, वह यह है कि एनीकट बनता है, इसमें लगभग दो एमसीएफटी पानी आयेगा और लगातार चलता रहेगा। अब जबकि आपने यह बात शुरू की कि यहां पर यह बनेगा, तब से वहां के काश्तकार कहने लग गये कि हमको मुआवजा दीजिये और एनीकट बनाने के लिए आज तक किसी को कोई मुआवजा देने का प्रावधान नियमों में नहीं है। यदि मैं अगर इसमें नियम भी बना दूंगा तो आपके माननीय सदस्य या कोई भी कहेगा कि पर्टिकुलर के लिए आपने नियम बना दिये, जैसी अभी बात आई इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप इसमें सहयोग करिये, उन किसानों को जिनकी डूब में आ रही है, उनको भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर वह मुआवजा नहीं लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे कई कुओं का जलस्तर ऊपर आएगा। हमारे पीएचईडी के ट्यूबवैल और हैण्ड पम्प जो उस क्षेत्र के अन्दर हैं, उनको भी फायदा मिलेगा और कुल मिलाकर भूजल स्तर बढ़े, सरकार का यह उद्देश्य है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल अभियान भी

(श्री सांवर लाल)

शुरू किया पर यह जो लिमिटिंग फैक्टर है, इसमें आप सहयोग करिये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तत्काल प्रभाव से हम यह कार्यवाही कर देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र सराधना। नैक्स्ट प्रश्न। श्री रामचन्द्र सराधना। माननीय मंत्रीजी।

भारतीय शिल्प उद्यमिता प्रबन्ध एवं विकास संस्थान का निजीकरण

89. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्वायतशासी संस्थान के रूप में कार्यरत भारतीय शिल्प संस्थान और उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान में राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थानों के पास क्या-क्या परिसम्पत्तियां हैं और उनका वर्तमान बाजार मूल्य कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संस्थानों के निजीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और इसके लिए किस औद्योगिक समूह से वार्ता की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): (1) भारतीय शिल्प संस्थान एवं उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान, जयपुर, राजस्थान सोसायटी एक्ट, 1958 के तहत पंजीकृत संस्थाएं हैं। उक्त दोनों संस्थानों पर राज्य सरकार का स्वामित्व नहीं है। राज्य सरकार द्वारा कारपस फण्ड, भूमि, भवन, कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं आवर्तक व्यय के लिए वितीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा दोनों संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) भारतीय शिल्प संस्थान एवं उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान, जयपुर की परिसम्पत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन इन संस्थाओं की परिसम्पत्तियों का संस्थान की लागत के अनुसार मूल्यांकन परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(3) गुजरात अम्बूजा सीमेंट लि. द्वारा संस्थापित अम्बूजा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि कम्पनी एक्ट की धारा 25-ए के अन्तर्गत पंजीबद्ध नोन

(श्री नरपत सिंह राजवी)

प्रोफिट कम्पनी है, द्वारा संचालन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है, जो विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहा था कि दोनों संस्थानों के निदेशक आई.ए.एस. आफिसर हैं और इनकी परिसम्पत्तियो का कितना विवरण है, कीमत कितनी है, आपने इनकी लागत बता दी लेकिन बाजार मूल्य नहीं बताया जिसके कारण सात एकड़ जमीन पर, विशाल भू-भाग पर बनी हुई इन परिसम्पत्तियों की, जो अरबों रुपयों की सम्पत्ति है, ऐसी सम्पत्ति वाले संस्थानों को आप प्राइवेट देना चाहते हैं, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रहा था कि इनकी परिसम्पत्तियों में अचल सम्पत्तियों के साथ चल सम्पत्तियों का विवरण तो आपने दिया नहीं, कितनी एफ.डी. है और कितना इनके पास में बैंक बैलेंस है, एक बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, क्या संस्थान उद्देश्य पूरा करने में असफल रहे हैं? यदि हां तो क्या-क्या कारण रहे और उनको दूर करने के क्या-क्या उपाय किये गये, दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को तकनीकी ज्ञान देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान कायम किये गये हैं, इन प्रशिक्षण संस्थानों को अचानक गुजरात अम्बूजा सीमेंट लि. को देने का विचार क्यों आया? क्या इसमें प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रक्रिया अपनाई गई है या आपका खुद का विचार है क्योंकि यह आपके जिले से आता है यह गुजरात अम्बूजा सीमेंट वाला? आपका विचार कैसे बना अम्बूजा सीमेंट को देने का या उनको कैसे मालूम पड़ा कि आप इसको प्राइवेट देना चाहते हैं? क्या और भी संस्थानों ने, प्राइवेट कम्पनियों ने एप्लाई किया है?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ क्राफ्ट एण्ड डिजाइन 20.4.1995 को रजिस्टर की गई और उसका कारपस फण्ड डेढ़ करोड़ का है। ई.एम.आई. 1996 में रजिस्टर की गई और उसका कारपस फण्ड दो करोड़ का है और इसके अलावा जो उनको ट्रेनिंग के आधार पर कोई न कोई स्पोन्सर करता है, कभी वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, कभी कोई एन.जी.ओज. के माध्यम से, उसमें हमने इस वर्ष 1700 ट्रेनीज को... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय मंत्रीजी, आप समय

(श्री रामचन्द्र सराधना)

बरबाद नहीं करें। मैंने आपसे यह नहीं पूछा, यह आपने लिखकर दे दिया, मैंने उसे पढ़ लिया। मैं जो आगे नहीं पढ़ सका, वह आपसे पूछ रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आपने कारपस फण्ड का नहीं पूछा था।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूछना यह था कि आपने भूमि, भवन, कम्प्यूटर, फर्नीचर तो दे दिये, आपने यह नहीं बताया कि इनकी अचल सम्पत्ति कितनी हैं? कितनी एफ.डी. है आज की तारीख में और कितना बैंक बैलेंस है इनका, एक तो यह नहीं बताया। दूसरा, मैंने आपसे यह पूछा है कि इन संस्थानों को प्राइवेट देने का, निजीकरण करने का क्या उद्देश्य था, क्या ये संस्थान अपने उद्देश्य में असफल? रहे असफल रहे तो कब से रहे और उनको सफल करने के लिए क्या-क्या उपाय कर चुके अब से पहले?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 'ख' अगर देख लें तो उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान की 11590 वर्गमीटर जमीन है और उसकी कीमत 82.28 लाख रुपये है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि मंत्री महोदय को जवाब देने वालों ने बड़ा चक्कर डाल दिया। इन्होंने एक संस्थान का तो बता दिया कि इनके पास में 11590 वर्गमीटर है। बाकी आपने दूसरा नहीं बताया, सात एकड़ जमीन है माननीय मंत्री महोदय और सात एकड़ जमीन की कीमत आज कम से कम चार अरब रुपये होती है। 5-10 हजार रुपये की बीच में झालाना में जमीन बिक रही है, उसकी सम्पत्ति चार अरब रुपये से ऊपर जा रही है, आप तो केवल मात्र 11000 वर्गमीटर वाली बता रहे हैं। मैं यह नहीं पूछना चाह रहा, यह तो मैंने पढ़ लिया। आपको जो नहीं बताया अधिकारियों ने, वह पूछना चाह रहा हूं, आपने चल सम्पत्तियों का विवरण नहीं बताया, एक तो पहले ही बता दिया और दूसरा यह बता दें कि इतनी इम्पोर्टेन्ट थी मंत्री महोदय, ये संस्थान इसलिए बनाये गये थे कि टैक्नीकल ज्ञान मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, इनको ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था।

उन उद्देश्यों में यह सफल नहीं रहा क्या? नहीं रहा तो कब से नहीं रहा और आपने इसको सफल करने के लिए क्या-क्या उपाय किये, एक बात।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

दूसरा प्रश्न और सुन लो मेरा साथ-साथ में, कि अम्बुजा सीमेंट प्राइवेट कम्पनी को देने का आपका विचार कैसे बना, क्या इसमें प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अम्बुजा सीमेंट को ही देने का क्यों किया, मैंने प्रश्न में उत्तर दिया है कि उनका प्रस्ताव आया है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब सिर्फ एक चीफ सैक्रेटरी लेवल पर इसका डिस्कशन हुआ है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं स्वयं इस समय, शुरू-शुरू में जब अख़बार के माध्यम से पढ़ा था तो मुझे भी अचम्भा हुआ था लेकिन अगर रियलिटिज में आप जाकर देखें...

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्षजी, अभी समय बरबाद हो जायेगा, फिर आप समाप्त कर देंगी, मेरे प्रश्न का जवाब हमेशा नहीं आता है, समय होने वाला है। समय बरबाद कर रहे हैं, मंत्रीजी उत्तर नहीं दे रहे हैं मेरा। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अगर ज्ञान का सारा ठेका, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने ले लिया तब तो मैं कह नहीं सकता लेकिन 12 लाख 55 हजार के अगर एक्सपेंडीचर हैं तो उसमें कितने ट्रेनीज निकाल सकेंगे, स्पोंसर नहीं मिलेगा तो वह ट्रेनी नहीं निकल पायेंगे। पिछले पाँच वर्षों से आप देख लें, वहां कितनों को ट्रेन्ड करके दिया है, हमने प्रयास किये हैं लेकिन फिर भी हमेशा स्पोंसर के आधार पर करेंगे या सेल्फ फाइनेंस के आधार पर स्टूडेंट्स से फीस लेकर आईआईसीडी में कर रहे हैं, 24 लाख रूपये साल का, उसमें बहुत ज्यादा विकास होने का, उसमें transfer of management is out of question, मेरे मंत्री रहते हुए ट्रांसफर आफ आनरशिप नहीं हो सकता।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय मंत्रीजी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं पूछ रहा हूं इसमें चल सम्पत्ति कितनी है, इसके पास में कितना पैसा फिक्स्ड डिपाजिट है, कितना बैंक में है और अम्बूजा सीमेंट को आप क्यों देना चाहते हैं। दूसरा, इसको सफल बनाने के लिए आपने क्या-क्या प्रयत्न किये हैं, छोटी-छोटी बात है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): मैं बता रहा हूं। कारपस फंड डेढ़ करोड़ और दो करोड़ का है, वह मैं आपको निवेदन कर चुका हूं, अगर आपने नहीं सुना, तो फिर निवेदन कर रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट्स से जो फीस

(श्री नरपत सिंह राजवी)

ले रहे हैं वह तो उस पर्टीकुलर कोर्स के आधार पर आयेगी, वह इर्रेगुलर है और अभी जैसे देखिये, पहले पीजी स्टूडेंट्स थे, सिर्फ आज तक हम निकाल पाये हैं, आईआईसीडी में 20 पीजी स्टूडेंट्स और इस वर्ष है 28 अण्डर ग्रेजुएट एण्ड पीजी स्टूडेंट्स 16, सेटिस्फेक्टरी नहीं है और सेटिस्फेक्टरी नहीं है, इसमें अगर स्टेट के इंटरेस्ट में, एन्टरप्रिन्योर के इंटरेस्ट में इसको और डवलप किया जा सकता है तो without transferring ownership in any matter, सिर्फ मेनेजमेंट आफ प्रोफेशनली, निसेट के या और ज्यादा ट्रेंड अधिकारी उसमें वह एम्पलाई करे और सिर्फ मेनेज करे और इसमें टोटल कंट्रोल स्टेट का रहेगा, इस प्रकार का अगर विचार निकलता है, अभी तक तो कोई निर्णय हुआ नहीं है लेकिन अगर होता भी है तो मेरे ख्याल से सदन मेरा साथ देगा कि उसमें और स्टेट के इंटरेस्ट के डवलपमेंट के लिए अगर करना हो तो निश्चित तौर पर उसका रिजोल्यूशन नहीं होना चाहिए...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: इसकी सीमेंट में मजबूती दिख रही होगी आपको। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): क्या इस निर्णय करने से पहले और प्राइवेट कम्पनियों को भी शामिल करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा था...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): मजबूती तो जो सिरोही में है वही जयपुर में है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय मंत्रीजी, मैं तो यह निवेदन करना चाह रहा था कि आप इस बात पर आ जाइये कम से कम कि इसका निर्णय करने से पहले दूसरी प्राइवेट कम्पनियों को भी शामिल करेंगे क्या इस निर्णय में, और फिर एक बात और सुन लीजिये...

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अगर आप भी इसको लेकर डवलप करने को तैयार हैं, We are open for that.

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): और यह प्राइवेट कम्पनी को देने के बाद में ग्रामीण एरिये के बेरोजगार युवकों को जो प्रशिक्षण ले रहे थे उनको क्या लाभ होने वाला है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): मैं पहले ही जानता था इसको।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। जवाब दे दिया न उन्होंने कि वह ओपन है। दे दिया न जवाब। (व्यवधान) हां, खुला है, कह दिया न उन्होंने।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जुबेर खान एवं डा. बुलाकीदास कल्ला तथा दस अन्य सदस्यों की ओर से कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाले ट्रेक्टर-ट्राली एवं अन्य यंत्रों पर विक्रय कर लगाने के प्रस्ताव से किसानों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के संबंध में।

प्रस्ताव का विषय अनुमान पर आधारित लगता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: लग गया साहब।

श्री अध्यक्ष: सुन लीजिये न आगे, लग गया साहब तो। आप आसन की बात ही सुनना नहीं चाहते। राजस्थान वित्त विधेयक पर चर्चा होगी, तत्समय माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर रहेगा। अत: इस विषय को स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी श्री जुबेर खान को 3 मिनिट में अपनी बात रखने की अनुमति होगी।

(2) श्री हरिमोहन शर्मा एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से फसल के नुकसान के आंकलन में चारे को शामिल कर खरीफ की फसल की गिरदावरी करने के संबंध में।

(3) श्री हेमाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में रबी की फसल ईसबगोल/जीरा नष्ट होने के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं लेकिन मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य में इन विषयों को भी सम्मिलित कर लिया जाय।

(4) श्री अमराराम (धोद) एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में चोरियों की वारदात से किसानों में असुरक्षा पैदा होने के संबंध में।

(5) श्री रामनारायण मीणा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से करौली में महिला एवं बाल विकास विभाग के आवासीय शिविर में एक

(श्री अध्यक्ष)

सहयोगिनी को हवस का शिकार बनाने व मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आते हैं। गृह विभाग की मांग पर आगे चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध है, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग एवं अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है कि राज्य सूचना आयोग का गठन एवं मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राज्यपाल महोदय को की जावेगी। प्रतिपक्ष के माननीय नेता भी इस समिति के सदस्य हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता की सुविधानुसार समिति की बैठक नीयत की जाकर मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र करायी जायेगी। अत: इस विषय को स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): कब तक कर दी जायेगी, माननीय अध्यक्षजी, मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुविधानुसार। आप अपने प्रतिपक्ष के नेता से बात कर लीजियेगा। आपके, प्रतिपक्ष के नेता को जब सुविधा होगी तब मीटिंग रख दी जायेगी, आपके नेता पर ही निर्भर है।

डा. चन्द्रशेखर बैद: मीटिंग तो काल माननीय मुख्य मंत्री करेंगी।

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय मुख्य मंत्रीजी को करना है तारीख तो तय, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर।

श्री हरिमोहन शर्मा: तारीख मुख्य मंत्रीजी को तय करनी है।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि आसन पांवों पर हो और आप खड़े हो जायें।

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1.श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों को जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के मार्फत करवाये जाने के संबंध में।

2. श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ के नाम पर एक करोड़ से ज्यादा फर्जी बिलों और वाऊचरों के कथित भुगतान के संबंध में!

3. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से जिला नागौर में बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के संबंध में।

4. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में।

5. श्री गुरजंट सिंह बराड़, सदस्य की ओर से पंजाबी अकादमी का मुख्यालय श्रीगंगानगर में स्थापित करने के संबंध में।

6. श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से राज्य की गौशालाओं में गायों की दुर्दशा होने के संबंध में।

7. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से भीम के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 शैयाओं में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

8. श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कतिपय गांवों को पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क से जोड़ने के संबंध में।

9. श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दीगोद के ग्राम कनवास में तहसील एवं ग्राम बड़ौद में उप तहसील कार्यालय खोलने के संबंध में।

10. डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से सिध्दमुख सिंचाई परियोजना से 135 क्यूसेक पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सहवा लिफ्ट ब्रांच को देने के संबंध में।

11. श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से ग्राम बस्सी से अजमेर जाने हेतु सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने के संबंध में।

12. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार की कतिपय सड़कों को सीमेंट की सड़कों में परिवर्तित करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था

मांग पर चर्चा से पूर्व विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन आ जाना चाहिए

मैं माननीय मंत्रीगण से एक निवेदन और कर देना चाहती हूं। जब जिस दिन डिमांड होती है उससे दो दिन पूर्व आपका जो भी पढ़ने-लिखने के लिए और जो कोई आपकी पहले साल की निकलती है, आय-व्ययक, बजट अनुमान, वह रिपोर्ट विभाग की, वह दो दिन पहले आ जानी चाहिए। कल रात को ही वितरित हुई है कृषि विभाग से संबंधित, कल रात को वितरित हुई है, दस बजे रात को जाने वाला कब पढ़ेगा उसे और कब तैयारी करेगा, इसलिए आप विभागों की रिपोर्ट, वह कम से कम दो दिन पूर्व भेजें। लेकिन मैं देख रही हूं और बराबर कहती हूं उसके बावजूद भी दो साल में इस संबंध में सुधार नहीं हुआ है इसलिए इसको सीरियसली लें आप। इसको सीरियसली लीजिये। गंभीरता से लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक विभाग के अलावा सबके सूचना मिल गयी सिर्फ एक विभाग की नहीं रही। एक कृषि के अलावा बाकी तो मिल गई।

श्री अध्यक्ष: वन विभाग की उद्यान की कल शाम को भेजी गयी है मैंने शाम को दस्तख्त किये हैं शाम को मुझसे दस्तख्त करवाये हैं। कल जब आयुर्वेद का हो गया तब शाम को आयुर्वेद की मेरे पास आयी, इसलिए भविष्य में ध्यान रखियेगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जनरलाइज न करें मेरे विभाग से संबंधित सारी पहुंच चुकी हैं कम से कम एक हफ्ते पहले।

श्री अध्यक्ष: अच्छी बात है जिन लोगों ने पहले दे दी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, लेकिन जो नहीं दे पाये हैं वो भविष्य में ध्यान रखें इस बात का। श्री जुबेर खान।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष: अब आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब बीच में क्या ? जुबेर खान का नाम बोल लिया न। आपका बाद में आयेगा। आपका बाद में आएगा न। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं मैडम, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि सूचना का...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज कृषि, वन और राजस्व जैसी बड़ी महत्वपूर्ण विभागों की डिमाण्ड है तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो समय बच जाए।

सहयोगिनी के साथ बलात्कार

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह करौली का मामला है सहयोगिनी के साथ बलात्कार हुआ है और उसका मामला विधान सभा में आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें तीन तीन मंत्री आश्वासन देकर आये हैं और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एससी/एसटी की महिला है और तीन तीन मंत्री वहां जाकर आश्वासन देकर आये हैं करौली की जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, सहयोगिनी के साथ, जिसके बारे में आज तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष: गृह विभाग की मांग आएगी उस दिन आप इस बात को विस्तार से रखियेगा और गृह मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी ठीक है लेकिन गृह विभाग पर तो 27 तारीख को बहस होगी। डूंगरगढ़ के थाने में किसानों ने प्रदर्शन किया।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बलात्कार का मामला है।

श्री अध्यक्ष: तो आप श्री जुबेर खान को तो बोल लेने दीजिये फिर बात करियेगा। श्री जुबेर खान कुछ कहना चाह रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने राजस्थान के लाखों किसानों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर हमें बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं। करौली से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं। आप प्लीज स्थान ग्रहण कर लें। मेहरबानी करके स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश मीणा (करौली): अध्यक्ष महोदय, महिला के साथ बलात्कार हुआ है और ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कुछ नियमों की जानकारी करें आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार आया हूं लेकिन सबसे बडी बात है कि यह बहुत बड़ा मामला है..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान बोल रहे हैं । अब आप सूचना के अधिकार की बात बाद में करें।

श्री सुरेश मीणा (करौली): हमारे मंत्रीजी बैठे हुए हैं कटाराजी, ये जाकर आश्वासन देकर आये हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ गृह मंत्रीजी को इस बारे में पूरा पता है ।

श्री अध्यक्ष: करौली से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रही हूं आप स्थान ग्रहण कर लें। हां नेता, प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं आप?

फैमिन रिलीफ की बैठक

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने अभी व्यवस्था दी है कि आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसमें मुख्य मंत्रीजी, फेमिन रिलीफ मिनिस्टर और मुझे भी लिया है उसकी बैठक बुलाने का सारा दारोमदार आपके ऊपर है । आपने मेरा नाम लिया कि प्रतिपक्ष के लीडर को जब भी सुविधा होगी, तो मेरे को तो हमेशा ही सुविधा है जब कभी आपको और मुख्य मंत्रीजी को सुविधा हो, उसी दिन उसी वक्त आप बुला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: उसकी अध्यक्ष तो मुख्य मंत्रीजी हैं। मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में है, आप उसके मैंबर हैं। इसलिए मैंने कहा नेता प्रतिपक्ष की सुविधानुसार समय तय कर लें आप।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी थोड़ी बात सुनी जाए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ...(व्यवधान)... सरकारी आयोग का गठन नहीं करना चाहती है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, आपने जो सूचना दी थी उससे ऐसा आभास लगा कि आप ही उसकी अध्यक्ष हैं।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष मैं नहीं हूं उसमें मैं मैंबर नहीं हूं उसमें सांवर लालजी मैंबर हैं, नेता प्रतिपक्ष मैंबर हैं और अध्यक्षता है मुख्य मंत्री की।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): लेकिन माननीय अध्यक्षजी एक भी पत्र माननीय मुख्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को नहीं लिखा आयोग का गठन करने के लिए और ये इनके ऊपर टाला जा रहा है कि इनकी सुविधानुसार किया जाएगा। पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखना है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये तो आज ही तैयार हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आज तक एक पत्र उन्होंने नहीं लिखा 120 दिन पूरे हो गये लेकिन उनकी मंशा नहीं है आयोग का गठन करने की इसलिए क्योंकि इस आयोग में साफ लिखा हुआ है कि इसके गठन के बाद में...।

श्री अध्यक्ष: जब नेता, प्रतिपक्ष उसके मैंबर हैं ...(व्यवधान)... सुनिये तो आप बात सुनिये । बात सुनिये आप प्लीज।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं, अध्यक्ष तो माननीय मुख्य मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: जब नेता प्रतिपक्ष उसके सदस्य हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी यह बात कर सकते हैं मुख्य मंत्रीजी से कि वो मीटिंग आप कब कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लेकिन माननीय वो तो अध्यक्ष हैं मुख्य मंत्रीजी तो ।

श्री अध्यक्ष: तीन आदमी उस कमेटी में हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तारीख तो मुख्य मंत्रीजी को तय करनी है सूचना तो उनको देनी है नेता प्रतिपक्ष को थोड़ी देनी है सूचना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... मना कर दिया क्या प्रतिपक्ष के नेता को?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो आज की तारीख तय करा दें नेता प्रतिपक्ष तो तैयार हैं।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना गम्भीर मामला है ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):...(व्यवधान)... कभी भी बात करके कर लेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान)... आप तो आज की तारीख तय करा दें और कल करा दें, नेता प्रतिपक्ष तो अपनी राय के लिए तैयार हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):...(व्यवधान)... आपके नेताजी पर आपको विश्वास नहीं है क्या?

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप कुछ भी समझें नेता प्रतिपक्ष और सदन की नेता के सीधे बहुत अच्छे संबंध हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, फिर प्रतिपक्ष के नेता कितने व्यस्त हैं ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने अच्छे संबंधों के लिए जो भूमिका निभायी उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं लेकिन यह सहमति देने के लिए उस मीटिंग के लिए आज ही तैयार है नेता प्रतिपक्ष। हमारा कोई दोष नहीं है चार महीने से वो उस एक्ट को लेकर पड़े हुए हैं वो कमीशन नहीं बनाया, आयुक्त नहीं बनाया, चीफ आयुक्त उन्होंने नहीं बनाया । अब इस बहाने से टालना चाहते हैं कि साहब नेता प्रतिपक्ष तारीख तय करेंगे आप तारीख तय करवा दो। आज ही तारीख तय कराओ साहब। आप तो तारीख तय कराओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, पहले तो नेता नहीं बनाया और नेता बनाया तो सात दिन तक चार्ज नहीं दिया। प्रतिपक्ष के नेता महोदय को सात दिन तक तो चार्ज नहीं दिया और उसके बाद आप प्रतिपक्ष के नेता की बात मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां मानेंगे, हमारे नेता हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता महोदय जिस समय कहेंगे उस समय मीटिंग होगी ...(व्यवधान)...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आज ही कह रहे हैं ये तो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो राजस्थान के समग्र विकास के लिए जो शालीनता प्रदर्शित की, उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): काहे का दुरुपयोग है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारे नेता ने शालीनता प्रस्तुत की राजस्थान के विकास में हम एकजुट हैं एक साथ चलेंगे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री सुरेश मीणा (करौली): xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): xxx

श्री अध्यक्ष: आप 5-6 जने खड़े हैं। 6 माननीय सदस्य खड़े हैं किसकी बात सुनूं? किसकी सनूं बात?

श्री सुरेश मीणा (करौली): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री सुरेश मीणा (करौली): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो रहा है । जो माननीय सदस्य मेरी परमीशन से बोलेंगे, केवल उन्हीं का अंकित होगा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

श्री सुरेश मीणा (करौली): xxx

श्री अध्यक्ष: करौली से आने वाले माननीय सदस्य, अभी पहला स्थगन प्रस्ताव जुबेर खान का है, उनको बोलने दीजिये। जब आपका आएगा उस वक्त आप खड़े हों। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। बैठ जाइये। स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): xxx

श्री सुरेश मीणा (करौली): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): xxx

श्री सुरेश मीणा (करौली): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: जब मैंने जुबेर खान का नाम पुकार लिया तो जुबेर खान के बाद अनुमति होगी।

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: आप गृह मंत्री जी से मिलियेगा और गृह मंत्रीजी इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: सूचना के अधिकार की बात बाद में आएगी तब आप खड़े हो सकते हैं। अभी आप स्थान ग्रहण कर लें। मैंने श्री जुबेर खान को पुकार लिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सुरेश मीणा (करौली): xxx

श्री अध्यक्ष: मैं हाथ जोड़ रही हूं आपके, आप स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री सुरेश मीणा: xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डूंगरगढ के बारे में जैसे ही माननीय विधायक ने मेरी जानकारी में यह बात लायी मैंने तुरंत उनके सामने ही इसकी सारी कार्यवाही की । डूंगरगढ में अब तक 2006 में अभी इसी दो महीने में 11 घटनाएं हुई हैं । 11 में से 4 घटनाओं का चालान पेश हो गया है, 4 घटनाओं को हमने खोल लिया है । यह एक जो 1.2.06 की थी बिजासर वाली उसमें ग्वार की जो 18 बोलियां थीं, उसमें व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह से तारीख 26.2 की जो घटना थी पुण्डलसर वाली, उसमें बिजली के सीमेंट के खंभे की जो चोरी हुई, उसमें गिरफ्तार करके माल बरामद किया है । इसी तरह से 4.3 को लक्ष्मीसर में जो 61 क्विंटल मूंगफली चोरी हुई उसमें हमने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 9.3 को बेनीसर में ...(व्यवधान)

श्री अमराराम धोद: मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने चोर पकड़ लिया होगा लेकिन इससे साफ जाहिर है कि वहां की पुलिस उन चोरों से मिली हुई है । चोर पकड़ लिया होगा लेकिन आज तक वह बरामदगी नहीं हुई ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): पकड़ लें, चालान कर दें, गिरफ्तार कर लें तो रह गई । बडे आश्चर्य की बात है, बड़े अफसोस है आपने इधर प्रश्न लगाया तुरंत मैंने सारी जानकारी 2005 से लेकर डूंगरगढ़ में कितनी घटनाएं हुईं सब बता दीं। मैं गारंटी से कह सकता हूं पुलिस ने जितनी तत्परता से उनको पकड़ने की कार्यवाही की इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप । (व्यवधान) आपने जो स्थगन लगाया और मैंने सारी सूचना मंगाकर आपके सामने रख दी ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप विराजे । श्री जुबेर खान ।

श्री सुरेश मीणा : xxx

श्री मुरारी लाल मीणा: xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, करौली की जिस घटना के बारे में आप कह रहे हैं, 19 तारीख को उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। 20 तारीख को हमने उसमें गिरफ्तार कर लिया है । आज दिन तक वह पड़ा हुआ है । फिर क्या चाहते हो?

श्री अध्यक्ष: आपका तो कुछ है भी नहीं उसमें । कोई मोशन नहीं है, कोई स्थगन नहीं, कोई पर्ची नहीं यूं ही खड़े हो रहे हैं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हमने कार्यवाही कर ली, व्यक्ति गिरफ्तार है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा: xxx

श्री अध्यक्ष: न तो आपका इस बारे में स्थगन प्रस्ताव नहीं है, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं आप । आप नियमों की जानकारी करें पहले । (व्यवधान) आप दोनो कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री सुरेश मीणा: xxx

श्री मुरारी लाल मीणा: xxx

श्री अध्यक्ष: गंभीर मामला है। माननीय सदस्य न तो आपका स्थगन प्रस्ताव है, न ही इस संबंध में आपकी कोई पर्ची है और आप ऐसे ही बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं । आप पहले नियमों की जानकारी करें ।

श्री सुरेश मीणा: xxx

श्री मुरारी लाल मीणा: xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री मुरारी लाल मीणा: xxx

श्री अध्यक्ष: गृह विभाग की जिस दिन डिमांड है उस दिन आप खूब जी भरकर बोलिए और वह जवाब देंगे, आप पूरी अपनी बात कहिए ।

श्री सुरेश मीणा: xxx

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: xxx

श्री मुरारी लाल मीणा: xxx

ट्रैक्टर-ट्राली एवं अन्य यंत्रों पर विक्रय कर

श्री जुबेर खान (रामगढ): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान में एक अप्रैल, 2006 से जो काश्तकार ट्रैक्टर के पीछे ट्रोली लगाते हैं और दूसरे यंत्र जो खेती के लिये इस्तेमाल करते हैं जैसे डिस्क पिलाऊ, थ्रेशर मशीन, हल, कराली, कुतर आदि के ऊपर राज्य सरकार एक अप्रैल से वैट लागू होने के बाद टैक्स लगाने जा रही है । इससे आपको अच्छी तरह मालूम है कि गांव में खेती करने का ट्रैक्टर और ट्रोली एक मुख्य साधन है । आपने इसके लिये समय दिया है, इसके लिये तो धन्यवाद। आपने तीन मिनट की बात कही है मैं तो आपसे निवेदन करूंगा...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री सुरेश मीणा एवं मुरारी लाल मीणा द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: इतनी महत्वपूर्ण बात है ....(व्यवधान) यह क्या तरीका है आपका? आप तो बैठ ही जाओ यहां पर, ठीक है। दोनो बैठो और मायावती जी आये तभी उठना आप, ऐसे उठना भी मत।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ऐसा मुद्दा है और हमने 35 आदमियों ने इस पर दस्तख्त कर स्थगन प्रस्ताव दिया है। मेरा आप से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस राजस्थान के किसानों से जुडे हुए मुद्दे के ऊपर आपने तीन मिनट का समय दिया है, लेकिन मैं तो एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। हमारे डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य, श्री रिछपालजी मिर्धा अपनी बात कहेंगे क्योंकि बी. डी. कल्लाजी यहां नहीं है इनका दूसरा नंबर है, यह अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बोलिए ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान लगातार पिछले 5-6 वर्षों से अकाल की स्थिति से गुजर रहा है और ओलावृष्टि से गुजर रहा है । ऐसी स्थिति में अप्रैल में जो वैट लागू होने जा रहा है, उसमें साढे 12 प्रतिशत जो किसान के छकड़े और गाड़ी के रूप में जो ट्रोली ट्रैक्टर के पीछे काम में आती है, उस पर टैक्स प्रस्तावित है । अन्य पडौसी राज्यों में हरियाणा, पंजाब जहां टैक्स लगा हुआ है, उन प्रदेशों में इन सभी यंत्रों को कर मुक्त रखा गया है । मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से यह अनुरोध है कि राजस्थान के हर जिले में यह कृषि यंत्र बनाने के कारखाने हैं इन कृषि यंत्रों को और ट्रैक्टर ट्रोली को विशेर कर मुक्त रखा जाये, अन्यथा लोग बाहर के जिलों से यह चीजे, कृषि यंत्र और ट्रोली बनाकर लायेंगे। अत: मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी कृषि यंत्रों को कर मुक्त रखा जाये ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: बात आ गई है ।

श्री अमराराम धोद: ... राजस्थान में पहले भी कोई कर नहीं था, पड़ौसी राज्यों में भी नहीं था पहली बार राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: सुन तो नहीं रहे आप, जरूरी है क्या कि बीच-बीच में आप बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यहां पर 5-6 मंत्रीगण बैठे हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए। किसानों से संबंधित मामला है (व्यवधान) अब कोई भाषण नहीं। बात आ गई है उनको कह दिया है उन्होंने नोट कर लिया है मुख्य मंत्रीजी को अवगत करा देंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया: xxx

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, टैक्स तो मुख्य मंत्रीजी ने ही प्रस्तावित किया है, मुख्य मंत्रीजी को क्या अवगत करायेंगे। इस पर सरकार को कुछ कहना चाहिये । एक तरफ तो किसानो के बहुत हितैषी बनते हैं ।

श्री हेमाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष: आप क्या बोल रहे हैं जब मैं खडी हूं तो, चलिए नीचे

(श्री अध्यक्ष)

बैठिए आप। सिट डाउन प्लीज । आप बैठिए । (व्यवधान) आप सुनिए, समझ तो रहे नहीं किसी चीज को, समझते तो है नहीं आप यूं ही खड़े हो जाते हैं । स्थान ग्रहण कीजिए । जब फाइनेंस बिल पास होगा तभी तो वैट लागू होगा, उससे पहले कैसे लग जायेगा मुझे बताइए । इसीलिए तो मैं अवगत कराने की बात कह रही हूं । कैसे लग जायेगा, जब फाइनेंस बिल पास होगा... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह भी एक भ्रांति है ... (व्यवधान) फाइनेंस बिल तुरन्त प्रभाव में आता है ।

श्री अध्यक्ष: अभी नहीं आया, 1 अप्रैल से आयेगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा निवेदन सुन लें आप Finance Bill comes into force immediately. मेरा सवाल यह है कि यह भी एक विसंगति रह गई है जब यह चर्चा में आयेगा वैट को, फाइनेंस बिल में नहीं डालना चाहिये था। यह बहुत बड़ी भूल की है इन्होंने। गलती की है सरकार ने, नम्बर वन। जो अमेंडमेंट लाने थे वैट के अंदर वह आपको अलग वैट के अंदर अमेंडमेंट पेश करने चाहिये थे1

श्री अध्यक्ष: यह आप बोलना सब एप्रोविएशन और फाइनेंस बिल पर बोलियेगा।

श्री प्रधुम्न सिंह: मेरी बात सुनिये, आपने जो बात कही है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो ओब्जरवेशन है, मैं बहुत आदरपूर्वक, मैं आपको करेक्ट करने की स्थिति में तो नहीं हूं लेकिन अपनी बात सबमिट जरूर कर सकता हूं। आसन के फैसले को चुनौती देने का मेरा अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हां बोलिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह एक विसंगति रह गई है। यह पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर महोदय, यह तीनों देवता, बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी को सदन की भावना से अवगत करा दें कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर जीरो प्रतिशत टैक्स है। अगर यहां इसको जीरो प्रतिशत नहीं किया तो राजस्थान के अंदर यह उद्योग चौपट हो जाएगा और किसान वहां से परेशान होकर लाएंगे, क्योंकि 12 प्रतिशत और 4 प्रतिशत का मतलब ट्रैक्टर की, ट्रोली की कीमत 4000 और 5000, करीब करीब 40,000-45,000 रूपये का एक ट्रोली के ऊपर फर्क पड़ने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वाला है। अत: आपके माध्यम से सरकार के वरिष्ट मंत्री से, आप मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराकर इसके अंदर जो अमेंडमेंट, फर्दर अमेंडमेंट की बात है, उसको स्वीकार करें और इसके ऊपर जीरो टैक्स करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: कह दिया ना, कह देंगे। (व्यवधान) अभी प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं ना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रियों को आपने जिम्मेदारी सौंपी है कि अवगत करा देंगे, मुझे इसमें संशय है कि यह अवगत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप करा देना, आपके बड़े अच्छे संबंध है। करा देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़: किस आधार पर डाउट है आपको?

श्री रामनारायण चौधरी: इन तीनों में से किसी का भी साहस नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी के पास जाकर दबंगता से कह दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: हम आपका सहारा ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपका तो साहस है, आप कह देना।

श्री रामनारायण चौधरी: मेरी क्या हैसियत है, मैं तो आपके मार्फत से कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप नेता प्रतिपक्ष हो।

श्री रामनारायण चौधरी: मेरी हैसियत तो आपके मार्फत है।

श्री अध्यक्ष: आप नेता प्रतिपक्ष हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: प्रतिपक्ष के नेता हो, यह हैसियत है आपकी।

श्री रामनारायण चौधरी: उसकी घोषणा नोटिफिकेशन (व्यवधान) मेरी पार्टी का प्रस्ताव आने के बाद नोटिफिकेशन स्पीकर महोदया ने ही किया ।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आपकी पार्टी वालों ने देर कर दी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: इन्होंने सात-आठ दिन तक नहीं किया तो नहीं हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन: देर कर दी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: इनके कलम में है।

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष आप गलत बयानी नहीं करें। आप गलत

(श्री अध्यक्ष)

बयानी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब तक पार्टी का लिखा हुआ नहीं आयेगा कि वह अब कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता बन गये हैं तब तक मैं केवल यह अख़बार में पढ़कर नेता मनोनीत नहीं कर सकती। जिस दिन आपकी पार्टी का आया डेट वेरी डे, मैंने आपको उसी दिन नेता, प्रतिपक्ष बना दिया।

श्री रामनारायण चौधरी: आपकी कृपा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: छुट्टी थी उस दिन आपको गाडी घोड़े सम्भलाए।

श्री अध्यक्ष: छुट्टी थी, 26 जनवरी थी उसी दिन मैंने आपको मनोनीत कर दिया।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष ने तो तारीफ की बजट की और यह छोटी-मोटी आपने ओवरलुक कर दी। हम जरूर बता देंगे।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय, with due respects for all the three Ministers I submit. तिवाड़ीजी की यह स्थिति है कि कुछ नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष: सेवन मिनिस्टर हैं। सप्तऋषि है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: तिवाड़ीजी की यह स्थिति है कि यह कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो दबंगता थी ना पहले वह इन्होंने खोल दी। अपने हाथों से खोली (व्यवधान) कौनसी चीज अच्छी, किसान बड़े हैं या मंत्रिमण्डल बड़ा है ? किसान आपके लिए बड़े थे आपकी कांस्टीटयूएंसी के, तो आपको मंत्रिमण्डल से हट जाना चाहिये था। एक स्थिति आई थी आप हीरो होते, अब आप लोभ में आकर रह गये। होम मिनिस्टर साहब थ्रौ आउट जेंटलमैन है very polite, honest and thorough gentleman यह सर उठाकर कुछ नहीं कहेंगे। मान्यवर पार्लियामैंट अफेयर्स मिनिस्टर इनकी तो, हाइली क्वालिफाइड है, उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वह भी अपने तरीके से कहेंगे, उससे हमारा काम नहीं बनेगा। (व्यवधान) हमारा काम नहीं बनेगा। हमारी बात को रिप्रेजेंट ठीक तरीके से नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष आपकी बात मैं कह दूं यह उनको गलत राय देते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: दे सकते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आसन की व्यवस्था आ गई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: रिकार्ड में आ रही है बात। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय की बात से सहमत, आप गलत (व्यवधान) सही बात है।

श्री अमराराम धोद: यह सर्टिफिकेट तो बाहर ही नेता प्रतिपक्ष और मंत्री दे दें कि (व्यवधान) आपके माध्यम से, केवल सूचना देने का सवाल नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी का अभाव है। (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद: राजस्थान में कृषि उपकरणों पर पहले भी टैक्स नहीं था। यह मंत्री को सूचना देने का सवाल नहीं है। राजस्थान की सरकार और मुख्य मंत्री का दृष्टिकोण(व्यवधान) वैट में 4 से 12 कृषि उपकरणों पर टैक्स लगाने का हो गया यह सरकार का दृष्टिकोण....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गई ना बात।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं आपको यह पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अमराराम धोद: यह सरकार का दृष्टिकोण, सरकार को याद नहीं आ रहा था, 12 प्रतिशत टैक्स, एक ट्रोली के सात हजार रूपये..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: 1 अप्रैल, 2006 से वैट कर प्रणाली का प्रभाव किया जाना प्रस्तावित यह है, एक अप्रैल से पहले तो कोई सवाल ही नहीं है इसके अलावा.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल ही नहीं है।

श्री अमराराम धोद: सवाल आपने प्रपोज किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: इसके अलावा राज्य सरकार मुख्य मंत्री के स्तर पर, सब राज्यों में जाकर स्पेशल टीमें भेजी गई है इससे हमारा.. (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद: सरकार की नीयत सामने आ गई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुत गम्भीर है। मुख्य मंत्रीजी बहुत गम्भीर है और सब राज्यों में पार्टियां भेजी हुई है जो पडौसी राज्यों में टैक्स लगा, मैं समझता हूं उसका प्रचार मुख्य मंत्री के स्तर पर है, आपका आकलन बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद: अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीयत सामने आ गई। मुख्य मंत्री राजस्थान की वित्त मंत्री, उन्होंने वैट में कृषि उपकरणों पर 12

प्रतिशत जो टैक्स प्रपोज किया है (व्यवधान) सरकार की नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है, जो वेट प्रपोजल किया है वह राजस्थान की मुख्य मंत्री ने किया है। मंत्री उनको सूचना देंगे..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह सारे माननीय मंत्री हैं मुख्य मंत्रीजी के (व्यवधान) आंख, कान है, उनके साथ बैठे हैं(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के लाखों किसानों का मामला है उसमें...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कहता तो नहीं लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, व्यक्तिगत रूप से, चूंकि मैं भी बहुत सम्मान करता हूं नेता प्रतिपक्ष महोदय का, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी क्रिडिबिलिटी खतम कर दी।(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: हां ?

श्री अध्यक्ष: क्रिडिबिलिटी खतम कर दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह कहकर आपने कहा कि मैं मंत्रिमण्डल छोड़ देता तब तो मैं हीरो होता। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दिन सेज का मामला चला था उस दिन मैंने एक ही बात कही थी कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के किसानों के हितों का संरक्षण करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी: नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने संरक्षण किया और 15 के बजाए 25 प्रतिशत किसानों को देने का मामला था, हमारी सरकार ने तय किया लेकिन इसमें अगर किसानों के हित का कोई थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो हमारे कारण से नहीं होगा वह आप लोगों के कारण से होगा। हमारे कारण से नहीं होगा। हम तो किसान के हित के संरक्षण के लिए तैयार है और किसानों के हितों का संरक्षण करने की बात मुख्य मंत्रीजी ने मानी और राज्य सरकार ने मानी। रहा सवाल हीरो और जीरो बनने का तो माननीय रामनारायणजी किसी को पता नहीं चलता है कि राजनीति में किस समय कौन हीरो बन जाता है और कौन जीरो बन जाता है।

श्री अध्यक्ष: इस समय तो प्रतिपक्ष के नेता हीरो बने हुए हैं। इस समय तो वह ही बने हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इस समय तो आप हीरो है सदन के और हमारे भी हीरो है इसलिए आपकी बात....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: मैं ना तो हीरो हूं और ना जीरो हूं मैं तो रामनारायण चौधरी हूं। माननीय सदस्य, आप जो काम्पलीमेंटस दे रहे हैं वह शिरोधार्य नहीं है। मेरी पार्टी ने और मेरी सर्वोच्च नेता ने विश्वास प्रकट करके माननीय सदस्यों की राय से इस पद की सिफारिश की है अध्यक्ष महोदय को। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मान रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: और उसके फलस्वरूप मैं यहां खड़ा हूं लेकिन मेरे खून का एक-एक जर्रा किसानों के लिए है और अध्यक्ष महोदय का भी है लेकिन आपके गवर्नमैंट के चीफ व्हीप और आप, और आप, और आप, किसानों का खून आपके अंदर नहीं बह रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। हम सब लोग उन परिवारों से आते हैं जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करते हैं, (व्यवधान) यह कहना कि हमारे खून में किसान का कतरा नहीं है .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बाद में कह देना जो कुछ भी कहना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह डिसकस होगा यहां ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: तो राठौड़ों में कहां खून है, राठौड़ों में किसान का खून कहां है। कह दो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़: राठौड़ों में किसान का खून नहीं है तो चौधरियों में किसान का खून कहां से हैं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हां नहीं है राठौड़ों में। (व्यवधान) ताकत रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): पैदाइशी किसान पैदा आप ही होते हो क्या, राठौड़ों में किसानों का खून नहीं है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: आप बैठो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आप बैठो, आप भी बैठो।

श्री रामनारायण चौधरी: हां बैठ गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): फालतू काम की बकवास नहीं करोगे। किसान कोई नहीं है आपके अलावा ? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): किसान का मसला किसी भी जाति से जुड़ा हुआ मसला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हां नहीं है, किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जो भी किसान हैं, रामनारायणजी और आप दोनों जानते हैं, आप दोनों जब मेरे खेत के सामने से निकलते हैं और उसमें आठ-आठ टयूबवैल लगे हुए हैं और उन खेतों का अन्न मेरे पेट में जा रहा है। यह अमरारामजी मेरे पास बैठे है, जो दो किलोमीटर दूर मेरे से, पैदा हुए हैं।

श्री अमराराम (धोद): खेती नहीं करते हैं आप, और ही करते हैं खेती। खेत जरुर हैं आपके, खेती और ही करते हैं, आपके ट्यूबवैल होते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): देखिये, मजदूरों का कमाया हुआ हिस्सा है, वह आपके पेट में जा रहा है। आप का कमाया हुआ नहीं है। आपने और आपके खानदान ने हल के ऊपर हाथ नहीं रखा है, मैंने रखा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): जागीरदार पूरी जमीन के मालिक थे, वे किसान नहीं थे। राजस्थान में जागीरदार और राजा थे, वे जमीनों के मालिक थे, लेकिन काश्तकार नहीं थे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे खेत की जमीन मैंने बोयी है, मेरे बाप ने बोयी है । (व्यवधान) आप अपने जमाने के क्षत्रिय हो, राठौड़ क्षत्रिय हैं और हम किसान हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमने आजाद हिन्दुस्तान में आख खोली है। हमारे पूर्वजों ने राज किया होगा। हम उस राजतंत्र की पैदाइश नहीं हैं, हम इस लोकतंत्र की पैदाइश हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): हम तो उस तंत्र में भी दु:खी हुए थे। (व्यवधान) राठौड़ों में कौनसे राठौड़ों का राज था। आपको पता भी है क्या । हमारे बाप-दादा और क्या थे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, वह किसान करता था। (व्यवधान) यह पण्डितों से नहीं करवाते थे, किसान के घर में जो था। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये तो यूं ही हैं, ये तो ससुराल की कमाई खा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): असली किसान मेघवाल तो हैं। मेघवाल तो असली किसान हैं? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता था, मैं बहुत सम्मान करता हूं। बढ़चढ़ कर बातें कर रहे हैं। आप लोगों के जितने मिलकर खेती करते हैं उससे ज्यादा मैं अकेला करता हूं और किसी के हाथ की नहीं, आपने जब हल छोड़ा उसके बाद में मैंने हल छोड़ा है। (व्यवधान) ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लाइटली टाक नहीं करनी चाहिए। किसी राठौड़ के सम्बन्ध में या किसी चौधरी के सम्बन्ध में नहीं होकर किसान के हित की बात है। ट्रैक्टर अगर आपको मंहगा पड़ेगा, हमारे को भी मंहगा पड़ेगा, हर किसान को मंहगा पड़ेगा। यह भावना सदन की हमको पहुंचानी है, उसमें राठौड़ और चौधरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बजट की तारीफ की है, भविष्य में भी आप तारीफ करेंगे, ऐसी स्थिति हम लाने की कोशिश करेंगे, जो प्रशंसा करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने बजट की तारीफ नहीं की है।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, हम सारे किसान हैं, यह बात तय हो गयी। कोई राठौड़ नहीं है, कोई चौधरी नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। हम टोटल किसान हैं इसलिये किसान के हित में जो ट्रैक्टर की ट्राली के ऊपर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया जा रहा है, वह टैक्स नहीं लगाया जाए। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): किसान के हित में यह निर्णय होना चाहिए कि जो कृषि यंत्र है, उस पर टैक्स नहीं लगे। यह सारे सदन की मंशा है। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): क्योंकि किसान के रोजमर्रा के काम आने वाला ट्रैक्टर, जो किसान पहले ऊंट और लड्डे रोजमर्रा अपनी खेती के काम में लेता था, उस किसान के ट्रैक्टर रोजमर्रा काम आता है। कभी चारा ढोता है, कभी खाद ढोता है, कभी कुछ लाता है, इसलिये उस किसान की ट्राली यह 12 प्रतिशत टैक्स नहीं लगाया जाए, इस बारे में सदन के अन्दर चर्चा करें और इसको हटाया जाए।

श्री अध्यक्ष: खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य, यह कोई विवाद का विषय नहीं है। हो सकता है, किसी के पास जमीन नहीं हो, और उसने कभी भी जिन्दगी में खेती नहीं की हो फिर भी किसान के प्रति, मजदूर के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। हो सकता है कि जिसने कभी खेती की हो वह संवेदनहीन हो सकता है। इसलिये कोई विवाद का विषय नहीं है। इसको यहीं पर समाप्त करिये। और जब बात हो गयी है कि पुन: अवगत करा लें और उसके बाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, अवगत है। (व्यवधान) लागू ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): अगर अवगत है तो इसे प्रपोज कैसे किया है? (व्यवधान) लागू नहीं, प्रपोज, वेट में प्रपोज किया है, वेट में 4 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया है, अवगत होते तो कैसे लागू होता?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी जांच हो रही है। ऐसा है, अभी प्रस्तावित है, जब तक एप्रूव नहीं होगा, आप क्या भ्रमित कर रहे हो? (व्यवधान) किसान की बात कर रहे हो और किसान....।

श्री अमराराम (धोद): अवगत होते तो प्रपोज ही नहीं होता। अवगत होते तो प्रपोज नहीं होता। किसान के प्रति क्या स्थिति है, क्या सोचते हैं, उसका तो नतीजा है 12 प्रतिशत प्रपोज किया है वेट में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य, यह बात सही है कि आज 3 डिमाण्ड है और सभी उन पर बोलना चाहेंगे। इसलिये मैं प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान रही हूं।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

फसल नुकसान आकलन में जीरे को भी सम्मिलित करने विषयक

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर और यह सब भूल गये। फसल नष्ट होने का, आपने मंत्रीजी से जवाब के लिये कहा।

श्री अध्यक्ष: वे वक्तव्य देंगे, बात हो गयी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हम भी उनको बतायें, वास्तव में उनको स्थिति मालूम नहीं होगी। जिला प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट आयेगी

(श्री हेमाराम चौधरी)

वह बिलकुल गलत रिपोर्ट होगी, सही रिपोर्ट लेना चाहें तो हमसे लें और सही रिपोर्ट नहीं लेना चाहें तो वह सिर्फ प्रशासन के सिवाय किसी पर विश्वास नहीं करें, उनके कहने पर ही चलें, उनके कहने के अनुसार ही कार्यवाही करें। फिर हमें कोई राहत नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: देखिये, मंत्रीजी जानते हैं इस बात को। (व्यवधान) सब जानते हैं वह (व्यवधान) देखिये, आप बहुत संवेदनशील आदमी हो, आपको किसान की सारी परेशानियों का मालूम है लेकिन जब बात हो गयी, इतना वे भी जानते हैं और समझते हैं कि इसबगोल पर जैसे ही पानी की बूंद गिरती है वैसे ही इसबगोल बिलकुल बेकार हो जाता है। इसलिये वे वक्तव्य में इसे शामिल करते हुए आपकी बात का जवाब देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, वह कह रहे हैं, ओले गिरे तो ही देंगे, बरसात भले कितनी ही गिरी हो, फसल चाहे पूरी नष्ट हो गयी हो, हम कुछ नहीं देंगे। मुझे ऐसी शंका है उनसे।

श्री अध्यक्ष: देखते हैं, हो गयी ना बात। (व्यवधान) नहीं वे करेंगे, हो गयी ना बात यह।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): क्योंकि उनकी मनोवृत्ति ऐसी है, उनकी मनोवृत्ति से ऐसा लग रहा है।

श्री अध्यक्ष: बात हो गयी ना कि वे ऐसा करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): वे यही जवाब देंगे, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति ऐसी है। वे आये, उनसे बात की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह जवाब देंगे तब बात करेंगे ना अपन। फिर आपको मौका होगा ना।

मैं पर्ची के बारे में आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि पर्ची के लिये कई बार कहा जा चुका है। या पर्ची को बंद किया जाए क्योंकि पर्ची जिस उद्देश्य से शुरू की गयी थी उस उद्देश्य का निर्वहन तो हो नहीं रहा है। चाहे जिस बात को पर्ची के माध्यम से उठाने की बात होती है। लेकिन खैर यह सेशन तो जिस तरीके से चल रहा है, मैं नहीं चाहूंगी कि पर्ची बंद हो। लेकिन भविष्य के अन्दर यह पर्ची सिस्टम बंद करना पड़ेगा।

अमरारामजी (धोद) आप अपनी बात को 3 मिनट में कहने की अनुमति होगी।

राज्य सूचना आयोग व पदाधिकारियों की नियुक्ति न करने बाबत

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा था कि मेरा नम्बर आयेगा तब सुन लेना, तो आपने मेरा नम्बर ही नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष: नहीं मैंने कहा ना, देखिये, नेता-प्रतिपक्ष, मैंने कहा वह बात कर लें। मुख्य मंत्रीजी आयेंगी थोड़ी देर में। वह बात कर लें और बात करके मीटिंग रख लें। मैं तो उसमें हूं नहीं। उसमें सांवरलालजी हैं, नेता-प्रतिपक्ष हैं और मुख्य मंत्रीजी हैं, तीनों ही हैं। इसलिये उनसे बात करके मीटिंग रख लेंगे और मीटिंग रखकर सब हो जाएगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, इश्यू यह नहीं है। आपने कहा, प्रतिपक्ष के नेता की कन्वीनेंस, यह इश्यू है। अध्यक्ष महोदय, इश्यू यह नहीं है। आपने रुलिंग में यह कहा कि प्रतिपक्ष के नेता की कन्वीनेंस से होगा। नहीं, सरकार का उत्तर यह नहीं हो सकता है। सरकार का उत्तर यह होना चाहिए कि सरकार ने प्रतिपक्ष के नेता को चिट्ठी लिखी हो, उन्होंने मना किया हो, तब ये रेस्पांसिबल हैं। आपने सरकार के जवाब में यह पढ़ा यहां पर कि प्रतिपक्ष के नेता की कन्वीनेंस से होगी, यह कैसे होगा? यह जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है। चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, प्रतिपक्ष के नेता को चिट्ठी लिखी? आप यह बताइये पहले, सरकार को कम से कम बताना चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता को चिट्ठी लिखी, प्रतिपक्ष के नेता ने टाइम नहीं दिया हो, तब तो सरकार का जवाब ठीक है। अन्यथा सरकार के जवाब को करेक्ट करने की आवश्यकता है कि मुख्य मंत्रीजी डेट फिक्स करें, प्रतिपक्ष के माननीय नेता को लिखें और ये मना करें तब तो हमारे पर आनस आयेगा। यह करेक्ट कीजिए, आप सरकार के जवाब को। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी व्यवस्था से कंफ्यूजन हो गया।

श्री अध्यक्ष: मैंने तो जो व्यवस्था दे दी, दे दी। इसलिये कि नेता प्रतिपक्ष इधर-उधर भी जाते हैं। (व्यवधान) इसलिये वह अपनी कन्वीनेंस से...।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह क्या मामला है, अध्यक्ष महोदय, वेरी अन्फार्च्यूनेट ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, आप तो आज या कल में करा दो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट हरिमोहनजी, यह वेरी

(डा. सी.पी. जोशी)

अन्फार्च्यूनेट है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा तो राइट बनता है और उल्टा हम पर डाल रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप सरकार के उत्तर को करेक्ट कीजिए। यह प्रतिपक्ष के नेता की कन्वीनेंस नहीं है। मुख्य मंत्रीजी डेट फिक्स करें, प्रतिपक्ष के नेता उसमें नहीं गये, तब तो आनस हमारे पर है। अन्यथा अध्यक्ष महोदय, सरकार की रिप्लायी सदन में गलत रिकार्ड करवा रहे हैं आप। (व्यवधान) नहीं, अध्यक्ष महोदय, सरकार की रिप्लायी गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह विवाद का विषय है। हमारे ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह विवाद का विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुझे मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि एक मीटिंग जल्दी ही वे बुलाना चाहती हैं। तो मैंने कहा कि मैं अवेलेबल हूं, कभी भी बुला सकती हैं। I am always available.

श्री अध्यक्ष: आपको उनकी बातों का पता तो है नहीं, यूं ही खड़े हो जाते हैं आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह तो आपकी बात भी कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब पर मैं कह रहा हूं। सदन में आप रेस्पांसिबल हैं। इनके बीच में मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। इनके अच्छे सम्बन्ध होंगे, मेरे सम्बन्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने रुलिंग दी है उसमें यह बात कही है। आपके और इनके मधुर सम्बन्ध होंगे, मिले, मुख्य मंत्रीजी से मुझे मतलब नहीं है। आपने अध्यक्ष की हैसियत से यह कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता पर, यह आनस प्रतिपक्ष के नेता पर नहीं है, यह मुख्य मंत्रीजी डेट फिक्स करें तब आनस इनके ऊपर आयेगा। सरकार का जवाब कैसे होगा? सदन के अन्दर रिकार्ड में करेक्ट करिये, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बात करके तारीख तय करें तो आपको आपत्ति है क्या इसमें।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जिस किसी दिन, (व्यवधान) मंत्रीजी, मंत्रीजी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उत्तर क्या है, उत्तर क्या है? यह उत्तर नहीं है, उत्तर में यह नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बात तो एक ही है।

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठें, आप भी बैठें। आप भी स्थान ग्रहण कर लें। आप भी कृपया स्थान ग्रहण करें। मुख्य मंत्रीजी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा जिस किसी भी दिन प्रतिपक्ष के नेता को सुविधा हो उस दिन मैं बैठने के लिये तैयार हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आज ही करा लें मीटिंग। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कहां हुआ, कहां हुआ, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लेटेस्ट मेरी बात हुई है, उनकी तरफ से मेरे को आया है। मैंने कहा कि जब भी आपको सुविधा हो बुला लें। मैं अवेलेबल हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बात खतम हो गयी। फिर अब आपको क्या दिक्कत है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ठीक है, बात हो गयी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मुख्य मंत्रीजी की तरफ से कोई विलम्ब नहीं है, न मेरी तरफ से है। लेकिन आपने जो व्यवस्था फरमाई उससे ऐसा हो गया कि मैं डॉक में आ गया। आपकी व्यवस्था से सब मेरे पर आ गया कि मेरी सुविधा है। मेरी कोई सुविधा नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बात हो गयी ना आपकी मुख्य मंत्रीजी से।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ना-ना, अध्यक्ष महोदय, करेक्ट कीजिए। आप गलत रिकार्ड करवा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। सरकार का उत्तर करेक्ट होना चाहिए। आप प्रतिपक्ष के, आप यह उत्तर पढ़िये, आपने पढ़ा, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं, आप सरकार का उत्तर पढ़िये। आपने सदन में सरकार के उत्तर में यह कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता की कन्वीनेंस है, क्यों?

श्री अध्यक्ष: हां। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बात हो गयी ना।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बताइये, नहीं, नहीं बिलकुल नहीं।

श्री अध्यक्ष: क्योंकि मेरी बात हो चुकी थी उनसे, उन्होंने कहा जिस किसी भी दिन...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं अध्यक्ष महोदय, उनकी बात से क्या सम्बन्ध है। उनकी बात से क्या सम्बन्ध है। अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्य का राइट है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्वयं, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने यह कहां मेन्शन किया? आप यह मेन्शन कर देते, मुख्य मंत्रीजी की बात हो गयी , कहां मेन्शन किया आपने? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह विवाद का विषय है, यह रिकार्ड में जाएगा। आप मेन्शन कीजिए कि मुख्य मंत्रीजी की बात इनसे हो गयी है। यह कहां मेन्शन किया आपने? बताइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हो गयी बात इनकी ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कहां लिखा है, रिकार्ड में नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बात हो गयी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रिकार्ड में नहीं है, रिकार्ड में लिखवाइये रिकार्ड में। रिकार्ड के अन्दर नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): स्वयं प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी से इनकी बात हो गयी है और सुविधानुसार उन्होंने कह दिया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कहां लिखा है रिकार्ड में? ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह रिकार्ड में आ गयी बात। बात हो गयी इनकी। यह रिकार्ड में आ गयी बात। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ऐसा नहीं होता। रिकार्ड से, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह रिकार्ड में आ गयी बात। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कोई असेम्बली के आदमी नहीं हैं। आप असेम्बली के नहीं हैं। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बात हो गयी न यह।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बिलकुल ओथेंटिक नहीं है आप, आपकी बात से क्या होता है? अध्यक्ष महोदय, आपसे हाउस चल रहा है यह ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह क्या दिखाना चाहते हो आप ऐसे ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपने हाउस में पढ़ा है। यह क्या है?...(व्यवधान) संबंध नहीं है इससे। आप बतायें दुबारा हाउस में। बताइये रिकार्ड में ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप केवल यह दिखाना चाहते हैं। आप केवल सोनिया गांधी को यह बताना चाहते हो कि यह हमारे नेता नहीं हैं। यह है उद्देश्य आपका।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप तो हाउस में रिकार्ड करेक्ट करिये। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप अपने नेता को नीचा दिखाना चाहते हो। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, हमारा राइट है सदन में सही जानकारी लेने का। आप, अध्यक्ष महोदय, यह बताइये इसमें। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको नेता पर भरोसा नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सब भरोसा है। विराजिये आप। आप इस पर बात करिये। सरकार का जवाब क्या लिखा है ? ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जितना मुख्य मंत्रीजी में आपका भरोसा है उससे ज्यादा हमारा उन पर है। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा तोभरोसा है... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका जो भरोसा है मुख्य मंत्रीजी में, वह सभी जानते हैं। वह सब जानते हैं। ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): वह हमारे पूजनीय हैं। ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कितना भरोसा है मुख्य मंत्रीजी में ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप रिकार्ड करेक्ट करवायें, क्या बात कर रहे हैं आप? ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मुख्य मंत्रीजी भी आपसे दु:खी हो गयीं। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो कुछ है मैं सामने हूं।... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस समय स्थिति यह है कि मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया है कि मैं बुलाऊंगी जल्दी ही, तो वे जब भी बुलाएंगी मैं अवेलेबल हूं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हो गयी बात। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बुलावा उनकी से तरफ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे नहीं कहा, मुझे कह दिया है और मैं बुलाऊंगी जल्दी ही तो उनकी सुविधानुसार बुला लेंगी। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आज ही बुला लें। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): विपक्ष के नेता महोदय ने कह दिया तो यह दाल-भात के बीच में क्यों आते हैं यह लोग? ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कभी-कभी आ जाते हैं बीच में। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हाउस अकेले आपका नहीं है, हम सबका है। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, हमारा सबका है। यह अध्यक्ष और मुख्य मंत्रीजी और लीडर का नहीं है, आपका मुख्य मंत्रीजी,... (व्यवधान) आप पढ़िये । क्या लिखा है, आप पढ़िये। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पढ़िये कि आपने क्या लिखा है?

आप पढ़िये, आपने क्या कहा? जवाब में क्या लिखा है, आपने नहीं लिखा है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा यह हाउस सबका है। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कि मुख्य मंत्रीजी की बात हुई है, लिखते आप इसमें यह ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कोई बात नहीं है। इनको ज्यादा चिन्ता है क्या ? ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सरकार नहीं हैं। सरकार का जवाब सही आना चाहिए। आप सरकार नहीं हैं। आप सरकार नहीं हैं। सरकार का जवाब सही आना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप ऐसे बात करते हैं आसन से, आप ऐसे अध्यक्षजी से बात करते हैं, आसन से, यह शोभनीय नहीं है। ... (व्यवधान) कितना भी बुद्धिमान समझो पर ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आप पर भरोसा नहीं है, सरकार बैठी है, आप विराजिये। ... (व्यवधान) आप तो विराजये। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप तो विराजिये। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सरकार ही है। ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप तो विराजिये। आसन सक्षम है। आसन सक्षम है, कोई भी व्यवस्था होगी तो अपन कर लेंगे। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार का काम है वह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सरकारी मुख्य सचेतक हैं। सरकार के मुख्य सचेतक हैं वह।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सरकार नहीं है, सरकार नहीं है लगा रखी है आपने। ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह हो गयी बात जैसे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतक है वह । ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई

(श्री मदन राठौड़)

आतंकवादी हमला करता है। प्रतिपक्ष अपने नेता का सम्मान करना सीखे। सदन तो सम्मान करता है लेकिन प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ही नहीं करते और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य तो ऐसा बोलते हैं जैसे कोई हमलावर है, आतंकवादी है। यह आतंक फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार का अपना यह स्वभाव थोड़ा बदलें। हम लोग आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। हम इनसे क्या सीखें? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे क्या सीखें? हम नये सदस्य हैं, हमको भी कुछ सीखना है तो थोड़ी गरिमा तो आप रखेंगे तब जाकर हम ... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह क्या बोल रहे हैं? माननीय सदस्य को आतंकवादी बता रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): यह शब्द निकाला जाए। आतंकवादी शब्द निकाला जाए। क्या यहां पर आतंकवादी बिराजे हुए हैं?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह आतंकवादी हैं? माननीय सदस्य को आतंकवादी कह रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या आप भी आतंकवादी हैं। माफी मांगो इस बात पर, जो मर्जी आये सो बोल रहे हैं। मर्जी आये सो बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय सदस्य आतंकवादी है क्या ?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): यह गलत है। ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अगर आपकी आवाज में दम नहीं है तो यह गम आपको क्यों है? सी.पी. जोशी की तो आवाज में दम है। आप काहे को परेशान हो रहे हो? आतंकवादी बना रहे हो ? आतंकवादी की परिभाषा क्या है? ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): आपका नम्बर अभी दूर है। ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बहुत जोर से बात करके ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): यह घूम रहे हैं। आतंकवादी जसवन्तसिंहजी के साथ घूम रहे हैं। उनके दोस्त हो तुम, यह नहीं है सी.पी.जोशी। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सी.पी.जोशी किसके हैं, यह तो बता दो जरा। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, इतने उत्तेजित नहीं हो। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): कैसे कहा इस व्यक्ति के लिए? यह सदन के सम्माननीय सदस्य हैं। यह हिम्मत कैसे हुई इनकी ? इनकी क्यों हिम्मत हुई? ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या हिम्मत हुई?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आतंकवादी जैसे कर रहे हैं, कैसे कह दिया ? ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): मन में आये जैसे बोल रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या माननीय सदस्य आतंकवादी हैं? मुकदमे दर्ज है तो बतायें गृह मंत्रीजी। क्या कितने मुकदमें दर्ज हैं इनके ऊपर ? ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): आतंकवादी कैसे कह दिया इनको? ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह आतंकवादी है क्या ? ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): कह कैसे दिया इन्होंने? ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह आक्रामक तरीके से ... (व्यवधान) आतंकवादी मान रही है क्या इनको?

एक माननीय सदस्य: आतंकवादी नहीं मानते तो आतंकवादी को पनाह देने वाले यह जरूर हैं। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह इन्होंने कहा है कि जैसे आतंकवादी हमला करता है, ऐसा करते हैं। ... (व्यवधान) सही कहा है इन्होंने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक बजा दिया इन्होंने। ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या बात करते हैं आप ? ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आप अपना मतलब सही कर रहे हैं ... (व्यवधान) माननीय सदस्य सी.पी.जोशी आतंकवादी है क्या ? ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सदस्य सी.पी.जोशी इस सदन में आपका भरोसा ... (व्यवधान) आतंकवादी नहीं है माननीय सदस्य। माननीय सदस्य के लिए आतंकवादी नहीं कहा है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया, स्थान ग्रहण करें। यह विधान सभा है। कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है कि आप जोर-जोर से मर्जी आये जैसे बोलने लग जाते हैं। प्लीज, मैंने कहा, प्लीज शांत रहें। ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): यह कोई बात नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन की बात पूरी सुनिये पहले आप। उसके बाद बोलिएगा कुछ। आप लोग इस तरह से करने लग जाते हैं, आस्तीन चढ़ा लेते हैं । ललकारने लगते हैं एक दूसरे को। यह लोकतंत्र का प्राण तत्त्व है, यह विधान सभा और इसमें सहिष्णुता, सबका साथ मिलकर कोई निर्णय लेने की जिसे कहनी चाहिए भावना, सहिष्णुता तो आप लोगों में खतम होती जा रही है। क्या कर रहे हो आप लोग इस तरीके से? मेरी बात समझ में नहीं आती है। किसी ने कुछ कह भी दिया लेकिन मेरे यह बात समझ में नहीं आती कि एकदम भौंहें तनती हैं। हाथों के इशारे होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ... (व्यवधान) यह विधान सभा है, देखिये, वह जो कुछ कहा है ... (व्यवधान) प्लीज, आसन पॉवों पर, आसन पांवों पर । ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): उत्तेजना में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने जो कुछ भी कहा है, मैं देखूंगी कि कोई असंसदीय बात कही होगी तो एक्सपंज करूंगी लेकिन कहा तो इन्होंने यही कि जैसे आतंकवादी एकदम करते हैं और क्या कहा ? और क्या कहा ? ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं मैडम, यह गलत है। यह गलत है। माननीय सदस्यों का अपमान है। यह सब यहां पर नहीं हो सकता। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या कहा ? क्या कहा उन्होंने जो मैंने सुना है वह ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप यह भी जानकारी दिलवा दो कि इनके आतंकवाद से सत्ता पक्ष के कितने लोग घायल हुए, यह भी जानकारी दिलवा दो आप ।... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): कितने लोग आपमें से घायल हुए हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हमलावर बन करके व्यवहार करते हैं, आतंकवादी की तरह व्यवहार करते हैं, यह बात मैंने कही है। मैंने कहा कि आसन पर आक्रामक तेवर अपनाते हैं हमलावर बनकर और इस टोन में बात करते हैं। यह मैंने बात कही है और आतंकवादी की तरह बात करते हैं, यह चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों हो रहा है आपके? यह समझ में नहीं आ रही है बात। ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें कौनसी गलत बात कह दी ?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि विधान सभा प्राण-तत्त्व है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि सत्ता पक्ष के लोगों को आप सिखाइये कि कौनसी भाषा काम में ली जाती है। कोई भी माननीय सदस्य बोलें, किसी भी पक्ष के बोलें, उसकी बात शांति से सुने और जब सहिष्णुता की बात करते हैं अपन और जिस जगह अपन बैठे हुए हैं, यह भी जो सत्ता के लोग हैं, वह अपने दायरे में नहीं रहेंगे तो विपक्ष के पास बोलने के अलावा और है क्या? यह मेरा आपसे निवेदन है। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत अच्छा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप खुद इसमें सम्मिलित हैं कि आतंकवादी कैसा होना चाहिए, मेरा जैसा होना चाहिए। आप खुद इसको एडमिट करते हैं तो मुझे एण्डोर्समेंट के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद कि यदि रूलिंग पार्टी यह मानती है कि मैं इनके लिए आतंकवादी हूं तो मुझे इस एण्डोर्समेंट को लेने में कोई तकलीफ नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निश्चित तौर पर इस वर्जन को रिकार्ड पर रखिये। ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। क्या बात हुई ? चाहे जो खड़े होकर कह देते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो मैंने सुना है, जो मैंने सुना है और जो रिकार्ड हुई है वह रिकार्ड यह हुई है कि आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई आतंकवादी हमला करता है। यह कहा है इन्होंने। ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): यह क्या बात हुई मैडम ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी क्वालिफाईड है? क्वालिफिकेशन ... (व्यवधान) If you want to endorse qualification, I do agree. I am Antakwadi. It is a qualification.

श्री अध्यक्ष: यह उन्होंने कहा है। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): If you want to say qualification I endorse it. आपका यह क्वालिफिकेशन है। आतंकवादी कहा है बिलकुल। ... (व्यवधान) यह बिलकुल शब्द कह ही दिया तो बाकी क्या बचा है ? क्या तकलीफ है कि ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हम यह कह दें कि यह ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसे गधे करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं तो ... (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप विराजिये तो मैं बोलूं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सदन जनता की भावनाओं को यहां प्रदर्शित करता है और लोकतंत्र जैसा कि आपने कहा इसकी आत्मा है। हमें एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। ... (व्यवधान)

ऐसा है इसको प्रेस्टिज पाइंट भी नहीं बनाना चाहिये। किसी भी सदस्य की तुलना किसी भी ऐसी चीज से नहीं करनी चाहिये जिससे उसको ठेस पहुंचे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो यह आतंकवादी शब्द है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय मेरी भावना से नहीं, आपके खुद के ऊपर है, मुझे क्वालिफाई करना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर: अगर उनको ठेस पहुंची हे तो कार्यवाही से निकाल देना चाहिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको यह कहा है कि आतंकवादी की तरह आक्रामक बनकर ...(व्यवधान) नहीं, इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही और यह गलत तरीके से इन्टरप्रियेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने यह कहा कि

आक्रामक बनकर और आसन पर हमलावर तेवर अपना रहे हैं। मैंने यह बात कही है कि आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये आतंकवादी हैं ऐसा मैंने नहीं कहा। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक सदस्य की भावना यह है कि आसन की भावना नहीं, ...(व्यवधान) और आसन के ऊपर जिस प्रकार लगातार ...(व्यवधान) आसन अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। उसकी रक्षा करने का दायित्व हमारा है और यह क्या है? ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने कोई आंतकवादी नहीं कहा है, इसे एक्सपंज करने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्षजी का भी कहीं कोई सम्मान ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्षजी, +++ कि कहा नहीं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माफी मांगो । ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): काहे की माफी मांगें, किस बात की मांगें? ठीक कहा है मैंने यह सोच-समझकर कहा है। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माफी मांगे वह जो आसन के ऊपर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अभी भी आंतकवादी घोषित कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अगर हिम्मत है तो दुबारा कहकर दिखाओ।...(व्यवधान) अगर हिम्मत है तो दुबारा कहकर बताओ। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज तीन-तीन महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा होनी है, लगभग 50-60 माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे तो समाप्त करें कृपया, उस बिजनैस को आगे लें।...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इसके मायने यह नहीं है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हम मुलायमजी की करेंगे और यह माननीय सदस्य का अपमान होगा। ...(व्यवधान) इसे एक्सपंज कर बाहर निकालो। ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो बात आपने कही है उस बात को पूरी विधान सभा माने। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खड़े हो जाते हैं बार-बार ...(व्यवधान) कोई तो नैतिकता हो, थोड़ी-बहुत तो अक्ल हो आदमी में । ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): बैठ जाना चाहिये इनको। मुख्य सचेतक महोदय कह रहे हैं फिर भी नहीं बैठ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बर्दाश्त की कोई सीमा होती है एक बार कह दें, दो बार कह दें। आसन से टिप्पणी हो गयी, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कह दिया उसके बाद भी यह हो रहा है। ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): सदन में सदस्यों के लिये ऐसी बातें कहकर आप खुद उत्तेजना पैदा करते हैं। ...(व्यवधान) इधर से कहेंगे , फिर आप भी सुनने की क्षमता रखो। ...(व्यवधान) जैसे नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीजेपी के शासन में लंगूरों और गीदड़ों का ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसी बात करते हो जिस तरह की भाषा बोलते हो, दुर्योधन की, यह कभी उचित नहीं है। राम की बात करने वाले, कृष्ण की भाषा बोलने वाले कम से कम बात ऐसी बोलें जिस भाषा से ''ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होय।'' यह बात सीखिये। अध्यक्षजी कह रही है आप से और फिर कह रहे हैं, मैं कहूंगा बड़े अफसोस की बात है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी फटकार लगायी थी जब गले में इन्होंने डस्टबिन लगाने की बात कही थी। इनका यह इस तरह का आचरण रोज की प्रैक्टिस हो गयी है। इतने वरिष्ठ सदस्य, जो अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके बार-बार इस तरह का आचरण करना इनकी आदत बन गयी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह तो बहुत शालीन हैं, बहुत शांत

स्वभाव के व्यक्ति हैं। जैसे संयमित व्यक्ति बोलता है, आप आदर्श सीख दे रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप एक बार इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें जिससे इनके आचरण में सुधार आ सके। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जैसे सबसे ज्यादा ...(व्यवधान) बीच में व्यवधान करते हैं । असयंमित है यह माननीय सदस्य और खुद सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) दूसरों को सीख दे रहे हो । पहले अपने गिरेबान में झांककर देखें कि आपका व्यवहार किस प्रकार का है ?

एक माननीय सदस्य: यह सदन की वियाग्रा हैं दो-तीन। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपका व्यवहार किस प्रकार का है। नाम संयम होने से संयमित नहीं हो जाता। ...(व्यवधान) आप खुद अपने पर संयम कितना रख पाते हैं जरा इस पर भी सोच लें। ...(व्यवधान) फिर सलाह दो दूसरे को – 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' यह व्यवहार मत करो। व्यवहार करो तो ऐसा करो कि शालीन लगे। मैंने यह कहा आसन पर आक्रामक तेवर अपनाते हैं, यह ठीक नहीं है। आदर्श तरीके से बात रखिये, आसन का सम्मान कीजिये। ...(व्यवधान) मैंने यह बात कही है इसमें किसी को भी ठेस लगे, पर मैंने ऐसी कोई ठेस लगने वाली बात नहीं कही है । मैंने आंतकवादी की तरह व्यवहार करने की बात कही है। यदि इनको दु:ख है तो मैं खेद प्रकट भी कर सकता हूं, लेकिन आप इस बात को समझिये। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात समझने का प्रयास करें कि यह आक्रामक तेवर आसन की तरफ नहीं अपनायें, यह सुधार जरूर करने का प्रयास करें। आप हमेशा आक्रामक तेवर अपनायेंगे, यह ठीक बात नहीं है। हम सोचते हैं कि हम आपसे कुछ सीखें, लेकिन आप से क्या सीखें, आप खुद आसन जब पैरों पर होता है आप खड़े होकर बोलते रहते हैं। आप भी आसन की परवाह नहीं करते। जरा आप सोचिये, आप भी विचार कीजिये। आप हमलावर बनकर प्रयास करते हैं, यह ठीक बात नहीं है। थोड़ा आपको भी विचार करने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सदस्य, +++ तो अच्छा है।...(व्यवधान) आप कोई हैड मास्टर लगे हुए हो क्या? +++...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह +++ की बात कर रहे हैं, यह क्या शालीन बात है अध्यक्ष महोदय, आप जरा विचार कीजिये। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मंत्रीजी बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो वातावरण दिख रहा है, उसका दु:ख आप और हम सबको है, उसमें कोई एक दोषी नहीं है। मैं जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूं, जिसको जिस ढंग से आता है उस ढंग से बोलना शुरू कर देता है। अब कोई औकात में रहने की कहता है, कोई कुछ कहता है। मतलब हम सबको ही, इवन मैं भी उसमें शरीक हूं, हम अपनी भाषा का संयमित रूप से प्रयोग करें। हमको लोग देखते हैं कि हम इस सदन में बैठते हैं। छोटी-छोटी बातों पर इतने हल्के शब्दों पर, इतनी हल्की बात पर जाते हैं और एक ने कह दिया तो आज हमला बोल दिया। क्या आपकी तरफ से कभी किसी ने ऐसा शब्द नहीं बोला? हम सब अपने आपको देखने की कोशिश करें और इसको ठीक करने का प्रयास करें निश्चित रूप से जिससे इस प्रकार का वातावरण नहीं बने। जब बात हो गयी उन्होंने अपनी तरफ से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस धौंस-पट्टी का काम नहीं चलेगा। बैठ जाओ। ...(व्यवधान)... रोज खड़े होकर बड़े आदर्श की बातें रख रहे हो, जैसे कोई आज पहली बार ही सदन में हुआ होगा, पहली बार ही ऐसा शब्द सुना होगा, इससे पहले तो कभी शब्द सुना ही नहीं। आपकी तरफ से कभी कोई बोला ही नहीं। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी इस तरह से नहीं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या तरीका है? ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप मंत्री हैं, आप क्या हैं? ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): पहली बार बोला ...(व्यवधान) पहली बार हुआ ...(व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं । ...(व्यवधान) नहीं, दबाव के कारण से नहीं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या समझ रखा है अपने आपको ? ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): किसी बात के लिये हद है। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप खुद ही गुस्सा करेंगे ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह क्या बात हो गयी? हर बात के लिये खड़े जाते हैं। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मर्जी आये जब ही गुस्सा करेंगे क्या ? ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्यों खड़े हो जाते हो? बोलने के बीच में क्यों खड़े हो जाते हो? ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं तो उनके बीच में क्या खड़े हो रहे हो? ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): बीच में खड़े हो जाते हैं, यह क्या बात हुई? ...(व्यवधान) यह आप ही में ताकत है? ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: डराना-धमकाना चाहते हो क्या? ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप ही में दम है क्या, हम में नहीं है क्या? हम नहीं बोल सकते क्या? ...(व्यवधान) आपको ही जोर से बोलना आता है क्या ? ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। ...(व्यवधान) पुलिस के डण्डे से डरने वाले नहीं हैं। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं अकेला ही निपट लूं, क्या बात करना चाहते हो? ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कोई डरने वाला नहीं है आपसे। आपसे तो प्रदेश का चिड़ा भी नहीं डरता है। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप किस कारण से खड़े हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गये, जब मैं अपनी बात कहना चाहता था? किसने कहा था आपको खड़ा होने के लिये ? ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इस प्रदेश की चिड़िया भी नहीं डरती आपसे, क्या धमका रहे हो आप? ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक तो वातावरण ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और आप उसको लम्बा कर रहे हो, जैसे कोई पहली बार हुआ होगा। ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): आप अपने सदस्यों को सुधारो। आप कार्यवाही उठाकर देख लो। ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): गृह मंत्रीजी से तो प्रदेश की चिड़िया भी नहीं डरती है। ...(व्यवधान) क्या धमका रहे हैं यह। ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, आज तीन-तीन मांग हैं और यह छोटी-छोटी हरकतें करके समय बर्बाद कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का अमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। राजस्थान की पांच करोड़ जनता देख रही है। ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह भारत की दंगा पार्टी है। ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): राजस्थान की पांच करोड़ जनता हमें देख रही है। ...(व्यवधान)... और आप किसानों का नारा लगा रहे हो। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्या हो गया जिसके कारण आप इस तरह कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, खड़े हो जाएं, वैल में आ जाएं। ...(व्यवधान) सोनिया गांधी की पार्टी वालों, थोड़ा आचरण सीख लो। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप जबरदस्ती छेड़ने की कोशिश मत करो। ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): हम भी कोई डरने वाले नहीं हैं आपसे। ...(व्यवधान) आपको गलतफहमी है आप राज में हो तो हम भी डरने

(श्री महीपाल यादव)

वाले नहीं हैं और न दबने वाले हैं। आपसे तो चिड़िया भी नहीं डरती है इस प्रदेश में। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो गृह मंत्रीजी की मेहरबानी है जो नाजायज काम करने के बाद भी ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, आये दिन के झगड़े में हम बीच के लोग पिसे जा रहे हैं। हम अपने विचार रखना चाहते हैं। और दिन भर सदन का समय विवाद में, चला जाता है। एक-दूसरे पर आक्षेप लगाने में चला जाता है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): अध्यक्ष महोदय, हम सवा-दो साल से देख रहे हैं कि दोनों साइड में जंग होती है तो आप मूक बन कर बैठ जाती हैं तो फिर यह फ्री स्टाइल चलती रहती है। आप मूक बनकर बैठ जाती हैं न, तब यह मामला होता है। आप तत्काल क्यों नहीं रोकते, इस तरह से यह बढ़ावा मिलता है। आप चुपचाप बैठ जाती हैं तो यह प्रोवोक होगा ही होगा। आप कड़ी कार्यवाही कीजिए, यह कब तक चलेगा, हाउस का समय बहुत जाया होता है ऐसे तो। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस तरह से ऐसे बोलते हैं तो सत्ता पक्ष हमारे सदस्य के बोलने से आतंकित होता है तो हमें तो इसमें खुशी है। हम तो चाहते हैं कि आप हमारे बोलने से आतंकित हो जाओ, हम यहां पर हमला तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। हमारी वाणी से आप आतंकित होते हो तो इसमें मैं समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं है। आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बहुत शांत स्वभाव और पोलाइट होते हुए भी आज ज्यादा उग्रता में आ गये, ज्यादा तैश में आ गये। आप गृह मंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, सरदार पटेल इंडिया के होम मिनिस्टर थे, उनके पोतों में हैं आप स्टेट के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: आप उनके पोते हो?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, पोते हैं ही, यह तीसरी पीढ़ी है सरदार पटेल की और राजस्थान के सरदार पटेल की जगह पर यह हैं तो आपको तो बहुत क्वाइट और पेशेंस के साथ रहना चाहिए, इतना गुस्सा

(श्री रामनारायण चौधरी)

मत करो। मैं आपसे चाहता हूं कि आप शांत स्वभाव से रहें और जो हुआ है उसको जाने दो, छोड़ो। आगे की कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष: मैं चाहती थी कि 295 के प्रस्ताव जिनमें एक घंटा जाता, एक घंटा बचाने की कोशिश की थी कि एक घंटा और अधिक बहस हो सके और मुझे बड़ा ताज्जुब इस बात पर हो रहा है कि मुझे इसमें कोई भी अनपार्लियामेंट्री बात नहीं लग रही है। उनके शब्द जो आये हैं रिकार्डिंग होकर के- 'ऐसे बोलते हैं जैसे कोई आतंकवादी हमला करता है', उनको आतंकवादी थोड़ी कहा, उन्होंने सिमिली दी। ...(व्यवधान)... बीच में न बोलें। सिमिली दी है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि भाई, ऐसे तेजी से बोलते हैं जैसे आतंकवादी अचानक आता है। उन्होंने कहा ऐसे बोलते हैं आप जैसे कोई आतंकवादी हमला करता है। इसमें कौनसी बात हो गयी, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है। कौनसी अनपार्लियामेंट्री बात हो गयी?

फिर भी यदि माननीय सदस्य को या इससे उनकी आत्मा को, कोई इस बात से पीड़ा पहुंची हो या कोई आत्मा को अफसोस हुआ हो ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (धोद): तो भी कह दिया उन्होंने।

श्री अध्यक्ष: हां, कोई उनकी आत्मा को अफसोस हुआ हो तो लाओ इस बारे में, इसमें लेकिन मुझे लगी नहीं कोई बात इसमें। इसमें इस तरह से एकदम आस्तीनें चढ़ा लो और जोर-जोर से बोलने लग जाओ। मैंने कहा सहिष्णुता सब में होनी चाहिए, सत्ता पक्ष में होनी चाहिए और प्रतिपक्ष में भी होनी चाहिए। सत्ता-पक्ष प्रतिपक्ष की कितनी बातें सुनता है। सुनता है कि नहीं? जब आप कहते हो तो सुनता ही है इसलिए दोनों ही तरफ सहिष्णुता होनी चाहिए। दोनों को ही मिलकर, आखिर इस सदन के अन्दर जो तमाम राजस्थान के पांच करोड़ 64 लाख लोगों की फील का रिप्रजेंट करते हैं। जो उनकी आत्मा को, उनके विश्वास को रिप्रजेंट करता है। हम सब मिलकर इस राजस्थान को आगे बढ़ा सकें, कुछ अच्छी सार्थक बहस के जरिए, तर्क-वितर्क के जरिए निष्कर्ष पर पहुंचे। ...(व्यवधान) ठीक है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के किसानों के साथ जो घट रहा है कि राजस्थान की सरकार को केन्द्र सरकार ने...

श्री अध्यक्ष: सरसों की खरीद का है आपका।

श्री अमराराम (धोद): हां, वो ही कह रहा हूं। 22 लाख मीट्रिक टन खरीदने का हमारे मंत्रीजी ने यहां सदन में अवगत कराया कि केन्द्र सरकार ने, नैफेड ने हम को 22 लाख मीट्रिक टन ,खरीदने के लिए अवगत करा दिया है लेकिन आज की तारीख में मैं आपके सामने रख रहा हूं, राजस्थान के किसान की सरसों नहीं खरीद कर के यहां घोषणाएं चाहे कुछ भी करें लेकिन राजस्थान के किसान को आज की तारीख में बाजार में जो 1715 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकारी समर्थन मूल्य है कि जो सरकार मानती है, उससे नीचे पर नहीं बिकना चाहिए लेकिन आज की तारीख में राजस्थान में 1400 और 1450 के भाव से राजस्थान के किसानों को आज भी बेचना पड़ रहा है और इससे राजस्थान के किसानों को दस से पन्द्रह करोड़ का रोज नुकसान हो रहा है। जहां राजस्थान की सरकार ने एक मार्च से केवल कोटा डिवीजन में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कहीं भी खरीद शुरू नहीं हुई?

श्री अमराराम (धोद): कहीं नहीं हुई सिवाय कोटा के चार जिलों के अलावा आज की तारीख में कहीं नहीं हुई है न नागौर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जालोर में, पूरे राजस्थान में चार जिलों को छोड़ कर 28 जिलों में आज की तारीख में एक दाना भी नहीं खरीदा जा रहा है और लाखों क्विंटल 1400 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। 315 रुपये के करीब, 300 रुपये प्रति क्विंटल किसान को नुकसान हो रहा है और रोजाना दस से पन्द्रह करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। राजस्थान की सरकार यहां खड़ी होकर के घोषणा करती है एक-एक दाना लेंगे और, अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि जिन चार जिलों में खरीद शुरू की है उसमें भी टोकन जून तक दे दिये। अब मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई और जून का टोकन दे दिया। क्या सरकार जून तक खरीदती

(श्री अमराराम धोद)

रहेगी? क्या राजस्थान में कांटे नहीं हैं, कांटों की कमी पड़ गयी है? तोलने वाले पल्लेदारों की कमी पड़ गयी? राजस्थान की सरकार 20 लाख मीट्रिक टन अगर खरीदने की जिस भावना के साथ जाती तो आज बाजार में सरसों का भाव 1700 रुपये के ऊपर होता, सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं होती लेकिन जिस नीयत के साथ सरकार खरीदने के लिए जा रही है, सरकार की मंशा आज की तारीख में यह है कि किसान व्यापारियों को मजबूर होकर के बेचे 1400 के अन्दर और फिर व्यापारियों से 1700 के और 1715 के भाव से खरीद एजेंसियां खरीदें वरना राजस्थान में कांटे नहीं हैं क्या, राजस्थान में पल्लेदार नहीं हैं क्या, राजस्थान में बोरी नहीं है क्या? जब 20 लाख मैट्रिक टन की राजस्थान को नेफेड ने दे दिया, जिनको एक तारीख से आज 21 तारीख है, आज तक जिनका खरीद लिया उनको एक नये पैसे का चैक नहीं दिया जहां वह मंडी कानून में सात दिन में उसी दिन देते।

श्री अध्यक्ष: अब प्लीज, मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आज तक तो घोषणा ही नहीं की, जोधपुर, जालोर, नागौर, सिरोही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पेमेंट नहीं हुआ, जिस जगह प्रारम्भ नहीं हुई खरीद, उसका जवाब देंगे अब मंत्रीजी। मंत्रीजी, बोलिये आप।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, जवाब नहीं चाहिए। जवाब कहेंगे एक-एक दाना लेंगे। मैं तो यह कहता हूं जितनी सरसों बाजार में मंडी में आती है वह उसी दिन तुले।

श्री अध्यक्ष: वो बोल रहे हैं न।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, जून में दे दिया। जून में टोकन दे दिया तो इन्तजार करेगा चार महीने के लिए।

श्री अध्यक्ष: तो वो कुछ बोलेंगे न, आप सुनें तो सही।

श्री अमराराम (धोद): मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जितनी सरसों मंडी के अन्दर आती है वो इनके मापदण्डों के अनुसार है, उसी दिन तुल कर के उनको पेमेंट का चैक मिल जाना चाहिए मंडी कानून के अनुसार। यह व्यवस्था सरकार करे।

श्री अध्यक्ष: हां तो वह बतायेंगे जब ना। माननीय मंत्रीजी।

श्री अमराराम (धोद): रोज किसानों को 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इससे बचाने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष: हां, माननीय मंत्रीजी। नहीं, अब नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, जिन जिलों में खरीद की घोषणा ही नहीं की तो उनमें घोषणा करें, और खरीद शुरू करें। हमारे जिले में बम्पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उन्होंने उठा दिया इस इश्यु को, अब आप और क्या चाहते हो जब उन्होंने इश्यु उठा दिया। ...(व्यवधान) प्लीज सिट डाउन।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, किसानों की सरसों मंडी में आ रही है, खरीद चालू नहीं हो रही है, किसानों को बिजली के बिल भरने हैं ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): हमारे जिले में सरसों की बम्पर पैदावार हुई है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह बात उठा दी उन्होंने, अब प्लीज ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अब जवाब दें, नागौर के लिए जवाब दें कि नागौर में कब खरीद शुरू करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह विषय रखा है कि सरसों की खरीद नहीं हो रही है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि सरसों की बुवाई काफी जिलों में पहले होती है और जहां बुवाई पहले होती है वहां कटाई पहले होती है और जहां कटाई पहले होती है वहां मंडी ...(व्यवधान) एक मिनट रुक तो जाएं।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलिये, इन्हें कहने दीजिए।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): जहां कटाई पहले होती है वहां मंडी में माल पहले आता है। आप सब जानते हैं कि हाड़ौती में बुवाई पहले होती है, कटाई पहले होती है और मंडी में माल पहले आता है इसलिए वहां हमने पहले प्रारम्भ की है और मैं बता दूं कि 72 हमने ...

श्री अध्यक्ष: हां, यह बात सही है कि दक्षिण में पहले होती है कटाई

(श्री अध्यक्ष)

और उत्तर में बाद में फसल पकती है इसलिए गंगानगर की सरसों अभी तक हरी है। ...(व्यवधान) हां, यह है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप पूरी बात तो सुन लो। मेरा निवेदन सुन लें। हम अभी 72 सरसों केन्द्रों पर...

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कृषि मंत्रीजी हैं, रोज कृषि मंडी में जिंस आती है उनमें बहुत-सी तो बगैर रिकार्ड के हैं लेकिन कृषि मंत्रीजी बता दें कि पिछले सात दिन में कौन-कौनसी मंडियों में सरसों बिकने के लिए आ रही है? रोज मंडी आपके मार्केटिंग बोर्ड को रिपोर्ट करती है, रोज उस मंडी में कितनी सरसों बिकी है, मंत्रीजी बता दें।

श्री अध्यक्ष: वह कह तो रहे हैं, आप सुनें जब न।

श्री अमराराम (धोद): जहां नहीं आयी है, जहां किसान की सरसों निकल कर बाजार में मंडी में नहीं आ रही है उसके लिए कौन कह रहा है लेकिन जिन मंडियों में रोज हजारों बोरियां बिक रही हैं 1400 रुपये के भाव से बिक रही हैं उस सरसों की बात कर रहे हैं जहां खरीद शुरू की वहां जून तक दे दिया, अब जून तक इन्तजार करेगा, जो गरीब आदमी है, जिसको पैसे की आज जरूरत है जून में खरीदेंगे और अगस्त में जाकर के उसको पेमेंट होगा। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब सुनने तो दीजिए आप। आपने तो कह दी बात।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हमने 72 सरसों केन्द्रों पर सरसों खरीद प्रारम्भ की हुई है और लगभग हम सौ करोड़ रुपए की सरसों खरीद चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष: 100 करोड़ की खरीद चुके ?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: पेमेंट कितना किया ?

श्री अमराराम (धोद): एक नया पैसा ही नहीं किया।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप सुन तो लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमें केन्द्र सरकार से एक पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ फिर भी हमने हमारे स्तर पर व्यवस्था करके कल से हम भुगतान करना प्रारम्भ कर रहे हैं और जिस क्रम में हमने सरसों खरीदी है उसी क्रम में हम

(श्री मदन दिलावर)

किसानों को भुगतान करना प्रारम्भ कर रहे हैं । मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमने कुछ जिलों से जानकारी की है, कुछ जिलों में सरसों आना प्रारम्भ हो गया है और वहां माइस्चर जितना आठ प्रतिशत से कम की ही सरसों खरीदते हैं वहां आना प्रारम्भ हो गए हैं । ऐसे जिले हमने लगभग दस आइडेन्टिफाई किए हैं और उन दस जिलों में हम 25 तारीख से सरसों खरीदना प्रारम्भ कर रहे हैं उनके नाम बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: जिलों के नाम तो बताओ जिलों के कौन-कौन जिले हैं? से, नाम तो बता दो...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): नाम बता रहा हूं ना, नाम तो सुन लो।

श्री अध्यक्ष: दस जिलों के नाम तो बताओ ।

श्री अमराराम (धोद): यह 25 का क्या मुहूर्त है ?...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं खड़े हों प्लीज, धोद से आने वाले माननीय सदस्य, पूरी बात सुन लें आप।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर,टोंक और अब दो जिलों की भी अभी मैंने मालूम की थी, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में 25 तारीख से प्रारम्भ कर देंगे।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्री महोदय, नागौर पर कब गौर करेंगे आप? नागौर में सरसों आना शुरू हो गयी है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नागौर पर कब गौर करेंगें? ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): व्यापारियों के पास चली जाएगी।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मेरा जवाब पूरा होने दें अध्यक्ष महोदय।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नागौर जिले में सरसों आना शुरू हो गयी है। नागौर में कब गौर करेंगे, नागौर में कब खरीदना शुरू करेंगे आप? (व्यवधान) परबतसर में, डेगाना में कब करेंगे, मेड़ता में कब करेंगे, डीड़वाना में कब करेंगे, पूरे नागौर जिले में ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): पिछले सात महीने से सरसों आ रही है, रोज की चार हजार बोरियां सरसों की आ रही हैं ..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सरसों आना प्रारम्भ हो गया है । सरसों की खरीद प्रारम्भ कर देंगे यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं और माइस्चर ज्यादा है और उससे किसान को परेशानी होती है ...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आज बाली जिले में चार हजार क्विंटल सरसों रोज मंडियों में आ रही है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कहीं पर भी लागू नहीं करना है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बता दें सूचना किससे ले रहे हैं ? क्यों नहीं आदेश दे देते जो तमाम सैण्टर हैं उनको तमाम सैण्टर्स को इसलिए आदेश नहीं दे रहे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माइस्चर ज्यादा है ।

श्री अमराराम (धोद): सरसों अगर नहीं लाएगा काश्तकार तो नहीं बिकेगी...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, अब कोई जिला ऐसा नहीं है जहां सैण्टर खोलने की आवश्यकता नहीं हो, सब जिलों में सरसों आने लग गई है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां सरसों नहीं है। अब सरसों आने लग गई है, चाहे गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम पूरे राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अप्रैल की घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि किसान मजबूरी में व्यापारियों को बेच दे और समर्थन मूल्य का फायदा राजस्थान के किसान को नहीं मिलकर के व्यापारियों को मिले । ऐसी इस सरकार की नीयत है । अप्रैल की घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि किसान...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): यह व्यापारियों से मिले हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मजबूर कर रहे हैं काश्तकारों को अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) तीन सौ रुपये क्विंटल का फायदा दिलाना चाहते हैं , व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ है इनकी ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): जून तक टोकन देने का मतलब है तीन महीने बाद का..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आठ प्रतिशत से ज्यादा माइस्चर है...

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को बर्बाद कर रहे हैं यह भी मिले हुए हैं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण करें, मिस्टर जारोड़ा स्थान ग्रहण करें, नहीं अभी कोई बात नहीं। आप लोग मंत्रीजी का वक्तव्य तो सुनना नहीं चाहते हैं । वह क्या कह रहे हैं आपको जानने की आवश्यकता नहीं है । एक साथ खड़े हो जाते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब आप लोग कर रहे हैं । नियमों की जानकारी नहीं है या जान बूझकर आप लोग एक साथ खड़े होते हैं । समझ में ही नहीं आता, आसन को तो पता ही नहीं लगता कौन क्या कह रहा है। मंत्रीजी को पहले सुन लें पूरा उसके बाद यदि कोई बात हो तो क्वश्चन किया जा सकता है उनसे लेकिन एक साथ आप खड़े हो जाते हो, एक साथ क्यों खड़े होते हो आप..(व्यवधान) नहीं अब कोई नहीं, पहले मंत्रीजी को बोल लेने दो, उनकी बात सुनें..(व्यवधान) मंत्रीजी की बात सुनी नहीं, आप लोगों ने कुछ नहीं सुना मंत्रीजी का..(व्यवधान) आज आपको हो क्या गया है, नियमों का ध्यान ही नहीं रखते आप ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री अध्यक्ष: जो मेरी बिना अनुमति के बोलेगा वह अंकित नहीं होगा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री अध्यक्ष: ठीक है बिराज जाओ, अब आपने कर दिया।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने यह कहा कि केन्द्र सरकार से हमको पैसा नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कल से भुगतान देने की बात है अगर केन्द्र सरकार का पैसा नहीं आया तो क्या राज्य सरकार ने अपने स्तर से कोई वैकल्पिक इंतजाम किया है और अगर नहीं किया है तो क्या करने जा रही है और भारत सरकार से जो पैसे आने हैं उसकी क्या स्थिति है ? इन पर आप पूर्णत: देखें बहुत सेंसेटिव इश्यू है । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पूरा माल बिक चुका है व और अभी आपके 70 केन्द्र खुले हैं तो कम से कम आपकी क्या कार्य योजना है और उस परिस्थिति में जिसमें भारत सरकार ने अभी तक आपको पैसा नहीं दिया, आप कल से व्यवस्था करने जा रहे हैं तो अगर अगले एक महीने में भी आपको पैसा नहीं मिला तो क्या किसान को पैसा मिलेगा या आप भारत सरकार का इंतजार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: अब बीच में कोई नहीं बोलेगा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि हमको भारत सरकार से अभी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है फिर भी किसानों के हित को देखते हुए हमने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और उस 200 करोड़ रुपए में से हम कल से ही सरसों का चुकारा जो भुगतान है वह किसानों को प्रारम्भ कर देंगे। मैंने पहले कहा अभी तक 100 करोड़ रुपए की सरसों हमने खरीदी है, माननीय सदस्य ने आशंका जाहिर की है और कहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में एक मीटिंग कर ली है और वह विषय मोटी मोटी जानकारी के अनुसार मंत्रिमण्डल के समक्ष है हमें पूरी आशा है कि भारत सरकार हमको बहुत जल्दी धन उपलब्ध कराएगी ताकि हम जो आगे सरसों खरीदने जा रहे हैं उसका हम जल्दी से जल्दी भुगतान प्रारम्भ देंगे जल्दी, अभी तो देरी हुई है परन्तु वह पैसा आने के बाद हम बहुत जल्दी भुगतान कर देंगे ।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: No. No more question. श्री के.डी. बाबर। ..(व्यवधान) पर्ची के माध्यम से जो प्रश्न उठाया गया उसके बारे में मंत्रीजी ने कह दिया। श्री के.डी.बाबर।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): xxx

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): xxx

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): xxx

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): xxx

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):xxx

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आब्जेक्शन है। यह कह रहे हैं कि मेरे पास व्यापारी को भेज दें, वह व्यापारी मेरे से मिल लेंगे। क्या मतलब है इसका ? क्या कहना चाहते हो ? +++ मत करिये। क्या मतलब है इसका ? (व्यवधान) मैं किसान का बेटा हूं। +++ नहीं हूं...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरसों कहां-कहां निकल रही है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। विभाग को भी पता है और हम सब खेती करने वाले हैं, सबको जानकारी है। हाड़ौती, उदयपुर संभाग में सबसे पहले सरसों निकलती है और बाकी यह जो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है उसमें भी रायड़ा पहले निकलता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में तो लास्ट में अभी कटी भी नहीं है पूरी सरसों...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): भरतपुर, अलवर में सरसों पहले निकलती है, 42 परसेंट आयल कंडीशन है। बिराजो तो सही, सारा बता देंगे..(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट बैठिये। मेरा निवेदन है..(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने चाहा है कि कितनी सरसों अनुमानित पैदावार होगी और कितनी सरसों आप खरीदेंगे। मुझे माननीय सदस्य ने पूछा है...(व्यवधान) मुझे जवाब देने दीजिये। आप थोड़ा सा मौका दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): xxx

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सारे राजस्थान में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में खरीदना प्रारम्भ कर देंगे...(व्यवधान) खरीद प्रारम्भ नहीं होगी...(व्यवधान) केन्द्र सरकार ने तो एक अप्रैल से खरीदने का कहा था पर केन्द्र सरकार से निवेदन करके उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक मार्च करवाया है...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह कह दिया कि अप्रैल से सारे जिलों में खरीदना शुरू कर देंगे तो फिर तो कोई विषय रहना नहीं चाहिये। मैं सोचता हूं जब यह कह दिया कि अप्रैल में हम सभी जिले में खरीदने की व्यवस्था कर देंगे उसके बाद तो कोई विषय बाकी नहीं बचता। आज 18 तारीख हो गयी...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जब उन्होंने कह दिया अप्रैल से सारे जिलों में खरीद की व्यवस्था प्रारम्भ कर देंगे...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने पूरी चीज का खुलासा कर दिया, आपके स्वयं के आसन के निर्देश हैं कि पर्ची पर मंत्री उत्तर दे, जरूरी नहीं है। परन्तु फिर भी विषय की गंभीरता को देखते हुए माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ सदन में स्पष्टता चाहिये थी वह तो कर दी, अब और भी लोगों की पर्चियां हैं, इसको आगे बढ़ायें।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें। गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं, स्थान ग्रहण करें। पर्ची के माध्यम से आप समस्या का पूरा निदान करवाना चाहते हैं, यह असंभव है। पर्ची का मतलब केवल यह होता है कि आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया और फिर भी उन्होंने अपनी सदाशयता दिखाते हुए जो कुछ अब तक किया है और जो कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में बता दिया कि हम यह व्यवस्था कर रहे हैं...(व्यवधान) प्लीज बीच में नहीं बोलें। उन्होंने बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। न आसन कुछ कर सकता है, न मंत्री कुछ कर सकते हैं...(व्यवधान) बिलकुल नहीं, अब कुछ नहीं। श्री के.डी.बाबर। पर्ची के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं होता है...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पेमेंट केन्द्र सरकार देती है। यह पेमेंट केन्द्र सरकार देती है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान)अंकित नहीं हो रहा है। एक का भी अंकित नहीं है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें.....

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूं कि अब आप शांतिपूर्वक बैठें और सुनें। श्री के.डी.बाबर।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री अध्यक्ष: अब कुछ नहीं, मैंने कहा। आप अपनी बात बता चुके हैं। आप कई बार जीत कर आ चुके हैं। जितने किसान.....(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री के.डी. बाबर ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): xxx

श्री अध्यक्ष: मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें तो अच्छा होगा ।

सीकर के दुर्गा महिला विकास संस्थान को बालिका विद्यालय हेतु भूमि आबंटन

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी के नोटिस में दुर्गा महिला विकास संस्थान, सीकर का भूमि आबंटन का मामला लाना चाहता हूं । दुर्गा महिला विकास संस्थान, सीकर ने राज्य सरकार को एक प्रार्थना-पत्र देकर के आवासीय बालिका विद्यालय हेतु भूमि आबंटन करने का निवेदन किया था । दिनांक 9.4.2003 को उक्त आवेदन-पत्र पर जिला कलक्टर सीकर ने अभिशंसा करके उप शासन सचिव, राजस्व विभाग को प्रेषित किया और उप शासन सचिव राजस्व ग्रुप-3 ने दिनांक 17.7.2004 को जिला कलक्टर सीकर को पत्र लिखकर उक्त संस्थान को ग्राम नाथावतपुरा तहसील सीकर में आवासीय बालिका छात्रावास हेतु भूमि आबंटन की स्वीकृति जारी कर दी । स्वीकृति पत्र के विषय में आवासीय बालिका विद्यालय

(समय : 13.41 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हेतु भूमि का आबंटन लिखा गया था जबकि पत्र के मुख्य भाग में आवासीय बालिका छात्रावास लिख दिया गया । इस गलत स्वीकृति के फलस्वरूप अंकेक्षण दल ने भूमि आबंटन की कीमत वसूल लिये जाने का आक्षेप लगा दिया और संस्थान को 95920 रुपये और जमा कराने का नोटिस जारी कर

(श्री केसर देव बाबर)

दिया गया । जो कि गैर विधि पूर्ण है क्योंकि संस्थान ने आवासीय बालिका विद्यालय हेतु ग्राम नाथावतपुरा में भूमि आबंटन हेतु निवेदन किया और मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी माना कि संस्थान को आवासीय बालिका विद्यालय हेतु भूमि आंबटन की गयी है । अंकेक्षण दल ने इसे केवल महिला छात्रावास मान लिया है और इस कारण से महिला छात्रावास को दो एकड़ में छूट प्रदान करने के बाद शेष भूमि की कीमत और जमा कराने का नोटिस जारी कर दिया ।

अंत: मैं राजस्व मंत्रीजी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि शासकीय भूल की गलती का खामियाजा किसी अन्य को नहीं भुगतने दिया जाये और आबंटन पत्र में संशोधन करवाकर आवासीय बालिका छात्रावास के स्थान पर आवासीय बालिका विद्यालय संस्थान को राहत प्रदान की जाये तथा बकाया राशि जमा कराने के नोटिस को निरस्त किया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, करे कोई और भरे कोई, ऐसा नहीं हो, मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं कि आज ही इसकी जांच करायें और जो दुर्गा महिला शिक्षा संस्थान है उसको राहत प्रदान करें । आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लालचन्द जी । मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दुर्गा महिला शिक्षण संस्थान को भूमि आबंटन से संबंधित मामला अपनी पर्ची के माध्यम से उठाया है और यदि इसमें किसी प्रकार से त्रुटिवश अंकेक्षण या वसूली में ज्यादा राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया है तो मैं इस सारे प्रकरण को दिखवा लूंगा और नियमों के तहत ही जो भी भूमि आपको आबंटित की जा रही है, संस्था को या अन्य को भी वह सारी नियमों के अनुसार ही की जाती है और इसके अंदर यदि नियमों से परे और मूल पत्रावली के केवल शब्द बालिका और बालिका छात्रावास करने से किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो मैं इसको दिखवा लूंगा और जांच करके जो भी उचित निर्णय होगा वह कर दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लालचन्द ।

कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क निर्माण

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री लालचन्द मेघवाल)

माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अपनी निजी आय से, जिन मंडियों की निजी आय होती है उस पैसे से उस क्षेत्र की सड़कों व ग्रामीण क्षेत्र की पुलियांए बनती हैं । लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछले पांच साल में पूरे प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों ने कहीं भी सड़क या पुलियाएं नहीं बनायी । लेकिन इसके साथ-साथ पिछले दो वर्ष से प्रदेश की सरकार ने कुछ हद तक सफलता प्राप्त करके ग्रामीण क्षेत्र की कुछ सड़कें कृषि उपज मंडी के पैसे से बनायी। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन मंडियों की आय अभी भी उनके खाते में जमा है। जिस तरह से गंगानगर जिले में मंडियों की आय और विशेषकर रायसिंहनगर मंडी समिति की आय करीब 2 करोड़ 25 लाख रूपये की निजी आय है। उस पैसे से ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े गांव हैं जो पीएमजीवाई की योजना के नार्म्स पूरा नहीं करते हैं और जो एस.सी. बाहुल्य क्षेत्र है उन गांवों को उस पैसे से सड़कों से जोड़ा जाये क्योंकि यह उस मंडी की निजी आय है और उस पैसे से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जुडेंगी तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा । जिस तरह से आपका सर्कूलर है कि 40 प्रतिशत पैसा कृषि उपज मंडी का पैसा मंडी यार्ड और 60 प्रतिशत पैसा सड़कों में लगाया जाता है । जिस मंडी यार्ड में में भवनों की या अन्य बिल्डिंग की जरूरत नहीं है उस पैसे से ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें और पुलियाएं बनाने की व्यवस्था करें । यही मेरा निवेदन है, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में न बोलें...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे गंगानगर जिले का बहुत अहम इश्यू है ।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): गंगानगर जिले का बहुत अहम इश्यु है ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह गंगानगर जिले का बहुत अहम इश्यू है और पर्ची के माध्यम से पूरे सदन के लोग बोले हैं इससे पूर्व विषय में । एक मिनट का समय मुझे दे दें क्योंकि गंगानगर जिले से जुड़ा हुआ मसला है । इससे हमारा पूरा गंगानगर जिला प्रभावित हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कहना चाहूंगा, एक मिनट का समय मुझे दें दें । पहले सबको दिया गया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज डिमांड आ रही है उस पर बोल लेना ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): एक मिनट का समय, पर्ची पर, दें दें। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है आपसे ।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि की डिमांड पर आपको मौका देंगे ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): डिमांड पर मौका नहीं, एक मिनट का समय मुझे दे दें क्योंकि यह विषय ऐसा ही है । मंत्रीजी जब जवाब देंगे इसके साथ जवाब दे देंगे । पूरा सदन बोला है उससे पहली पर्ची पर।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं बोलते हैं ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): पूरे सदन के लोग बोले हैं । मैं तो आपसे निवेदन ही कर रहा हूं, बिना निवेदन के लोग बोले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: हां, चलो बोलें ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में पिछले पांच साल पहले गंग कैनाल के पुर्ननिर्माण की योजना चली थी और गंगानगर की समस्त मंडियों की जो आय थी सरकार ने इसको गंग कैनाल पुर्ननिर्माण योजना में लगा ली । लगभग आठ करोड़ रुपये गंग कैनाल में आये हैं कृषि उपज मंडी समितियों के । आज से पांच साल पहले जब कांग्रेस का शासन था तो हमारी मंडियों की सारी आय नहर में चली गयी । कोई सड़क हमारे गंगानगर जिले में कृषि उपज मंडियों के माध्यम से, कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से बनी नहीं और अब जो हमारी आय गंगानगर जिले की मंडियों की है, जैसे मेरी मंडी की चार करोड़ की आय है और उससे नयी सड़कों का निर्माण होना चाहिये । लेकिन नई सड़कें इसमें सैंक्शन नहीं की जा रही हैं तो मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि कृषि उपज मंडी का जो पहले का आठ करोड़ रुपया है वह आप सिंचाई विभाग से प्राप्त करें और हमारी मंडियों की जो आय है वह उसी में लेनी चाहिए । दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं हो । यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री से अनुरोध है ।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से यह जानना चाहा है कि विधान सभा क्षेत्र की मंडी समितियों के पास आय होते हुए भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई हैं । मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि हमने मंडी समितियों के द्वारा सड़कों के निर्माण के संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो प्रक्रियाधीन है । अगले सत्र में 2006-2007 में वित्तीय स्थिति मंडी समिति की सड़क निधि को ध्यान में रखते हुए सड़कों की स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि दूसरा गंग नहर के मामले में प्रश्न था । मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि पिछला जो पैसा गया था उसको वापस लेने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी और अब भविष्य में गंग कैनाल के अन्य कार्यों के लिए राशि नहीं दी जा रही है । उन मंडियों का जो पैसा होगा और सड़क निधि में जितना पैसा होगा निश्चित रूप से उनके प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): जिस मंडी की आय हो उसी क्षेत्र में पक्की सड़क बनायी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें । श्री हेमराज मीणा।

बारां जिले में जारी विभिन्न निर्माण कार्यों में विसंगतियां

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्ची के अंतर्गत एन एस-76 का जो निर्माण कार्य बारां जिले में चल रहा है उसमें कई विसंगतियां एव तकलीफे किसानों को आ रही हैं । उस संबंध में मैं आपके माध्यम से प्रयास करना चाहूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन कम्पनियां काम कर रही हैं, सनवे कम्पनी है, के एन सी कम्पनी है और एल एन टी कम्पनी है, ये सब कम्पनियां बाहर की हैं। इन कम्पनियों ने जब निर्माण कार्य शुरू किया तो निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया और मुआवजा देने से पहले ही काम शुरू कर दिया। कई स्थानों पर मुआवजा भी दिया है लेकिन जहां पर मुआवजा दिया है वहां पर फसल का मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया, काश्तकारों को छह महीने पहले मुआवजा मिलता तो काश्तकार उसमें अपनी फसल नहीं बोता और फसल नहीं बोता तो उसका खर्चा भी नहीं होता। उसकी फसल वहां खड़ी है इसलिए उस फसल का मुआवजा वह दें या काम तब शुरू करें जब काश्तकार अपने खेत की फसल काटकर अपने घर ले जाए।

(श्री हेमराज मीणा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बारां जिले में पलायथा स्थान है जहां पर काली सिन्ध (परवन) नदी है, वहां पर पेयजल के लिए सरकार की तरफ से एक एनीकट दो लाख रुपए की लागत से बनाया था। सनवे कम्पनी ने उस पलायथा वाले एनीकट को तोड़ दिया। ग्राम पंचायत ने उसका निर्माण कराया था। नियम तो यह बनाया था सरकार ने कि यदि एनीकट तोड़ेंगे तो या तो कम्पनी एनीकट बनाएगी या उसका मुआवजा ग्राम पंचायत में जमा कराएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस कम्पनी ने न जिला प्रशासन को जानकारी दी, न वहां पर ग्राम पंचायत की सरपंच को जानकारी दी और उन्होंने वह एनीकट तोड़ दिया, इससे पशु पेयजल की स्थिति बहुत खराब हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि काली सिन्ध नदी इतनी बड़ी नदी है कि उस नदी में बरसात के बाद पानी ही नहीं रहता, पशु पेयजल के लिए सरकार ने वह एनीकट बनाया था, उसका दुबारा निर्माण हो और उसके लिए कम्पनी को पाबन्द किया जाए कि वह उसका दुबारा निर्माण करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह बारां में बावड़ी खेड़ा गांव है, वहां पर एक ऐतिहासिक बावड़ी है, उसके साथ ही वहां पर एक धार्मिक स्थान है, उस धार्मिक स्थान को उजाड़ने के प्रस्ताव भी तैयार कर लिए उस के एन सी कम्पनी ने, वह उसके एरिये में आता है। मैं चाहता हूं कि वहां पर कई स्थान ऐसे हैं जहां बहुत अच्छे बाइपास बनाए जा सकते हैं। इससे हमारी ऐतिहासिक बावड़ी बचेगी, हमारी ऐतिहासिक धरोहर बचेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए आपस में प्रयास करें कि बावड़ी भी बच जाए और उसके साथ-साथ वहां पर जो देव स्थान है वह भी बच जाएं, वहां पर बाइपास दिया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार किशनगंज में भंवरगढ़ एक कस्बा है वहां पर बाइपास दिया है लेकिन जो बाइपास दिया है बाइपास पूरा नहीं देकर छोटा कर दिया, बाइपास छोटा करने से हमारे आदिवासियों की सारी बस्ती उजड़ रही है, आलीशान मकान उजड़ रहे हैं, वहां पर बाइपास पर एक ट्यूबवैल लगा हुआ है, वह ट्यूबवैल भी उससे उजड़ेगा, वहां पर पी.एच.ई.डी. की एक टंकी बनी हुई है और एक ऑफिस बना हुआ है वह भी उजड़ेगा। माननीय

(श्री हेमराज मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बाइपास को थोड़ा आगे तक ले जाएं ताकि कस्बा भी बचे और बस्ती भी बचे और ट्यूबवैल भी बचे, पी एच ई डी का ऑफिस भी बचे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं एन एच 76 पर मुण्डेर गांव है, यह शुद्ध रूप से आदिवासी गांव है, वहां बीच कस्बे से होकर एन एच 76 एल.एन.टी. कम्पनी द्वारा बनाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर से उसको निकालने से सारा कस्बा ही उजड़ेगा और आदिवासियों की बस्ती उजड़ेगी, क्योंकि मेरा सारा इलाका इसी क्षेत्र से लगा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुण्डेर में बाइपास प्रस्तावित करके इसको चालू करें ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों पर आप अपने निर्देश जारी करें क्योंकि वहां पर एनीकट का काम तो भारत सरकार का है लेकिन भारत सरकार का होने के बाद भी राज्य के अण्डर में ही सारे काम चल रहे हैं, जिला प्रशासन उसको देखता है तो मैं चाहूंगा कि आप उचित निर्देश प्रदान करें ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके। धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 76 का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह राज मार्ग एन एच आई को चार वर्ष पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया था। अब इसमें निर्माण कार्य हो रहा है और निर्माण कार्य वही सनवे कम्पनी, एल एण्ड टी कम्पनी और के एम सी कम्पनी कर रही है और फोर लेन का काम चल रहा है। आपने कहा कि मुण्डिया गांव में पक्के मकान तोड़ रहे हैं, काश्तकारों की उपजाऊ जमीन को बिना मुआवजा दिए सड़क निर्माण कार्य हो रहे हैं, आपने एनीकट तोड़ने की भी बात कही, धार्मिक स्थान तोड़ने की भी बात कही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने पर्ची के माध्यम से जिन बिन्दुओं की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, इन सब बिन्दुओं की पूरी जानकारी लेकर मैं इसी विधान सभा सत्र के दौरान आपको और उस कम्पनी से सारी जानकारी लेकर किसान को पूरा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुआवजा मिले, किसान को पेड़ का मुआवजा मिले, एनीकट अगर ग्राम पंचायत का तोड़ा है तो उस एनीकट का मुआवजा भी वह कम्पनी दे, इन सारी चीजों की व्यवस्था कर दी जाएगी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसान का किसी भी तरह का अहित न हो, इसकी पूरी सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बोर्ड आफ इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट द्वारा एफ.एम.सी.जी. इण्डस्ट्रियल क्लस्टर के बारे में निर्णय नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रकिया के नियम 131 के अन्तर्गत। श्री संयम लोढ़ा, सदस्य विधान सभा।

श्री संयम लोढा (सिरोही): प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नरपतसिंह राजवी, इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री, फोर्टी के एक पत्र से आरम्भ हुआ। जो 8 अप्रैल, 2002 को पहला प्रस्ताव दिया, वह सहभागिता के आधार पर एक इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप करना चाह रहे थे लेकिन आरम्भ में कुछ कारण ऐसी शर्ते रख दी कि भूमि मुफ्त आबंटित की जाए, सस्ती ब्याज दर पर ऋण और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाए और सिर्फ परियोजना की एक ब्राड आउट लाइन दी थी। इसमें कोई डिटेल नहीं दी थी। आरम्भ में उन्होंने 30 करोड़ का विनिवेश और एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसके बाद 10 जून,2002 को एक और पत्र प्राप्त हुआ कोई रीजन बताए बिना 75 से 100 करोड रुपए का विनियोजन और लगभग 15 हजार व्यक्तियों के एम्प्लायमेंट की बात कही। 13 अगस्त को बी आई पी के प्रमोटर्स ने विशिष्टि विवरण परियोजना की तकनीकी और आर्थिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट, वित्त के लिए समझौते का विवरण आदि मांगे जो अभी तक भी कम्पनी द्वारा नहीं दिए गए हैं। फोर्टी से पुन: एक पत्र प्राप्त

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हुआ और निवेश को 100 करोड़ तक बढ़ाकर और रोजगार की संख्या 5 हजार बढ़ाकर बी आई पी ने पत्र लिखा। फिजीबिलिटी रिपोर्ट मांगी लेकिन वह नहीं आने के कारण विलम्ब होता गया। सबसे पहले यह 15वीं बी डी में डिस्कस हुआ और जो जमीन उन्होंने चिह्नित की उसको इकोलॉजिकल जोन होने के कारण अन्य भूमि चिह्नित करने की बात कही। 17.9.2003 को प्री बी डी ने तो पूरी लैण्ड डी एल सी रेट पर देने की बात कही, और बोर्ड ने, बी डी का यह निर्णय था कि 75 प्रतिशत की रीबेट जो डी एल सी रेट पर मांग रहे हैं वह जस्टीफाईड नहीं है, डिटेल प्रजेण्टेशन चीफ सेक्रेटरी के सम्मुख भी रखें। " .. spelling out details of the project and methodology of making land available ..." 17वीं बी डी में वापस इस चीज को डिस्कस किया गया, 16वीं बी डी में जो निर्णय हुआ था उसके बारे में अवगत कराया गया और 25 प्रतिशत डी एल सी रेट पर वह जो जमीन मांगी थी उसको डिस्कस करने के बाद बी डी ने उसको नहीं माना। " ...The Committee was not convinced of the feasibility of setting up of the Park as had been proposed."

प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट स्तर पर सामूहिक रूप से मिलकर अगर कोई ट्रस्ट डवलप करना चाहे तो सिर्फ एक प्रोब्लम आती है कि कंसेसनल लैण्ड कितनी और किस हद तक दी जाए। अगर आज रीको जो जमीन अवाप्त करता है उससे सस्ती दर पर उसने जमीन दूसरों को दे दी तो रीको में सैंकड़ों करोड़ रुपए का जो विनियोजन, है वह भी प्रभावित होगा। एक पेरेलल रीको हम नहीं खड़ा करना चाहते, जितना सहयोग सरकार से हो सकता है, डी एल सी रेट पर लेने की बात प्री बी डी ने भी मानी और कुछ बात बी डी जो भी निर्णय करे शिरोधार्य है लेकिन बिलकुल मुफ्त या 25 प्रतिशत डी एल सी रेट पर जमीन देना सम्भव नहीं था इसलिए अभी तक यह मामला लम्बित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण इसलिए प्रस्तुत किया गया कि सरकार की जानकारी में यह बात आ सके कि किस रूप में हमारे अधिकारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी को गुमराह कर सकते हैं, यह इसका प्रमाण है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सोलहवीं बीडी की बैठक में- ''Federation of Rajasthan Trade and Industry. Board noted that 75% rebate on the DLC rate of land was sought.

(श्री नरपत सिंह राजवी)

The Board directed that the promoters of the Industrial Park in the private sector be advised to make a presentation before the Chief Secretary, clearing spelling out the details of the project and the methodology of making land available to the small scale industrial units."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में सौलहवीं बीडी की मीटिंग हुई और उसमें निर्देश दिये गये कि चीफ सैक्रेट्री के सम्मुख इसका प्रस्तुतीकरण किया जाए। वह प्रस्तुतीकरण भी हो गया और उसका रिजल्ट यह है कि परियोजना की अवधारणा को चीफ सैक्रेट्री ने स्वीकार्य बताया, इसमें तो कोई गलत नहीं है। उसके बाद जो भूमि आबंटन की बात है, जेडीए को इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद में। निर्देश दिये गये जेडीए ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जमीन के बारे में सूचित कर दिया कि नजदीकी कृषि भूमि की प्रचलित दर की 20 परसेंट के बराबर प्रीमियम लिया जाएगा और जेडीए ने यह भी सूचित किया जो फोर्टी द्वारा चिह्नित 110 बीघा भूमि है उसकी डीएलसी रेट 94 हजार रुपये प्रति बीघा है। यह सब हो गया, लेकिन इसके बाद सत्रहवीं बीडी में माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी का निर्णय हुआ और उसके बाद जितनी भी कार्यवाही हुई उसको सत्रहवीं बीडी की बैठक में सूचित करने की बजाय सीधा सा पाइंट यह दिया – ''The request of the Association to allot land at 25% of the DLC rate was considered at length. The Committee was not convinced of the feasibility of setting up the Park as had been proposed." यह कहां से ले आये आप? कौनसी कमेटी ने इसको डिसकस किया और माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो सौलहवीं बीडी की बैठक हुई थी उसके बाद जो-जो कार्यवाही हुई वह सत्रहवीं बीडी की बैठक में क्यों नहीं रखी गई?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें जो फैसले लिये गये उसकी कंपलायंस रिपोर्ट, उसकी सारी डिटेल चीफ सैक्रेट्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसकी सारी रिपोर्ट प्रजेन्ट करने की बजाय सीधा एक लाइन में लिख दिया कि प्रस्ताव रिजेक्ट किया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके अधिकारियों ने यह हेराफेरी की है और आपसे यह गलत उत्तर दिलाया है। आप उच्च अधिकारी के माध्यम से इस संपूर्ण प्रकरण की जांच करवाएं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अध्यक्ष महोदय, न तो हेराफेरी हुई है और न हेराफेरी होगी, एटलिस्ट मैं तो उसका भाग कभी नहीं रहूंगा। आप जो अंश पढ़ रहे हैं चीफ सैक्रेट्री की मंशा बीडी की मंशा से ऊपर नहीं है। बीडी 1998 में शुरू हुई, आप अच्छी तरह से जानते हैं उस अंश में 25 प्रतिशत डीएलसी रेट पर बीडी का निर्णय था कि देना संभव नहीं है। वह इश्यू आज बंद थोड़े ही हो गया है जिस रेट पर बीडी देना चाहे कंसेशनल रेट पर but not at 25%. We can always consider that. It is a good proposition. इन प्रिंसिपल हम एग्री करते हैं, लेकिन एक्वायर करें लेण्ड हायर रेट पर, वह फुट कौन करेगा, सरकारी जमीन कितनी, कहां मिलेगी, यह सारी प्रोब्लम सामने आती है। अभी भी किसी ने कोई गलतबयानी नहीं कही है, सत्रहवीं बीडी अगर आप चाहते हैं 25 परसेंट से अधिक देने को तैयार हैं तो फिर कंसीडर कर लेगे, कहां दिक्कत है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि चीफ सैक्रेट्री बीडी से ऊपर नहीं है, पर आपका वह अधिकारी जिसने यह गलत नोट लिखा है सत्रहवीं बीडी की बैठक में वह तो चीफ सैक्रेट्री के नीचे है। क्या उसको चीफ सैक्रेटी की अध्यक्षता में जो कमेटी में डिसकस हुआ और जो प्रपोजल चले और जेडीए से चिट्ठी आ गई कि हम इसके लिए तैयार हैं, लैण्ड बता दी गई, वह सारी जानकारी और माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो सत्रहवीं बीडी की बैठक हुई, आपने गोल्ड सूक के मामले में क्या किया? एक-एक जानकारी हर बीडी की मीटिंग में दी कि क्या प्रस्ताव दिया है, क्या नहीं है। क्या वर्ल्ड ट्रेड पार्क के मामले में किया? आपने राजस्थान के इन्वेस्टर ..(व्यवधान) सत्रहवीं बीडी की बैठक में आप यह कहां से ले आये, मुझे यह बताओ। ''The Committee was not convinced ..."कौनसी कमेटी, तथाकथित कमेटी का तो बताओ आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): बीडी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बीडी में डिसकस ही नहीं हुआ। सीधा सोलहवीं बीडी की कंपलायंस रिपोर्ट में आपने यह नोट लिखा है। सत्रहवीं बीडी में आपने प्रस्ताव नहीं रखे, सत्रहवीं बीडी में आपने जानकारी नहीं दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कोई व्यक्तिगत आक्षेप आपके ऊपर नहीं है। आपके जिस अधिकारी ने भी यह धृष्टता की है माननीय मुख्यमंत्रीजी को गुमराह करने का प्रयास किया है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने वाली संस्था को

(श्री संयम लोढ़ा)

गुमराह करने का प्रयास किया है। मैं बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप इस प्रकरण की जांच करवाएं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीडी का निर्णय तो बीडी का निर्णय है, न अकेला मैं कुछ कह सकता हूं, न कोई और, वह निर्णय तो बीडी ही करेगी। लेकिन गुमराह करने की बात है, इस सत्रहवीं बीडी में मैं नहीं था, क्योंकि मैं एम्स में भर्ती था अदरवाइज हर बीडी की मीनिट्स होती है, मीनिट्स पर मुख्यमंत्री भी साइन करते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ बीडी, वाइस चेयरमैन के नाते मैं साइन करता हूं, चीफ सैक्रेट्री भी उस चीज का अध्ययन करते हैं, जो पाइंट्स डिसकस किये जाते हैं उसका मैं भी रफ नोट्स उतारता हूं, इसलिए कोई शब्दों की हेराफेरी हो जाए इतनी पोल तो नहीं है, लेकिन चीफ सैक्रेट्री कन्वींस हैं तो कन्वींस तो हम भी हैं कि कंसेपचुअली बिलकुल सही है, लेकिन आज जमीन हम दे दें तो वही सेज वाली बात हो जाएगी कि कंसेशनल रेट पर आपने दे दी। तो दूसरा क्यों नहीं करेगा। यह एक ही फोर्टी है क्या? पीडीसीसीआई क्यों नहीं करेगी, दूसरे चेम्बर आफ कामर्स इण्डस्ट्री क्यों नहीं करेंगे? इसलिए everyone is welcome लेकिन लैण्ड रेट में उतना कंसेशन डिमाण्ड नहीं करें जितना पहले दिया जाता था क्योंकि अब लैण्ड रेट डीएलसी रेट भी काफी इंक्रीज हो गई है और उसका कुशन करना अकेला किसी भी डिपार्टमेंट को इतना बजट मिलता नहीं है, न तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतनी जमीन छोड़ेगा, न जेडीए छोड़ेगा, न इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास में है, फिर भी हम कहते हैं इस इश्यू को हमारी तरफ से कोई बंद दिमाग से हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट डिटेल तो कन्वींस होनी चाहिए। हर यूनिट अगर 15 हजार का दिया है, 100 यूनिट उसमें लगेगी, 50 व्यक्ति हर यूनिट में काम करेंगे और वह अति लघु होगी, अचार बनाने का है, बिस्कुट बनाने का है। मैं कोई पारले का नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री में कितने आदमी हैं, कितनी यूनिट्स हैं जिसमें 50-50 आदमी काम करते हैं1 आप प्रोजेक्ट डिटेल थोड़े ढंग से बनाकर दें, कन्वींस कर दें, आप स्वयं मेरे पास भेज दें, मेरे पास वे आये थे और आप कन्वींस कर दें तो definitely we will try. There is no question of ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप मेरी बात तो सुनिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोट कर रहा हूं सत्रहवीं बीडी के पाइंट ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं। अब क्या स्पष्ट करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब जेडीए ने ...(व्यवधान) जब सोलहवीं बीडी में माननीय मुख्य मंत्री के माध्यम से निर्देश दे दिये, चीफ सैक्रेट्री के यहां मीटिंग हो गई और लैण्ड का प्रपोजल आ गया तो सत्रहवीं बीडी में इन सब पर डिसकस क्यों नहीं हुआ? सत्रहवीं बीडी में आप सोलहवीं बीडी की कंपलायंस रिपोर्ट के नाम पर आपने प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जबकि होना यह चाहिए था कि आप बुलाकर बात करते। माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराते क्या जेडीए का प्रपोजल है, उस पर चर्चा करते, आपने वह कभी भी नहीं किया। यह इन्वेस्टमेंट आपके अधिकारियों की हठधर्मिता और इनकी दया पर निर्भर हो गया है, इसलिए राजस्थान का विकास प्रभावित हो रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आपके समय बहुत विकास हुआ, इसके लिए धन्यवाद। ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे समय में नहीं हुआ तो हम अपना कर्म फोड़कर यहां बैठे हुए हैं, आप भी हमारे जैसे कर्म फोड़ेंगे क्या? ..(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): हम दबाव में नहीं आएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सोलहवीं बीडी में जमीन आबंटित करने की क्या मोडेलिटीज होगी, मैथेडोलोजी क्या होगी, सिर्फ यही कहा है। अगर जेडीए ने पत्र दे दिया तो जेडीए बीडी से ऊपर नहीं है। अगर चीफ सैक्रेट्री ने दे दिया कि मैं सहमत हूं, इतनी जमीन दे दें तो भी संभव नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फिर आपने रिजेक्ट क्यों किया? किस आधार पर बीडी ने रिजेक्ट किया, किस आधार पर आपने लिख दिया जब आपने बीडी में डिसकस ही नहीं किया?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): 25 परसेंट की रेट पर ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जेडीए ऊपर नहीं है, चीफ सेक्रेट्री ऊपर नहीं है तो फिर कौन ऊपर है?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): 25 परसेंट की डीएलसी रेट पर नहीं दिया जा सकता, इसलिए रिजेक्ट किया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, अगर राजस्थान में औद्योगिक

(श्री संयम लोढ़ा)

निवेश लाना चाहते हो तो इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत दिखाओ, राजस्थान की मुख्य मंत्री को इन्होंने गुमराह कर दिया।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): नहीं, नहीं, कोई गुमराह नहीं किया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बताइए ना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण बात नहीं है, मैं फैक्ट्स रख रहा हूं आपके सामने।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण आपने पूछ लिया और कोई स्पष्टीकरण स्पेसिफिक हो तो आप पूछ लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, स्पष्टीकरण पूछा है, मैंने कोई ज्यादा नहीं पूछा। ...(व्यवधान) आप बिराजें, एक मिनट, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बिराजें, एक मिनट मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी ने फैसला कर दिया उसका।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बिराजें। उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत वरिष्ठ विधिवेता हैं, मैं एक निवेदन कर रहा हूं 16वीं बी.डी. की माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में बैठक हुई उसमें कहा कि यह-यह करो वह सब किया गया उसके बाद 17वीं बी.डी. में वह सब जानकारी रखने के बजाय सीधे उस फैसले को रिजेक्ट कैसे कर दिया ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और वह भी 16वीं बी.डी. की कम्प्लायंस रिपोर्ट के नाम पर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जिस अधिकारी ने भी किया है, सच्चाई माननीय मंत्रीजी लोगों के सामने आनी चाहिए और राजस्थान का निवेशक निराश नहीं हो, हताश नहीं हो और उसको जगह जगह भटकाया नहीं जाए इसके लिए जरूरी है कि आप हिम्मत दिखाकर के जांच की घोषणा करो। ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): हिम्मत बहुत है। ...(व्यवधान)...

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सामान्य-सी बात पूछी है माननीय सदस्य ने कि 16वीं बी.डी. की रिपोर्ट को

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

17वीं बी.डी. में दिखाया क्या उसमें डिस्कसन हुआ या नहीं हुआ ? ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने बी.डी. जैसी संस्था को मजाक बना रखा है, मुख्य मंत्री को गुमराह किया है आप लोगों ने। ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): कोई गुमराह नहीं किया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बिलकुल गंभीरता से कह रहा हूं। जो 16वीं बी.डी. में डिस्कस हुआ है उसके बाद जो भी मीटिंग हुई है 25 परसेंट की रेट पर नहीं दे सकते, यह निर्णय हुआ है और यह बी.डी. का निर्णयं है इसलिए डिस्कस होने वाली कोई बात ही नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 17वीं बी.डी. में 16वीं बी.डी. की कम्प्लायंस रिपोर्ट में आपने रिजेक्ट कैसे कर दिया ? आपने 17वीं बी.डी. में तो डिस्कस ही नहीं किया इसको । ...(व्यवधान) आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तो यह बता दें कि 16वीं बी.डी. की रिपोर्ट 17वीं बी.डी. में पढ़ी क्या ? ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): पहले आप थोड़ा ध्यान दें। ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री को गुमराह किया गया है और जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है, मैं कोई कार्यवाही की मांग नहीं कर रहां हूं, मैं जांच की मांग कर रहा हूं और सरकार को जांच करवानी पड़ेगी, यह कोई तरीका नहीं हुआ आपका। ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए, आपका रिकार्ड देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आपने स्पष्टीकरण मांग लिया, जवाब आ चुका है। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया तो सरकार भी अपना कर्तव्य पूरा करे, उपाध्यक्ष महोदय!

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब वाद विवाद नहीं होगा इस पर, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं स्थान ग्रहण कर लूं ? मैं तो कर लूंगा, मैं तो हमेशा ही स्थान ग्रहण करता आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं आपको कह दिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो हमेशा ही आपके आदेश की पालना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो नियमों के मुताबिक है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विषय की गंभीरता को समझिए, यह कोई साधारण बात नहीं है, पूरे राजस्थान का औद्योगिक वातावरण इससे प्रभावित हो रहा है, आपके अधिकारियों का जहां स्वार्थ होता है वहां तो कर लेते हैं और जहां उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है वहां इस तरीके की व्यवस्था नहीं हैं, नहीं है तो जांच करवाओ न आप, आपको जांच करवाने में क्या दिक्कत है ? आप जांच करवाइए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पानी की तरह सारी स्थिति साफ रख दी आपके सामने।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपने कह दिया, आपने जो स्पष्टीकरण मांगा था वह मंत्रीजी ने दे दिया, आगे फरदर वाद विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री जी ने क्या कह दिया, क्या कह दिया 17वीं बी.डी. में डिस्कस हुआ क्या, यह तो कह रहे हैं कि मैं मीटिंग में नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड की बात थी वह कह दिया। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य फरदर ले रहा हूं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है और यह आदेश दे रहे थे आप अपना...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह कोई बहस हुई ? ...(व्यवधान) कंफर्मेशन कैसे होता है, हम जानते नहीं हैं क्या ? उन्होंने कहा पिछली बैठक

(श्री तगाराम चौधरी)

की अगली बैठक में कंफर्मेशन होता है, हम सब जानते हैं, आपने किये ही नहीं होंगे, हमने तो बहुत किये हैं। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी मुख्य मंत्री की शान में चार चांद लगाने के लिए कह रहा हूं कि यह पैसा आएगा तो इनकी इज्जत और बढ़ेगी। ...(व्यवधान) मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है इसमें। ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय मुख्य मंत्रीजी के चार चाँद लग गये और और लग जाएंगे और आप भी थक जाओगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त, अनुदान की मांगें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर वही बात।

श्री उपाध्यक्ष: फरदर डिस्कसन । ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे संतोष है मंत्रीजी, यह कौन सा जवाब हुआ ? ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन की उदारता का यह नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मतलब क्या निकला आप बताइए ? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके कहने से जवाब नहीं देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे कहने से नहीं देंगे, आपके कहने से तो देवें। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो उचित था वह जवाब दे दिया उन्होंने। ...(व्यवधान) फरदर डिस्कसन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब मैंने हाउस में यह प्रमाणित कर दिया कि मुख्य मंत्री को गुमराह किया गया है तो आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, मंत्रीजी, जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको अच्छी तरह से विदित है कि इस पर आगे वाद विवाद नहीं होगा, स्पष्टीकरण आपने मांगा, स्पष्टीकरण दे दिया गया है इसलिए चर्चा समाप्त।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो ऐसी निवेश विरोधी उद्योग विरोधी सरकार के विरोध में मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री संयम लोढ़ा, माननीय सदस्य ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री उपाध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार। श्री रामनारायण डूडी। ...(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: क्या इंफार्मेशन है ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो बिराजो, पाइंट आफ इंफार्मेशन यह है कि राजस्थान के एक मंत्री के द्वारा संविधान के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन करने के संबंध में हजारों लोगों का प्रदर्शन जयपुर में विधान सभा के बाहर हो रहा है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो शपथ ली है जो कांस्टीट्यूशन की जो शपथ है, उस शपथ में है कि दुर्भावनापूर्ण काम नहीं करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था हो चुकी है। माननीय सदस्य पहले स्थगन प्रस्ताव दे चुके हैं व आसन से व्यवस्था हो चुकी है। ...(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किसी से राग और द्वेष नहीं रखेंगे, किसी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ...(व्यवधान).. जिस प्रकार की शपथ माननीय मंत्री महोदय ने ली है। ...(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये इस पर नहीं बोल सकते।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह उस शपथ का खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, मैं शपथ पढ़ कर सुनाता हूं। संविधान के तहत जो शपथ है उसमें लिखा है कि कोई भी मंत्रिमण्डल का सदस्य दुर्भावनापूर्ण, गलत तरीके से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य इस पर चर्चा नहीं होगी...(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किसी भी आदमी के प्रति कोई भी दुर्भावनापूर्ण निर्णय नहीं करेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय !

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई नई सूचना नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको याद होना चाहिए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन माननीय श्री मदनजी दिलावर ने कोटा में जो भाषण दिया उससे साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो, कोई रिकार्ड पर नहीं आएगा। ...(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री उपाध्यक्ष: यह पाइंट आफ इंफार्मेशन, आप दूसरे नियमों के अन्तर्गत आइए। ...(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप सदन का समय जाया कर रहे हैं। ...(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आसन पैरों पर है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, आपने बिना आसन की परमिशन के पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन दी जबकि यह

(श्री उपाध्यक्ष)

मुद्दा पहले हाउस में आ चुका था और कोई इमिजिएट इन्फार्मेशन का मसला नहीं है। अगर आप इसके बावजूद भी यह रवैया... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन हो गया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय।

सूचना

हकीकत पुस्तक पर रोक

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर दो बार पूर्व में चर्चा हो गई। मैंने सभी विषय पर आपके सामने जो भी हकीकत थी वह रखी। जिन लोगों ने आज यह प्रदर्शन किया उनकी बात है कि उनकी सुरक्षा नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने जिन लोगों ने भी इन पर हमला किया या इनकी कहीं स्कूल पर कोई नुकसान किया उनके खिलाफ 11 मुकदमें दर्ज किये, 66 लोगों की जमानत हुई, 4 लोग अभी भी 17 दिन से जेल में हैं। मैं सोचता हूं कि हमने किसी धर्म और जाति के आधार पर नहीं, कानून के तहत जो अधिकार हमें हैं उसके अनुसार जो भी कोई उसे तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और हमने बखूबी बांसवाड़ा के अन्दर भी जो घटनाएं आज से तीन महीने पहले हुई, उनमें भी सभी पर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ चालान पेश किया। हमने जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। जिसने गलती की उसके खिलाफ कार्यवाही की। केवल इस विषय को उठाकर के आप अपनी पहुंचाना चाहते हो। जो हकीकत पुस्तक मेंधा, मैंने उस दिन भी कहा कि उसको आप मत उधेड़ो, उससे लोगों की भावनाएं भड़केंगी। जिस शांति को हम चाहते हैं वो शांति नहीं हो पायेगी। उनके मन में अगर कोई बात है, वो कहना चाहते हैं वो आये हैं, कहें। लोकतंत्र में उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको जुलूस निकालने का अधिकार है, हम उस अधिकार को नहीं रोकते। वो अपनी बात को जिस तरह से कहना चाहें, कहें लेकिन मैं इस सदन में उनको नहीं, राजस्थान की 6 करोड़ जनता को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर कानून तोड़कर किसी के साथ कोई किसी प्रकार की हरकत करेगा तो उससे कठोरता से निपटूंगा, इसमे किसी के साथ कोई लिहाज नहीं होगा।

दूसरा, जिसने गलती की है, जिस पुस्तक को छपाकर, जिसका उसने हिन्दी अनुवाद करवाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का जिस लेखक ने, जिस व्यक्ति थॉमस ने प्रयास किया उनमें से पांच लोग गिरफ्तार हो गये, बाकी बचे हुए दो लोग हैं वो भले ही लाख दबाव बनायें, वो बच नहीं सकता। उन्हें गिरफ्तार करूंगा और उसे सज़ा दूंगा।

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):xxx

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना नियमों के कैसे कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या दिखा रहे हैं ? (व्यवधान) यह कोई तरीका है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते थे ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई चर्चा नहीं होगी इस पर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप व्यवधान कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कोई चर्चा नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

अनेक माननीय सदस्य: xxx

श्री संयम लोढ़ा: xxx

श्री रणवीर सिंह गुढा: xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया: xxx (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा: xxx

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित: xxx

श्री मदन दिलावर: xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया: xxx

श्री विजय बंसल: xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित: xxx

श्री कनकमल कटारा: xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया: xxx

श्री सी.डी.देवल: xxx (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: xxx

श्री संयम लोढ़ा: xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित: xxx

श्री कनकमल कटारा: xxx

श्री वासुदेव देवनानी: xxx

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: xxx

श्री मदन दिलावर: xxx

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित: xxx

श्री मदन दिलावर: xxx

श्री रणवीर सिंह गुढा: xxx (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक: xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह मीणा: xxx

श्री जुबेर खान: xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन: xxx

श्री अशोक(खण्डार): xxx

श्री रामनारायण डूडी: xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन: xxx

श्री जुबेर खान: xxx

श्री रघुवीर सिंह मीणा: xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: xxx

श्री रामनारायण डूडी: xxx

श्री अशोक (खण्डार): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन: xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़: xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़: xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन: xxx (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.45 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

पुन: समवेत होने पर

(समय :15.15 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है। 15.45 पर मिलेंगे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.15 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

पुन: समवेत होने पर

(समय :15.45 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था

सदन में सदस्यों के कदाचार के प्रकरण में अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे बड़ा खेद है इस बात का, कि बहुत महत्त्वपूर्ण मांगों पर आज चर्चा होनी थी और सदन में बिना किसी बात के तनाव हो गया । उस तनाव में बहुत कुछ ऊट-पटांग राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया और फिर उत्तेजना में रघुवीर सिंह मीणा का व्यवहार भी जिस तरीके से उनकी तरफ चलकर जाने का हुआ, मैं दोनों ही माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहती हूं कि वह खेद प्रकट करें । जो कुछ सदन में उन्होंने बोला उसके लिये राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य खेद प्रकट करें और सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी हालांकि वह काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, कई बार सदन में आ चुके हैं, पता नहीं कैसे इतने उत्तेजित होकर उनकी तरफ चल पड़े । मैं समझती हूं राजस्थान विधान सभा के इतिहास में इस तरह की घटना

(श्री अध्यक्ष)

पहली बार हुई है । दोनों ही माननीय सदस्य इस बात के लिये खेद प्रकट करें तो सदन की कार्यवाही आगे चलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य सीनियर हैं पहले वह कर लें ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसमें कोई सीनियर जूनियर का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जगह छोड़कर वह गये हैं ।

श्रीमती ममता शर्मा: जिसने पहल की वह पहले करें ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी ।

मोहम्मद माहिर आजाद: आप आसन को डिक्टेट मत कीजिए ।

श्री अध्यक्ष: आसन जब पांवों पर है तो माननीय सदस्य क्यों खडे होते हैं । मैं न उनसे डिक्टेट होऊंगी, न मैं आपसे डिक्टेट होऊंगी आसन अपना स्वयं निर्णय करेगा । राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, आपने इतनी उत्तेजनात्मक बातें कहीं हैं कि उनको सुनकर किसी का भी उत्तेजित होना स्वाभाविक है इसलिए मैं चाहूंगी आपने जो कुछ कहा है उसके लिये आप पहले खेद प्रकट करें और उसके बाद सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी खेद प्रकट करें कि वह क्यों बढ़कर वहां गये। (व्यवधान) नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कोई बीच में बोलने का प्रयत्न नहीं करे ।

श्री मदन राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहूंगा हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा था कि यह नकली हिन्दू हैं उनको भी माफी मांगनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री मदन राठौड़ : और वह भी एक एस.सी. के व्यक्ति को, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इन्होंने यह शब्द कहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें । राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आप खेद प्रकट नहीं करना चाहते हैं और आप खेद प्रकट नहीं करते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप सदन छोड़कर चले जायें क्योंकि कोई भी सदस्य किसी भी बात के लिये यदि सदन में अपना खेद प्रकट करता है तो वह छोटा नहीं होता है बल्कि और अधिक संजीदा कहलाता है । इसलिए

(श्री अध्यक्ष)

मैं चाहूंगी कि आप खेद प्रकट कर दें । आपने जो कुछ कहा वह उचित नहीं कहा है, मैंने सुना है टी.वी. पर, इसलिए आप खेद प्रकट कर दें ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद): अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है मुझे नकली हिन्दू कहा गया है, मैं खेद प्रकट नहीं करूंगा मैं बाहर जा रहा हूं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो कुछ पिछले डेढ़-दो घंटे में घटा वह बहुत ही खेदजनक रहा है और मैंने आपसे निवेदन किया कि यह कल-परसों गृह मंत्रीजी के जिस वक्तव्य पर सारा सदन यह महसूस कर रहा था कि वह अंश भी नहीं पढ़े जायें, गलतियां हुई हैं...

श्री अध्यक्ष: सदन में किसी के भी मुंह से कोई भी ऐसा शब्द निकल सकता है जो किसी दूसरे के लिए अपमानजनक हो या असंसदीय हो। उन्होंने यदि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो क्या फर्क पड़ता है आप जाकर उनसे कहिये खेद प्रकट कर देंगे। खेद प्रकट करने से कोई यहां पर छोटा तो नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर जो कुछ हुआ निश्चित तौर पर आपका मन दुःखी है उसी तरह हमारा मन भी दुःखी है। चूंकि माननीय सदस्य नये हैं, हम उनको नियंत्रित करने का प्रयास भी करेंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं उनकी तरफ से क्षमायाचना करता हूं। वैसे तो, अध्यक्ष महोदय, यह भी सच है कि वरिष्ठ सदस्य होने के पश्चात् भी सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जिस अदा से वहां गये, आपने खुद ने देखा हो, जिस अदा से वह वहां चलकर गये, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को और हमारे संसदीय सचिव भवानी सिंहजी को, अगर यह दौड़कर बीच में खड़े नहीं होते तो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है। यह क्या तरीका हुआ? संसदीय कार्य मंत्रीजी आप लड़ाने का काम करते हो। जब अध्यक्षजी के चैम्बर में बात हो गई, किस परपज से खड़े होकर यह कहेंगे... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय ने जब एक बात कही और उसको आप लीपा-पोती करें यह गलत बात है। माननीय सदस्य को खेद व्यक्त करना चाहिये।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मैं खेद व्यक्त करता हूं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते। जो कुछ हुआ वहनहीं होना चाहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद: नहीं-नहीं।(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: आप क्यों कर रहे हैं खेद? (व्यवधान) खुले आम सदन के आदेशों की अवहेलना करके और कहकर चले गए कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही और मैं खेद व्यक्त नहीं करूंगा। उसको आप डिफेंड कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: अध्यक्ष महोदय, ठीक व्यवहार यह इनका भी नहीं है। मोहम्मद माहिर आजाद और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, ने भी भड़काने का काम किया (व्यवधान) और जिस प्रकार हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, इन्होंने यह कहा हमारे मंत्री के लिए (व्यवधान) इस प्रकार के शब्द प्रयोग किये हैं मंत्री के लिए, एस.सी. जाति का है, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनको पता नहीं, क्या होता है हाउस।(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए, हिण्डौली के माननीय सदस्य ने नकली हिन्दू शब्द का प्रयोग किया है। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है और इस सदन का समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़: गलत बात है, सबसे पहले वह माफी मांगे। (व्यवधान) आग लगाने का काम यह नगर के माननीय सदस्य करते हैं। यह आग में घी डालने का काम करते हैं।

श्री महीपाल यादव: यह इनकी साजिश है कि किसानों पर चर्चा नहीं हो। यह बोल रहे हैं, आपकी व्यवस्था नहीं मान रहे।

श्री मदन राठौड़: आग लगाते हैं हिण्डौली वाले और घी डालने का काम नगर वाले करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, राजसमंद से आने वाले सदस्य, फिर आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप खेद प्रकट दें। आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकली है तो, खेद प्रकट करने से आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। यह सदन की गरिमा है और इस सदन में कोई खेद प्रकट करता है तो छोटा नहीं होता। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बार (व्यवधान) बोलने का, अभी बीच में नहीं।

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में नहीं बोले, उनको बोलने दें।

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी भावना किसी माननीय सदस्य के दिल को आहत पहुंचाने की नहीं थी, न मैंने आज दिन तक, किसी की भावना को आहत पहुंचाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे मुखिया हैं और आपके सदस्यों का किसी सदस्य के द्वारा कोई अपमान होता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो कुछ न कुछ हलचल जरूर पैदा होती है।

श्री अध्यक्ष: अब हो गई। (व्यवधान) कर दो, कर दो।

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि मैंने किसी का (व्यवधान) बीच में नहीं बोलने की मैं बोल रहा हूं, बोलने दें।

श्री अध्यक्ष: सुनो, उन्हें शांति से।

श्री बंशीलाल खटीक: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मुझे थोड़ा-बहुत बोलना तो पड़ेगा ना। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कई-कई बार मुझे कीड़ा कहा गया, मकौड़ा कहा गया, मैं कुछ नहीं बोला। हर बार मुझे इस प्रकार कहा जाता है, मैंने कुछ नहीं कहा, पर ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या मतलब हुआ, वह चाहे जाए, गलत कोई काम किसी ने किया तो उसे...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह कोई बात नहीं हुई। वह खेद प्रकट कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान) कि उत्तर प्रदेश में याकूब साहब ने कहा कि मुसलिम पहले हूं मंत्री बाद में हूं, भावनाओं की बात है। अब आप भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, जब यह बात तय हो गई, हम बड़ी मुश्किल से समझाकर लाये हैं लेकिन यह बात सही है कि उनको यह शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: काहे को कर रहे हो इस बात को?

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब यह तय हो गया और वह खेद व्यक्त करने के लिए तैयार है (व्यवधान) आपके सदस्य चले गये।

श्री रामनारायण चौधरी: किसको सुना रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आपको कह रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी: मैंने तो देख लिया, आंखों से देख रहे हैं, सुनने की क्या जरूरत है। जो चीज आंखें से देख रहे हैं उसको सुनने की जरूरत होती है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, आंखों से हम भी इस कांग्रेस विधायक दल की दुर्दशा देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि जब तक सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खेद प्रकट नहीं करेंगें जब तक सदन में आने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने खेद प्रकट कर दिया, अब वो भी खेद प्रकट कर दें, आगे हाउस चलाइये।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं खेद व्यक्त कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: जब मैं खेद व्यक्त कर रहा था मुझे अनुमति नहीं दी आपको अनुमति कैसे मिलेगी ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: आपके माननीय सदस्यों ने हमें बहुत गंदी गालियां दीं। ऐसी गाली जो भयंकर से भयंकर गाली है उस गाली के बदले में वह खेद भी व्यक्त नहीं करें, बात सुन लीजिए, अगर वह खेद भी व्यक्त नहीं करें तो क्या कराओगे प्रशंसा, कौन करेगा..(व्यवधान) हमारा जो सदस्य है इस तरफ वाला, वह चलाकर उधर गया है लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। चलाकर उधर गया है।

श्री अध्यक्ष: वहां क्या, वह मारने के लिए गया था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: चलाकर गया है, चलाकर जाने पर, आपने तो हमें जाने क्या बना दिया, उससे उत्तेजित होकर वह उधर गया, कोई हरकत नहीं की, कोई पोजीशन चेंज नहीं की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपने स्थान से उठकर उनके पास चला गया, हरकत नहीं की, यह हरकत नहीं तो क्या है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: हरकत इतनी हुई, जबान से कोई गाली नहीं निकाली। गुस्से में गया, जाकर कोई हरकत नहीं की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हरकत तो रोक ली। अपने स्थान से उठकर वहां जाने का मतलब क्या था, यह बताइये मुझे ?

श्री रामनारायण चौधरी: यह प्रिजम्प्शन है।

श्री अध्यक्ष: अपने स्थान से उठकर वहां जाने का मतलब क्या था?

श्री रामनारायण चौधरी: माननीया, प्रिजम्प्शन में सज़ा नहीं होती। प्रिज्यूम नहीं होता है, होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। आप कुछ भी कहें, प्रिजम्प्शन है वह उधर गया है यह बात सही है । गया है यह बात गलत है, नहीं जाना चाहिये था। जाने वाली बात है वह निंदनीय है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं सदन से। हमारी पार्टी को आप माफ कर दीजिए और अध्यक्ष महोदय, आप हाउस चलाइये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हर बार ऐसे ही काम चलाते रहोंगे क्या? (व्यवधान) अभिव्यक्ति की तो, नेता महोदय, स्वतंत्रता है, उसमें कोई असंसदीय शब्द बोल दे तो उसको तो डिलीट किया जा सकता है, पर यह कोई अधिकार नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी: इतना होने के बाद भी आप जटबुद्धि लगाते हो तो इसमें मुझे खेद है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आप तो चालू करा दीजिए साहब बिजनेस अब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का आचरण अमर्यादित, अशिष्ट, नियमों और संसदीय प्रकियाओं के बिलकुल विपरीत है इसलिए जब तक वह क्षमा नहीं मांगेगें तब तक सदन में आने की अनुमति नहीं होगी।

श्री रामनारायण चौधरी: इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना आसन मान रहा है। गलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है और वह उत्तेजना में उधर बढ़े यह भी बात सही है।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2006-07

अनुदान की मांगों की प्रस्तुति

राजस्व, मांग संख्या-8

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान, वर्ष 2006-07 पर, श्री रामनारायण डूडी, कर दिया था, करिये। मांग संख्या-8, राजस्व।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 अरब, 25 करोड़, 46 लाख, 57 हजार तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण दवे, मांग संख्या-9 वन।

वन-मांग संख्या-9

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2 अरब 55 करोड़ 35 लाख, 20 हजार तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, अनुदान की मांग संख्या-37, कृषि।

कृषि, मांग संख्या-37

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-37, कृषि के सम्बन्ध में, 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2 अरब 96 करोड़ 41 लाख 52 हजार तक की राशि प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता के साथ बहुत सहानुभूति है।

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। (अनुपस्थित) श्री रामचन्द्र सराधना, नहीं हैं, जुबेर खान नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नाम तो पुकारें।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल पाटीदार। (अनुपस्थित) श्री रामकिशोर मीणा।

मांग संख्या 8, 9, 37 पर विचार

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग

(श्री रामकिशोर मीणा)

संख्या-8, जो राजस्व के सम्बन्ध में है, उसके बारे में प्रस्तुत बजट में जिस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं, उनके लिए मैं मंत्री महोदय का तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में राजस्व के तहत बहुत अच्छे कार्यों का लेखा-जोखा बनाया है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है, इस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं कि राजस्व के सम्बन्ध में जितनी भी कठिनाइयां किसानों को आती हैं उनको समय पर यदि लागू कर दिया जाए तो किसानों का हम बहुत बड़ा हित कर सकते हैं। आये दिन किसानों को जो एक बार राजस्व से सम्बन्धित कोई मामला आ जाता है, चाहे वह बंटवारे के समबन्ध का हो, चाहे उसके नामान्तरण का मामला हो, लम्बे समय से वह अदालतों के विवादों में रहते हैं और कई बार तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी राजस्व से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता है और उसके कारण से जो आशा लेकर बैठा रहता है किसान कि हमारे साथ न्याय होगा, उस में देरी होने की वजह से उसको पूरा न्याय नहीं मिल पाता है।

माननीय मंत्री महोदय, लगातार इस प्रकार से प्रयासरत हैं कि काश्तकारी अधिनियम जो बहुत पहले का बनाया हुआ था उस पर समय-समय पर काफी संशोधन हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने एक समिति बनाकर के जो मंत्रिमण्डलीय उप समिति है, नया काश्तकारी कानून लागू करके और इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं जिस तरह बजट के प्रावधानों के अन्तर्गत किसानों को त्वरित और जल्दी न्याय मिले इसके लिये मेरा निवेदन है कि इसको जितना शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए, इसका एक्ट बनाया जाए, उतना ही काश्तकारों के हित में होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पंचायत, पटवार मण्डलों, तहसील मण्डलों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। आज पंचायत और पटवार मण्डल अलग-अलग होने की वजह से वहां पर समय पर न तो एक साथ उपस्थित हो पाते हैं मीटिंग्स में और उसके कारण से जो निस्तारण होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि चाहे वह पटवार मण्डल हो, चाहे तहसील के नये पुनर्गठन का मामला हो, पंचायत समिति तथा तहसील दोनों एक साथ हों। उनका एरिया एक जैसा हो तो इसमें हमको बहुत ज्यादा सुविधा मिल सकती है। इस प्रकार से प्रत्येक पंचायत में एक पटवार मण्डल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। रेवेन्यू केसेज में कितनी जल्दी हम उसको

(श्री रामकिशोर मीणा)

न्याय दिला सकते हैं, इस प्रकार का एक्ट होना बहुत बड़ी आवश्यकता है कि समय-बद्ध तरीके से इस प्रकार के प्रावधान किये जाएं ताकि जल्दी से जल्दी काश्तकारों को न्याय मिल सके। इस सन्दर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से विशेष अभियान हमको चलाने की आवश्यकता राजस्व मामलों में पड़ती है, यदि समय पर हमारे अधिकारी, कर्मचारी काश्तकारों की समस्याओं को सुलझा दें तो इस प्रकार की आवश्यकता पड़े ही नहीं। जो समय निर्धारित कर दिया जाए तो काश्तकार अपने समय के हिसाब से अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। आज नकल देने में या अन्य प्रकार की गतिविधियों में सरकार की तरफ से लगातार और प्रयास किये जा रहे हैं कि समय पर नकल मिले। विभाग में समय-समय पर कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। तहसील स्तर पर भी आज काश्तकारों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने लगी है। एक ही स्थान पर काश्तकारों को सब प्रकार की सुविधा मिल रही है, लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो पटवार सर्विसेज में इस प्रकार की व्यवस्था है कि इस महकमे को बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार का महकमा माना जाता है, एक कहावत भी है कि 'नीचे पटवार, ऊपर करतार',यदि इस व्यवस्था को हमें बदलना है तो हमारा जो पटवारी है उसको आगे बढ़ने के लिये हमको बहुत ज्यादा कुछ-न-कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे। यदि हम उसको प्रमोशन के ऐवेन्युज ज्यादा देंगे तो वह ईमानदारी से और समय पर काम करने का प्रयास करेंगे। आज 15-15, 20-20 साल बाद में भी कई मामले ऐसे हैं जिसमें पूरी सर्विस निकल जाती है लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। इस प्रकार से जो गिरदावर सर्किल है, गिरदावर का जो एरिया है, यह गिरदावर सर्विसेज के कैडर को ही खतम कर देना चाहिए। कई मामलों में तो पटवारी की 20-25 साल की सर्विस के बाद में तहसीलदार की तनख्वाह और पटवारी की तनख्वाह एक जैसी हो जाती है। लेकिन उसको प्रमोशन के एवेन्यूज नहीं होने की वजह से वह अपनी सेवाएं पूरी तरह से नहीं दे पाता है और वह फिर बाद में गड़बड़ियां करता है जिसके कारण से यह महकमा बदनाम होता है।

इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, हमारे आदिवासी भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या थी, मगरा और टीबा, इसके नाम से रिकार्ड में मामले दर्ज थे, उसके कारण से वह लगातार पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसमें काश्त करते आ रहे थे लेकिन कभी 90 की कार्यवाही के द्वारा या कई बार वन विभाग के द्वारा उनको बहुत

(श्री रामकिशोर मीणा)

ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। मैं आपके मार्फत माननीय राजस्व मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 21 हजार से ज्यादा आदिवासियों को विशेष अभियान चलाकर के उनको खातेदारी अधिकार दिये हैं, उनके लिये बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिये वे साधुवाद के पात्र हैं।

व्यवस्था

सदस्य को सदन छोड़ने का निर्देश

श्री अध्यक्ष: सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने आपको सदन छोड़ने के लिये कहा था। या तो आप क्षमा मांगें, वरना आप सदन छोड़कर चले जाएं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किस बात के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा मांगें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है, किस बात की क्षमा, जब आपने स्वयं ने टी.वी. देख लिया कि जूते का सवाल था ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: मैं कुछ नहीं सुनना चाहती इस बारे में। मैंने अपना निर्णय दे दिया। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो फिर आप सबको निकलवा दीजिए। फिर अध्यक्ष महोदय, आप सबको निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। नहीं-नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप मार्शल को बुलाकर सबको निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आसन से व्यवस्था हो गयी है। अध्यक्षीय व्यवस्था के विपरीत मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने पूरी तरह से टी.वी. देख लिया कि माननीय सदस्य ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, जूते से संबंधित और यह व्यवस्था हो गयी कि उनके बारे में कोई बात नहीं होगी तो फिर क्या बात है बाहर निकालने की? इतने शालीन सदस्य हैं। आप स्वयं पिछले 12 साल से जानती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्षः मैंने इसके बारे में व्यवस्था दे दी है। मैंने व्यवस्था दे दी। मैंने व्यवस्था दे दी और मैंने व्यवस्था में यह कहा है कि इस प्रकार अपनी सीट छोड़कर उनकी तरफ तेज गति से जाना, अमर्यादित, अशिष्ट, नियमों और संसदीय प्रक्रियाओं के बिलकुल विपरीत है और वे जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक सदन में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्षः वह सब देखने के बाद मैंने निर्णय दिया है। वह देखने के बाद ही मैंने निर्णय दिया है। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री अध्यक्षः 1952 से लेकर 2002 तक ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्षः नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी रूलिंग रिव्यू नहीं होगी। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री अध्यक्षः काहे को सुनाओ आप वही बात? आप विराजिये, स्थान ग्रहण कर लीजिए ।... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री अध्यक्षः सन् 1952 से लेकर 2002 तक भैरोंसिंहजी शेखावत, जो उपराष्ट्रपति हैं आज के दिन, वे इस सदन के सदस्य रहे हैं और कई बार उन्होंने यहां पर क्षमा मांगी है। सदन की गरिमा से बढ़कर किसी का सम्मान नहीं हुआ करता है इसलिए ऐसा किसी से भी कोई आचरण हो जाए तो क्षमा

(श्री अध्यक्ष)

मांगने में वह कोई छोटा नहीं होता है इसलिए पुन: मैं आपसे आग्रह करूंगी सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, कि आप खेद प्रगट कर दें। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा कि दोनों क्षमा मांगेंगे। मैंने यह कहा कि दोनों मांगेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने यह कहा कि राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य भी मांगेंगे और सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी मांगेंगे। मैंने यह कहा है। खैर, अब आप डिमांड्स पर चर्चा नहीं होने दें, मर्जी आपकी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्ष: आसन की व्यवस्था रिव्यू नहीं होगी। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्ष: मैं सदन की गरिमा को बनाये रखना चाहती हूं। मैं किसी का गला नहीं घोटना चाहती। मैं सदन की गरिमा बनाये रखना चाहती हूं ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्ष: नहीं करूंगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैठो न। सुन ली बात। अध्यक्षीजी ने भी सुन ली और मैंने भी सुन ली। पूरा हाउस सुन रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने जिस तरीके से गालियां निकालीं, जिस तरह से गालियां निकालीं और उससे उत्तेजित होकर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गाली तो नहीं निकाली, ऊटपटांग बातें कहीं। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, यह कह देना की तुम ईसाई की औलाद हो, इससे बढ़कर क्या गाली निकलवाओगी? ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात तो खतम कर लेने दो। ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात तो आप सुनने दीजिए, बीच में आप खड़े हो गये।...(व्यवधान) मैं कहता हूं कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने अभद्र भाषा के अन्दर गंदी गाली निकाली उससे माननीय सदस्य उत्तेजित हो गये। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलिये मत आप। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उत्तेजित होकर वे इधर गये भी, बढ़े, अब उसमें जूता तो नहीं था हाथ में। वे खाली हाथ थे। नहीं-नहीं, अब सारी बातें ऐसे मत करो, कोई तो सच बोलो। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। आप सुनिये प्रतिपक्ष के नेता को, आप बीच में नहीं बोलें। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और हाथ से हरकत भी कोई ऐसा मुक्का लिया हो, जो आकर मारना चाहते हो, देखिये खाली हाथ यूं करके बता दें, तो जब तक वह मुक्का नहीं बांधे तब तक कोई अपराध नहीं बनता है। अपराध नहीं बनता है। मुक्का देखिये, तब तो वह बात समझ में आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी आपकी प्रतिष्ठा, सदन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय, आप का जो निर्णय है वह हमारे लिए कठोर है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

आपके लिये अति कठोर नहीं है क्योंकि आपने तो हमें रंग से बदरंग कर दिया, इससे बड़ी गाली क्या होगी ? बदरंग कर दिया, हम चले गये। उस समय उत्तेजित होकर माननीय सदस्य बढ़ गये, उसके लिये मैंने खेद व्यक्त कर दिया आप सबके सामने। अब आप अध्यक्ष महोदय को मनाइये और इतना बड़ा सख्त कदम मत उठवाइये। आप लोग यहां नहीं तो उनके चैम्बर में बात कर लीजिये। इतना बड़ा सख्त कदम न उठायें, मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आसन निष्पक्ष है, न आपके कहने से मानता है, न इनके कहने से मानता है। मैंने व्यवस्था दे दी, निष्पक्ष तौर से दी है। दोनों को क्षमा मांगनी पड़ेगी। उन्होंने क्षमा मांग ली, वह चाहे तो मांगे, नहीं सदन से उठकर चले जायें। ...(व्यवधान)..

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको मालूम है बंशीलालजी रोजाना यह बातें करते हैं हर बार। बार -बार बीच में व्यवधान करते हैं। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: क्या कहना चाहते हो, आपके पास क्या कहने को है? क्या कहना चाहते हो, आपके नेता बोल लिये, अब क्या कहोगे नेता के बाद में? नहीं, अंकित नहीं हो। ...(व्यवधान).. आपके नेता बोल लिये उसके बाद आप क्या कहेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री श्रवण कुमार : xxx

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री रणवीर सिंह (गुढा):xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री महीपाल यादव : xxx

डा. सी.पी. जोशी: xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन: xxx

डॉ. सी.पी. जोशी: xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): xxx

श्री जयराम जाटव (खैरथल): xxx

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सत्ता पक्ष बहुत कठोर रवैया अपना रहा है। संसदीय कार्य मंत्री और गवर्नमेंट चीफ व्हिप और आप सब लोगों ने हमें संकर से वर्ण संकर कर दिया। आपने नाजायज औलाद करार दे दिया और ईसाई की औलाद बताना क्या हुआ? ईसाई की औलाद आपने बता दी, इससे ज्यादा और क्या कहोगे? इसके बाद भी आप कहते हैं यह उचित निर्णय है। मैं कहता हूं यह कठोर निर्णय है। जब मैंने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया उसको भी आप स्वीकार नहीं करने देते हो तो फिर...(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री कालीचरण सराफ : xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कितनी बड़ी गालियां निकाली हैं, सदन ने सुनी है। अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में ...(व्यवधान).. आप मेरे को पाठ मत पढ़ाओ। मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आगे सरकार के जो रिप्रजेन्टेटिव बैठे हैं, उनसे बात कर रहा हूं । हर आदमी खड़ा होकर अपना भाषण दे रहा है, यह बात नहीं होनी चाहिये। यह क्रूशियल स्टेज पर है। आप यह चाहते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। आप एक तरफा चुपचाप करें तो हमें क्या आपत्ति है। आपका बहुमत है, कर सकते हैं। हम लोगों को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। हम इसको और ज्यादा बढ़ायेंगे तो हमें मार्शल से भिजवा देंगे। मार्शल से पार नहीं पड़ेगी तो आप पुलिस बुला लेंगे। सब आपके अधिकार में हैं। लेकिन आप इतना क्यों बढ़ा रहे हो? बढ़ाने के पीछे कोई भी लोजिक नहीं है, कोई आर्ग्युमेंट्स नहीं हैं। यह तो आपको राज़ी करने के लिये आसन ने कह दिया। ...(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, हाइली ऑब्जक्शनेबल। यह आसन न सत्ता पक्ष के कहने से चलता है, न प्रतिपक्ष के कहने से चलता है, बिलकुल नियमों के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करती हूं और आप इस तरह से चार्ज लगायेंगे, यह उचित बात नहीं है। गलत बात है। ...(व्यवधान)..

श्री रामनारायण चौधरी: मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूं। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप यह समझ रहे हैं मैंने इनको राजी करने के लिये किया है। आप यह समझ रहे हैं? ...(व्यवधान)..

श्री रामनारायण चौधरी: लेकिन किसी के प्रति सोफ्ट, किसी के प्रति हार्ड, ऐसा रवैया आसन का हर बार रहा है, हर युग में रहा है। किसी के प्रति सोफ्ट किसी के प्रति हार्ड, यह परम्परा है पार्लियामेंट प्रैक्टिस की, किसी के प्रति सोफ्ट, किसी के प्रति हार्ड । ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: ऐसा आप करते होंगे, जब आप थे तब। आप यहां विराजते थे तब करते होंगे। मैं तो बिलकुल निष्पक्ष हूं। न सत्ता पक्ष का कहना मानती हूं, न आपका, जो नियमों के अनुसार मुझे उचित लगता है वही करती हूं। ...(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ी सोफ्ट हो जाएं आसन थोड़ा सोफ्ट हो जाएं। इतना हार्ड निर्णय नहीं लेकर थोड़ा सोफ्ट हो जाएं आप, क्या दिक्कत पड़ती है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री अध्यक्ष: मैं हाउस को एडजोर्न भी नहीं करूंगी और मैं यह भी चाहूंगी कि यहां से सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य उठकर चले जाएं ताकि कार्यवाही आगे चले।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज आसन ने विकराल रूप धारण कर लिया।

श्री अध्यक्ष: मैंने कोई विकराल रूप धारण नहीं किया। आसन यूं आपके कहने से नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री सी.डी.देवल : xxx

श्री अध्यक्ष: खामाख्वाह में समय व्यतीत कर रहे हैं। व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। आप व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। ...(व्यवधान) ..आसन ने जो व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ...(व्यवधान)..

श्री अमराराम (धोद): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: आपके कहने से कैसे तैयार हैं, मैं तैयार होऊंगी जब होगा न काम। क्या बात कर रहे हैं आप? ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो प्रतिपक्ष के साथ हैं। इनकी पार्टी के लीडर हैं।

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप जानते हैं इस बात को कि कोई किसी को गाली देता है और वो जब झपट्टा मार के उसे मारता है तो मुकदमा मारने वाले के खिलाफ बनता है, गाली देने वाले के खिलाफ नहीं बनता है।

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए, आसन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए यदि खेद प्रकट करते हैं माननीय सदस्य तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सदन की गरिमा बढ़ती है, आसन की प्रतिष्ठा बढ़ती है इससे, क्या तकलीफ है उनको खेद प्रकट करने में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री अध्यक्ष: आप व्यर्थ समय गंवा रहे हैं।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशोरजी मीणा, आपने कम्प्लीट कर लिया अपना? हां तो फिर बोलिये, प्रारम्भ करिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यु बोर्ड में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रघुवीर सिंह मीणा, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य सदन, छोड़ कर चले जाएं। सदन छोड़ कर चले जाएं आप। सदन छोड़ कर चले जाएं, आप से मैं कह रही हूं आप सदन छोड़ कर चले जाएं। आप सदन छोड़ कर चले जाएं मैं आपसे कह रही हूं।

(श्री अध्यक्ष)

अनुदान की मांगों का पारण

राजस्व-मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,25,46,57,000/-(दो अरब पच्चीस करोड़ छियालीस लाख सतावन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

वन-मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,55,35,20,000/-(दो अरब पचपन करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

कृषि मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,96,41,52,000/-(दो अरब छियानवे करोड़ इकतालीस लाख बावन हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)..नहीं, बिलकुल नहीं आयेंगे। वह तो कह दिया न मैंने।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.34 बजे बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मौजमाबाद एवं फुलेरा (जयपुर) तहसील में फसल बीमा मुआवजा निर्धारण हेतु फसल कटाई प्रयोग कार्यक्रम

85. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) फसल बीमा मुआवजा निर्धारण के लिए फसल कटाई प्रयोग कार्यक्रम 2004-05 व 2005-06 में जयपुर जिले की तहसील मौजमाबाद, फुलेरा व फागी में किस माह व तारीख को किया गया? क्या प्रयोग के समय के बारे में ग्रामवार कोई कार्यक्रम तय किया जाता है तथा उस कार्यक्रम के बारे में क्षेत्र के सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील मौजमाबाद व फुलेरा के गांवों को सरकार ने अभावग्रस्त घोषित करके अकाल राहत कार्य चलाये थे? यदि हां, तो तहसील मौजमाबाद के बहुत से राजस्व गांवों में शत-प्रतिशत खराबा होने के बावजूद भी किसानों को फसल बीमा मुआवजा नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार सभी कृषकों को फसल बीमा मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 का राजस्व अधिकारियों द्वारा तहसील मौजमाबाद व फुलेरा के गांवों का फसल कटाई प्रयोग कार्यक्रम हो गया है? यदि हां, तो क्या इन तहसीलों के राजस्व गांवों के किसानों को मुआवजा राशि देना विचाराधीन एवं प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फसल बीमा मुआवजा निर्धारण के लिये फसल कटाई प्रयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किया गया :-

फसल मौसम	तिथियां	मौजमाबाद (दूद)	फुलेरा	फागी
खरीब-2004	प्रशिक्षण	12.08.2004	12.08.2004	10.08.2004
रबी 2004-05	प्रशिक्षण	25.01.2005	25.01.2005	25.01.2005
खरीफ-2005	प्रशिक्षण	25.08.2005	24.08.2005	25.08.2005
रबी 2005-06	प्रशिक्षण	01.02.2006	01.02.2006	01.02.2006

(कृषि मंत्री)

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, गिरदावार आदि को बुलाया जाता है फसल कटाई प्रयोगों के बारे में ग्रामवार कार्यक्रम का समय तय नहीं किया जाता है। फसल कटाई प्रयोग रैण्डम सैम्पलिंग पद्धति द्वारा चयनित खसरा नम्बर में फसल पकने की स्थिति में अलग-अलग तिथियों को किये जाते हैं। जन प्रतिनिधियों को इसकी सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। वर्ष 2004-05 में तहसील मौजमाबाद के 151 गांवों को एवं फुलेरा (सांभर) तहसील के 189 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर राहत कार्य चलाये गये थे। वर्ष 2004-05 में दिये गये मुआवजे का विवरण निम्नानुसार है:-

तहसील	**फसल**	**कृषकों की संख्या**	**देय मुआवजा राशि (In Rs.)**
1. दूदू	**खरीफ 2004** **मक्का**	67	92575
	रबी 2004-05 **जौ** **चना** **गेहूं**	139 553 525	10707 1790498 860800

फुलेरा (सांभर) तहसील में किसी भी संसूचित फसल का मुआवजा देय नहीं था। फसल बीमा योजना में मुआवजे का निर्धारण राजस्व मडण्ल, अजमेर द्वारा तहसील स्तर पर संसूचित फसल के न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज के अनुमान यदि गारण्टी पैदावार से कम प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस तहसील के सभी बीमित कृषकों को मुआवजा देय होता है एवं उपज के अनुमान गारण्टी पैदावार से अधिक आने पर किसी भी किसान को क्लेम नहीं दिया जाता है। जिन फसलों में वास्तविक पैदावार गारण्टी से अधिक है उन फसलों के लिये नियमानुसार मुआवजा देय नहीं है। अब मुआवजा दिये जाने का कोई प्रकरण विचारधीन नहीं है।

(कृषि मंत्री)

(3) जी हां।खरीफ 2005 का फसल कटाई प्रयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। इन तहसीलों के फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को भिजवाये जा चुके हैं। कम्पनी द्वारा मुआवजे का निर्धारण कर अभी तक नहीं भिजवाया गया है। कम्पनी द्वारा क्लेम निर्धारण अनुसार मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण पुलिस, जिला कोटा द्वारा किये गये सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कार

90. **श्री भरत सिंह** (दीगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा नवम्बर, 2005 में इटावा थाना क्षेत्र से तीन शिकारियों को जानवरों के अवशेष व शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है? यदि हां, तो इन शिकायतों से किन-किन वन्य जीवों के शिकार की पुष्टि हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि इन शिकरियों द्वारा सवाई माधोपुर के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से भी बाघ मारने की पुष्टि हुई है? यदि हां, तो इनके द्वारा प्रदेश के जंगलों से कुल कितने बाघ व बघेरे कहां-कहां मारे गये?

(3) क्या यह सही है कि इस शिकारी गिरोह का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय या बड़े शिकारी शिकारी गिरोह से जुड़ा हुआ है? यदि हां, तो किससे?

(4) क्या कोटा पुलिस द्वारा किये गये, सराहनीय कार्य हेतु किसी अधिकारी या कर्मचारी को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया या किया जाना है?

उत्तर

(1) जी हां। इन शिकायत से चीतल की खाल, जंगली सुअर के बाल, भालू के बाल, सुअर के मुंह के आगे का हिस्सा दांतो सहित, टाइगर की मूंछ के बाल, बाघ के पंजे के नाखून, भालू की दाढ़, बाज पक्षी का पंजा इत्यादि जंगली जानवरों के अवशेष बरामद किये गये। इस प्रकार इन शिकारियों से चीतल, जंगली सुअर, बाघ, तेन्दुआ, बाज, भालू, नेवला आदि वन्य जीवों के शिकार की पुष्टि हुई है।

(2) जी हां। इन शिकारियों द्वारा सवाई माधोपुर के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान से भी बाघ मारने की पुष्टि हुई है परन्तु शिकार किये गये बाघों की संख्या बाबत सुनिश्चित तौर पर कोई आंकड़ा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां आरोपियों से पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि

(गृह मंत्री)

शिकारी गिरोह, शिकार करके वन्य जीवों के अंग मध्यप्रदेश के शिवपुरी, गुना एवं ग्वालियर आदि जिलों से ऑपरेट करने वाले बबलू, आजाद, मोहर सिंह व माधो सिंह को देते थे, जो इन्हें आगे अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के लोगों को सप्लाई करते थे। जिनमें से नीमा शेरिग उर्फ नीम काम्पा नामक तिब्बती तस्कर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

(4) इस प्रकरण के संदर्भ में कोटा पुलिस के किसी अधिकारी या कर्मचारी को पुरस्कृत नहीं किया गया है और न ही कोई प्रस्ताव विचारधीन है।

बारां जिले के चिह्नित परिवारों को गेहूं वितरण में अनियमितताएं

91. **श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (बारां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले की बी.पी.एल. अन्त्योदय, अन्नपूर्णा योजना में चयनित परिवारों को माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2005 एवं जनवरी व फरवरी, 2006 का गेहूं वितरण करने हेतु किस-किस तारीख को डीलर्स/विक्रेता को उपलब्ध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे चिन्हित परिवारों को गेहूं समय पर प्राप्त नहीं होने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं?

(3) बारां जिले में प्रतिमाह बी.पी.एल. अन्त्योदय, अन्न्पूर्णा योजना में चयनित परिवारों को कितना गेहूं वितरण हेतु जारी किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को कुल 7530 मैट्रिक टन खाद्यान्न अक्टूबर, 2005 से फरवरी, 2006 की अवधि में आबंटन किया गया है। इसमें गेहूं 7516 एम.टी. एवं चावल 14 एम.टी. है।

(2) बारां जिले में बी.पी.एल. परिवारों को कुल 3296 मैट्रिक टन खाद्यान्न अक्टूबर, 2005 से फरवरी, 2006 की अवधि में आबंटन किया गया है। इसमें गेहूं 1814 एम.टी., चावल 198 एम.टी. एवं मक्का 1284 एम.टी. सम्मिलित है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित अन्नपूर्णा योजना में चयनित व्यक्तियों को अक्टूबर से दिसम्बर, 05 एवं जनवरी से मार्च,

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

06 के लिए 177.63 एम.टी. गेहुं प्रति त्रैमास आबंटित किया गया है।

जिला स्तर पर डीलर्स को गेहूं के वितरण का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

2. समय पर गेहूं नहीं पहुंचाने के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(3) बी.पी.एल व अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को एवं अन्नपूर्णा योजना में चयनित व्यक्तियों को बारां जिले में वर्तमान में निम्नानुसार गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है:-

1.	बी.पी.एल.	285 एम.टी. प्रतिमाह
2.	अन्त्योदय	1547 एम.टी. प्रतिमाह
3.	अन्नपूर्णा	177.63 एम.टी. (तीन माह का)

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं में पाला पड़ने से नष्ट हुई बेर व आंवला फसल की गिरदावरी

92. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पाला पड़ने से चौमूं क्षेत्र में बेर व आंवला की फसलों को काफी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इस नुकसान की गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

हां, यह सही है पाला पड़ने से चौमूं क्षेत्र में बेर व आंवला की फसलों का अनुमानित 10 प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिससे अनुमानित 10 प्रतिशत तक उत्पादकता में नुकसान हुआ है। पाला पड़ने पर पाले से हुए नुकसान के लिए सहायता देने का कोई नियमों में प्रावधान नहीं है।

भीनमाल पंचायत समिति प्रतिनियुक्त अध्यापक

93. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. समरजीत सिंह)

(1) पंचायत समिति भीनमाल के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से किस-किस विद्यालय में कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन विद्यालयों में से पंचायत समिति के विद्यालयों एवं पंचायत समिति के बाहर अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय से कितने-कितने अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर कहां-कहां पर पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विभिन्न विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों को भरने एवं प्रतिनियुक्ति पर गये अध्यापकों के प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्न करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति भीनमाल के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 66 द्वितीय श्रेणी एवं 577 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत एवं रिक्त पद, कब से रिक्त है, का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे। प्रतिनियुक्तियों पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर विचार किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मैसर्स एनरकान इण्डिया लिमिटेड, जयपुर द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग

94. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वन मण्डल, सीकर में हर्ष पर्वत पर मैसर्स एनरकॉन इण्डिया लिमिटेड, जयपुर को कितनी वन भूमि विन्ड फार्म हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई? उक्त भूमि दिये जाने संबंधी परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वन भूमि किन-किन शर्तों के अध्यधीन दी गई? क्या उक्त शर्तों की पूर्णत: पालना हुई? यदि नहीं, तो किन-किन शर्तों की पालना नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसर देव बाबर)

(3) क्या यह सही है कि मैसर्स एनरकॉन इण्डिया लिमिटेड, जयपुर ने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग किया है? यदि हां, तो शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर सरकार द्वारा संबंधित फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं क्या सरकार संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा वन मण्डल सीकर में हर्ष पर्वत पर 4.90 है. वन भूमि का प्रत्यावर्तन मैसर्स एनरकान इण्डिया लि. के पक्ष में किया गया है। भारत सरकार की स्वीकृति दिनांक 27.05.04 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का विवरण स्वीकृति दिनांक 27.05.04 में उल्लेखित हैं। मैसर्स एनरकान इण्डिया लि. के द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना की गई है। कम्पनी के ठेकेदार के विरुद्ध दर्ज किये गये अपराध का विवरण परिशिष्ट 'क' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं मैसर्स एनरकोन इण्डिया लि. जयपुर के द्वारा स्वीकृति क्षेत्र के बाहर वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग नहीं किया गया है। कम्पनी के ठेकेदार के द्वारा किये गये वन अपराध का विवरण परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है।

भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,

पत्र सं. 5 बी/राज/06/2004/एफ.सी.

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ-226024
दूरभाष-2863559, 2863547
फैक्स—2863149
दिनांक : 26.05.2004

सेवा में,
सचिव (वन),
राजस्थान शासन,
जयपुर।

विषय: सीकर स्थित हर्षनाथ पर्वत पर 10 एम.डब्लू का विण्ड फार्म स्थापित करने हेतु मै0 एनरकान इण्डिया लि0 के पक्ष में 4.90 हे. वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ : राजस्थान सरकार का पत्रांक प.1(21) वन/2004 दिनांक 07.04)2004/C1151

******

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 26.05.2004C/227 द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की है।

अत: राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार सीकर स्थित हर्षनाथ पर्वत पर 10 एम.डब्लू. का विण्ड फार्म स्थापित करने हेतु मै. एनरकान इण्डिया लि. के पक्ष में 4.60 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. राज्य सरकार के पक्ष में 4.6 हे. गैर वन भूमि के हस्तांतरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही तुरन्त की जाएगी तथा इस बारे में इस कार्यालय को भी सूचित किया जायेगा।
3. याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 4.6 हे. गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रख-रखाव किया जाएगा।
4. वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर प्रस्तावित कार्य क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण किया जाएगा।
5. याचक विभाग द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. यदि लागू हो तो, वायु तथा जल अधिनियमों के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति कार्य के शुरू होने से पहले प्राप्त की जाएगी। नियमानुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य पर्यावरण विभाग के परामर्श के अनुसार याचक विभाग द्वारा सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाएगा।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।

8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

9. राज्य सरकार द्वारा लगायी गयी अन्य शर्ते, यदि कोई हो तो उनका अनुपालन किया जायेगा।

10. राज्य सरकार याचक विभाग द्वारा जमा की गयी शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि तथा लीज किराये (रु. 30000/- प्रति हे.) को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं योजना संस्था (Compensatory Afforestration, Management and Planning Agency) को हस्तांतरित करेगी।

भवदीय

(एस. एम. सहाय)

उप-वन संरक्षक (केन्द्रीय)

परिशिष्ट 'क'

मैसर्स एनरकान कम्पनी के ठेकेदार द्वारा किये गये वन अपराध का विवरण

मैसर्स एनरकॉन इण्डिया लि. के ठेकेदार श्री गोरधन राम पुत्र श्री केशा राम जाट द्वारा दिनांक 16.08.04 को डाइवर्सन प्रस्ताव में प्रस्तावित सड़क चौडी करने के कार्य के दौरान हटाये गये मलबे को वन क्षेत्र में डालकर राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने पर जरिये एफ.आई.आर. 22/10 दिनांक 16.08.04 प्रकरण दर्ज कर जुर्माना रूपये 1,50,000/- जरिये रसीद संख्या 17/44 दिनांक 24.08.04 द्वारा वसूल किया गया।

छतरगढ़ तहसील में क्षतिग्रस्त इन्दिरा गांधी मुख्य नहर से प्रभावित कृषि भूमि

95. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 में इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 489.90 से 495.00 एवं 499.85 से 500.320 के मध्य नहर टूटी थी? यदि हां, तो उससे किस-किस क्षेत्र की कितनी-कितनी भूमि जलमग्न हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नहर के टूटने की घटना के कारण जलमग्न हुए क्षेत्र में सिंचित भूमि में पानी के बहाव के साथ आई मिट्टी जमा हो गई थी? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कितनी-कितनी?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि पानी के बहाव के साथ आई मिट्टी के सिंचित क्षेत्र में जमा हो जाने के कारण अनेक काश्तकारों की सिंचित भूमि असिंचित हो गई? यदि हां, तो कहां-कहां पर, किन-किन काश्तकारों की व कितनी-कितनी?

(4) क्या यह भी सही है कि नहर टूटने के कारण पानी के बहाव के साथ आई मिट्टी के कारण सिंचित से असिंचित हुई भूमि को आज भी सिंचाई सुविधा बहाल नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त भूमि को पुन: सिंचाई सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नहर टूटने से कुल 978.55 बीघा भूमि जल मग्न हुई। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। नहर टूटने के कारण चक 1 जी.एस.एम. (घेघडा सब माईनर) के मुरब्बा नं. 35/16 के 6.50 बीघा, 35/24 के 10.00 बीघा, 35/23 के 24.50 बीघा, 35/31 के 13.00 बीघा, 35/30 के 24.00 बीघा, 35/38 के 21.50 बीघा, 35/46 के 5.00 बीघा क्षेत्र में 1 से 5 तक ऊंचाई में मिट्टी जमा हो गई थी।

(3) यह सही है कि पानी के बहाव के साथ आई मिट्टी के सिंचित क्षेत्र में जमा हो जाने के कारण चक 1 जी.एस.एम. (घेघड़ा सब माईनर) के मुरब्बा नं. 35/16 के 6.50 बीघा, 35/24 के 10.00 बीघा, 35/23 के 24.50 बीघा, 35/31 के 13.00 बीघा, 35/30 के 24.00 बीघा, 35/38 के 21.50 बीघा, 35/46 के 5.00 बीघा कुल 104.50 बीघा के काश्तकारों की भूमि में पानी नहीं लग रहा है। काश्तकारों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। चक 2 जी.एस.एम. में पक्के खालों का निर्माण कराया जाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। चक 1 जी.एस.एम. में वर्तमान में 40 प्रतिशत भाग में क्षतिग्रस्त खालों से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। पुन:निर्माण के लिए रुपये 25.00 लाख का तखमीना (Estimate) तैयार कर निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई है। वर्ष 2006 के अन्त तक पक्का खाला निर्माण प्रस्तावित है।

परिशिष्ट ''अ''

इकजाई गोश्वारा घेघड़ा नहर के टूटने से प्रभावित कृषि भूमि जिसमें पानी भर गया। तहसील छत्तरगढ़

(बीघों में)

क्र. सं.	तहसील डूब प्रभावित खाते	कुल खाते	दिनांक 15.12.2003 तक डूब क्षेत्र की भूमि (बीघों में)			दिनांक 15.12.2003 तक डूब से सूख चुकी भूमि का क्षेत्र (बीघों में)			रबी के लिए बोई गई भूमि का क्षेत्रफल (बीघों में)			विशेष विवरण
			कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग	कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग	कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग	
1.	काश्तकारन भूमि	110	703.04	163.06	866.10	195.08	546.96	742.04	52.02	98.09	150.11	चना
2.	आराजी राज	1	15.87	14.48	30.05	13.00	27.16	40.16	-	-	-	
3.	आबादी भूमि	1	59.06	-	59.06	6.00	-	6.00	-	-	-	
4.	जोहड़ पायतन	1	16.00	-	16.00	-	-	-	-	-	-	
5.	गं. मु. कुण्ड	1	3.16	-	3.16	-	-	-	-	-	-	
6.	श्मशान	1	1.18	-	1.18	-	-	1.00	-	-	-	
7.	कब्रिस्तान	1	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-	
	योग :-	**116**	**801.31**	**177.24**	**978.55**	**215.08**	**574.12**	**789.20**	**52.02**	**98.09**	**150.11**	

परिशिष्ट 'ब'

चक 1 GSM में वर्ष 2003 में इन्दिरा गांधी नहर टूटने से सिंचित से असिंचित हुई भूमि का कास्तकार वार मुरब्बा वार विवरण

क्र.सं.	कास्तकार का नाम	मुरब्बा नम्बर मय बीघा नं.	कुल असिंचित हुआ रकबा	विशेष विवरण
1.	श्री गिरवन सिंह पुत्र बच्चन सिंह	35/16– 4,5,6,7,8,10/0.5-,14//0.5,15/05 = 6.5 बीघा	6.50	
2	श्री करणी सिंह पुत्र श्री रामलाल सिंह	35/24-1,2,3,4,5/0.25,7,8,9,10,11/0.50,12/0.50,13/0.50, 14/0.25=10.0 बीघा	10.00	
3.	श्री बालूराम पुत्र श्री कालूराम	35/23- 20 ता 25=5.50 बीघा	5.50	
4.	श्री जेठाराम पुत्र श्री धूड़ाराम	35/23-1 ता 19=19 बीघा	19.00	
5.	श्री बीरबलराम पुत्र श्री डालूराम	35/31-1,10,11,20=4.00 बीघा	4.00	
6.	श्री भीखाराम पुत्र श्री घेरूराम	35/31-2ता 4,7 ता 9,12,13,14/0.50,19/0 50=9.00 बीघा	9.00	
7.	श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री जयलाल सिंह	35/30-1ता 24 = 24.00 बीघा	24.00	
8.	श्री हरबन्श सिंह पुत्र श्री सखण सिंह	35/38-3,4,5,6,7,8,13ता 20/8.23/0.50,24/0.50,25/0.50=15.50 35/46-1,10,11,20,21=5.00	20.50	
9.	रमजान खां पुत्र श्री जानू खां	35/38-1,2, 9ता12=6.00	6.00	
		योग बीघा	**104.50**	

तारांकित प्रश्न संख्या-96

(स्थगित)

बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु पुलिस बल का आधुनिकीकरण

97. **श्री बृज किशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य में बढ़ रही चोरी, डकैती एवं बलात्कार की घटनाओं की रोकथाम हेतु आधुनिक तरीके अपनाने बाबत कार्य-योजना तैयार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

(2) जयपुर शहर में गत तीन वर्षों में कितने आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हुए, इनमें से कितने में चालान पेश किए गए और कितने विचारधीन हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए थानों में अतिरिक्त पदों का सृजन कर पुलिस बल एवं आधुनिक उपकरण/ वाहनों की संख्या को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं बढ़ नहीं रही हैं। वर्ष 2005 में वर्ष 2004 की अपेक्षा चोरी, डैकती व बलात्कार की घटनाओं मे कमी आई है। वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 में डकैती में 29.31 प्रतिशत, बलात्कार में 4.34 प्रतिशत एवं चोरी में 5.01 प्रतिशत की कमी आई है।

अपराधों की रोकथाम के लिये केस आफिसर स्कीम लागू कर गम्भीर अपराधों की न्यायालय में त्वरित ट्रायल करवाने एवं उन्हें सजा दिलवाने के भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं। केस आफिसर स्कीम में चिन्हित मुकदमों की सजायाबी 67 प्रतिशत रही है जबकि साधारण सजायाबी वर्ष 2002 में 52.2 प्रतिशत, 2003 में 56.8 प्रतिशत एवं 2004 में 57.7 प्रतिशत रही है।

हार्ड-कोर अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। बलात्कार के दर्ज प्रकरणों का अनुसंधान पूर्ण कर 7 दिन में चालान न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किये गये हैं।

(2) जयपुर शहर में गत तीन वर्षो में विभिन्न थानों में 46715 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 27091 का चालान किया गया व 1297 प्रकरण अनुसंधानाधीन है। जयपुर शहर के तीनों पुलिस जिलों में गत तीन वर्षों में दर्ज अपराधों की निस्तारण संहित स्थिति तथा शीर्षक डकैती,

(गृह मंत्री)

बलात्कार एवं चोरी के गत 3 वर्षों में दर्ज प्रकरणों की निस्तारण सहित सूची परिशिष्ट''क'' पर संलग्न है।

(3) राज्य में आपराधिक घटनाओं में वर्ष 2005 में वर्ष 2004 की अपेक्षा 9.00 प्रतिशत कमी आई है। थानों पर 1418 स.उ.नि. के पदों का सृजन किया गया है, महिला डैस्क की स्थापना की गई है। पुलिस बलों को आधुनिक उपकरण/वाहन उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पर्याप्त उपकर/वाह्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट ''क''

जिला जयपुर शहर के पुलिस जिला जयपुर शहर उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व में गत तीन वर्षों में दर्ज अपराधों की निस्तारण सहित तालिका

क्र. सं.	जिला	वर्ष	दर्ज अभियोग	चालान	एफ.आर.	पैण्डिंग अनुसंधान
1	जयपुर शहर उत्तर	2003	6000	4122	1762	116
		2004	6625	4398	2065	162
		2005	5012	3512	1354	145
2	जयपुर शहर दक्षिण	2003	8502	4512	3686	304
		2004	9536	4678	4555	303
		2005	5268	2809	2304	155
3	जयपुर शहर पूर्व	2003	0	0	0	0
		2004	0	0	0	0
		2005	5772	3059	2601	112
	कुल योग		**46715**	**27091**	**18327**	**1297**

तारांकित प्रश्न संख्या-98

(स्थगित)

जैसलमेर की क्षतिग्रस्त सड़कें

99. **श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी के द्वारा सड़क निर्माण के क्या मानदण्ड तय किये गये हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री सांगसिंह भाटी)

(2) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में कौन-कौनसी सड़कें उपज मण्डी के अन्तर्गत आती हैं? इनका निर्माण कब-कब हुआ व कौन-कौनसी सड़कें क्षतिग्रस्त व जीर्ण-शीर्ण है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त व जीर्ण-शीर्ण सड़कों को सरकार कब तक ठीक करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कृषि मण्डी समितियों के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 11.3.1996 एवं संशोधनों के अनुरूप मापदण्ड निर्धारित है। प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इनका निर्माण वर्ष सूची में प्रत्येक सड़क के सामने कालम 6 में अंकित कर दिया गया है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट 'अ' के कालम 7 में दिया गया है।

(3) उक्त क्षेत्र में बनी सड़कों के लिए वार्षिक मरम्मत हेतु राशि रु. 4.70 लाख रु. की स्वीकृति दिनांक 27.10.05 को जारी की गई है, जिसके तहत निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश दिये जा चुके हैं, मरम्मत का कार्य मार्च, 05 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु मण्डी समिति द्वारा दिनांक 1.3.06 को इन सड़कों की मरम्मत विपणन विकास निधि से कराये जाने का प्रस्ताव लिया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में पैराटीचर्स का स्थायीकरण

100. **श्री ओ. पी. महेन्द्रा** (केसरीसिंहपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1)क्या सरकार पैराटीचर्स को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या पैराटीचर्स को मिलने वाले मानदेय को सरकार बढ़ाने का विचार रखती है?

(3) राज्य में शारीरिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पैराटीचर्स के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षकों के 1195 पद रिक्त है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के 430 पद रिक्त है। शारीरिक शिक्षको के रिक्त पदों को भरने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बनास प्रोजेक्ट, जिला टोंक में कार्यरत कर्मी

101. **श्री हीरालाल** (निवाई): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला टोंक में बनास प्रोजेक्ट कब से कार्यरत है? इस प्रोजेक्ट के प्रारंभ होने के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र निवाई में क्या-क्या कार्य किस-किस स्थान पर कितनी राशि के कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निवाई क्षेत्र में उक्त प्रोजेक्ट में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में बनास प्रोजेक्ट वर्ष 1998-99 से कार्यरत है। इस प्रोजेक्ट के प्रारंभ होने के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र निवाई में कराये गये कार्यों का कार्यस्थलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) निवाई क्षेत्र में उक्त प्रोजेक्ट में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण/सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर) हेतु सहायक अभियन्ता पद का सृजन

102. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर उपखंड में अभियंताओं के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं और अब कबतक इन रिक्त पदों को भर दिया जायेगा?

(श्री नवरतन राजोरिया)

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किशनगढ़-रेनाल में सहायक अभियंता का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर उपखण्ड में एक सहायक अभियन्ता व 4 कनिष्ठ अभियन्ता (मुख्यालय किशनगढ़–रेनवाल, सांभर, फुलेरा एवं जोबनेर) स्वीकृत है|

(2) उपरोक्त पदों में से एक स्थान सांभर मुख्यालय वर्तमान में रिक्त है। विभाग में कुल 275 पद रिक्त हैं, जिनको भरा जाना प्रकियाधीन है।

(3) प्रस्ताव विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जे.के. सीमेण्ट उद्योग मावली (उदयुपुर) का पुनर्संचालन

127.**श्री शान्तिलाल चपलोत** (मावली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जे. के. सीमेन्ट उद्योग नाहरमगरा तहसील मावली जिला उदयपुर कितने वर्षो से बन्द है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग को बन्द करते समय उद्योग समूह द्वारा इसकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त की गई थी?

(3) क्या यह सही है कि उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उद्योग समूह पर दबाव बना कर उद्योग को वापस प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) मैसर्स जे. के. सीमेण्ट उद्योग नाम से कोई इकाई नाहर मगरा तहसील मावली जिला उदयपुर में नहीं है। मैसर्स जे. के. उद्योग लि. उदयप़र (ए डिविजन ऑफ बजाज हिन्दुस्तान लि., श्रीपत नगर, नाहर मगरा, उदयपुर) के नाम से इकाई है, जो दिनांक 18.6.2002 से बन्द है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है क्योंकि कम्पनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।

(4) जी हां। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-10 (3) के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा एक आदेश दिनांक 27.4.2005 को जारी कर प्रबन्धकों द्वारा दिनांक 18.6.2002 से जारी तालाबन्दी को तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

बूंदी जिले के विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था

128.**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला बून्दी के विभिन्नि विधान सभा क्षेत्रों में स्थित राजीव गांधी पाठशालाएं, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों तथा शिक्षिकर्मी विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों की पेयजल व्यवस्था के लिये हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली एवं नैनवां में उक्त प्रकार के विद्यालयों में ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनमें हैण्डपम्प लगाना शेष है?

(3) सरकार उक्त विद्यालयों में कब तक हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी जिले के चार विधान सभा क्षेत्रों में विभिन्न कैटेगरी के कुल 1404 विद्यालय स्थित है जिनमें से वर्तमान में 1205 विद्यालय पेयजल सुविधा से लाभान्वित है। शेष 198 विद्यालय को मार्च, 2007 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली एवं नैनवां में क्रमश: 86 तथा 54 विद्यालयों में वर्तमान में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नही है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) पेयजल सुविधा से वंचित उक्त 140 विद्यालयों को माह मार्च, 2007 तक लाभांवित करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

पेयजल व्यवस्था विहीन विद्यालयों की सूची

ब्लाक-हिण्डौली

क्र. सं.	नाम विद्यालय	संकुल का नाम	क्र. सं.	नाम विद्यालय	संकुल का नाम
1.	रागापा इटून्दा रोड़	कालामाल	6.	रागापा बड़ाबड़ा (काबरी)	कालामाल
2.	रागापा टोंपा	कालामाल	7.	रागापा लकड़ेश्वर महादेव	कालामाल
3.	रागापा जग्गा खेड़ा	कालामाल	8.	रागापा सुखपुरा	कालामाल
4.	रागापा बील का खेड़ा	कालामाल	9.	रागापा चमारों का झौंपड़ा	कालामाल
5.	रागापा चक्की का बरड़ा	कालामाल	10.	रागापा तीख्या	थाना

1	2	3	1	2	3
11.	रागापा माडेम का झौंपड़ा	थाना	28.	रागापा दानेराय जी का मंदिर	सथूर
12.	रागापा कालाबरड़ा	थाना	29.	रागापा अजमेरा का बरड़ा	सथूर
13.	रागापा बालू का झौंपड़ा	थाना	30.	रागापा ओगड़ों का झोपड़ा	सथूर
14.	रागापा बीड़ का झौंपड़ा	थाना	31.	रागापा कूंण्डला	सथूर
15.	रागापा नया गुढा	थाना	32.	रागापा टोपां (बड़ोदिया)	सथूर
16.	रागापा मारवाड़ों का झौंपड़ा	सिंघाड़ी	33.	रागापा अमरपुरा	सथूर
17.	रागापा काली डूंगरी	सिंघाड़ी	34.	रागापा बेरवा बस्ती डाटूण्दा	सथूर
18.	रागापा छोटी बीकरण	सिंघाड़ी	35.	रागापा पुरानी बस्ती डाटूण्दा	सथूर
19.	रागापा फेसवालों का झोंपड़ा	सिंघाड़ी	36.	रागापा खाकरी का बरड़ा	सथूर
20.	रागापा लक्ष्मीपुरा	सिंघाड़ी	37.	रागापा जाखोली कलां	बसौली
21.	रागापा चौहड़ा का बीड़	सिंघाड़ी	38.	रागापा खातीखेड़ा	बसौली
22.	रागापा रामपुरिया गुढा	सिंघाड़ी	39.	रागापा खण्डेरिया	बसौली
23.	रागापा डोटुन्दा	शिवराज नगर	40.	रागापा भोजगढ़ का मजरा	बसौली
24.	रागापा चांदी का बरड़ा	शिवराज नगर	41.	रागापा भीलडियां	बसौली
25.	रागापा रेगरों का बरड़ा	शिवराज नगर	42.	रागापा डागला का खेड़ा	बसौली
26.	रागापा पील्या कुआं	शिवराज नगर	43.	रागापा जयनिवास	ठीकरदा
27.	रागापा टींच का बरड़ा	शिवराज नगर	44.	रागापा झोंपड़ी	ठीकरदा

1	2	3	1	2	3
45.	रागापा पटेलों का झोंपड़ा	ठीकरदा	62.	रागापा बैरवा का झोंपड़ा	दबलाना
46.	रागापा ढाकरियों का झोंपड़ा	ठीकरदा	63.	रागापा बैरवा बस्ती घा. का नयागांव	दबलाना
47.	रागापा भागों का झोंपड़ा	ठीकरदा	64.	रागापा माता जी की डूंगरी	दबलाना
48.	रागापा धनावा बस स्टेण्ड	ठीकरदा	65.	रागापा डाबला मझला	दबलाना
49.	रागापा छुरों का झोंपड़ा	ठीकरदा	66.	रागापा डाबला पुलिया	दबलाना
50.	रागापा मीणों का झोंपड़ा	ठीकरदा	67.	रागापा माठों का बरड़ा	गोठड़ा
51.	रागापा भील बस्ती (भोजपुरा)	ठीकरदा	68.	रागापा खोड़वां का बरड़ा	गोठड़ा
52.	रागापा पाटोलियों का बरड़ा	बालापुरा	69.	रागापा पीपल्या	गोठड़ा
53.	रागापा डूंगरिया	बालापुरा	70.	रागापा मालियों का बरड़ा	गोठड़ा
54.	रागापा देवीपुरा	बालापुरा	71.	रागापा वार्ड नम्बर 8 धोवड़ा	गोठड़ा
55.	रागापा पंजाबी मोहल्ला	बालापुरा	72.	रागापा वार्ड नम्बर 10 धोवड़ा	गोठड़ा
56.	रागापा कालबेलिया कालोनी	बालापुरा	73.	रागापा कीरों का झोंपड़ा	ब्राह्. का लुहा.
57.	रागापा औद्योगिक नगरी	दबलाना	74.	रागापा छपिया बरड़ा	ब्राह्. का लुहा.
58.	रागापा देवनारायण का मजरा	दबलाना	75.	रागापा देवा का झोंपड़ा	ब्राह्. का लुहा.
59.	रागापा कंजर बस्ती	दबलाना	76.	रागापा मुण्डेश्वर महादेव	ब्राह्. का लुहा.
60.	रागापा मीणों का झोंपड़ा	दबलाना	77.	रागापा गणेशपुरा का झोंपड़ा	ब्राह्. का लुहा.
61.	रागापा बिलोनियां फार्म	दबलाना	78.	शिक्षा कर्मी विद्यालय आरामपुरा	हिण्डोली

1	2	3	1	2	3
79.	रा.प्र. वि. सुहरी	हिण्डौली	83.	रा.प्रा.वि. स्वरूप गढ़	हिण्डौली
80.	रा.प्रा.वि. धाबाईयों का नया गांव	हिण्डौली	84.	रा.प्रा.वि. थलिया	हिण्डौली
81.	रा.प्रा.वि. नेहड़ी	हिण्डौली	85.	रा.प्रा.वि. देवधुंआ	हिण्डौली
82.	रा.प्रा.वि. गुरजनीया	हिण्डौली	86.	रा.प्रा.वि. भोजगढ़	हिण्डौली

परिशिष्ट ''अ''

ऐसे विद्यालय जिनमें हैण्डपम्प लगाना शेष है।

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	विधान सभा क्षेत्र
1.	रा.मा.वि. गंभीरा	नैनवां
2.	रा.मा.वि. पीपलिया	नैनवां
3.	रा.प्रा .वि. देवधुआं जजावर	नैनवां
4.	रा.प्रा .वि. . समिधि बालिका	नैनवां
5.	रा.प्रा .वि. आतंरदा छात्र	नैनवां
6.	रा.प्रा .वि. संस्कृत सबलपुरा	नैनवां
7.	रा.प्रा .वि. . आतंरदा बालिका	नैनवां
8.	रा.प्रा .वि. सुंसाडिया	नैनवां
9.	रा.प्रा .वि. . हीरापुरा	नैनवां
10.	रा.प्रा .वि. कालामाल	नैनवां
11.	रा.प्रा .वि. गंभीरा बालिका	नैनवां
12.	रा.प्रा .वि. चैनपुरिया	नैनवां
13.	रा.प्रा .वि. घटला	नैनवां
14.	रा.प्रा .वि. बड़ी पड़ाप	नैनवां
15.	रा.प्रा .वि. भावपुरा	नैनवां
16.	रा.गां.पा. बागरिया बस्ती देई	नैनवां
17.	रा.गां.पा. बंजरा का झोंपड़ा जजावर	नैनवां
18.	रा.गां.पा. करीरी का झौ.	नैनवां
19.	रा.गां.पा. धोवड़ा का झो.	नैनवां

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	विधान सभा क्षेत्र
20.	रा.गां.पा. गुजरों का झो.	नैनवां
21.	रा.गां.पा. रैगर कालोनी दुगारी	नैनवां
22.	रा.गां.पा. खान की झोपडिया	नैनवां
23.	रा.गां.पा. बैरवा का झो. मानुपरा	नैनवां
24.	रा.गां.पा. पालेश्वर बांसी	नैनवां
25.	रा.गां.पा. कालबेलिया बस्ती बांसी	नैनवां
26.	रा.गां.पा. बड़ा घाणा दुगारी	नैनवां
27.	रा.गां.पा.माधोराजपुरा	नैनवां
28.	रा.गां.पा. रासहाली	नैनवां
29.	रा.गां.पा. चन्दनपुरा	नैनवां
30.	रा.गां.पा. गुदली	नैनवां
31.	रा.गां.पा. कोटड़ी	नैनवां
32.	रा.गां.पा. किशनगंज	नैनवां
33.	रा.गां.पा. बैरवा का झो.	नैनवां
34.	रा.गां.पा. गाडरिया	नैनवां
35.	रा.गां.पा. फतेहगंज	नैनवां
36.	रा.गां.पा. खजूरा	नैनवां
37.	रा.गां.पा. किशाननगर	नैनवां
38.	रा.गां.पा. शिवपुरी	नैनवां
39.	रा.गां. पा. बैरा का झो.भायर	नैनवां
40.	रा.गां.पा. बैरवा बस्ती रामगंज	नैनवां
41.	रा.गां.पा. दिया का झो.	नैनवां
42.	रा.गां.पा. देलून्दा का झो.	नैनवां
43.	रा.गां.पा. नाडी का झो.	नैनवां
44.	रा.गां.पा. बरड़ा का झो.	नैनवां
45.	रा.गां.पा. बैरवा बस्ती	नैनवां
46.	रा.गां.पा. सड़क का झो.	नैनवां

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	विधानसभा क्षेत्र
47.	रा.गां.पा. काली बस्ती डोडी	नैनवां
48.	रा.गां.पा. धागड़ों का झो.	नैनवां
49.	रा.गां.पा. बंजारों का झो.	नैनवां
50.	रा.गां.पा. हणंवन्तपुरा	नैनवां
51.	रा.गां.पा. भट्टों का नया गांव	नैनवां
52.	रा.गां.पा. धाकड़ों का झो. रजलावता	नैनवां
53.	रा.गां.पा. बैरवा का झो. धानुगांव	नैनवां
54.	रा.गां.पा. बलाईयों का झो. सुन्थली	नैनवां

वरेठा, ग्राम पंचायत धौलपुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति

129.**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला धौलपुर की ग्राम पंचायत वरेठा के कई गांवों में पीने के खारे पानी की समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में खारे पानी की समस्या के निदान हेतु क्षेत्रीय पाइप लाइन योजना से जलापूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम पंचायत वरेठा के 6 गांव क्रमश: वरेठा, सिजरोली, वड़ागांव, साला का पुरा, वूचा का पुरा एवं सेमरपुरा डांग क्षेत्र (रेवाईन एरिया) के अन्तर्गत आते हैं जहां मुख्य समस्या सीमित एवं अपर्याप्त मात्रा में भू-गर्भीय जल की उपलब्धता है। उपलब्ध भू-गर्भीय जल की स्थिति अनुसार इन गांवों में हैण्डपम्प ही फिजीबल है। अत: गांवों की क्षेत्रीय योजना बनाना टैक्नो–इकोनोमिकल दृष्टि से फिजीबल नहीं है।

वर्तमान में इन गांवों में जनसंख्या (वर्ष 2001) एवं मानदण्ड अनुरूप पीने योग्य पानी के हैण्डपम्प क्रियाशील है।

टिब्बी में आपणी योजनान्तर्गत परिसम्पतियों का रख-रखाव

130.**श्री धमेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत किन-किन गांवों/ढ़ाणियों में आपणी योजना संचालित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मेन्द्र मोची)

(2) क्या यह सही है कि आपणी योजना से पूर्व विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में कोई पेयजल योजना संचालित थी? यदि हां, तो उक्त गांवों/ढ़ाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पेयजल योजना की परिसम्पत्तियां विद्यमान हैं, यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त परिसम्पत्तियों पर किसी अन्य विभाग का हक है? यदि हां, तो किसका? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त परिसम्पत्तियों का रख-रखाव किसी अन्य विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार भविष्य में उक्त परिसम्पत्तियों की देखरेख किसी अन्य विभाग को सौंपने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के 25 गांव ''आपणी योजाना'' से लाभान्वित है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सन्दर्भित सभी 25 गांव पूर्व में अन्य पेयजल योजनाओं से लाभान्वित थे। सूची परिशिष्ट 'अ' में निहित है।

(3) जी हां। सन्दर्भित 25 गांवों में पूर्व में पेयजल व्यवस्था 13 हैडवर्क्स के माध्यम से थी। इन स्थानों पर विद्यमान परिसम्पत्तियों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। विभिन्न गांवों के मध्य पूर्व में लगी पाइप लाईन, हैडवर्क्स में लगे पम्पिंग सैट, पैनल, पाइप्स आदि ''आपणी योजना'' से पेयजल उपलब्ध होने के बाद साइट से हटाकर भण्डार में जमा कर लिये गये हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। क्योंकि ये परिसम्पत्तियां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की हैं।

(6) वर्तमान में नहीं। भविष्य में आवश्यकतानुसार निर्णय संभव होगा।

परिशिष्ट 'अ'

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड नोहर विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के खण्ड नोहर में आपणी योजना द्वारा संधारित गांवों/ढाणियों की सूची

क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड 2001	जनसंख्या 2001
1.	रावतसर	1 केडीडी	421100	2932
2.	रावतसर	1 जेबीडी	422000	155
3.	रावतसर	5 जेबीडी	422100	1283
4.	रावतसर	6 जेबीडी	422200	88
5.	रावतसर	4 जेबीडी	422300	1667
6.	रावतसर	7 केडीडी	423000	441
7.	रावतसर	धन्नासर	423100	88
8.	रावतसर	6 केडीडी	423200	2103
9.	रावतसर	21 एनडब्ल्युडी	423300	29
10.	रावतसर	22 एनडब्ल्युडी	423400	1117
11.	रावतसर	4 केडीडी	423700	67
12.	रावतसर	1 पीपीएम	438900	1003
13.	रावतसर	गन्धेली	439100	1500
14.	रावतसर	30 आरडब्ल्युडी	439600	3432
15.	रावतसर	3-4 एनडब्ल्युएम	439900	719
16.	रावतसर	2 आरपीएम	440000	2339
17.	रावतसर	3 आरपीएम	440200	51
18.	रावतसर	हरदासवाली	440900	45
19.	रावतसर	बांगासर	441000	1107
20.	रावतसर	मानकेरिया	441200	154
21.	रावतसर	2 केकेएम-ए	442000	1890
22.	रावतसर	चैलासरी	442200	574
23.	रावतसर	8 केकेएम	443600	1112
24.	रावतसर	9 केकेएम	443700	2407
25.	रावतसर	फोगला	444200	142

परिशिष्ट 'ब'

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड नोहर

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के अन्तर्गत खण्ड नोहर में आपणी योजना से संधारित गांवों/ ढाणियों में विद्यमान परिसम्पत्तियों की सूची :-

क्र.सं.	हैडवर्क्स का नाम	परिसम्पत्तियों का विवरण	
		यूनिट का नाम	संख्या
1	1 केडीडी (खोड़ा)	डिग्गी	2
		क्वार्टर ½ पाईप	2
		सैम्पवैल	1
		पम्प हाउस	1
		सीडब्ल्यूआर	1
		एसएसएफ	1
2.	5 जेबीडी	डिग्गी	1
		पम्प हाऊस	1
		फिल्टर	1
		सैम्पवैल	1
		सीडब्ल्यूआर	1
3.	7 केडीडी (केशरदेशर)	डिग्गी	1
		डीसीबी	1
		पम्प हाउस	1
		सीडबल्यूआर	1
		फिल्टर	1
		रौग्पवैल	1
		क्वार्टर ½ पाईप	1
4.	धन्नासर	पम्प हाउस	2
		क्वार्टर ½ पाईप	7
		सीडब्ल्यूआर	1
		सैम्पवैल	1
		डिग्गी	3
		फिल्टर	1
		एसएसएफ	1

क्र.सं.	हैडवर्क्स का नाम	परिसम्पत्तियों का विवर	
		यूनिट का नाम	संख्या
5.	1 पीपीएम	भू तल जलाशय	1
6.	गन्धेली (लालपुरा)	भू तल जलाशय	1
7	30 आरडब्ल्युडी (गन्धेली)	एफ टाईप क्वार्टर	2
		जे-2 टाईप क्वार्टर	5
		रेस्ट हाऊस	1
		पम्प हाऊस बड़ा	1
		पम्प हाऊस छोटा	1
		एस.आर.	1
		डिग्गी	1
		सैम्पवैल	1
		फिल्टर	2
		सीडब्ल्यूआर	1
8	2 आरपीएम (रामपुरा गटोरिया)	जे-2 टाई क्वार्टर	1
		पम्प हाउस	1
		फिल्टर	2
		सैम्पवैल	1
		डिग्गी	2
		सीडब्ल्यूआर	1
9	4 जेबीडी	डिग्गी	3
		सैम्पवैल	1
		सीडब्ल्युआर	1
		पम्प हाउस	1
		एसएसएफ	2
		क्वार्टर ½ सैट	5

क्र.सं.	हैडवर्क्स का नाम	परिसम्पत्तियों का विवर	
		यूनिट का नाम	संख्या
10	बांगारार	जीएलआर	1
11	2 केकेएम-ए (किकरालिया)	जे-2 टाइप क्वार्टर	1
		पम्प हाउस	1
		डिग्गी	1
		सैम्पवैल	1
12	चैलासरी	जीएलआर	1
13	8 केकेएम (न्योलखी)	जे-2 टाईप क्वार्टर	1
		पम्प हाउस	1
		डिग्गी	1
		सैम्पवैल	1
		सीडब्ल्यूआर	1
		एसएसएफ	2

नवलगढ़ उपखण्ड कार्यालय में व्याप्त अनियमितताएं

131. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में घरेलु एवं व्यावसायिक पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है? सरकार के दिशा-निर्देश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपखण्ड नवलगढ़ में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कनेक्शन जारी किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में घरेलू एवं व्यवसायिक जल सम्बन्ध लेने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है-

जल सम्बन्ध इच्छुक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।

क्षेत्र की फिजिबिलिटी जांच।

आवेदक द्वारा एग्रीमेन्ट, एल फार्म, परिसर की मालकियत के दस्तावेज/स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाम-पत्र व रोड़ कटिंग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) की प्रस्तुति।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

आवेदक द्वारा निर्धारित फीस जमा करवाना।

जल सम्बन्ध की स्वीकृति व जल सम्बन्ध चालू करना।

प्रचलित नियमों की प्रति (परिशिष्ट 'अ') पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-132

(स्थगित)

बनीपार्क में जन सहभागिता योजनान्तर्गत जलापूर्ति

133. **प्रो. बीरुसिंह राठौड़** (बनीपार्क): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में जन सहभागिता योजनान्तर्गत श्रीपुरम आवासीय कालोनी, दीपक कालोनी, मारुति नगर, मोती नगर, महेन्द्र नगर, गणपति विहार, पंचवटी, डीपी कालोनी की पेयजल योजनाएं विचारधीन हैं? यदि हां, तो क्या उक्त योजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी? क्या सरकार आगामी गर्मी में इन योजनाओं के अन्तर्गत नागरिकों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। प्रश्न में संदर्भित योजनाओं का प्रारूप बन चुका है। ये योजनाएं स्वीकृति निर्णय पूर्व जांच प्रक्रिया में हैं। योजना सही पाये जाने पर प्राथमिकता व संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वयन सम्भव होगा।

बूंदी जिले में एक्सेस रायल्टी के ठेके जारी करने में अनियमिताएं

134. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा):-क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बूंदी में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक एक्सेस रॉयल्टी के ठेके निजी व्यक्तियों को दिये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस को, कितनी-कितनी राशि का, किस क्षेत्र के लिए, किस तारीख को, कितनी अवधि हेतु? आदेश सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा पूरी राशि जमा नहीं कराई गई तथा ड़ेका खण्डित किया गया है? यदि हां, तो जमा कराई गई तथा बकाया निकल रही राशि का ब्यौरा मय ठेका निरस्ती आदेश की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामरतन बैरवा)

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत सोल्वेन्सी एवं वेल्यूएशन प्रमाण पत्र में दर्शायी गई सम्पत्ति का बाजार मूल्य से अधिक वेल्यूएशन प्रदर्शित कर धोखा दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या ठेका खण्डित होने के बाद बकाया राशि वसूल की जा चुकी है? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो अब कब तक वसूली कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ठेकेदार द्वारा पंजीयन श्रेणी ''ए'' में करवा रखा है? यदि हां, तो पंजीयन करने वाले अधिकारी द्वारा किस आधार पर ठेकेदार को ''ए'' श्रेणी में पंजीयन का अधिकारी माना? दस्तावेजप्त की प्रति सहित पंजीयन अधिकारी एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार वसूली कार्यवाही के प्रयास के अतिरिक्त उक्त के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां तो इस बाबत कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। बून्दी जिले में दिनांक 1.1.2004 से अब तक एक्सेस रॉयल्टी के दिए गए हैं। ठेका स्वीकृति आदेशों की प्रतियां संलग्न परिशिष्ट 1 से 3 तथा ठेकों का विवरण परिशिष्ट-4 में वर्णित है।

(2) जी हां। ठेकेदार श्री रामस्वरूप शर्मा, निवासी बून्दी द्वारा राशि जमा नहीं कराने के कारण ठेका आदेश दिनांक 29.10.2004 से खण्डित किया गया है। ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई राशि एवं बकाया का विवरण संलग्न परिशिष्ट-5 पर दर्शाया गया है। ठेका निरस्ती आदेश दिनांक 29.10.2004 की प्रति संलग्न परिशिष्ट-6 पर है।

(3) जी हां। श्री रामस्वरूप शर्मा ठेकेदार द्वारा पंजीयन अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत सम्पत्ति दस्तावेजों में अपनी सम्पत्ति का गलत मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है इस सन्दर्भ में जानकरी ठेकेदार के विरूद्ध बकाया वसूली के समय हुई उसके मल्लाशाह मन्दिर के पास स्थित मकान की निलामी किए जाने पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई जिस पर खनि अभियन्ता ने दिनांक 15.12.2005 को अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण किभाग, बून्दी को मकान की वेल्युऐशन हेतु

(खनिज मंत्री)

लिखा। अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-प्रथम, बून्दी ने अपने पत्र क्रमांक 8729 दिनांक 3.1.2006 से उक्त मकान की वेल्यूऐशन रुपये 5,34,368/- बताई, जबकि ठेकेदार द्वारा पंजीयन के समय प्रस्तुत मूल्यांकन प्रमाण पत्र जो कि श्री सत्येश शर्मा (बी.ई.) सर्वयर एवं लोन अससेसर एप्रूव्ड वेल्यूअर, गायत्री नगर, बून्दी द्वारा जारी किया गया है और श्री संजीव वधवा, सी.ए. द्वारा स्थापित किया गया, उसमें मकान का मूल्यांकन रुपये 27.50 लाख बताया गया है। प्रकरण का विधिक परीक्षण कर गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण प्रस्तुतकर्ता व संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं। बकाया राशि में से 62.50 लाख रुपया ठेकेदार की जमा गारण्टी राशि का भुगतान बैंक से प्राप्त कर बकाया में जमा किया गया है। शेष राशि 266.04 लाख रुपये की वसूली भू-राजस्व अधिनियम के तहत जारी है। बकाया वसूली हेतु ठेकेदार का बून्दी स्थित मकान दिनांक 6.12.20004 को कुर्क किया गया जिसकी निलामी, दिनांक 11.3.2005 को की गई लेकिन निलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। पुन: निलामी दिनांक 28.3.2006 को की जा रही है। इसके अलावा गलत सूचनाऐं प्रस्तुत करने एवं गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बारे में विधिक परीक्षण कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी हां। श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा अपना पंजीयन ''ए'' श्रेणी में कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर के यहां करा रखा था जिसका प्रमाण पत्र संख्या 28 दिनांक 12.1.2004 परिशिष्ट-7 संलग्न है। यह पंजीयन शासन के दिशा-निर्देश दिनांक 27.8.2003 के अनुरूप ही किया गया है। पंजीयन अवधि दिनांक 31.12.2005 को समाप्त हो चुकी है एवं वक्त पंजीयन ठेकेदार द्वारा जमा प्रतिभूति जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पंजीयन प्रक्रिया के संबंध में शासन से जारी निर्देशों में वांछित संशोधन किया जा रहा है।

बून्दी स्थित मकान का मूल्यांकन, श्री सत्येश शर्मा (बी.ई) सर्वेयर एवं लोन अससेसर एप्रूव्ड वेल्युअर, गायत्री नगर, बून्दी द्वारा जारी किया गया है तथा ग्राम भैरूपुरा ओझा स्थित जमीन, कुए एवं मकान का मूल्यांकन हल्का पटवारी ग्राम भैरूपुरा ओझा द्वारा किया गया है। इसके आधार पर चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट श्री संजीव वाधवा द्वारा आवेदक की सम्पत्ति एवं दायित्व का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट-8 संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(6) जी हां। भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली कार्यवाही के प्रयास के अतिरिक्त ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रकरण का विधिक परीक्षण कर कार्यवाही की जाऐगी।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पपूरना ग्राम (झुंझुनूं) में संचालित अवैध स्टोन क्रेशर

135. **श्री विजय बंसल** (भरतपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पपूरना, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनुं के स्टोन क्रेशरों पर रोड़ी व बजरी का विक्रय किया जाता है? यदि हां, तो कब से व सरकार को अब तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पपूरना में बड़े पत्थरों आदि का भी क्रय-विक्रय होता है तथा इसके लिये व्यापारियों द्वारा अनुज्ञा-पत्र हासिल किया गया? यदि हां, तो अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि मय अनुज्ञा पत्र की प्रति के सदन की मेज पर रखें। व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पपूरना, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू में एक स्टोन क्रेशर स्थापित है। इस स्टोन क्रेशर पर रोड़ी व क्रेशर डस्ट (बजरी) का विक्रय दिनांक 01.09.2002 से किया जाता है।

राज्य सरकार को दिनांक 01.09.2002 से अब तक डेडरेन्ट एवं अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेके के अन्तर्गत वसूली मिलाकर कुल रुपये 1,87,900/- का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(2) जी हां। यह सही है कि ग्राम पपूरना में अन्य प्रकार के पत्थरों का भी क्रय-विक्रय होता है। इस क्षेत्र में दो खनन पट्टे मार्बल, दो खनन पट्टे खनिज ग्रेनाईट व एक खनन पट्टा चेजा पत्थर का आबंटित है। जिनको विभाग द्वारा स्वीकृत किया हुआ है। वर्तमान में भी खनन पट्टे आवेदन करने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अन्तर्गत नियमानुसार आवण्टित किये जा रहे हैं। आबंटित खनन पट्टो का विवरण निम्न है:-

(खनिज मंत्री)

नाम पट्टेधारी	खनिज	अवधि	डेडरेन्ट	एम.एल.नं.
श्रीमती पदमा अग्रवाल	मार्बल	17.02.1992 से 20 वर्ष	6500/-	210/91
श्रीमती पदमा अग्रवाल	मार्बल	17.02.1992 से 20 वर्ष	6500/-	211/91
श्री मनोज कुमार मीणा	ग्रेनाईट	07.07.2003 से 20 वर्ष	30000/-	25/03
श्री कृष्ण कुमार मीणा	ग्रेनाईट	20.09.2004 से 20 वर्ष	30000/-	98/03
श्री सुरेश कानोडिया	चेजापत्थर	03.02.2003 से 20 वर्ष	5000/-	9/02

अनुज्ञा पत्रों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त राजकीय विभागों के उपयोग में आने वाले खनिजों के लिए अल्पावधि अनुज्ञा पत्र भी नियमानुसार जारी किये जाते हैं।

(अनुज्ञा-पत्रों की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिले के थानों में दर्ज प्रकरण

136. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भरतपुर के थानों में विगत दो वर्षों में पंजीबद्ध विभिन्न मुकदमों का थानेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला भरतपुर के थानों में दर्ज मुकदमों में कितनों में चालान, कितनों में अन्तिम प्रतिवेदन तथा कितने अभी तक किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज की पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में गत दो वर्षों (2004 व 2005) में विभिन्न शीर्षकों में वर्ष 2004 में कुल 8383 प्रकरण दर्ज हुए तथा वर्ष 2005 में 7508 प्रकरण दर्ज हुए। दर्ज प्रकरणों का वर्षवार व थानेवार विवरण परिशिष्ट-''अ'' एवं परिशिष्ट-''ब'' पर संलग्न है।

(2) जिला भरतपुर के थानों में वर्ष 2004 व 2005 में दर्ज मुकदमों, चालान, एफआर एव पैण्डिंग की सूचना इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	कुल दर्ज अपराध	चालान	एफआर	पैण्डिंग
1	2004	8383	5320	3042	21
2	2005	7508	4792	2573	143

(गृह मंत्री)

वर्ष 2004 के 21 एवं 2005 के 143 अभियोगों का लम्बित रहने का कारण निम्नानुसार हैं-

अभियोग लम्बित रहने का कारण	**वर्ष 2004**	**वर्ष 2005**
एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण	4	4
हाइकोर्ट जयपुर में मुलजिम की अग्रिम जमानत हेतु पत्रावली तलब हो जाने के कारण	5	1
मुलजिमों की गिरफ्तारी न होने से शेष रहे प्रकरण	7	50
तफ्तीश जारी	5	80
रिट पीटीशन द्वारा हाइकोर्ट में रिविजन में	-	1
एसीबी में मूल पत्रावली होने के कारण	-	1
अनुसंधान के पश्चात उच्च अधिकारियों को पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत	-	6

परिशिष्ट 'अ'

दर्ज अपराध की तालिका

क्र. सं.	नाम थाना	कत्ल	हत्या का प्रयास	डकैती	लूट	अपहरण एवं व्यपहरण	बलात्कार	बल्वा	नकबजनी	चोरी	अन्य भादस	एक्ट	योग
1.	कोतवाली	3	4	0	3	9	2	0	9	54	203	40	327
2.	मथुरागेट	3	9	0	3	9	1	0	10	73	364	104	576
3.	अटलबन्द	1	1	0	1	7	0	1	6	24	136	44	221
4.	उद्योग नगर	3	6	0	1	4	1	1	6	15	185	17	239
5.	चिकसाना	2	10	0	1	4	2	0	4	14	252	16	305
6.	बयाना	6	7	0	2	8	4	0	11	63	528	52	681
7.	रूपवास	8	6	0	0	9	0	0	11	54	384	57	529
8.	उच्चैन	2	0	0	0	4	4	1	0	12	208	19	250
9.	गढ़ीबाजना	1	3	0	0	1	0	0	0	4	54	4	67
10.	भूसावर	3	4	0	0	5	3	0	4	29	384	38	470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	बैर	0	1	0	0	1	1	0	0	18	187	29	237
12.	हलैना	4	4	0	0	4	1	0	1	14	206	29	263
13.	सेवर	2	2	0	2	6	2	0	0	50	343	39	446
14.	कुम्हेर	8	5	0	0	10	2	0	8	34	430	38	535
15.	नदबई	16	11	1	5	10	5	0	11	57	629	38	783
16.	डीग	13	21	2	1	12	8	0	4	90	622	73	846
17.	नगर	5	10	1	2	5	1	0	4	49	208	34	319
18.	सीकरी	2	2	1	1	4	1	0	0	16	101	16	144
19.	कामां	6	15	1	2	9	3	0	7	86	335	69	533
20.	पहाड़ी	3	4	1	1	2	1	0	0	29	162	47	250
21.	जुरहरा	1	6	0	1	4	2	0	2	23	111	35	185
22.	गोपालगढ़	0	3	0	0	1	0	0	1	13	58	17	93
23.	महिला थाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	84
	कुल योग	**92**	**134**	**7**	**26**	**128**	**44**	**3**	**99**	**821**	**6174**	**855**	**8383**

परिशिष्ट 'ब'

दर्ज अपराध की तालिका

क्र. सं.	नाम थाना	कत्ल	हत्या का प्रयास	डकैती	लूट	अपहरण एवं व्यपहरण	बलात्कार	बल्वा	नकबजनी	चोरी	अन्य भादस	एक्ट	योग
1.	कोतवाली	2	1	0	3	5	0	0	10	67	208	41	337
2.	मथुरागेट	3	2	0	1	8	2	0	13	72	330	74	505
3.	अटलबन्द	1	1	0	0	4	1	0	3	22	177	41	250
4.	उद्योग नगर	2	1	0	0	5	2	0	1	35	215	23	284
5.	चिकसाना	7	1	0	1	4	6	0	0	15	213	16	263
6.	बयाना	9	5	0	1	5	2	0	1	87	507	61	678
7.	रूपवास	4	6	0	0	10	3	0	4	59	414	72	572
8.	उच्चैन	2	2	0	1	1	0	0	2	18	182	25	233
9.	गढ़ीबाजना	3	2	0	1	0	1	0	1	8	55	8	79
10.	भूसावर	4	5	0	0	0	0	0	5	35	318	35	402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	वैर	2	2	0	0	2	3	0	0	18	163	26	216
12.	हलैना	2	1	0	1	0	0	0	2	14	150	28	198
13.	सेवर	5	6	0	2	6	4	0	0	41	301	42	407
14.	कुम्हेर	3	8	0	0	7	2	0	3	29	330	30	412
15.	नदबई	12	8	0	2	3	5	0	7	52	469	36	594
16.	डीग	10	19	2	0	11	2	0	0	49	529	55	677
17.	नगर	6	6	2	4	4	1	2	4	17	162	35	243
18.	सीकरी	1	5	0	1	3	1	0	1	11	122	18	163
19.	कामां	6	12	0	1	5	4	0	2	63	253	83	429
20.	पहाड़ी	2	7	0	4	1	4	0	2	29	157	45	251
21.	जुरहरा	2	7	0	0	3	1	0	1	24	99	29	166
22.	गोपालगढ़	1	4	0	0	1	1	0	1	7	48	21	84
23.	महिला थाना	2	0	0	0	0	1	0	0	0	62	0	65
	कुल योग	**91**	**111**	**4**	**23**	**88**	**46**	**2**	**63**	**772**	**5464**	**844**	**7508**

पुष्कर के पुलिस थाना का क्रमोन्नयन

137. **डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुष्कर पुलिस थाना किस स्तर का है तथा वहां कार्मिकों की कुल संख्या कितनी है? कार्मिको के पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस थाने को निरीक्षक स्तर का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस थाना पुष्कर उप निरीक्षक स्तर का हैं। थाने में स्वीकृत कर्मियों की संख्या 25 हैं। जो निम्नानुसार हैं:-

1.	उप निरीक्षक -	2 पद
2.	सहायक उप निरीक्षक -	6 पद
3.	हैड कानि. -	2 पद
4.	कानि.-	2 पद
	योग:-	**25 पद**

(2) पुलिस थाना पुष्कर को निरीक्षक स्तर के थाने में करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं हैं।

जसरासर एवं दतौर (बीकानेर) ग्राम में पुलिस थानों की स्थापना

138. **श्री गोविन्द राम मेघवाल** (नोखा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति के हवलदार व सिपाहियों का बैकलाग है? यदि हां, तो कब से व कितना? क्या सरकार उक्त बैकलाग भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जिला बीकानेर के जसरासर एवं दतौर जैसे बड़े गांवों में नये थाने खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान मे अनुसूचित जाति के सिपाहियों का 182 बैकलाग है जिसे वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरा जा रहा है। हैड कानि. के 48 पदों का बैकलाग है। हवलदार (हैड कानि.) के 40 पदों बाबत उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका के निर्णयोंपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। 8 पदों को उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रखा गया है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं पायी जा रही है।

राज्य में आर्थिक तंगी एवं बेरोजगारी से आत्महत्या

139. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में आर्थिक तंगी व बेरोजगारी के कारण वर्ष 2004 एवं 2005 में कितनी आत्महत्याएं हुईं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राज्य में वर्ष 2004 में आर्थिक तंगी से 23 व्यक्तियों एवं बेरोजगारी से 5 व्यक्तियों ने आत्म हत्याऐं कीं तथा वर्ष 2005 में 14 व्यक्तियों ने आर्थिक तंगी से एवं 4 व्यक्तियों ने बेरोजगरी से आत्म हत्याएं की कुल एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ''

राज्य में वर्ष 2004 व 2005 में आर्थिक तंगी व बेराजगारी के कारण हुई आत्महत्याओं का कुल जिलेवार विवरण

वर्श 2004				वर्ष 2005			
क्र.सं.	जिले का नाम	आर्थिक तंगी	बेरोजगारी	क्र.सं.	जिले का नाम	आर्थिक तंगी	बेरोजगारी
1.	अजमेर	-	-	1.	अजमेर	-	-
2.	भीलवाड़ा	-	-	2.	भीलवाड़ा	-	-
3.	नागौर	-	-	3.	नागौर	-	-
4.	टोंक	-	-	4.	टोंक	-	-
5.	जयपुर शहर उत्तर	-	1	5.	जयपुर शहर उत्तर	1	2
6.	जयपुर शहर दक्षिण	1	-	6.	जयपुर शहर दक्षिण	-	1
7.	जयपुर शहर पूर्व	-	-	7.	जयपुर शहर पूर्व	-	-
8.	जयपुर ग्रामीण	2	-	8.	जयपुर ग्रामीण	-	-
9.	झुन्झुनूं	-	-	9.	झुन्झुनूं	-	-
10.	सीकर	-	-	10.	सीकर	-	-
11.	दौसा	-	-	11.	दौसा	-	-
12.	बीकानेर	-	-	12.	बीकानेर	-	-
13.	चूरू	-	-	13.	चूरू	-	-

वर्श 2004				वर्ष 2005			
क्र.सं.	जिले का नाम	आर्थिक तंगी	बेरोजगारी	क्र.सं.	जिले का नाम	आर्थिक तंगी	बेरोजगारी
14.	गंगानगर	3	-	14.	गंगानगर	-	-
15.	हनुमानगढ़	-	-	15.	हनुमानगढ़	-	-
16.	भरतपुर	-	-	16.	भरतपुर	-	-
17.	अलवर	-	-	17.	अलवर	-	-
18.	सवाई माधोपुर	-	-	18.	सवाई माधोपुर	-	-
19.	धौलपुर	-	-	19.	धौलपुर	-	-
20.	करौली	-	-	20.	करौली	-	-
21.	जोधपुर शहर	-	-	21.	जोधपुर शहर	-	1
22.	जोधपुर ग्रामीण	2	-	22.	जोधपुर ग्रामीण	-	-
23.	जालौर	-	-	23.	जालौर	-	-
24.	जैसलमेर	-	-	24.	जैसलमेर	2	-
25.	बाड़मेर	-	-	25.	बाड़मेर	-	-
26.	पाली	-	-	26.	पाली	-	-

क्र.सं.	जिले का नाम	आर्थिक तंगी	बेरोजगारी	क्र.सं.	जिले का नाम	आर्थिक तंगी	बेरोजगारी
27.	सिरोही	-	-	27.	सिरोही	-	-
28.	कोटा शहर	-	-	28.	कोटा शहर	4	-
29.	कोटा ग्रामीण	-	-	29.	कोटा ग्रामीण	-	-
30.	बूंदी	8	-	30.	बूंदी	-	-
31.	झालावाड़	-	-	31.	झालावाड़	1	-
32.	बारां	-	-	32.	बारां	-	-
33.	उदयपुर	2	2	33.	उदयपुर	1	-
34.	बांसवाड़ा	3	-	34.	बांसवाड़ा	1	-
35.	चित्तौड़गढ़	-	1	35.	चित्तौड़गढ़	-	-
36.	डूंगरपुर	1	-	36.	डूंगरपुर	-	-
37.	राजसमन्द	-	-	37.	राजसमन्द	-	-
38.	जीआरपी अजमेर	-	-	38.	जीआरपी अजमेर	-	-
39.	जीआरपी जोधपुर	1	1	39.	जीआरपी जोधपुर	4	-
	योग	23	**5**		**योग**	**14**	**4**

चौमूं पुलिस थाना के पुलिस बल में वृद्धि

140. **श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के थाना चौमूं की स्थापना कब हुई तथा उस समय वहां कितना कर्मचारी पद–स्थापित थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त थाने स्थापना के समय जितना स्टाफ कार्यरत था उतना स्टाफ ही अभी तक कार्यरत है? यादि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि तत्समय से वर्तमान समय में मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? यदि हां, तो वर्ष 2000 से 2005 तक दर्ज मुकदमों की संख्या क्या रही है?

(4) क्या सरकार थाना चौमूं में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस थाना चौमूं आजादी के पूर्व से ही स्थापित हैं। वर्ष 1976 में निम्नानुसार कर्मचारी पदस्थापित थे:-

1. उपनिरीक्षक- 1
2. सहायक उपनिरीक्षक- 2
3. मुख्य आरक्षी- 2
4. कानि.- 17

(2) जी नहीं। पदों में बढ़ोतरी हुई हैं। वर्तमान में निम्नानुसार पद सृजित हैं:-

1. पुलिस निरीक्षक- 1
2. उपनिरीक्षक- 2
3. सहायक उपनिरीक्षक- 12
4. मुख्यआरक्षी- 4
5. कानि.- 19

(3) वर्ष 2000 से 2005 तक थाना चौमूं पर दर्ज मुकदमों की संख्या का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैं-

(गृह मंत्री)

वर्ष	दर्ज अपराध
2000	595
2001	571
2002	488
2003	502
2004	624
2005	726

(4) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

जोबनेर (जयपुर) थानाधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

141. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा):- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के जोबनेर थाना क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 अगस्त, 2005 तक कितने मुकदमे किस-किस प्रकार के दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों में कितने मामलों में न्यायालय में चालान पेश किये गये तथा कितने मुकदमों में एफ. आर. लगाई गई? एफ.आर. लगाने के क्या कारण रहे? एफ.आर. लगाये गये प्रकरणों की सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त थाने के इन्चार्ज (थानाधिकारी) पद पर वर्तमान में कौन व्यक्ति कब से कार्यरत है? क्या इनके विरुद्ध जमीनों पर अतिक्रमण करवाने, भ्रष्टाचार व अन्य प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की व शिकायतें किस-किस व्यक्ति द्वारा की गई तथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के कालख बांध की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किये जाने पर कालख ग्राम के निवासियों द्वारा शिकायत की गई थी और थाना इन्चार्ज, जोबनेर द्वारा अतिक्रमयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर पीडित पक्षकारों के विरुद्ध ही कार्यवाही की गई? क्या सरकार इस मामले की जांच अन्य अधिकारी से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के थाना जोबनेर पर 1 जनवरी, 2004 से 31 अगस्त, 2005 तक कुल 238, जिनमें हत्या-1, लूट-1, बलवा-4, चोरी-20 व अन्य-212 मुकदमें दर्ज हुए।

(गृह मंत्री)

(2) उक्त मुकदमों में से 176 मामलों में चालान न्यायालय में पेश किये गये। शेष 62 मुकदमों में एफ.आर. पेश की गई, जिनकी सूची कारण सहित परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में थानाधिकारी के पद पर श्री मनीष चारण, उप निरीक्षक पुलिस, दिनांक 26-2-2004 से कार्यरत है। थानाधिकारी के विरुद्ध जमीनों पर अतिक्रमण करवाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त थानाधिकारी के विरुद्ध तीन अन्य शिकायतें (परिवाद) प्राप्त हुई हैं:-

(अ) शिकायत श्री राजेश खटीक वार्ड नं.12 खटीकों का मौहल्ला जोबनेर ने पेश की जो एसएचओ मनीष चारण द्वारा अभद्र व्यवहार करने के बारे में की गई है, जिसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू द्वारा की गई जांच से आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

(ब) शिकायत श्री नवरतन राजोरिया विधायक द्वारा की गई है। इसमें गोपाल बगड़वा द्वारा श्री रामप्रसाद की फसल पलाऊ चलाकर नष्ट करने बाबत है, जिसमें थानाधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का आरोप है। उक्त सन्दर्भ में मु.नं. 57/05 अन्तर्गत धारा 147,447,427,379 भा.द.सं. में थाने पर रामप्रसाद की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया जो गोपाल बगड़वा के विरूद्ध दर्ज हुआ था जिसमें तफतीश की गई है और मुकदमे में मामला 427 भा.द.स. का होने के कारण एफ.आर.नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस में दी गई । शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दूदू द्वारा की गई। शिकायत में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये ।

(स) शिकायत श्री कानाराम पुत्र श्री खुमानाराम द्वारा की गई है । जिसमें उसनें अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमों में कार्यवाही नहीं करने व न्याय दिलाने बाबत लिखा है । इस सन्दर्भ में मु .न. 154 /05 अन्तर्गत धारा 143, 447,427 भा.द.स. दर्ज हुआ, जो श्री भवानी सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह ने दर्ज करवाया था। इसमें तफतीश से पाया गया कि घटनास्थल आराजी खसरा नं. 114/1 में अभियुक्त एवं प्रार्थीगण सहखातेदार है। जिसमें आपराधिक अतिचार का मामला बनना नहीं पाया जाने पर एफआर अदमवकु (सिविल नेचर) में दी गई और शिकायत की जांच वृत्ताधिकारी सांभर से कराई गई थी। उन्होंने भी मामला एफआर अदमवकु (सिविल नेचर) का माना है।

उक्त तीनों परिवाद की फोटो प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। परिवादी श्री रामप्रसाद पुत्र कानाराम का इस्तगासा न्यायालय ए.सी.जे.एम. सांभरलेक से धारा 156(3) जा.फौ. के अन्तर्गत थाना

(गृह मंत्री)

जोबनेर पर प्राप्त होने पर अपराध संख्या 57/05 दर्ज किया गया। अनुसंधान में परिवादी का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर तथा अपराध नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस होने से एफ.आर दी गयी है। राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त के विवाद के मद्देनजर दोनों पक्षों को ही शांति बनाये रखने हेतु इस्तगासा पेश किया गया था। उल्लेखनीय है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु थानाधिकारी अधिकृत ही नहीं है। इस प्रकार अब इस प्रकरण में पुन: जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण/प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सड़क मार्ग विकास हेतु पेड़-कटाई के ठेके

142. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में गत एक वर्ष में सड़क मार्ग विकास हेतु कितने पेड़ काटने का ठेका किन्हें व कितने में दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत एक वर्ष में राज्य में वन विभाग के द्वारा सड़क मार्ग विकास हेतु पेड़ों को काटने का कोई ठेका नहीं दिया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), जो भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा गत एक वर्ष में सड़क मार्ग विकास हेतु पेड़ों को काटने संबंधी दिये गये ठेके का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट ''क''

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा गत एक वर्ष में सड़क विकास हेतु पेड़ों को काटने संबंधी दिये गये ठेकों का विवरण

क्र. सं.	ठेका देने वाली परियोजना क्रियान्वयन इकाई	किस क्षेत्र का ठेका दिया	ठेका कितने पेड़ों को काटने तथा किसको दिया गया	कितने में ठेका दिया
1	भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई कोटा	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 76 किमी. संख्या 406 से 579 तक	30694 पेड़ काटने का मैसर्स गुप्ता एंटरप्राईजेज, हनुमानगढ़	1,10,75,270/- रुपये में
2	भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई चित्तौड़गढ़	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 79 किमी. संख्या159 से 213 तक	7154 पेड़ काटने का मैसर्स अशोका-बालेवा	71,78,567/- रुपये में (ठेकेदार के साथ बाइपास निर्माण के साथ किये गये करार में पेड़ कटाई कार्य सम्मिलित हैं
3	भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई जयपुर	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11 जयपुर-भरतपुर 4 लेन कार्य	40980 पेड़ों को काटने का	पेड़ों की कटाई का कार्य परियोजना के रियायतग्राही मैसर्स जयपुर-मह्वा टोलवे प्रा. लिमिटेड, दौसा तथा मधुकान जयपुर-आगरा एक्सप्रेसवे लिमिटेड, भरतपुर द्वारा प्राधिकरण के साथ हुए करार के अन्तर्गत किया जा रहा है, जिसकी लागत उक्त रियायतग्राही करार की लागत में सम्मिलित है।

कनकपुरा (नैनवां) ग्राम की काबिल काश्त वन भूमि का नियमितीकरण

143.**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही किसानों के कब्जे काश्त में चली आ रही वन भूमियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है? यदि हां, तो कब तक व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्तानुसार कब्जे काश्त चली आ रही वन भूमियों के बदले नाकाबिल काश्त राजकीय भूमियों को वन विभाग को वन विकास हेतु दिये जाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों को तैयार करवाने एवं तदनुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि भूमि आबंटन समिति तहसील नैनवां द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 1970 को मुकाम करवर में आबंटित खसरा संख्या 139 में से 8 बीघा 9 बिस्वा ग्राम कनकपुरा की को राजस्व रिकार्ड में आबंटी के पक्ष में नियामान्तर्गत दर्ज किया जाना न्यायोचित है? यदि हां, तो उक्त जगह का वन भूमि के नाम पर हो रहा इन्द्राज कब तक दुरस्त कर लिया जायेगा?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि वर्तमान खसरा संख्या 161 तथा 162 में पड़ती है एवं उस पर ग्राम के बुजुर्ग व्यक्तियों की मान्यतानुसार विगत 80 वर्ष से भी अधिक समय से काश्त की जा रही है?

उत्तर

(1) 1.7.1980 से पूर्व के वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के नियमन संबंध में राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 27.4.1991 जारी किया हुआ है। जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई निर्णय लिया जाना विचाराधीन नहीं है।

(2) नियमन की जानी वाली भूमि की एवज में क्षर्तिपूति वृक्षारोपण हेतु भूमि दिये जाने की व्यवस्था परिपत्र दिनांक 27.4.1991 में की हुई है।

(3)परिपत्र दिनांक 27.4.1991 के अन्तर्गत आदिवासियों के 1.7.1980 से पूर्व के वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण के 5466 नियमन योग्य पाये

(वन मंत्री)

गये प्रकरणों की वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे हुये हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(4) जी नहीं। उक्त भूमि रक्षित वनखण्ड अरियाली बूढकरवार का हिस्सा है। वनखण्ड 1962 से अंतिम रूप से घोषित रक्षित वन हैं एवं राजस्व रिकार्ड में वन भूमि दर्ज है।

(5) जी नहीं। ग्राम कनकपुरा के विगत खसरा नम्बर 139 एवं विद्यमान खसरा नम्बर 161 की 8 बीघा 9 विस्वा भूमि का आबंटन श्री हेमराज पुत्र रामलाल को रक्षित वन घोषित होने के बाद हुआ है। यह भूमि खसरा नम्बर 162 में नहीं पड़ती है।

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक :- प.1(18) वन/90 जयपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 1991

परिपत्र

आदिवासियों की कमजोर, आर्थिक व सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें राहत पहुचाने के उद्देश्य से, वन भूमि पर अतिक्रमण की समस्या हल करने के लिए राज्यादेश क्रमांक प0 5(9) प्र0सु0-3/91 दिनांक 24-1-1991 द्वारा गठित समिति के सुझाव को, परीक्षणोपरान्त राज्य सरकार उक्त सुझावों को स्वीकार करते हुए वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के नियमन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करती है:-

(1) दिनांक 1-7-1980 से पूर्व इन वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हे, का नियमन वन (संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् किया जा सकेगा:-

1- अतिक्रमी भूमिहीन हो और आदिवासी क्षेत्र का हो।

2- अतिक्रमण 1-7-1980 से पूर्व का हो।

3- अतिक्रमी आदेश प्रसारित होने की तिथि तक मौके पर काबिज हो तथा अतिक्रमण वन भूमि अतिक्रमी के निरन्तर कब्जे में रहा हो।

4- अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत कार्यवाही दिनांक 1-7-1980 से पूर्व प्रारम्भ की गई हों।

उपरोक्त निर्णय की पालना के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:

1) अतिक्रमण 1-7-1980 से पूर्व का है, इस आशय की पुष्टि एफ.आई.आर. वन विभाग के अन्य अभिलेखों से होती हो।

2) ऐसे मामले जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं हो सके लेकिन अतिक्रमी इस आशय का आवेदन/दावा पेश करें कि उसका अतिक्रमण 1-7-1980 से पूर्व का है तो उस अवस्था में मौखिक साक्ष्य के आधार पर नियमन किया जा सकेगा, जबकि उस भूमि पर स्थाई सुधार का कार्य जैसे कुंआ भवन या पक्के खोले, खेतबन्दी, भूमि सुधार आदि का कार्य 1980 से पूर्व करवाया गया हो। अथवा सहकारी समिति से ऐसे निर्माण अथवा बीज व खाद के लिए ऋण लिया हो।

संबंधित प्रकरण 1-7-1980 से पूर्व का है या नहीं की जांच के लिए तहसील स्तर पर एक समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1-क्षेत्रीय विधायक

2-प्रधान

3- सहायक वन संरक्षक (कन्वीनर)

4- तहसीलदार/ नायब तहसीलदार

5-क्षेत्रीय वन अधिकारी

6- संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच

उक्त समिति का कोरम तीन सदस्यों की उपस्थिति के बाद पूर्व माना जावेगा। लेकिन इनमें से कम से कम एक प्रतिनिधि वन एवं राजस्व विभाग तथा एक जनप्रतिनिधि होना आवश्यक होगा।

3) नियमन किये जाने वाले समस्त प्रकरणों की जिलेवार सूची बनाकर उक्त कमेटी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव मण्डल वन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला कलक्टर एवं वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजेगें।

4) उक्त प्रस्तावों के साथ नियमानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव संलग्न किये जावे। इस प्रयोजन हेतु भूमि उपनिवेश आयुक्त द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वन विभाग को उपलब्ध करायी जावेगी।

5) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि का आबंटन राज्य सरकार द्वारा वन विभाग को किया जावेगा।

6) सघन वन क्षेत्रों के मध्य स्थित अथवा इधर उधर छितरे हुए अतिक्रमणों को वन सीमा के पास स्थानान्तरित किया जावेगा ताकि वन सुरक्षा पर इसका प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन ऐसे स्थानान्तरणों में निर्णय-संबंधित उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक वन संरक्षक की एक समिति द्वारा मौका देने पश्चात् ही लिया जावेगा।

7) अतिक्रमण को नियमित करने के लिए डी-नोटिफाई करने वाले क्षेत्र को '' डिमोर्केट'' कर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह बनाये जावें।

8) नियमन की कार्यवाही दिनांक 31-7-1991 से पूर्ण संपूर्ण की जावें।

9) वन भूमि पर 1-7-1980 के पश्चात् के अतिक्रमणों को किसी भी अवस्था में नियमन नहीं किया जावेगा तथा ऐसे अतिक्रमियों को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही कर उन्हें वन भूमि से बेदखल किया जावें।

(2) विस्थापितों द्वारा अतिक्रमण की गई वन भूमि का नियमन

सिंचाई बांधो के डूंद क्षेत्र में आने वाले गांवों के विस्थापितों ने जिस वन भूमि पर 1-1-1989 से पूर्व अतिक्रमण कर रखा हो, उसका नियमन भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् किया जा सकेगा।

इस निर्णय की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

(क) नियमन की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा 10 बीघा होगी लेकिन वर्तमान में काबिज क्षेत्र से ज्यादा नहीं होगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति के पास पूर्व में कुछ भूमि कब्जे में है तो उतनी भूमि 10 बीघा में से कम करते हुए अवशेष भूमि का ही नियमन किया जावेगा।

(ग) ऐसे समस्त प्रकरणों का संयुक्त सर्वेक्षण तहसीलदार व क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अतिक्रमी

विस्थापित है तथा उसके पास कुल कितनी भूमि कब्जे में हैं उक्त अधिकारी अपनी संयुक्त रिपोर्ट संबंधित मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक को प्रस्तुत करेगें।

(घ) उक्त रिपोर्ट के आधार पर मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक, वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर व वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित करें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक उक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

(च) उक्त प्रस्तावों के साथ नियमानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव संलग्न किये जावें। इस प्रयोजन हेतु भूमि उपनिवेशन आयुक्त द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वन विभाग को उपलब्ध करायी जावेगी।

(छ) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि का आबंटन राज्य सरकार द्वारा वन विभाग को किया जावेगा।

(ज) सघन वन क्षेत्रों के मध्य स्थित अथवा इधर-उधर छितरे हुए अतिक्रमणों को वन सीमा के पास स्थानान्तरित किया जावेगा ताकि वन सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन ऐसे स्थानान्तरणों में निर्णय संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक की एक समिति द्वारा मौका देखने के पश्चात् ही लिया जावेगा।

(झ) नियमन की कार्यवाही दिनांक 31-7-1991 तक पूर्ण की जावेगी ।

आज्ञा से

(एन.एन. तनखा)

उप शासन सचिव, वन

राज्य की वन भूमि पर अतिक्रमण

144. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 1980 के दशक में केन्द्र सरकार द्वारा वन नीति बनाई गई थी? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की वन नीति के क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये?

(2) गत पांच वर्षों में वन क्षेत्र की भूमि पर कितने लोगों ने अनाधिकृत कब्जा किया, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार ने

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

वन क्षेत्रों पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही की तथा कितने अनाधिकृत कब्जा करने वालों को वन क्षेत्र से हटाया गया? यदि नहीं, तो क्यों? जिन वन क्षेत्रों में अनाधिकृत कब्जा हुआ उसके लिये उत्तरदायी कौन-कौन से अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी। हां। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में वन नीति बनाई गई थी, राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.49 प्रतिशत वन क्षेत्र है तथा राजस्थान की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 33 प्रतिशत भाग वृक्षाच्छादित किया जाना अत्यन्त कठिन है। अतः स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 20 प्रतिशत भू-भाग को वृक्षाच्छादित किया जाना व्यवहारिक माना गया है। वन नीति क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं:-

1. वृक्षाच्छादित क्षेत्रों में बढ़ोतरी के लिए वृक्षारोपण की विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना इंदिरा गांधी नहर वृक्षारोपण परियोजना, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, राष्ट्रीय वनीकरण योजना, वानिकी विकास परियोजना, कोम्बेटिंग डेजर्टीफिकेशन प्रोजेक्ट एवं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजनाओं के अन्तर्गत वृह्द स्तर पर वृक्षारोपण कार्य किया गया है।
2. मरूस्थल को बढ़ने से रोकने हेतु टिब्बा स्थिरीकरण कार्य करवाये जा रहे हैं।
3. फार्म वानिकी के अन्तर्गत जन सामान्य को पौधे वितरित किये जा रहे हैं।
4. वनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत 4224 वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का गठन किया गया है। गठित गयी है। सुरक्षा समितियों को 3000 महिला उप समितियां सहयोग वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में लिया जा रहा है तथा जनता वन योजना का क्रियान्वयन किया गया है।
5. वृक्षारोपण कार्यों में जन समुदाय की भागीदारी हेतु प्रतिवर्ष विभिन्न स्थलों पर वन महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है।

(वन मंत्री)

6. वर्ष 1991 से 2005 तक पन्द्रह वर्षों में 6.27 लाख है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। जो राज्य के क्षेत्रफल का मात्र 1.9 प्रतिशत है।

वनों की सुरक्षा एवं विकास के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1993 से 2003 के मध्य भारत सरकार की फोरेस्ट स्टेट्स रिपोर्ट के आधार पर कुल 2937 वर्ग किलोमीटर वृक्षाच्छादित क्षेत्र में अभिवृद्धि अंकित की गई है।

वन नीति के क्रियान्वयन हेतु वित्तिय संसाधनों की कमी, वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रों के चिन्हीकरण एवं पर्याप्त मानव संसाधन का अभाव चुनौतियां हैं। वित्तिय संसाधनों को विभिन्न बाह्य सहायता एजेन्सियों तथा भारत सरकार से प्राप्त कर वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के पूर्व प्रयास किये जा रहे है।

(2) गत पांच वर्षों में वन क्षेत्र की भूमि पर अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जों की जिलेवार सूची परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है। वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने वालो के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है। वन क्षेत्रों से अनाधिकृत कब्जा करने वालों को बेदखल किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ''क'' में दिया गया है। अनाधिकृत कब्जा किये जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अत: इसमें किसी का दोष नहीं होने से किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

गत पांच वर्षों में वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिल	गत पांच वर्षों में वन भूमि पर अतिक्रमियों की संख्या	बेदखल किये गये अतिक्रमियों की संख्या
1.	अजमेर	45	38
2.	अलवर	454	193
3.	बांसवाड़ा	00	00
4.	बारां	22036	31565
5.	बाड़मेर	6	0
6.	भरतपुर	27	26

क्र.सं.	जिल	गत पांच वर्षों में वन भूमि पर अतिक्रमियों की संख्या	बेदखल किये गये अतिक्रमियों की संख्या
7.	भीलवाड़ा	224	224
8.	बीकानेर	150	13
9.	बून्दी	2878	2672
10.	चित्तौड़गढ़	6354	1452
11.	चूरू	3	3
12.	दौसा	372	177
13.	धौलपुर	110	105
14.	डूंगरपुर	4426	1122
15.	गंगानगर	9	0
16.	हनुमानगढ़	113	27
17.	जयपुर	42	1
18.	जैसलमेर	0	0
19.	जालौर	6	2
20.	झालावाड़	3973	3794
21.	झुंझनूं	95	95
22.	जोधपुर	717	0
23.	करौली	511	605
24.	कोटा	717	640
25.	नागौर	69	69
26.	पाली	238	68
27.	राजसमन्द	476	394
28.	सवाई माधोपुर	100	22
29.	सीकर	460	387
30.	सिरोही	469	0
31.	टोंक	378	378
32.	उदयपुर	7966	1573
	योग	**53424**	**45645**

नोट :- बारां तथा करौली जिले में हटाये गये अतिक्रमणों में वे अतिक्रमण भी शामिल हैं, जो पांच वर्ष से पूर्व किये गये थे तथा इन्हें गत पांच वर्षों की अवधि में ही हटाया गया है।

शीत लहर से नष्ट फसलों का मुआवजा

145. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेगा:-

(1) राज्य में इस वर्ष शीत लहर से रबी की फसलों को कितना नुकसान हुआ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा आज तक फसलों की तबाही पर किसानों को कितना मुआवजा व सहायता राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य में दिसम्बर, 2005 के द्वितीय पखवाड़े में एवं जनवरी, 2006 में शीतलहर से रबी फसलों में मुख्यत: सरसों की फसल में नुकसान हुआ है। इस वर्ष विभागीय अनुमानुसार सरसों की बुवाई 29.82 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में हुई है जिसमें 44.89 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान था जो शीतलहर के कारण घट कर 38.94 लाख टन होने का अनुमान है। जिलेवार सरसों में नुकसान परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाया गया है।

(2) पाले से हुए नुकसान पर सहायता देने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

सरसों का बोया गया क्षेत्र एवं उत्पादन शीतलहर पूर्व एवं पश्चात्

क्षेत्रफल : हजार हैक्टेयर

उत्पादन : हजार टन

जिले का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल	अनुमानित उत्पादन	अनुमानित उत्पादन	उत्पादन में नुकसान	प्रतिशत नुकसान
		शीतलहर पूर्व	शीतलहर पश्चात		
1	2	3	4	5	6
अजमेर	33.3	43.0	41.6	1.4	3.3
जयपुर	129.7	168.0	129.7	38.3	22.8
दौसा	84.0	117.0	100.8	16.2	13.8
सीकर	54.6	71.0	57.3	13.7	19.3
झुंझनूं	85.0	119.0	63.8	55.2	46.4
जयपुर खण्ड	**386.6**	**518.0**	**393.2**	**124.8**	**24.1**
अलवर	254.3	445.1	244.0	201.1	45.2

1	2	3	4	5	6
भरतपुर	210.8	442.7	316.0	126.7	28.6
धौलपुर	70.5	119.8	120.0	-	-
सवाई माधोपुर	166.0	215.8	225.0	-	-
करौली	88.3	145.7	106.0	39.7	27.2
भरतपुर खण्ड	**789.9**	**1369.1**	**1011**	**367.5**	**26.8**
बीकानेर	48.4	61.9	39.2	22.7	36.7
चूरू	20.0	24.0	12.0	12.0	50.0
श्रीगंगानगर	289.0	433.5	318.0	115.5	26.6
हनुमानगढ़	161.0	225.4	249.6	-	-
श्रीगंगानगर खण्ड	**518.4**	**744.8**	**618.8**	**150.2**	**20.2**
जोधपुर	60.0	84.0	78.0	6.0	7.1
जैसलमेर	105.7	126.8	111.5	15.3	12.1
जालौर	65.0	78.0	78.0	0.0	0.0
बाड़मेर	18.0	23.4	18.0	5.4	23.1
नागौर	135.5	215.6	215.5	0.1	0.0
पाली	25.1	30.1	30.1	0.0	0.0
सिरोही	33.4	48.3	46.7	1.6	3.3
जोधपुर खण्ड	**442.7**	**606.2**	**577.8**	**28.4**	**4.7**
कोटा	105.3	188.3	183.1	5.2	2.8
बारां	188.2	309.2	320.6	-	-
बून्दी	101.7	173.3	179.0	-	-
झालावाड़	56.3	90.0	90.0	0.0	0.0
टोंक	237.0	308.1	308.1	0.0	0.0
कोटा खण्ड	**688.5**	**1068.9**	**1080.8**	**5.2**	**0.5**
बांसवाड़ा	0.6	0.4	0.6	-	-
डूंगरपुर	1.4	1.3	1.3	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6
उदयपुर	23.5	39.1	37.6	1.5	3.8
उदयपुर खण्ड	**25.5**	**40.8**	**39.5**	**1.5**	**3.7**
भीलवाड़ा	45.0	45.1	54.0	-	-
चित्तौड़गढ़	79.5	95.4	111.3	-	-
राजसमंद	6.0	8.5	7.8	0.7	8.2
भीलवाड़ा खण्ड	**130.5**	**149.0**	**173.1**	**0.7**	**0.5**
राज्य	**2982.1**	**4496.8**	**3894.2**	**678.3**	**15.1**

गुढ़ामालानी के ऋणी काश्तकारों को फसल बीमा का लाभ

146. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004-05 में खरीफ की फसल के लिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा गुढ़ामालानी, जिला बाड़मेर द्वारा किसानों को ऋण दिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि ऋणी कृषकों से खरीफ फसल के प्रीमियम की राशि ली गई थी? यदि हां, तो काश्तकारों की सूची मय ऋण राशि एवं प्रीमियम राशि के सदन की मेज पर रखें। यदि प्रीमियम राशि नहीं ली गई तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बैंकों द्वारा खरीफ फसल के लिये ऋणों के वितरण के समय बैंकों द्वारा ही अनिवार्य रूप से प्रीमियम राशि ली जाकर राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी को भेजना था? यदि हां, तो क्या इसकी पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि गुढ़ामालानी तहसील क्षेत्र में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा द्वारा गुढ़ामालानी के ऋणी काश्तकारों को फसल बीमा का लाभ नहीं दिया गया? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(5) क्या यह भी सही है कि बैंक द्वारा प्रीमियम राशि अनियमित रूप से ए.टी.एल में जमा कर दी गई? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी। हां।

(2) जी। नहीं। किसी भी ऋणी कृषक द्वारा खरीफ फसल में बोई जाने वाली फसलों का विवरण एवं बुवाई क्षेत्र से बैंक को अवगत नहीं करवाया गया जिस कारण संसूचित फसलों के बीमा हेतु प्रीमियम राशि किसी भी काश्तकार के नाम शाख नहीं किया गया है।

(3) जी। हां। इसकी पालना नहीं की गई क्योंकि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार संसूचित फसलों की प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि भिन्न-भिन्न थी। ऋणी कृषक के द्वारा बोई जाने वाली संसूचित फसलों का विवरण एवं बुवाई क्षेत्र से बैंक को अवगत नहीं करवाया गया गुढामालानी के ऋण कृषकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को बीमा नहीं करवाने के लिए लिखित में आवेदन कर प्रीमियम राशि नाम नहीं करने के लिए आग्रह किया।

(4) जी। हां। भारतीय स्टेट बैंक गुढामालानी के ऋणी कृषकों द्वारा बोई जाने वाली फसलों के बुवाई क्षेत्र के विवरण व ब्यौरे के अभाव में फसल बीमा नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार बैंक द्वारा ऋणी कृषकों की प्रीमियम अनिवार्य रूप से काटी जानी थी। इसके लिए बैंक उत्तरदायी है।

(5) जी नहीं।

डेगाना (नागौर) तहसील हेतु आबंटित कैरोसीन

147. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) सरकार द्वारा माह जून, 2005 से जनवरी, 2006 तक तहसील डेगाना (नागौर) की विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रति माह कितना-कितना केरोसिन आबंटित किया गया? विवरण ग्राम पंचायतवार व माहवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त केरोसिन आबंटन पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा व क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा माह जून, 2005 से जनवरी, 2006 तक तहसील डेगाना (नागौर) की ग्राम पंचायतों को किये गये केरोसीन आबंटन का विवरण ग्राम पंचायतवार व माहदार परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी। नहीं। केरोसीन आबंटन में पक्षपात नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1

डेगाना तहसील क्षेत्र में माह जून, 05 से जनवरी, 06 तक आबंटित केरोसीन की सूचना

क्र. सं.	नाम	ग्राम	राशन कार्ड संख्या	केरोसीन की आवंटित मात्रा								
				जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर से राशन कार्ड संख्या	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ओम प्रकाश	गोरारी चाचा	798	2305	3439	3439	3439	798	3187	2578	2578	2578
2.	गणपतलाल	गोरारी चाचा	892	3600	3668	3668	3668	892	3444	2881	2881	2881
3.	रामगोपाल	गोरारी चाचा	800	2300	3444	3444	3444	800	3192	2584	2584	2584
4.	श्यामसुन्दर	गोरारी चाचा	914	2640	3721	3721	3721	914	3504	2952	2952	2952
5.	गणपत (अ)	जगरवास	1068	4100	5095	5295	5295	1068	4926	3450	3450	3450
6.	मुकेश सिंह	चांदारूण	1026	2923	2493	3293	3293	450	1233	1454	1454	1454
7.	भंवरसिंह	चांदारूण	माह अक्टूबर से नवनियुक्त उ.मू. दुकानदार					576	2578	1860	1860	1860
8.	परसाराम	मीठडिया	570	1755	1385	2185	2185	570	2362	1841	1841	1841
9.	प्रेमसुख	लंगौड़	993	3000	3413	3213	3213	993	3521	3207	3207	3207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	नन्दसिंह	रैंवत	669	1932	2326	2326	2326	669	2533	2161	2161	2161
11.	राजूराम	किथलसर	1248	3604	3833	3826	3826	1248	4120	4031	4031	4031
12.	शिवसिंह	तिलानेश	687	2000	1669	1669	1669.41	687	2882	2219	2219	2219
13.	तेजाराम	रामश्री	430	1500	1545	1545	1545	430	1678	1389	1389	1389
14.	बाबूलाल	इडवा	1326	4160	3222	3222.18	3222	653	1789	2109	2109	2109
15.	नवल किशोर	इडवा	माह अक्टूबर से नवनियुक्त उ.मू. दुकानदार					673	1844	2174	2174	2174
16.	रामनिवास	पालियास	705	2036	1713	1713.15	1713	705	1932	2277	2277	2277
17.	हनुमानराम	खारिया रेनवा	277	800	673	673.11	673.1	277	759	895	895	895
18.	किशनसिंह	मान्डल जोदा	567	1630	1378	1377.81	1378	567	1554	1831	1831	1831
19.	तेजसिंह	मान्डल जोदा	625	1800	1519	1518.75	1519	625	1713	2019	2019	2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	पन्नेसिंह	पालडी कलां	1167	3300	2836	2835.81	2836	1167	3198	3769	3769	3769
21.	भीखाराम	मेवरा	460	1320	1118	1117.8	1118	460	1260	1486	1486	1486
22.	दुलाराम	मेवरा	448	1300	1089	1088.64	1089	448	1228	1447	1447	1447
23.	हनुमानराम	नाथवाड़ा	947	2735	3301	2301.21	2301	947	2595	3059	3059	3059
24.	कैलाश चन्द	नीम्बड़ी कलां	842	1330	3046	2846	2846	842	2907	2720	2720	2720
25.	रामगोपाल	निम्बी खंतोरिया	672	1940	3133	2433	2433	672	2641	2171	2171	2171
26.	तिलोकचन्द	डेगाना गांव	1157	3340	2812	3812	3812	477	1307	1541	1541	1541
27.	धर्मचन्द	डेगाना गांव	माह अक्टूबर से नवनियुक्त उ.मू. दुकानदार					680	2863	2196	2196	2196
28.	बृजमोहन	पुन्दलोता	649	2320	2277	2377	2377	649	2578	2096	2096	2096
29.	बृजमोहन	गोनरड़ा	973	2810	3164	3064	3064	973	3366	3143	3143	3143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	चन्द मो.	बीखरनीया कलां	906	2720	3202	2201.58	2202	710	1945	2293	2293	2293
31.	तेजाराम	इटावड़ा लाडनी	477	1378	1659	1159.11	1159	477	1307	1541	1541	1541
32.	जी.एस.एस.	बंवराला	550	1600	1337	1336.5	1337	550	1507	1777	1777	1777
33.	रत्नाराम	मोडारिया	476	1375	1157	11657	11657	476	1304	1537	1537	1537
34.	मिशाराम	सिराधना	590	1700	1434	1934	1934	590	2417	1906	1906	1906
35.	प्रहलाद सिंह	चम्पा खेड़ी	358	1100	870	869.94	869.9	358	981	1156	1156	1156
36.	रामजीराम	देवला माधा	380	1100	923	923.4	923.4	380	1041	1227	1227	1227
37.	पाबूराम	चोलीयास	451	1320	1096	1095.93	1096	451	1236	1457	1457	1457
38.	सुरेश कुमार	इगयासनी	326	1000	792	792.18	792.2	326	893	1053	1053	1053
39.	अर्जुनसिंह	बचवास	135	400	928	328.05	328.1	135	370	436	436	436
40.	जगदीश सिंह	बच्छवारी	484	1400	1176	1176.12	1176	484	1326	1563	1563	1563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	जगदीश सिंह	आकेली-बी	490	1400	1791	1190.7	1191	490	1343	1583	1583	1583
42.	छगनाराम	बूटाटी	1741	5000	5731	4231	4231	1741	4770	5623	5623	5623
43.	सरोज कंवर	जालसू नानक	1169	3300	2841	2841	2841	1169	3203	3776	3776	3776
44.	अम्बालाल	जासू खुर्द	334	1000	812	812	811.6	334	915	1079	1079	1079
45.	चम्पालाल	राजोद	850	3750	3066	2066	2066	850	2329	2746	2746	2746
46.	छेजूसिंह	पूनास	818	2400	2988	1988	1988	818	2241	2642	2642	2642
47.	बाबूलाल	मोगास	800	2000	1944	2744	2744	800	3192	2584	2584	2584
48.	राजेन्द्र सिंह	खिंदास	442	1280	1474	1574	1574	442	1711	1428	1428	1428
49.	सूरजकरण	खुडी कलां	1093	3150	2656	2656	2656	1093	2995	3530	3530	3530
50.	पुनमचंद	पंडवाड़ा	890	2600	3163	2163	2163	890	2439	2875	2875	2875
51.	खींयाराम	चोसलिया	1374	3960	3339	3339	3339	1374	3765	4438	4438	4438
52.	भंवराराम	बरना	906	2620	2202	2202	2202	906	2482	2926	2926	2926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	भंवरराम	ढाढरिया	635	1834	1543	1543	1543	635	1740	2051	2051	2051
54.	हरीराम	निम्बड़ी चांदावता	840	2426	2041	2041	2041	840	2302	2713	2713	2713
55.	राजेन्द्र सिंह	सारसन्डा	657	1900	2797	2351	2351	657	2400	2122	2122	2122
56.	लालसिंह	आन्तरोली	660	3000	2604	2504	2504	660	2708	2132	2132	2132
57.	रामेश्वर लाल	निम्बोला क्लां	882	2547	2143	2143	2143	882	2417	2849	2849	2849
58.	सुरज करण	हिरणी ढाणी	1012	2920	3459	2459	2459	1012	3773	3269	3269	3269
59.	राधेश्याम	भदवासी	812	2580	2973	1973	1973	812	2225	2623	2623	2623
60.	माधाराम	चरडास	180	520	437	437	437	180	493	581	581	581
61.	गोधाराम	चूई	1063	3070	3083	3083	3083	1063	3713	3433	3433	3433
62.	जोगेन्द्र सिंह	चूवा	749	2163	1820	1820	1820	749	2052	2419	2419	2419
63.	रामदेवराम	कुतयासनी	268	774	651	651	651	268	734	866	866	866
64.	प्रेमसुख	डोवाली मीठी	471	1360	1145	1145	1145	471	1291	1521	1521	1521
65.	हरकरणराम	गुनसली	540	1560	1312	1312	1312	540	1480	1744	1744	1744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66.	प्रेमकुमार	राजापुरा	215	621	522	522	522	215	589	694	694	694
67.	जोधाराम	मांझी	1037	2995	3020	2520	2520	1037	2841	3350	3350	3350
68.	जीमनाराम अ.	सांजू	441	1275	1072	1072	1072	317	869	1024	1024	1024
75.	जीमनाराम	सांजू	402	1160	977	977	977	-	0	0	0	0
69.	हडमानराम	सांजू	माह अक्टूबर से नवनियुक्त उ.मू. दुकानदार					526	1441	1699	1699	1699
70.	हरीप्रसाद	थाटा	1205	3550	3928	3728	3728	1205	4202	3892	3892	3892
71.	हरीप्रसाद	राजलोता	1458	4210	4743	4243	4243	1458	4895	4709	4709	4709
72.	हरीप्रसाद	हरसौर	2106	6082	6918	5118	5118	2106	5770	6802	6802	6802
73.	रंगलाल	जाखेड़ा	889	2567	2160	2160	2160	889	2436	2871	2871	2871
74.	शंकरराम	हबचर सांजू	342	1000	831	831	831	342	937	1105	1105	1105
76.	बलदेवराम	डोडियाना	1020	1993	2479	2479	2479	1020	2795	3295	3295	3295
77.	देवीलाल	सुदवाड़ा	875	2527	2126	2126	2126	875	2398	2826	2826	2826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78.	सत्यनारायण	आलनियावास	791	2420	1922	1922	1922	791	2167	2555	2555	2555
79.	बाबूसिंह	आलनियावास	430	1242	1045	1045	1045	430	1178	1389	1389	1389
80.	महेन्द्रसिंह	आलनियावास	401	1158	974	974	974	401	1099	1295	1295	1295
81.	राजेन्द्र कुमार	आलनियावास	464	1340	1128	1128	1128	464	1271	1499	1499	1499
82.	तेजाराम	सथाना कलां	928	3696	3255	2255	2255	434	1189	1402	1402	1402
83.	भंवरलाल	सथाना खुर्द	माह अक्टूबर से नवनियुक्त उ.मू. दुकानदार					494	1354	1596	1596	1596
84.	महावीर सिंह	कोड	567	1635	1378	1378	1378	567	1554	1831	1831	1831
85.	राजश्री	टेहला	375	1125	911	1711	1711	375	1828	1211	1211	1211
86.	राजश्री	गुढ़ा जगमालोता	875	2550	3126	2826	2826	875	3098	2826	2826	2826
87.	भीखाराम	थांवला	2759	7976	6704	6704	6704	1367	3746	4415	4415	4415
88.	मंगलपुरी	थांवला	माह अक्टूबर से नवनियुक्त उ.मू. दुकानदार					1392	3814	4496	4496	4496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89.	उजीर खां	ढाणीपुरा	768	2200	1866	1866	1866	768	2104	2481	2481	2481
90.	ओम प्रकाश	लाडपुरा	1339	3860	3254	3254	3254	644	1765	2080	2080	2080
91.	बुद्धाराम	लाडपुरा	माह अक्टूबर से नवनियुक्त उ.मू. दुकानदार					695	1904	2245	2245	2245
92.	ओम प्रकाश	बाढ़ी घाटी	815	2350	1980	1980	1980	815	2233	2632	2632	2632
93.	भंवर सिंह	निम्बोला बिसवा	1349	3990	3278	3278	3278	1349	3696	4357	4357	4357
94.	मूरलीधर	मोड़ी कलां	832	2420	2022	2022	2022	832	2280	2687	2687	2687
95.	रामरतन	मोरीयाना	500	1440	1215	1215	1215	500	2070	1615	1615	1615
96.	किशनलाल	भैरून्दा	914	2630	2971	2221	2221	914	2504	2952	2952	2952
97.	जगदीश सिंह	भैरून्दा	888	2557	2908	2158	2158	888	2433	2868	2868	2868
98.	सत्यनारायण	नृसिंह बासनी	443	1279	1076	1076	1076	443	1214	1431	1431	1431
99.	गणपतलाल	डेगाना गांव	विद्यार्थी	500	500	500	500	विद्यार्थी	500	500	500	500
		योग	**71147**	**211035**	**210189**			70951				

सीकर के राशन डीलर्स

148. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में किन–किन स्थलों पर राशन डीलर्स नियुक्त नहीं हैं व इन स्थानों पर अस्थाई चार्ज किन को दिया गया है? राशन डीलर्स के रिक्त होने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इन स्थानों पर राशन डीलर्स की नियुक्ति कब तब कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) जिला रसद अधिकारी सीकर से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान विधान सभा क्षेत्र सीकर में तीन स्थानों पर डीलर नियुक्त नहीं हैं, इनका विवरण, अस्थाई चार्ज मय रिक्त होने की दिनांक सहित निम्न प्रकार है:-

रिक्त दुकान का स्थान	अस्थाई डीलर का नाम	रिक्त होने की दिनांक
ग्राम पंचायत भादवासी	श्री सुरेश जैन उ.मू.दु वार्ड नं. 35, सीकर	25.06.2002
ग्राम पंचायत कुडली	श्री सुरेश जैन उ.मू.दु वार्ड नं. 35, सीकर	27.01.2003
ग्राम पंचायत बेरी (वार्ड सं. 1 से 10)	श्री भंवर सिंह, उ.मू.दु. ग्राम पंचायत तारपुरा	03.01.2003

(2) उपरोक्त रिक्त तीनों स्थानों के लिए सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की जाकर उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये । भादवासी व बेरी की उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्र उचित मूल्य दुकान आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके है। समिति की अभिशंसा के आधार पर दुकान आबंटित करने की कार्यवाही की जा रही हैं।

ग्राम पंचायत कुड़ली की दुकान के लिए एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने हेतु पुन: सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की जा रही है।

सिरोही जिले के चयनित परिवारों को गेहूं वितरण

149. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) **:** क्या खाध एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले में कुल कितने गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, इनके लिए गेहूं की सिरोही जिले की मांग क्या है एंव इस श्रेणी के लिए वर्ष 2005 में कितना गेहूं सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया?

(2) कितने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों ने गेहूं राशन विक्रेता से प्राप्त किया? वर्ष 2005 की माहवार संख्या सदन की मेज पर रखे। उक्त गेहूं उपलब्ध न कराने की कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वर्तमान में कुल 41836 बी.पी.एल. परिवार हैं। इनमें से अन्त्योदय अन्न योजना में अब तक चयनित परिवारों की संख्या 15349 को कम करने पर वर्तमान में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 26487 हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इन परिवारों के लिए वर्तमान में 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है। इस तरह सिरोही जिले की बी.पी.एल. परिवारों हेतु वर्ष 2005 में 12 माह की मांग 11857 मै. टन थी।

राज्य को आबंटित खाद्यान्न का समानुपातिक आधार पर जिलों को आवंटन किया जाता है। सिरोही जिले के बी.पी.एल. परिवारों के लिए वर्ष 2005 में निम्न प्रकार खाद्यान्न आबंटित किया गया है:-

गेहूं	9463 मै. टन
चावल	1202 मै. टन
मक्का	455 मै. टन
कुल	11120 टन

(2) जिला रसद अधिकारी, सिरोही से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले के चयनित बी.पी.एल. परिवारों में से राशन विक्रताओं से वर्ष 2005 में गेहूं

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

लेने वाले लाभान्वित परिवारों की मासिक संख्या का विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

गेहूं उपलब्ध न कराने के संबंध में इस अवधि में कुल 7 शिकायतें प्राप्त हुई। दो शिकायतों में भारतीय खाद्य निगम डिपो में गेहूं आने पर उठाव करवाकर वितरण करवा कर इन शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। दो मामलों में प्राधिकार पत्र निलंबित किये गये और शेष तीन मामलों में विचाराधीन है।

परिशिष्ट-।

सिरोही जिले में विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को आबंटित गेहूं वितरण द्वारा लाभान्वित परिवारों की सूचना

(मात्रा मैट्रिक टन में)

क्रम संख्या	माह का नाम	लाभान्वित परिवारों की संख्या
1	जनवरी, 05	28000
2	फरवरी, 05	28000
3	मार्च, 05	28000
4	अप्रैल, 05	23628
5	मई, 05	25142
6	जून, 05	18943
7	जुलाई, 05	16843
8	अगस्त, 05	17471
9	सितम्बर, 05	16343
10	अक्टूबर, 05	19629
11	नवमबर, 05	19457
12	दिसम्बर, 05	16171

पंचायत बोरटा व खेड़ा (भीनमाल) ग्राम में राशन की दुकानों का आबंटन

150. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में राशन की दुकानें आबंटित किये जाने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में कितनी राशन की दुकानें किस-किस व्यक्ति/फर्म को कब-कब आबंटित की गयी? दुकानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी आबंटित दुकानों में निर्धारित मानदण्ड अपनाये गये? यदि हां, तो ग्राम पंचायत बोरटा व खेड़ा की राशन की दुकानों का आबंटन किन कारणों से नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन दुकानों का आबंटन सरकार निर्धारित मानदण्ड के अनुसार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इनका आवंटन कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए 2 हजार उपभोक्ता इकाई पर एक दुकान का मापदण्ड निर्धारित है। भौगोलिक दृष्टि से इस मापदण्ड में शिथिलता भी प्रदान की गई है।

उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु समय-समय पर विभागीय निर्देश जारी किये गये है। विभाग के नवीनतम निर्देश दिनांक 07.10.2005 से प्रचलित है। रिक्त दुकानों के आबंटन हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर पात्र व्यक्तियों से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदक उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील के लिए शैक्षणिक योग्यता 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण) होना निर्धारित है। प्रचलित दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में कुल 3 राशन की दुकानों का आबंटन किया गया है। सूची परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी हां। जिला रसद अधिकारी, जालौर से प्राप्त सूचना के अनुसार आबंटित सभी दुकानों में निर्धारित मापदण्ड अपानाये गये हैं। ग्राम पंचायत बोरटा तहसील भीनमाल में बोरटा एवं खेड़ा की राशन दुकान का आबंटन प्रक्रियाधीन हैं।

(4) जी हां। ग्राम पंचायत बोरटा में एवं खेड़ा की उचित मूल्य दुकानों का भी शीघ्र ही निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आबंटन किया जावेगा।

परिशिष्ट "1"

क्रमांक: एफ74(7)खा.वि/सा.वि.प्र./87111 जयपुर, दिनांक 07.10.2005

समस्त, जिला कलक्टर्स
राजस्थान।

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

उचित मूल्य दुाकानों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों/निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं:-

आबंटन प्रक्रिया

(1) आवेदन पत्र आमंत्रित करना:-

(क) रिक्तियों का निर्धारण कर जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञाप्ति करायेगें।

(ख) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा जिस पर आवेदनकर्ता का छाया चित्र लगा होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र आवेदक द्वारा संलग्न किये जावेगे:-

(i) उसी क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण (वार्ड या ग्राम का निवासी)

(ii) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण (आवेदक न्यूनतम आठवी कक्षा उतीर्ण होना चाहिये, लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र व बारां के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के लिये अनु. जन जाति/ सहरिया व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवी कक्षा उतीर्ण होगी।)

(iii) पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित नहीं होने, दुकान का संचालन स्वयं करने, परिवार के किसी सदस्य यथा-माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता पिता पर आश्रित बालिका पुत्र के नाम पूर्व से ही दुकान नहीं होने का शपथ पत्र व कोई विधिक अयोग्यता नहीं होने का शपथ पत्र।

(iv) प्रस्तावित दुकान का नक्शा जो प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संविक्षा के समय प्रमाणित किया जायेगा।

(v) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 25,000 रुपये का हैसियत का प्रमाण पत्र।

(vi) आवेदक बालिग स्वस्थ चित्त हो एवं चाल चलन ठीक हो तथा दिवालिया घोषित न हुआ हो।

(vii) दुकान केन्द्रिय स्थल पर स्थित हो ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुंच सकें तथा दुकान से आटे की चक्की, परचूनी की दुकान, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा एवं इसी प्रकार की अन्य संस्थान सुरक्षित दूरी पर हो।

(viii) आवेदक पूर्व के दस वर्षों की अवधि में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डित नहीं हुआ हो, ना ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, बाबत् घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।

(ix) उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरुद्ध गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो तो भविष्य में ऐसे आवेदकों को कभी भी उचित मूल्य दुकान आबंटित नहीं की जावे।

(ग) नियत, तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा कर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक से आवेदक की पात्रता एवं दुकान के प्रस्तावित स्थान की उपयुक्तता बाबत स्पष्ट टिप्पणी उपरोक्त बिन्दुओं पर ली जावें। समस्त आवेदक पत्रों को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय करने का अधिकार सलाहकार समिति को ही होगा।

(घ) आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आबंटन रद्द करने का अधिकार समक्ष अधिकारी को होगा।

(2) <u>आबंटन सलाहकार समिति:</u>

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंसा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगी:-

आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति पर

सहमति/संस्था की पात्रता के बारे में मतभेद होने पर बहुमत द्वारा की गई अभिशंसा को जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जिसे जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आबंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति/ संस्था के चयन के संबंध में सर्व सम्मति से की गयी अभिशंसा को मानना जिला कलक्टर के लिये अनिवार्य होगा। सहकारी संस्थाओं के संबंध में सहायक पंजीयक/ उप पंजीयक से अभिशंसा प्राप्त की जावे। जिसमें यह स्पष्ट वर्णित होना चाहिये कि गत 3 ऑडिट रिपोर्टो में गंभीर अनियमितता किया जाना पाया गया है अथवा नहीं।

आबंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिये एक नाम रिजर्व सूचि के रूप में प्रस्तावित किय जावेगा। यदि कभी भी उचित मूल्य दुकान के डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने अथवा अन्य किसी कारण से कोई स्थान रिक्त होता है तो रिजर्व सूची से तत्काल नियुक्ति की जावेगी।

(3) प्राधिकार पत्र जारी करना:-

चयनित अभ्यार्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस हेतु चयन की सूचना से आवेदक को अवगत कराया जाकर निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने के निर्देश दिये जावेगे। यथासंभव दुकान आबंटन की समस्त प्रक्रिया एक माह में पूर्ण करली जावेगी। चयनित व्यक्ति का छायाचित्र अध्यक्ष, आबंटन समिति द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

(4) मृत डीलर के आश्रितों को अनुकम्पात्मक आबंटन:-

उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के निम्न सदस्यों में से एक को निम्न वरीयता कम से दुकान आबंटित कर प्राधिकार पत्र को संशोधित किया जावेगा:-

1. मृतक की विधवा
2. बालिग पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो
3. बालिग अविवाहित पुत्री जो मृतक पर आश्रित हो
4. विधवा पुत्री

नगरीय क्षेत्र हेतु:-

(क) जिला रसद अधिकारी   अध्यक्ष

(ख) नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या सदस्य उनके द्वारा मनोनीत जनप्रतिनिधी/ अधिकारी

(ग) तहसीलदार   सदस्य

(घ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के

(i) सामाजिक कार्यकर्ता   एक   सदसय

(ii) उपभोक्ता   एक   सदस्य

(iii) महिला उपभोक्ता   एक   सदस्य

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु

(क) जिला रसद अधिकारी   अध्यक्ष

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच   सदस्य

(ग) तहसीलदार   सदस्य

(घ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के

(i) सामाजिक कार्यकर्ता   एक   सदस्य

(ii) उपभोक्ता   एक   सदस्य

(iii) महिला उपभोक्ता   एक   सदस्य

आबंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

उक्त समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंसा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय निम्न प्राथमिकता क्रम को ध्यान में रखा जायेगा:-

(i) शिक्षित बेरोजगार

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति

(iii) महिलायें-विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

(iv) भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा

(v) बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील क्षेत्रों में 50 प्रतिशत दुकान सहरिया जाति को आबंटित की जायेगी। तथा जन जाति उपयोजना क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को एवं शेष 50 प्रतिशत सामान्य प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकान आबंटित की जावेगी।

उक्त अनुसार आबंटन करते समय बिन्दु सं. 2 से 4 के आवेदकों से

परिवार के अन्य सदस्यों यथा माता बालिग भाई व अविवाहित बालिग बहिनों से अनापति का प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रयोजनार्थ परिवार में एक ही साथ रहने वाले एवं मृतक डीलर पर आश्रित उपरोक्त श्रेणी के परिजनों को ही सम्मिलित किया जावे ।

(5) सामान्य

1.प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर शिकायत एवं निरीक्षण पुस्तिकाऐं रखी जावे तथा प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जावें।

परिशिष्ट "2"

सूची उचित मूल्य दुकानों की विधान सभा क्षेत्र भीनमाल

क्र. सं.	प्राधिकार पत्र संख्या मय दिनांक	नाम राशन डीलर	दुकान का मुख्यालय	ग्राम पंचायत
1	9/25.04.05	रघुनाथराम/परखाराम चौधरी	जालमपुरा	जीवाणा
2	27/03.05.05	गणपतराम/तलसाराम कलबी	नोहरा	निम्बावास
3	31/06.05.05	छैलपुरी/जूठपुरी गोस्वामी	डाबली राठौड़ान	राह

बांसवाड़ा के ग्रामीण विद्यालयों में रिक्त पद

151. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा शहर के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कितने अध्यापक अतिरिक्त कार्यरत हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2005 को कैम्प बांसवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा को विद्यालयवार कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना दी गई थी? यदि हां, तो क्या उस पर जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा कार्यवाही अमल में लाई गई? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जिला बासंवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद इस प्रकार से है:-

उ.प्रा.वि.		प्रा.वि		योग	
द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
110	09	-	460	110	469

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा ने विभाग को रिक्त पदों की सूचना कार्यवाही हेतु भिजवा दी।

तारानगर के क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद

152. डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में कितने विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार वर्ष 2006-07 में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विद्यालयों की क्रमोन्नति के पश्चात् अध्यापकों एवं अन्य सुविधाओं को नहीं बढ़ाया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक उक्त विद्यालयों को सुविधायें उपलब्ध करवा दी जायेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2004-05 में 9 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर 2 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय तथा एक माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये। वर्ष 2005-06 में 4 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर 4 उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय तथा एक माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। जिनकी सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार कर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे।

(3) विद्यालयों के क्रमोन्नति के पश्चात् अध्यापकों के पद स्वीकृत कर दिये गये हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से एवं विभागीय पदोन्नति से चयनित आशार्थीयों को लगाया जाता है। अन्य सुविधाओं के संबंध में वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट ''क''

विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची

वर्ष 2004-05 में क्रमोन्नत विद्यालयो की सूची

राजकीय प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत:-

1.भामरा पं.स. तारानगर
2.बालिया पं.स. तारानगर
3. बास सारायण पं.स. तारानगर
4. रामपुरा पं.स तारानगर
5. गोगाटिया चारणान पं.स. तारानगर
6. ढ़ाणी मोती सिंह ग्राम पं.हडियाल पं.स.तारानगर
7. मदावास ग्रा.प. पूनराम पं.स. तारानगर
8. मिठ्ठी पट्टा, महलाना उतरादा पं.स. राजगढ़
9. मलवास (मलवास) पं.स. राजगढ़

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत:-

1.झाडसर कान्थलान
2. इन्द्रमणी शारदा तारानगर

राजकीय माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत:-

1.कोथड़ा

वर्ष 2005-06 में क्रमोन्नत विद्यालयो की सूची

राजकीय प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत :-

1. ढ़ाणी कुम्हारान (बालिका विद्यालय)
2.गाजूवास (बालिका विद्यालय)
3. राथेडी
4. भमबाडा

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत:-

1. चैनपुरा बड़ा
2. पुनरास
3. हाडिपाल
4. सारायण

राजकीय माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत:-

1. चंगोई

सिरोही जिले के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक

153. संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले में कुल कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं? इनमें कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं एवं शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने शिक्षक कार्यरत एवं कितने पद रिक्त हैं? प्रत्येक विद्यालय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही शहर में 01 दिसम्बर, 2003 के पश्चात् स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति व शिक्षण व्यवस्था के नाम पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने शिक्षक सिरोही शहर में लगाए गए? विवरण तिथि व शिक्षक की सूची सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, उनमें अध्ययनरत छात्र एवं स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अध्यापक के पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) सिरोही शहर में 1 दिसम्बर, 2003 के पश्चात् स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति व शिक्षण व्यवस्था के तहत लगाये अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत व्यय राशि

154. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में किस-किस मद में कितनी राशि प्राप्त हुई एवं 31 मार्च, 2004 तक कितना व्यय किया गया? शिक्षकों के वेतन के रूप में कितने पदों के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई एवं 31 मार्च, 2004 तक उसका क्या उपयोग किया गया?

(2) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत

(श्री संयम लोढ़ा)

वर्ष 2004-05 में किस-किस मद में कितना धन प्राप्त हुआ एवं 31 मार्च, 2005 तक कितना व्यय किया गया? शिक्षकों के वेतन के रूप में कितने पदों के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई व 31 मार्च, 2005 तक उसका क्या उपयोग किया गया?

(3) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2005-06 में किस-किस मद में अब तक कितना धन प्राप्त हुआ एवं अब तक कितना व्यय किया गया? शिक्षकों के वेतन के रूप में चालू वर्ष में कितने पदों के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई व उसका आज तक क्या उपयोग किया गया?

(4) राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 01 दिसम्बर, 2003 से अब तक कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गए? इनमें कितने शिक्षकों को लगाया जाना था एवं राज्य में अब तक कितनी भर्ती की गई? राज्य में नए भर्ती किए गए शिक्षकों में से कितने इन नये विद्यालयों में लगाए गए एवं कितने पहले से चल रहे प्राथमिक विद्यालयों या अन्यत्र लगाए गए?

(5) सिरोही जिले में 01 दिसम्बर, 2003 के बाद कितने नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए? जिले में कितने नए शिक्षक भर्ती किए जाने थे एवं कितने भर्ती किए गए एवं नए खोले गए प्राथमिक विद्यालयों में कितने नए शिक्षक लगाए गए? नए खोले गए प्राथमिक विद्यालयों में सिरोही जिले में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? मय सूची सिरोही जिले का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में केन्द्र सरकार से राशि रुपये 152.52 करोड़ तथा राज्य सरकार से राशि रुपये 62.55 करोड़ प्राप्त हुए। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से समेकित राशि प्राप्त होती है। मदवार राशि प्राप्त नहीं होती है। जो उस वर्ष की वार्षिक कार्य योजना के अधीन निम्न मदों में व्यय किये गये:-

(शिक्षा मंत्री)

S.N.	Name of Activies	Exp. 2003-2004 (Rs. in Lacs)
1	Teachers Salary	1002.591
2	Free Text Books for UPS Sc/St	295.328
3	Civil works	8520.656
4	Maintenance & Repairs	1901.480
5	TLE	604.844
6	School Grant	575.619
7	Teachers Grant	580.070
8	Teachers Training	675.880
9	Training for Community Leadrs	89.180
10	Provision for Disabled Children	72.795
11	Research, Evaluation. Supervision and Monitoring	131.865
12	Management Cost	274.948
13	Innovation	323.285
14	Block Resource Center	9.201
15	Cluster Resource Center	17.051
16	Interventions for out of School Children	6954.154
	Total	**22028.95**

शिक्षकों के वेतन के रूप में 1002.59 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2003-04 के एसएसए प्लान के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत पदों 11066 हेतु राशि प्राप्त है।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में केन्द्र सरकार से राशि रुपये 230.00 करोड़ तथा राज्य सरकार से राशि रुपये 105.43 करोड प्राप्त हुए। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से समेकित राशि प्राप्त होती है मदवार राशि प्राप्त नहीं होती है। जो उस वर्ष की वार्षिक कार्य योजना के अधीन निम्न मदों में व्यय किये गये:-

(शिक्षा मंत्री)

S.N.	Name of Activies	Exp. 2004-2005 (Rs. in Lacs)
1	Teachers Salary	7754.02
2	Free Text Books for UPS Sc/St	6.30
3	Civil Works	18605.76
4	Maintenance & Repairs'	2057.45
5	TLE	1628.04
6	School Grant	532.38
7	Teachers Grant	563.67
8	Teachers Training	994.66
9	Training for Community Leadrs	49.44
10	Provision for Disabled Children	160.43
11	Research, Evaluation. Supervision and Monitoring	293.21
12	Management Cost	1234.71
13	Innovation	633.38
14	Block Resource Center	154.08
15	Cluster Resource Center	220.02
16	Interventions for out of School Children O	3701.30
	Total	**38588.86**

शिक्षकों के वेतन के रूप में 7754.02 लाख का व्यय किया गया। वर्श 2004-05 के एसएसए प्लान के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत पदों 28640 हेतु राशि प्राप्त है।

(3) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में फरवरी, 2006 तक केन्द्र सरकार से राशि रुपये 588.29 करोड़ तथा राज्य सरकार से राशि रुपये 165.37 करोड प्राप्त हुए। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से समेकित राशि प्राप्त होती है मदवार राशि प्राप्त नहीं होती है। जो उस वर्ष की वार्षिक कार्य योजना के अधीन निम्न मदो में व्यय किये गये:-

(शिक्षा मंत्री)

S.No.	Name of Actives	Exp. 2003-2004 (Rs. in Lacs)
1	Teachers Salary	21010.91
2	Free Text Books for UPS Sc/St	0
3	Civil Works	22374.20
4	Maintenance & Repairs	1378.13
5	TLE	873.667
6	School Grant	564.236
7	Teachers Grant	603.982
8	Teachers Training	931.623
9	Training for Community Leadrs	28.495
10	Provision for Disabled Children	206.80
11	Research, Evaluation. Supervision and Moni-toring	155.95
12	Management Cost	1532.53
13	Innovation	581.24
14	Block Resource Center	196.71
15	Cluster Resource Center	576.55
16	Interventions for out of School Children O	3638.70
	Total	54653.75

शिक्षकों के वेतन के रूप में 2010.91 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2005-06 के एसएसए प्लान के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत पदों 40910 हेतु राशि प्राप्त है।

(4) राज्य में सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत 1 दिसम्बर, 2003 अब तक 3464 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये जिनमें 6928 अध्यापक लगाये जाने थे। राज्य में अब तक 35056 तृतीय श्रेणी अध्यापकों में से 3027 अध्यापक नये प्राथमिक विद्यालयों में लगाये गये शेष 32029 अध्यापको को पहले से चल रहे प्राथमिक विद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों यथा राजीव गांधी पाठशालाओं से परिवर्तित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगाया गया।

(5) सिरोही जिले में 1 दिसम्बर, 2003 के बाद 22 प्राथमिक विद्यालय खोले गये, सिरोही जिले में 1068 अध्यापक लगाये जाने थे, 571 अध्यापक लगाये गये, नवीन प्राथमिक विद्यालयो में 44 अध्यापकों के पद स्वीकृत है जिनमें 13 अध्यापकों के पद रिक्त है। सिरोही जिले का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

परिशिष्ट-क

खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालय (प्रपत्र 1)
जिला सिरोही में दिनांक 1.12.2003 से अब तक खोले गये प्रावि में स्वीकृत रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	विद्यालय खोलने/ परिवर्तित करने का वर्ष	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	वैकल्पिक व्यवस्था
1	सिरोही	2004-05	माताजी का गोलुआ बरलूट	2	1	0
2	शिवगंज	2004-05	मोइलाभाखरी बडगांव	2	1	0
3	शिवगंज	2004-05	परमारों की ढाणी वागसीन	2	0	0
4	रेवदर	2004-05	जेजापुरा भटाणा	2	1	0
5	रेवदर	2004-05	कडुवाआ नवयापुरा वरमाण	2	1	0
6	रेवदर	2004-05	हरणी अमरापुरा रेबारीवास	2	1	0
7	रेवदर	2004-05	जीरावल शीतलामाता मंदिर	2	1	0
8	रेवदर	2004-05	सितरोड़ी, (जैतावाड़ा)	2	1	0
9	रेवदर	2004-05	सोरड़ा बालिका	2	0	0
10	रेवदर	2004-05	रातीपीली मगरीवाड़ा	2	1	0
11	पिण्डवाडा	2004-05	नई झाडोली	2	0	0
12	पिण्डवाडा	2004-05	रेबारीवास सरूपगंज	2	0	0
13	पिण्डवाडा	2004-05	आबेला झाडोली	2	0	0
14	पिण्डवाडा	2004-05	निम्बज माता रोहिडा	2	0	0
15	पिण्डवाडा	2004-05	फुटेला आर्दश डूंगरी	2	1	0
16	पिण्डवाडा	2004-05	मागाजी आलवी न.पा. पिण्डवाडा	2	0	0
17	पिण्डवाडा	2004-05	दानजीफली मोरस	2	1	0
18	पिण्डवाडा	2004-05	वेलकम माईन्स	2	1	0
19	पिण्डवाडा	2004-05	राडाफली ठंडीबेरी आमली	2	1	0
20	पिण्डवाडा	2004-05	राडावेरीफली आमली	2	1	0
21	पिण्डवाडा	2004-05	नितोडा बालिका	2	0	0
22	रेवदर	2004-05	भटाणा बालिका	2	0	0
			योग	44	13	0

सलूम्बर में ब्लाक सर्व शिक्षा परियोजना अधिकारी का रिक्त पद

155. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर में ब्लाक सर्व शिक्षा परियोजना अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हां, तो इसे कब तक भर दिया जायेगा?

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कौन-कौन से विद्यालयों में गत दो वर्षों में क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान में परियोजना अधिकारी का पद नहीं होता। बीआरसीएफ का पद 1 जुलाई, 2004 से रिक्त है। जिस पर पदस्थापन प्रक्रियाधीन है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2004-05 में 77 कार्य जो परिशिष्ट-1 पर तथा 2005-06 में 113 विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत गत दो वर्षों में 7 निर्माण कार्य करवाये गये जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट (अलवर) का रामगढ़ स्थानान्तरण

156. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है पुलिस थाना रामगढ़ (अलवर) के मुकदमों की जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई करती है वह अलवर शहर में कार्यरत है? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधा के लिए उक्त कोर्ट को रामगढ़ में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि पुलिस थाना रामगढ़ (अलवर) के मुकदमों की सुनवाई अलवर मुख्यालय पर की जा रही है।

रामगढ़ जिला अलवर में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (मुन्सिफ न्यायालय) के सृजन का मामला माननीय उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लम्बित है। मा. उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर रामगढ़ (जिला अलवर) में सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय में आरक्षित वर्ग के न्यायाधीशों का बैकलाग

157. श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति व सामान्य वर्ग के न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में कितने पदों पर न्यायाधीश नियुक्त है तथा कितने रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सम्मानीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। संवधिान में माननीय न्यायाधिपतिगण की नियुक्ति के लिये आरक्षण का प्रावधान नहीं है। राज. उच्च न्यायालय में 40 पद स्वीकृत हैं। यद्यपि उक्त पदों के 32 से 40 होने की अधिसूचना उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त 40 पदों में से वर्तमान में 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं तथा 8 पद रिक्त है।

(2) माननीय न्यायाधिपतिगण की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

बांदीकुई में प्रस्तावित एनीकट

158. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिये कितने एनीकट कहां-कहां प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन प्रस्तावित एनीकटों को सरकार कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिए पिछले एक वर्ष में कुल 12 कार्य राशि 242.74 लाख के प्रस्तावित किये गये थे, वे स्वीकृत हो चुके हैं। ये कार्य प्रगति पर हैं जो जून, 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृत एनीकटों की सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार

स्वीकृत एनीकटों की सूची

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**पंचायत समिति**	**राशि लाखों में**
प्रथम चरण में स्वीकृत			
1	ऐचेडी एनीकट कार्य	बांदीकुई	5.35
2	रूपवास के नीचे नाले पर एनीकट	बांदीकुई	11.94
3	बनापुरा के नीचे नदी पर एनीकट	बांदीकुई	11.45
4	कुम्भकोलेश्वर एनीकट	बांदीकुई	9.77
5	हान्डकी अडियापाडा के मध्य नाले पर एनीकट	बांदीकुई	9.77
6	उपरेडा एनीकट	बांदीकुई	5.09
7	गुढा आशिकपुरा अपूर्ण एनीकट	बांदीकुई	11.94
8	पलासना नदी पर एनीकट गुल्लाना	बांदीकुई	6.02
9	भैदाणी मीणा नाले पर एनीकट	बांदीकुई	5.72
10	एनीकट निर्माण डाऊनन स्ट्रीम, लिलोज, पलासन नदी के पास	बांदीकुई	12.15
11	सब सरफेस बेरीयर बाण गंगा नदी के अप स्ट्रीम सिकन्दरा बांदीकुई सड़क	बांदीकुई	37.39
द्वितीय चरण में स्वीकृत			
12	नवीन एनीकट निर्माण कार्य ढेर के नाले के पास सांवा नदी पर पीचूपाडा खुर्द	बांदीकुई	116.15
		योग	242.74

बारां जिले के भवन विहीन पशु चिकित्सालय

159. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां में 11 पशु चिकित्सालय बिना सरकारी भवनों के संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? सरकार इनके लिये कब तक सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है?

(श्री हेमराज मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि जलवाड़ा पशु चिकित्सालय में चिकित्सक का पद रिक्त है व इससे चिकित्सालय बन्द है? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त पद भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला बारां में मण्डोला, शाहबाद, सीसवाली, बडवा, हरनावदा, शाहजी स्थित 5 पशु चिकित्सालय विभागीय भवनों में संचालित हैं, एवं शेष रायथल, कवाई, बंजारी, रेलावन, नाहरगढ़ एवं फतेहपुर स्थित 6 पशु चिकित्सालय नि:शुल्क तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध भवनों में संचालित हैं।

(2) पशु चिकित्सालय, जलवाड़ा में पशु चिकित्सा अधिकारी का पद 5/2005 से एवं पशु चिकित्सा सहायक का पद 9/2002 से रिक्त है। वर्तमान में पशुधन सहायक की प्रतिनियुक्ति कर दिनांक 1.3.2006 से पशु चिकित्सा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। पर्यवेक्षण हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी, मंडोला को प्रति सप्ताह (सोमवार, बुधवार एवं शनिवार) 3 दिवस के लिये लगाया गया है।

पशु चिकित्सकों की भर्ती होने पर जलवाड़ा के पशु चिकित्सक के रिक्त पद को भरा जा सकेगा।

बाली में अकाल राहत कार्य

160. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के लिए वर्ष 2006 के दौरान कुल कितने अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये? पंचायतवार श्रम-सामग्री सहित अब तक स्वीकृत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन पंचायतों में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति/आदिवासी/ बी.पी.एल. चयनित बेरोजगारों एवं कृषि-जन्य रोजगार की अनुपलब्धता को देखते हुए अब तक पंचायतवार स्वीकृत अकाल राहत कार्य नगण्य सिद्ध हो रहे हैं?

(3) क्या सरकार बाली क्षेत्र में अकाल की मार एवं भीषण बेरोजगारी को देखते हुए प्रति पंचायत 400-500 श्रमिक संख्या स्वीकृति के साथ विभिन्न प्रकार के कच्चे-पक्के राहत कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के लिए वर्ष 2006 के दौरान कुल 46 राहत कार्यों पर 550 श्रमिक स्वीकृत किये गये हैं। कार्यवार पंचायतवार श्रम साम्रगी सहित सूचना संलग्न है। परिशिष्ट-अ

(2) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में राहत कार्य स्वीकृत हैं एवं इन कार्यों पर अनुसूचित जाति/जनजाति/बी.पी.एल. चयनित परिवारों को नियोजन में प्रथम वरीयता दी जा रही है। सभी कार्यों पर वांछित श्रमिकों को लगाया जा रहा है।

(3) उक्त क्षेत्र विशेष के लिए वांछित स्थिति अनुसार श्रमिक नियोजन बढ़ाने के लिए जिला कलक्टर पाली को आदेश दे दिये गये हैं। वर्तमान में डावटेल नीति अन्तर्गत पक्के कार्य यथा सर्व शिक्षा मद के, बारहवें वित्त आयोग मद के एम.पी./एम.एल.ए. क्षेत्र विकास योजना मद जीजीवाई मद से कराये जा रहे हैं। पक्के एवं स्थाई कार्यों की संख्या अधिक होने से वर्तमान में कच्चे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट ''अ''

कार्यालय पंचायत समिति, बाली, जिला पाली

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वी. श्रमिक	स्वी. राशि		
				श्रम	सामग्री	योग
1.	बाढ़ बचाव कार्य गनावतों को खड़ा भीमाना	भीमाना	15	0.400	0.400	0.800
2.	बाढ़ बचाव कार्य भोपाराम के घर के पास	भीमाना	30	1.000	1.000	2.000
3.	टांका नि. कागदड़ा नदी के पास कागदड़ा	आमलिया	10	0.351	0.800	1.151
4.	सारण नि. भीलबरती कालासूरा से भील बस्ती	काकराडी	10	0.411	0.890	1.301
5.	पुलिया नि. रेबारी ढाणी कुण्डाल	बीजापुर	10	0.300	0.700	1.000
6.	सारण नि. कोरवा	गोरीया	10	0.251	0.600	0.851
7.	नाला नि. जेठाराम के घर से पुलिया तक शिवतलाव	शिवतलाव	10	0.400	0.900	1.300
8.	जी.एल.आर. पिचके के पास फालनागांव	फालनागांव	10	0.300	0.700	1.000
9.	रपट नि. रामदेवजी मंदिर के रेबारियों का बास बमणीया	मौखमपुरा	10	0.331	0.770	1.101
10.	प्रोटेक्शनवाल जोराराम रेबारी के घर से गरुओं के कुएं तक बिसलपुर	बिसलपुरा	15	0.440	0.960	1.400

1	2	3	4	5	6	7
11.	सारण निं पीपला	पीपला	10	0.215	0.500	0.715
12.	सी.सी. रोड़ मय नाली मेंघवालबास जादरी	बेडल	20	0.255	1.245	1.500
13.	नाली नि. वार्ड नं. 1,2,4 व 5 दुदनी	दुदनी	10	0.151	0.350	1.501
14.	ओवरफलो बचाव कार्य रुघनाथपुरा	दुदनी	15	0.271	0.730	1.001
15.	नाला निर्माण वरावल	दुदनी	10	0.080	0.220	0.300
16.	सीसी रोड़ मय नाली दिपाराग के घर से लालाराम के घर तक खिगेल	खिगोल	20	0.200	1.000	1.200
17.	सीसी रोड़ मय नाली खाडियाबास सोकड़ा	पैरवा	15	0.151	0.750	0.901
18.	सीसी रोड़ मय नाली रेबारीबास बोया	बोया	15	0.151	0.600	0.751
19.	श्मशान घाट पर पुलिया नि. कोट बालीयान	काट बालीयान	20	0.351	0.830	1.181
20.	नाली नि. मेघवाल बास कोट बालीयान	कोट बालीथान	10	0.191	0.510	0.701
21.	पेयजल टांका नि. मेघवालों के सार्व पिचके से पास लालराई	सेसली	10	0.271	0.730	1.001
22.	सारण नि महादेव से अनाराम के खेत तक कन्दावा खेतरली	कूरन	20	0.451	0.850	1.301

1	2	3	4	5	6	7
23.	नाली नि. हेजाराम मेघवाल के मकान से हेमाराम के मकान तक चामुण्डेरी	चामुण्डेरी	10	0.31	0.070	0.101
24.	नाली नि. जवानाराम के मकान से समाराम के मकान तक चामुण्डेरी	चामुण्डेरी	10	0.60	0.140	0.200
25.	नाली नि. छोगाराम/ भभूतजी छीपा के प्लोट रो खीगाजी के मकान तक चामुण्डेरी	चामुण्डेरी	10	151.000	0.350	151.350
26.	नाली नि. चुन्नीलाल के मकान से भीगाराम घांची के मकान तक चामुण्डेरी	चामुण्डेरी	10	0.151	0.350	0.501
27.	सार्व. मुन्नालय चामुण्डेरी	चामुण्डेरी	5	0.031	0.070	0.101
28.	नाली नि. मय सीसी मामाजी की गली से गेट तक, रेवारी ढाणी श्रीसेला	धणी	20	0.251	1.000	1.251
29.	नाली मय सीसी रोड मेडतीयों की पाल से आगे पांचलवाड़ा	गुडालास	10	0.092	0.468	0.560
30.	नाली नि. पांचलवाड़ा	गुडालास	10	0.108	0.292	0.400
31.	पेयजल टांका नि. झूपी के पास दांतीवाड़ा	भीटवाड़ा	10	0.271	0.730	1.001
32.	कीचनशेड नि रा.उ.प्रा.वि. डूंगली	शिवतलाव	10	0.115	0.315	0.430

1	2	3	4	5	6	7
33.	कीचनशेड नि रा.उ.प्रा.वि. धणी	धणी	10	0.115	0.315	0.430
34.	कीचनशेड नि रा.उ.प्रा.वि. मिरगेश्वर	मिरगेश्वर	10	0.115	0.315	0.430
35.	कीचनशेड नि रा.उ.प्रा.वि. कुमटिया	कुमटिया	10	0.115	0.315	0.430
36.	कीचनशेड नि रा.उ.प्रा.वि. वेलार	कोठार	10	0.115	0.315	0.430
37.	कीचनशेड नि रा.बा.प्रा.वि. सेवाड़ी	सेवाडी	10	0.115	0.315	0.430
38.	कीचनशेड नि रा.बा.प्रा.वि. बारवा	बारवा	10	0.115	0.315	0.430
39.	कीचनशेड नि रा.प्रा.वि. कोठार स्टे	कोठार	10	0.115	0.315	0.430
40.	कीचनशेड नि रा.उ.प्रा.वि. कोयलावाव	कोयलावाव	10	0.115	0.315	0.430
41.	कीचनशेड नि रा.उ.प्रा.वि. आगलिया	आमलीया	10	0.115	0.315	0.430
42.	कीचनशेड नि रा.प्रा.वि. फालनागांव	फालनागांव	10	0.115	0.315	0.430
43.	कीचनशेड नि रा.उ.प्रा.वि. कूरन	कूरन	10	0.115	0.315	0.430
44.	कीचनशेड नि रा.उ.प्रा.वि. बेरडी	काकराडी	10	0.115	0.315	0.430
45.	कीचनशेड नि रा.बा.प्रा.वि. चामुण्डेरी	चामुण्डेरी	10	0.115	0.315	0.430
46.	कीचनशेड नि रा.प्रा.वि. भीमाना	भीमाना	10	0.115	0.315	0.430

मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन प्रकरण

161. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मीरा कन्या महाविद्यालय, संगयिा की प्रबन्ध समिति का चुनाव दिनांक 13 फरवरी, 2003 को होने पर प्रबन्ध समिति को रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2003 को प्रमाणित कर दिया गया था एवं जिसकी सरकार द्वारा जांच करवाकर अनुदान प्रबन्ध समिति को देने के आदेश दिये गये थे?

(2) क्या यह सही है कि मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया पर प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त हो गया है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालय हेतु तहसीलदार संगरिया को अनुदान आहरण अधिकारी बनाया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार छह माह से ज्यादा प्रशासक व आहरण अधिकारी नहीं लगाया जा सकता? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार कालेज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु उक्त आहरण अधिकारी को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रबन्ध समिति के निर्वाचन को रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रमाणित किया गया था। समानान्तर दूसरी प्रबन्ध समिति बनने के कारण प्रबन्धन विवादास्पद होने पर जांच में प्रबन्धन को वैधानिक नहीं पाया गया इसलिये विवादास्पद प्रबन्ध समिति को अनुदान रिलिज नहीं करने के आदेश प्रसारित किये गये।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। राज. गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 10 के अनुसार प्रशासक की नियुक्ति 6 माह से अधिक के लिये की

(उच्च शिक्षा मंत्री)

जा सकती है। अधिनियम की धारा 7(7) के अनुसार अनुदान प्राप्त करने एवं वेतन भत्तों के भुगतान हेतु किसी अधिकारी को अधिकृत करने के लिये समय सीमा नहीं है। नियमों की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है (संलग्नक-1)

(5) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने तक आहरण वितरण अधिकारी को हटाने का कोई विचार नहीं है।

संलग्नक-1

CHAPTER-III

अध्याय-3

Aid, Accounts and Audit

सहायता, लेखे और संपरीक्षा

7. Grant of aid to recognised institutions – (1) No aid shall be claimed by an institution as a matter of right.

(2) Unrecognised institutions shall not be eligible to receive any aid.

(3) Subject to such terms and conditions as may be prescribed, the sanctioning authority may sanction and distribute aid to recognized institutions from time to time in accordance with the procedure as may be prescribed.

(4) The aid may cover such part of the expenditure of the institution as may be prescribed.

(5) No amount out of aid given for salary of the employees of an institution shall be used for any other purpose.

(6) The sanctioning authority may stop, reduce or suspend aid on breach of any of the terms and conditions prescribed in this behalf.

(7) The amount of aid may normally be paid to the secretary of the mananging committee of an institution but, in special circumstance and for reasons to be recordedin writing, such amount may be paid to any person authorized by the Director of Education or by any other officer empowered by him in this behalf.

7. मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता का अनुदान:– (1) किसी भी संस्था द्वारा सहायता के लिए दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जावेगा।

(2) अमान्य संस्थाएं कोई भी सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

(3) ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जायें, मंजूरी प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि विहित की जाये, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को समय-समय पर सहायता मंजूर और वितरित कर सकेगा।

(4) सहायता के अन्तर्गत संस्था के व्यय का इतना भाग हो सकेगा जितना कि विहित किया जाये।

(5) किसी संस्था के कर्मचारियों के वेतन के लिए दी गयी सहायता में से किसी भी रकम का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(6) मंजूरी प्राधिकारी इस निमित्त विहित किन्हीं भी निबन्धनों और शर्तो का भंग होने पर सहायता को बन्द, कम या निलम्बित कर सकेगा।

(7) सहायता की रकम सामान्यत: किसी संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव को संदत्त की जा सकेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम शिक्षा निदेशक के द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को संदत्त की जा सकेगी।

8. Accounts and audit –(1) Every aided institution shall keep accounts in such manner and containing such particulars as may be prescribed.

(2) The accounts of every aided institution shall be audited at the end of every academic year in the manner as may be prescribed.

(3) The Secretary of the Managing Committee shall, within six months of the end of the academic year, submit to the Competent Authority the audit report.

8. लेखे और संपरीक्षा – (1) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था ऐसी रीति से लेखे रखेगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं।

(2) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था के लेखों की संपरीक्षा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित की जायें।

(3) प्रबन्ध समिति का सचिव शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर-भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

CHAPTER-IV

अध्याय-4

Managing Committee

प्रबन्ध समिति

9. Constitution of a managing committee – (1) There shall be constituted a managing committee for every recognized institution.

(2) The managing committee of every recognized institution shall elect a Secretary from amongst its members. An employee of the institution shall neither be the Secretary nor the treasurer.

(3) The Secretary will perform such functions and exercise such rights as may be prescribed.

9. प्रबन्ध समिति का गठन – (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए एक प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी।

(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति अपने सदस्यों में से ही एक सचिव निर्वाचित करेगी। संस्था का कोई भी कर्मचारी न तो सचिव होगा, न ही कोषपाल।

(3) सचिव ऐसे कृत्यों का निर्वहण और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो विहित किये जायें।

10. Powers of the State Government to take over management – (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, whenever it appears to the State Government that the managing committee of any recognized institution has neglected to perform any of the duties assigned to it by or under this Act or the rules made thereunder or has failed to manage the institution proiperly and that is has become necessary in the public interest to take over the management of such institution, it may, after giving to such managing committee a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action, take over such management and appoint an administrator to exercise control over take over the assets of the institiution and to run the institution for such period as the State Government may from time to time fix.

(2) Where, before the expiry of the period fixed under sub-section (1), the State Government is of opinion that it is not necessary to continue the management of the institution by an administractor, such management shall be restored to the managing committee.

[1,2]**10. राज्य सरकार की प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति** – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार को जब कभी ऐसा प्रतीत हो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन उसे समनुदेशित किन्हीं भी कर्तव्यों के निर्वहण में उपेक्षा की है या वह संस्था का समुचित रूप से प्रबन्ध करने में विफल रही है और यह कि ऐसी संस्था का प्रबन्ध ग्रहण करना लोकहित में आवश्यक हो गया है तो वह ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे प्रबन्ध को ग्रहण कर लेगी और ऐसी कालावधि के लिये जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे, संस्था की आस्तियों पर नियंत्रण रखने तथा संस्था को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगी।

---

1. आदेश क्रमांक प. 19 (9) शिक्षा-5/93, दिनांक 11.8.2000– गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाय एवं जिन भी संस्थाओं में प्रशासक लगे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया, उन संस्थाओं के चुनाव कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था के संबंध में (आदेश संख्या 103)।
2. आदेश क्रमांक प.19(9) शिक्षा-5/93, दिनांक 15.9.2001-गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रशासक लगाये जाने के संबंध में नीति (आदेश संख्या-126 ।

(2) जहां, उप-धारा (1) के अधीन नियत कालावधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार की यह राज्य हो कि संस्था का प्रबंध प्रशासक के द्वारा चलाये जाते रहना आवश्यक नहीं है वहां ऐसा प्रबन्ध-प्रबन्ध समिति को प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

CHAPTER-V

अध्याय-5

Properties, Transfer and Closure

सम्पत्तियां, अंतरण और बंद किया जाना

11. Administration and management of properties of institution – The Secretary of the managing committee or any person duly authorized the managing committee in this behalf by a resolution shall, on behalf of the managing committee, manage and administer the properties and of a recognised institution.

11. संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रशासन और प्रबन्ध- प्रबन्ध समिति का सचिव या इस निमित्त प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संकल्प द्वारा सम्यक् रूप से प्रभावित कोई भी अन्य व्यक्ति प्रबन्ध समिति की ओर से किसी मान्तया प्राप्त संस्था की सम्पत्तियों और आस्तियों का प्रबन्ध और प्रशासन करेगा।

12. Annual statement of properties- On or before the 1st day of May each year, the secretary of the Managing committee of an aided institution shall furnish to such officer, as may be authorised by the Director of Education in this behalf, a statement containing a list of all immovable properties belonging to, or possessed by, such institution or in which it has any other interest, with such particulars as may be prescribed.

12. सम्पत्तियों का वार्षिक विवरण– प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम दिन या उसके पूर्व किसी सहायता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति का सचिव ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक इन निमित्त प्राधिकृत करे, ऐसे संस्था से सम्बन्धित या उसके कब्जे में की या ऐसी जिनमें उसका कोई अन्य हित हो, समस्त स्थावर सम्पत्तियों की एक सूची ऐसी विशिष्टियों सहित, जो कि विहित की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत होगा।

13. Prior approval for transfer of management – (1) Whenever the management of any recognised institution is proposed to be transferred, the secretary and the person to whom the management is proposed to be transferred shall, before such transfer, apply jointly to the Competent Authrority for prior approval of the transfer.

(2) An application under sub-section (1) shall be made in such form and shall contain such particulars as may be prescribed.

आसीन्द (भीलवाड़ा) में महाविद्यालय की स्थापना

162. श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि आसीन्द जिला भीलवाड़ा में कोई कालेज स्थापित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार अगले शिक्षा सत्र से आसीन्द शहर में कालेज स्थापित/खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। यदि महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से स्वतवित्तपोषी योजना में आसीन्द जिला भीलवाड़ा में महाविद्यालय प्रारम्भ करने के प्रस्ताव प्राप्त होते है, तो राज्य सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी।

संस्कृत शिक्षा कर्मियों का स्थानान्तरण

163. श्री लालचंद कटारिया (आमेर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मियों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं? संवर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग में जनवरी, 2004 से अब तक कितने स्थानान्तरण किये गये? सूची संवर्गवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त किये गये स्थानान्तरणों में पद के विरूद्ध/अन्य विषय पर कितने स्थानान्तरण किये गये हैं? सूची संवर्गवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो पद के विरुद्ध/अन्य विषय पर किये गये स्थानान्तरित कर्मियों को क्या सरकार अपने मूल पद/ विषय पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मियों के कुल 6944 पद स्वीकृत हैं। संवर्गवार सूची परिशिष्ट-अ सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग में जनवरी, 2004 से अब तक 1476

स्थानान्तरण किये गये। सूची संवर्गवार परिशिष्ट-ब सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त किये गये स्थानान्तरणों में पद के विरुद्ध अन्य विषय पर 21 स्थानान्तरण किये गये हैं। सूची संवर्गवार निम्न लिखितानुसार है :-

1.	प्रोफेसर	4
2.	सहायक निदेशक	1
3.	प्राचार्य, शास्त्री	1
4.	व्याख्याता	2
5.	वरि. अध्यापक प्रथम ग्रेड	5
6.	वरि. अध्यापक द्वितीय ग्रेड	6
7.	वरिष्ठ लिपिक	2
		21

(4) जी हां। मूल पद/विषय का व्यक्ति उपलब्ध होते ही इन्हें मूल पद पर लगा दिया जायेगा।

परिशिष्ट ''अ''

राजस्थान सरकार

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

संस्कृत शिक्षा विभाग में स्वीकृत विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों की सूची

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
1.	निदेशक	1
2.	संयुक्त निदेशक	1
3.	सहायक निदेशक	2
4.	मूल्यांकन अधिकारी	1
5.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1
6.	सहायक लेखाधिकारी	2
7.	लेखाकार	1
8.	संभागीय निरीक्षक	1
9.	संभागीय शिक्षा अधिकारी	5
10.	उप निरीक्षक	8

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
11.	शैक्षणिक अधिकारी	2
12.	सहायक उप निरीक्षक	12
13.	प्राचार्य, आचार्य	8
14.	प्राचार्य, एस.टी.सी.	1
15.	प्राचार्य, शास्त्री	18
16.	प्राचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय	86
17.	प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका	93
18.	प्रोफेसर	28
19.	व्याख्याता	163
20.	वरिष्ठ अध्यापक-प्रथम ग्रेड	419
21.	वरिष्ठ अध्यापक-द्वितीय श्रेणी	1116
22.	तृतीय श्रेणी अध्यापक	4066
23.	व्यायाम शिक्षक-द्वितीय ग्रेड	37
24.	व्यायाम शिक्षक-तृतीय ग्रेड	96
25.	पुस्तकालयध्यक्ष –द्वितीय ग्रेड	16
26.	पुस्तकालयध्यक्ष –तृतीय ग्रेड	53
27.	प्रयोशाला सहायक-तृतीय श्रेणी	47
28.	कार्यालय अधीक्षक	3
29.	निजी सहायक	2
30.	शीघ्र लिपिक	1
31.	कार्यालय सहायक	25
32.	वरिष्ठ लिपिक	140
33.	कनिष्ठ लिपिक	128
34.	विधि सहायक	1
35.	सांख्यिकी निरीक्षक	1
36.	संगणक	6
37.	कम्प्यूटर आपरेटर	1

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
38.	वाहन चालक	1
39.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	276
40.	जमादार	3
41.	प्रयोगशाला सेवक	46
42.	चौकीदार	7
43.	कनिष्ठ लेखाकार	17
	कुल योग	**6944**

परिशिष्ट "ब"

संस्कृत शिक्षा विभाग में जनवरी, 2004 से अब तक किये गये स्थानान्तरणों की संवर्गवार सूची निम्नलिखितानुसार है

क्र.सं.	संवर्ग	स्थानान्तरणों की सख्या
1.	प्राचार्य, आचार्य	8
2.	प्राचार्य, शास्त्री	13
3.	प्रोफेसर	12
4.	व्याख्याता	59
5.	प्राचार्य, वरि. उपा.	22
6.	प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका)	26
7.	वरिष्ठ अध्यापक प्रथम ग्रेड	103
8.	सहायक उप निरीक्षक	9
9.	वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय ग्रेड	304
10.	तृतीय श्रेणी शिक्षक	880
11.	कार्यालय सहायक	3
12.	वरिष्ठ लिपिक	17
13.	कनिष्ठ लिपिक	20
	कुल	**1476**

राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय बगड़ीनगर (पाली) के पूरक परीक्षा से वंचित छात्र

164. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सम्भाग संस्कृत शिक्षा कार्यालय, जोधपुर द्वारा सत्र 2004-05 में अष्टम बोर्ड की पूरक परीक्षा का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो परीक्षा में कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए तथा कितने छात्र सम्मिलित होने से वंचित रहे? छात्रों का वंचित रहने का क्या कारण था?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय, बगडीनगर (पाली) के जो छात्र अष्टम् बोर्ड में पूरक परीक्षा योग्य घोषित किये गये थे उनकी पूरक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या पूरक परीक्षा योग्य छात्रों ने परीक्षा शुल्क आवेदन पत्र संस्था प्रधान को दिये? यदि नहीं, तो क्यों? इन छात्रों के पूरक परीक्षा से वंचित रहने के लिये कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार संस्था प्रधान/अष्टम् बोर्ड प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय, बगडीनगर के छात्र जो पूरक परीक्षा में बैठने से वंचित रहे, उनके अभिभावकों ने इस संबंध में शिकायत सम्भाग कार्यालय में की, क्या उस शिकायत पर कोई जांच की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में किसे दोषी माना गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पूरक परीक्षा में कुल 35 छात्र पूरक परीक्षा योग्य घोषित थे, जिनमें से 28 छात्र सम्मिलित हुए तथा 7 छात्र सम्मिलित होने से वंचित रहे। पूरक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रहे।

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बगड़ीनगर (पाली) के जो चार छात्र अष्टम् बोर्ड में पूरक परीक्षा योग्य घोषित किए थे, उनकी पूरक परीक्षा का आयोजन सम्भागीय संस्कृत शिक्षा कार्यालय, जोधपुर द्वारा किया गया था।

पूरक परीक्षा योग्य छात्रों ने परीक्षा शुल्क आवेदन पत्र संस्था प्रधान को जमा करायो थे। इन छात्रों के पूरक परीक्षा से वंचित रहने के लिए संस्था प्रधान उत्तरदायी है। जिन्होंने छात्रों के आवेदन सम्भाग को नहीं भेजे।

दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। केवल एक छात्र के अभिभावक ने पूरक परीक्षा समाप्ति के बाद सम्भागीय कार्यालय, जोधपुर को शिकायत की। सम्भागीय शिक्षा अधिकारी, जोधपुर द्वारा जांच की गई। संस्था प्रधान को उत्तरदायी माना गया।

भामाशाहा कृषि उपज मण्डी, कोटा के विकास कार्यों पर व्यय

165. श्री भरत सिंह (दिगोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005-06 में प्रदेश की विभिन्न कृषि मण्डियों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा यह गत वर्ष प्राप्त राजस्व की तुलना में कुल कितने प्रतिशत अधिक है? यदि आय कम रही है तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भामाशाह कृषि उपज मण्डी, कोटा से वर्ष 2005-06 में प्राप्त कुल आय से कृषि उपज मण्डी, कोटा व उसके अन्तर्गत समस्त सब यार्ड पर मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 में (31 जनवरी 2006 तक) विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में कुल 160.12 करोड़ रुपये का राजस्व मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ। यह गत वर्ष के प्राप्त राजस्व की तुलना में 21.39 प्रतिशत अधिक है।

(2) भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति कोटा में वर्ष 2005-06 में (31 जनवरी 2006 तक) कुल आय 1739.37 लाख रु. प्राप्त हुई है। मण्डी यार्डों अथवा सब यार्डों में सुविधाओं/विकास कार्यों पर राशि व्यय की जाने वाली राशि का किसी वर्ष विशेष की आय से कोई सम्बन्ध नहीं है। विकास कार्यों पर पूर्व के वर्षों की बचत से भी व्यय होता है। कृषि उपज मण्डी समिति कोटा व उसके अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में गौण मण्डी यार्डों में सुविधाओं/विकास कार्यों पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई है :-

क्र.सं.	नाम गौण मण्डी	सुविधाओं पर व्यय	विकास कार्यों पर व्यय
1	सुल्तानपुर	252360.00 रु.	निल
2	कैथून	निल	निल
3	मण्डाना	निल	निल
4	फल सब्जी मण्डी	638520.00 रु.	4996247.00 रु.
5	सागौद	25000.00 रु.	निल
6.	मुख्य मण्डी कोटा	8346317.00 रु.	6994794.00 रु.

निवाई की मरम्मत योग्य सड़कें

166. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् कौन-कौन से सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य कहां-कहां के लिए व कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये तथा उनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण किये गये तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों के क्या कारण हैं तथा उन्हें अब कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में सड़क निर्माण/मरम्मत के कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिरस स्टेशन से शिवाड़ तक सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि पराना से चिलरिया (कंवरपुरा) तक सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, निवाई द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण/मरम्मत कार्यो की स्वीकृति निदेशालय कृषि विपणन विभाग द्वारा जारी की जाती है दिनांक 1.1.04 के पश्चात् निदेशालय से प्राप्त स्वीकृति अनुसार निवाई विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति, निवाई के माध्यम से चार नवीन सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 4.40 किमी. प्रशा. राशि रुपये 93.81 लाख स्वीकृत हुएहैं। जिसकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। वार्षिक मरम्मत कार्य लम्बाई 85.00 किमी. व प्रशा. राशि 16.40 लाख स्वीकृत हुए है जिसकी सूची परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है। उक्त स्वीकृत नवीन निर्माण कार्यों में से 3 सड़कों के कार्य प्रगति पर है, एवं एक कार्य की निविदा

(कृषि विपणन मंत्री)

कार्यों में से 3 सड़कों के कार्य प्रगति पर है, एवं एक कार्य की निविदा स्वीकृताधीन है। चारों ही कार्य अपूर्ण है, जिसका कारण हाल ही में स्वीकृति जारी होना है। चारों कार्यों को वित्तीय वर्ष 2006-07 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-अ पर दर्शाया गया है। वार्षिक मरम्मत कार्य प्रगति पर है एवं मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में निम्न सड़कों के निर्माण/मरम्मत के कार्य प्रस्तावित है।

नाम सम्पर्क सड़क	**लम्बाई**	**राशि**
नवीन सम्पर्क सड़क मुडीया से झोपड़ी	2.00 किमी	24.00 लाख
विशेष मरम्मत स.स. जामडोली	2.00 किमी.	12.00 लाख

मण्डी समिति के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(3) वर्तमान में संबंधित मण्डी समितियों के पास धन राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण सड़क बनाने का विचार नहीं है।

(4) जी हां। इस सड़क की मरम्मत हेतु 1.60 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है। यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना संभावित है।

परिशिष्ट ''अ''

नवीन निर्माण कार्य विधान सभा क्षेत्र, निवाई

क्र. सं.	नाम निर्माण कार्य	लम्बाई (कि.मी. में)	प्रशा. स्वी. लाखों में/ दिनांक	कार्य आदेश के अनुरूप कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	विवरण
1	निवाई बौली रोड से भगवानपुरा	0.80	14.43/ 23.8.05	04.5.2006	कार्य प्रगति पर है।
2	मिसिंग लिंक रोड़ टोरड़ी से उपखण्ड बोर्डर निवाई तक	0.70	15.83/ 26.12.05	23.8.2006	कार्य प्रगति पर है।
3	स.स. बौली रोड़ से भैरवपुरा तक	0.80	13.81/ 26.12.05	23.8.2006	कार्य प्रगति पर है।
4	मिसिंग लिंक रोड़ चतुर्भुजपुरा से मुकुन्दपुरा वाया किरावली की ढ़ाणी	2.10	49.74/ 26.12.05	30.9.2006	निविदा स्वीकृताधिन है।
	योग :-	4.40	93.81		

परिशिष्ट ''ब''

वार्षिक मरम्मत कार्य विधानसभा क्षेत्र, निवाई

क्रम सं.	सड़क का नाम (निर्माण वर्ष)	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत क्रमांक व दिनांक
1.	राहोली रोड़ से हनुतीया (1998-99)	1.30	निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर के पत्रांक 29760-67 दिनांक 14.11.05
2.	स.स. लड़वाडी से चेनपुरा (1998-99)	0.40	
3.	स.स. लड़वाडी से गहलोत (1999-2000)	3.87	
4.	स.स. करीरिया से भरथला (1999-2000)	3.78	
5.	स.स. झीलाई से खिडगी (1999-2000)	4.40	
6.	स.स. बड़ा गांव से चुराडा (1999-2000)	3.60	
7.	स.स. एन.एच. से चनानी (1999-2000)	0.70	
8.	स.स. सूर्या से सुनारा (1999-2000)	4.40	
9.	स.स. वनस्थली से सुनारा (2000-2001)	4.25	
10.	स.स. झीलाई से सींदारा (2000-2001)	3.40	
11.	स.स. लडवाडी से श्रीरामपुरा (2002-2003)	4.70	
12.	स.स. जोधपुरिया से चतुर्भजपुरा (1997-1998)	3.00	
13.	स.स. जयपुर टोंक रोड़ से चुरानी (1998-1999)	3.00	
14.	स.स. जोधपुरिया से चतुर्भुजपुरा (1998-1999)	1.50	
15.	स.स. जोधपुरिया से सुनारा (1998-1999)	1.50	
16.	स.स. खीडगी से बस्सी (1998-1999)	6.00	
17.	स.स. लडवाडी से सींदरा (1998-99)	2.10	
18.	स.स. अलीयाबाग से बिडोली (2002-2003)	3.50	
19.	स.स. वनस्थली रोड़ी से जोधपुरिया (2002-03)	4.50	
20.	स.स. पराना से नटवाडा (1999-2000)	8.00	
21.	स.स. निवाई से डांगस्थल (1999-2000)	7.00	
22.	स.स. झीलाई से सिरोही (1999-2000)	4.10	
23.	स.स. चिरोज मण्डावर रोड़ से हथोना (1998-99)	6.00	निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर के पत्रांक 29770-79 दिनांक 14.11.05
	योग :-	**85.00**	

उक्त वार्षिक मरम्मत कार्य प्रगति पर है व मार्च, 2006 तक पूर्ण होने की संभावना है।

कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत

167. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कृषि उपज मंडी द्वारा बनी सड़कें ब़ाढ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई अथवा नष्ट हो गई हैं? क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा थानागाजी में कृषि उपज मण्डी अलवर द्वारा 21 सड़कें निर्मित की गई थी। इसमें से दो सड़कों में झिरी से हमीरपुर तथा प्रतापगढ़ रोड़ से समरा में गत वर्ष 2005 में बाढ़ के कारण क्षति पहुंची थी। आगामी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध होने पर इनकी मरम्मत पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-84 का विवरण)

केरोसीन दर समानीकरण कोष (पी.डी खाता संख्या 163) में प्राप्त राशि एवं व्यय की गयी राशि का विवरण

पी.डी. खाता संख्या 163 में जमा कुल राशि				12,91,72,443
व्यय की गयी राशि का विवरण				
क्र. सं.	स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक	व्यय का विवरण	राशि रुपये	
1	26(4)2005/ 27.10.2005	खाद्यान्न परिवहन समानीकरण राशि का भुगतान	1,96,30,000	
2	26(4)2005/ 5.11.2005	उपभोक्ता मामलों के जिला कार्यालयों (जिला रसद कार्यालय) के संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु (कम्प्यूटर, फैक्स, प्रिन्टर, स्केनर, कम्प्यूटर,फर्नीचर, कार्यालय उपयोग हेतु फर्नीचर, स्टेशनरी एवं डाक टिकट-दर समानीकरण कोष उपयोग हेतु)	32,00,000	2,93,30,0000*
3	26(4)2005/ 20.12.2005	राशन टिकट मुद्रण हेतु	32,00,000	
4	26(4)2005/ 28.12.2005	उपभोक्ता कल्याण समिति के कार्यालय उपयोग के लिये उपकरण क्रय हेतु (कम्प्यूटर, फैक्स, प्रिन्टर्स, स्केनर, साइक्लोस्टाइल मशीन एवं फर्नीचर)	1,00,000	
5	26(पी.डी.) उ.क.स./05/ 25.01.06	समस्त जिलों में फोटो स्टेट मशीन एवं अन्य संबंधित उपकरण/स्टेशनरी क्रय करने हेतु	32,00,000	
कुल व्यय :- **शेष जमा राशि :-**				9,98,42,443 **

नोट :-

*कुल व्यय (दो करोड़ तिरानवे लाख तीस हजार रुपये)

**शेष जमा राशि (नो करोड़ अठानवे लाख बियालीस हजार चार सौ तियालीस रुपये)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या –87 का विवरण)

गत पांच वर्षों में मरुस्थीलय जिलों में कराये गये वृक्षारोपण एवं पौध वितरण का विवरण

क्र.सं.	जिला	गत पांच वर्षों में किया गया वृक्षारोपण (है. में)	गत पांच वर्षों में पौध वितरण (लाखों में)
1.	बीकानेर	9398	21.56
2.	चूरू	7194	21.53
3.	जालौर	5896	16.87
4.	झूंझनूं	4396	18.3
5.	जोधुपर	10491	19.64
6.	नागौर	8424	34.18
7.	पाली	12180	15.29
8.	सीकर	6975	16.71
9.	बाड़मेर	13490	18.93
10.	जैसलमेर	20873	8.74
11.	गंगानगर	1799	17.93
12.	हनुमानगढ़	1916	11.78
	योग	**1,03,026**	**221.46**

परिशिष्ट –3

(तारांकित प्रश्न संख्या-89 का विवरण)

राशि (लाखों रुपये में)

क्र.सं.	**प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण**	**भारतीय शिल्प संस्थान**	**उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान**
1	कारपस फण्ड में हिस्सेदारी	150.00	100.00
2	स्थाई परिसंपत्तियों में निवेश (भूमि, भवन, कम्प्यूटर, फर्नीचर इत्यादि)	369.56	120.00
	योग	519.56	220.00

परिशिष्ट ''ख''

राशि (लाख रुपये में)

भारतीय शिल्प संस्थान		
1.	भूमि एवं भवन	300.81
2.	कम्प्यूटर्स	22.01
3.	फर्नीचर और फिक्चर्स	11.59
4.	लाइब्रेरी/उपकरण	35.15
	कुल योग	369.56
उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान		
1.	भूमि (11590 वर्ग मीटर) एवं भूमि विकास	82.28
2.	भवन	86.15
3.	ट्रेनिंग व कार्यालय फर्नीचर, ट्रेनिंग उपकरण व पुस्तकें इत्यादि	13.47
	कुल योग	181.90

परिशिष्ट-4

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले कार्य ग्राम पंचायतों के मार्फत कराने जाने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अध्यापकों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी।

पूर्व में डी.पी.ई.पी. तथा वर्तमान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन स्कूल भवन एवं सुविधाओं का निर्माण सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापकगण द्वारा कराया जाता है। कई प्रकरणों में तो अध्यापकगण बिना मर्जी के इस कार्य को करवाते है तथा कई प्रकरणों में विशेष रूचि लेकर इस कार्य को करवाते है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनके अध्यापन कार्य पर पड़ता है। अध्यापकगण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति से लेकर उनके पूरे होने तक ज्यादातर इन कार्यो को करवाने में ही व्यस्त रहते है जिसका पूरा प्रभाव छात्रों को अध्ययन कराने पर पड़ता है क्योंकि एक अध्यापक को बार बार निर्माण के स्वीकृति, राशि प्राप्त, सामान खरीदना, कार्य करवाना, कार्य का मूल्याकंन करवाना, हिसाब देना एवं उपयोगिता तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र चक्कर लगाने पड़ते हैं जिससे छात्रों को अध्यापन कार्य में समय दे पाना मुश्किल हो जाता है व छात्रों के अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब कोई विद्यालय स्वीकृत होता है तो शुरूआत के दौरे में मात्र एक या दो अध्यापक को ही अध्यापन कार्य हेतु लगाया जाता है यदि सम्बन्धित अध्यापक निर्माण कार्य की तरफ ध्यान देवें तो अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ना भी लाजमी है। अध्यापिकाओं के लिए तो यह काम ओर भी पेचीदा है, सही मायने में यदि उनके द्वारा ढंग से ध्यान नहीं दिये जाने से कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। हर ग्राम पंचायत में सरपंच जो विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्य करवाते है उनके द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्य नहीं करवाने से थोड़ा रोष भी स्वभाविक है। उन्हें यह भी लगता है कि अब भी सरपंच के पूर्ण अधिकार उन्हें नहीं मिले हैं। अत:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवनों में कक्षा कक्षों एवं सुविधाओं का निर्माण कार्य एवं विस्तार कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंचों को देना ज्यादा उचित है ताकि अध्यापकगण अपने अध्यापन कार्य में ध्यान दे सकें तथा सरपंचगण निर्माण कार्य करवा सकें। ये कार्य जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के मार्फत होते हैं तो ज्यादा उपयुक्त होगा ताकि जिला परिषद को भी यह लगे कि ग्राम पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्यों के अधिकार से वे वंचित नहीं है।

अंत में, मैं पुरजोर शब्दों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों को जिला परिषद् पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के मार्फत करवाये जाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदया के मार्फत सरकार से निवेदन करती हूं इससे एक तरफ तो सरपंच, ग्राम पंचायत को कार्य करवाने का मौका मिलेगा दूसरी तरफ अध्यापकों के पास अध्यापन के लिए पूर्ण समय मिल पायेगा।

जय भारत।

राजकुमारी शर्मा

(सीकर)

बुनकर सहकारी संघ के नाम पर एक करोड़ से ज्यादा फर्जी बिलों और वाउचरों से भुगतान

महोदय,

मैं आपका ध्यान बाड़मेर की अम्बेडकर बुनकर वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त संस्था से बुनकर संघ के बाड़मेर डिपो के पूर्व प्रभारी ने 1998 से 2003 तक खाली चेक बुक और बिल बुक से एक करोड़ एक लाख रुपये का कारोबार किया और इस घोटाले में न केवल संघ के पुराने बिलों का उपयोग किया बल्कि फर्जी खाता खुलवाकर पूरा पैसा भी हजम कर लिया। शिकायत होने पर राज्य बुनकर सहकारी संघ के प्रभारी दिलीपसिंह को निलम्बित कर दिया और संघ के उपाध्यक्ष विजय नारायण कटियार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। और एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा परन्तु आज दो साल हो जाने पर भी न तो उसमें कोई अग्रेत्तर कार्यवाही की गई और न ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई।

इस प्रकरण पर विस्तृत विवरण यह है कि चिकित्सालयों में गाज पट्टी आदि सप्लाई करने का अधिकार सिर्फ राज्य सहकारी बुनकर संघ के

मुख्यालयों को ही है जबकि इस मामले में डिपो द्वारा माल सप्लाई किया गया जिस पर संघ द्वारा ऐसे बिल भी प्रस्तुत किये गये है जिन पर पता भी मुख्यालय का गलत लिखा हुआ था। इस संबंध में लेख है कि यह माल अम्बेडकर बुनकर वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति द्वारा क्रय किया गया है जबकि उसमें उक्त गाज बेन्डेज और गाज पट्टियों की सप्लाई नहीं की। दूसरी तरफ संघ की बाड़मेर डिपो पर, जो बिल मिले है उसमें सूती कपड़े, पिलो कंवर, बेडसीट आदि है। इस प्रकार फर्जी तरीके से उक्त काम किया गया है और आज दो वर्ष बीत जाने पर भी इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस सारे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि इसमें बुनकर संघ की पूर्व संचालक मण्डल, उत्पादन इकाई एवं लेखा शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मिले हुए हैं वे इस कारण सारे प्रकरण को दबा दिया है और यदि मंत्री महोदय ने इस संबंध में रिकार्ड अपने कब्जे में लेकर तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो रिकार्ड को खुर्द बुर्द करने के प्रयास बुनकर संध में किये जा रहे हैं।

मैं उद्योग मंत्रीजी का ध्यान इस प्रकरण की ओर आकर्षित कर रहा हूं ओर उम्मीद करता हूं कि वे इस पर तत्काल कार्यवाही कर दोषी लोगों को जेल भिजवायेंगे।

खुशवीर सिंह जोजावर
(खारची)

नागौर जिले में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने बाबत

महोदय,

नागौर जिले में बेमौसम बरसात के कारण भयंकर ओलावृष्टि हुई है। जिरा, इशबगोल, रायड़ा, गेहूं और चने की फसल पक कर तैयार हुई थी। तेज अंधड़ व वर्षा के साथ डेगाना, जायल, परबतसर, डीडवाना, मेड़ता मकराना, रिया तहसीलों के राजस्व गांवों में भारी तबाई हुई है जिससे किसान बर्बाद हो गये। पहले खरीब की फसल नहीं हुई और अब रबी की फसल भी नष्ट हो गई। इस प्रकार काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है व काश्तकारों को कोई राहत सरकार द्वारा नहीं की गई है जिससे आम लोगों में भयंकर असन्तोष फैला हुआ है। अतः राज्य सरकार तुरन्त इस मामले में उक्त क्षेत्र के काश्तकारों को फसल को मुवावजा

दिलाने, बैंकों द्वारा की जा रही वसूली व बिजली के बिलों में छूट प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रामचन्द्र जारोड़ा

(नागौर)

शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने बाबत

अध्यक्ष महोदया,

मैं आपके मार्फत माननीया मुख्य मंत्री महोदया एवं शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बिना किसी भेदभाव के राज्य में शिक्षा का माहौल निर्मित करने हेतु सार्थक प्रयास आरम्भ किए हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने राज्य के समस्त विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते हुए शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई विद्यालयों में प्रारम्भ करने का साहसी निर्णय लिया है। किन्तु मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि राज्य में शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु एक मात्र राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर जिला मुख्यालय पर स्थित है जो वर्ष 1956 में प्रारम्भ किया गया था। इस महाविद्यालय के साथ शिक्षा विभाग द्वारा हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं यहां देना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय के प्रारम्भ होने के दिन से आज तक प्रधानाचार्य का पद नहीं भरा गया है। जबकि उप प्रधानाचार्य के पद पर आज तक मात्र एक दो बार ही पस्थापन हुआ है। इस महाविद्यालय में आज तक सैकड़ों शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राजस्थान राज्य के एक मात्र इस सरकारी महाविद्यालय में डी.पी.एड. व सी.पी.एड. के कोर्स करवाये जाते रहे हैं किन्तु अब मात्र डी.पी.एड. का कोर्स ही करवाया जा रहा है क्योंकि गत वर्षों में राज्य सरकार व शिक्षा विभाग ने बी.एस.टी.सी. का पाठ्यक्रम हटा दिया गया था इसी निर्णय के साथ राज्य में सी.पी.टी. का कोर्स भी बन्द कर दिया गया था, किन्तु आश्चर्यजनक बात यह है कि शिक्षा विभाग ने बी.एस.टी.सी. का पाठ्यक्रम तो पुन: प्रारम्भ कर दिया गया है किन्तु सी.पी.एड. का पाठ्यक्रम आज तक राज्य में पुन: प्रारम्भ नहीं किया गया है किन्तु जिससे राज्य के सैकड़ों नौजवान खिलाड़ियों के सामने शारीरिक शिक्षक के प्रशिक्षण के विकल्प समाप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार इस महाविद्यालय में वरिष्ठ प्रवक्ता (महिला) का पद पिछले चार वर्षों से व शारीरिक शिक्षा के व्याख्याताओं के पद कई वर्षों से रिक्त चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में शारीरिक शिक्षकों के काफी पद लम्बे

समय से रिक्त चले आ रहे हैं उन्हें भी शीघ्र भरने हेतु शिक्षा मंत्रीजी उचित निर्णय लेवे एवं साथ ही शारीरिक शिक्षा की भंली-भांति मोनिटरिंग करने हेतु वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) के पद तो स्वीकृत हैं किन्तु ये पद योग्य अधिकारियों की कमी के कारण लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं एवं इन पदों पर अन्य कैडर के अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज देकर मात्र खानापूर्ति की जा रही है। जो निश्चित ही शारीरिक शिक्षा के साथ बेइन्साफी की श्रेणी में आती है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस संबंध में गम्भीरता से मनन करते हुए शारीरिक शिक्षा के बारे में उचित निर्णय लेते हुए शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे तथा राज्य के एक मात्र शारीरिक महाविद्यालय के प्रशासनिक संचालन को सुदृढ़ करने हेतु योग्य व्यक्तियों का पदस्थापन प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य के पद पर करने की दिशा में कार्य करेंगे। जिससे राज्य में जिस गति से शिक्षा का माहौल तैयार हो रहा है उसी अनुरूप शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी माहौल निर्मित होगा एवं प्रदेश का युवा शिक्षित तुदुरूस्त होगा। इसके साथ साथ मैं आपके मार्फत माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं एवं इन पदों पर विभागीय समिति की सिफारिशों के आधार पर पदोन्नतियां करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है एवं इन पदों को पदोन्नति से भरने हेतु माननीय न्यायालयों से भी निर्देश शिक्षा विभाग को दिये जा चुके हैं किन्तु वांछित कार्यवाही अभी तक नहीं होने से शिक्षक वर्ग में असंतोष पनपता जा रहा है। अत: इस संबंध में उचित निर्णय लेते हुए वरिष्ठ अध्यापकों के पद नियमानुसार पदोन्नति से भराने का कार्य प्रारम्भ करावें।

धन्यवाद।

मोहन मेघवाल

(सूरसागर)

पंजाबी अकादमी का मुख्यालय श्रीगंगानगर में स्थापित करने बाबत

मान्यवर,

पंजाब अकादमी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया है जबकि मापदण्डों के अनुसार निम्न कारणों से उक्त मुख्यालय श्रीगंगानगर में स्थापित किया जाना चाहिये :-

(1) श्री गंगानगर जिला एक पंजाबी भाषी जिला है और इस जिले की अधिकांश जनसंख्या पंजाबी भाषा का उपयेाग करती है।

(2) श्रीगंगानगर के साथ चिपते हुये हनुमानगढ़ जिले में भी पंजाबी भाषी लोगों की काफी जनसंख्या है।

(3) श्रीगंगानगर जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है और यहां पर अकादमी का मुख्यालय स्थापित होने से पंजाब का भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि पंजाबी अकादमी का मुख्यालय श्रीगंगानगर में ही स्थापित कर श्रीगंगानगर जिले की जनता को अनुगृहीत करने का कष्ट करें ।

गुरजंट सिंह बराड़

(संगरिया)

गौ-शालाओं में गायों की दुर्दशा के संबंध में

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत गायों की दुर्दशा गौशालाओं में हो रही है अत्यन्त दयनीय दशा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में नगर निगम जयपुर के द्वारा ग्राम हिंगोनिया गौशाला खोल रखी है इस गौशाला की स्थिति दयनीय है यह कि जब से यह गौशाला बनी है तब से अब तक 25 से 35 गायें प्रतिदिन मर रही है। मरने का मुख्य कारण पशुपालन के डाक्टर बताते है कि यह गायें पोलीथीन की थैली खाने से मरती हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि गौशालायें बन्द करने के बाद सस्ता सडा गला भूसा जिसमें मिट्‌टी मिली हुई है ऐसे चारे के वो भी ताकतवार गायें ही खाती है ताकतवार गायें दुबली-पतली गाय को मारती हैं तथा उन्हें उठाकर फेंक देती है जिससे उनकी हड्‌डी टूट जाती है और वह मर जाती है। छोटे बछड़ों को तो पानी भी नहीं मिलता है ऐसी होता रहा तो थारपाकर, राठी देशी आदि नस्ल को गायों की संख्या बहुत कम हो जायेगी साथ ही अन्य गौशालाओं एवं दवाब खाने में न तो चारे की व्यवस्था होती है और न ही छाया उनको कीचड़ भरा रहता है। जिन्हें सफाई करने की व्यवस्था नहीं है।

अत: आपसे निवेदन है कि इन गांवों के लिये परमानेंन्ट डाक्टर खाने के लिये बांट, हरा चारा यह कि गांवों में जो गायें आवारा घूम रही हैं उन गायों को रात्रि के वक्त में मोगियां जाति के लोग कानपुर कत्ल खाने में ले जाते हैं

उनको अनेक बार पकड़ा गया लेकिन वे जमानत पर छूट जाते हैं। किसान गायों को इसलिये ले जाने देते है कि उनकी फसल को नुकसान होता है।

अत: मेरा निवेदन है कि इनके चारे पानी की उचित व्यवस्था कराने हेतु मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का इस ओर उक्त व्यवस्था कराने हेतु सदन में चर्चा करना चाहूंगा जिसकी मुझे अनुमति प्रदान करावे।

डा. कन्हैया लाल मीणा

(बस्सी)

भीम के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने बाबत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम मुख्यालय पर स्थित राजकीय सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम को 84 शैयाओं से 100 शैयाओं में क्रमोन्नत करने हेतु मैं निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूं :-

मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम को यहां की भौगोलिक एवं यहां की सामाजिक परिदृष्टि को मध्य नजर रखते हुये आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र एन.एच. नं. 8 पर स्थित है एवं यह सी.एच.सी. तीनों जिलों की संगम स्थली है। जिसके तहत यहां पर हर रोज सैकड़ों रोगी एवं दुर्घटनाग्रस्त जनता आती है लेकिन चिकित्सकों एवं अन्य सुविधाओं के नहीं होने के कारण कई रोगियों को मायूस होकर अन्यत्र जाना पड़ता है एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं होने से यहां तो भगवान को प्यारा हो जाता है या अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदया यह सब देखते हुये मेरे विधानसभा क्षेत्र भीम उपखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 84 शैयाओं के क्रमोन्नत कराकर अन्य सुविधा जैसे आई.सी.यू. वार्ड, ब्लड बैक एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदया गत बजट में निम्नांकित असुविधाओं को देखते हुये सरकार ने ट्रोमों चिकित्सालय की घोषणा की थी लेकिन अभी तक सम्बन्धित चिकित्सक एवं उपकरण एवं भवन की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी बजट में यह व्यवस्था कराने का प्रावधान रखकर मेरे क्षेत्र को चिकित्सा सुविधा मुहिया करावे।

अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र में दो साल के बजट में कोई विकास कार्य नहीं हुआ

है, अत: इस बजट में प्रा.स्वा. केन्द्र (1) बलजी जस्सा खेड़ा (2) मण्डावर (3) देवरिया माद में नये केन्द्र खुलवाए जायें।

अध्यक्ष महोदया वर्तमान में सी.एच.सी. भीम एवं अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी रिक्त चिकित्सकों को भी भरने की कार्यवाही करावें :-

(1) राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम के कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सभी खाली है।

(2) प्राथमिक स्वा. केन्द्र बरार में 1 पद रिक्त।

(3) प्राथमिक स्वा. केन्द्र छापली में 1 पद पर दो वर्ष से खाली।

इस प्रकार कई केन्द्रों पर ए.एन.एम. एवं नर्सों की भारी कमी है जिससे ग्रामवासियों में भारी रोष व्याप्त हो रहा है।

इस बाबत मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

हरी सिंह रावत

(भीम)

गांवों को पीएमजीएसवाई सड़क से जोड़ने बाबत

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत बाहुल्य आदिवासी अंचल में 1200 से ज्यादा की आबादी का गांव छिपाला पंचायत मोड़ी (गोगुन्दा) में है परन्तु इस गांव को पीएमजीएसवाई सड़क से नहीं जोड़ा गया जो मुख्य सड़क से एक किमी. से भी ज्यादा दूरी पर स्थित है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी आपने विधान सभा में इस गांव को पीएमजीएसवाई सड़क योजना में जोड़ने का आश्वासन भी दिया था परन्तु अभी तक नहीं जोड़ी गई। शिवडिया (कोटड़ा) में लोगों को आने जाने का रास्ता भूतवड़ से है। अत: जहां आने जाने की सुगमता है उधर से ही जोड़े जाने का ख्याल रखना चाहिए। नया राजस्व गांव-ईंटों का खेत (दादिया) गोगुन्दा, भीमजी का गुडा (तिरोल) गोगुन्दा, कोविया (दियाण) राजस्व गांव-पांबा (वितमा) गडलतो का गुडा (जसवन्तगढ़) पीएमजीएसवाई से सड़क को जोड़ा जाये। रिछवड़ा (चित्रावास) गांव के लोगों को सीधा आना-जाना चित्रावास से होता है। अत: चित्रावास से जोड़ा जाये एवं पिपराना (चित्रावास) को सरिया कडेच रोड़ से जोड़ने की कार्यवाही करावें क्योंकि इन्हें मरू विकास कार्यक्रम में लिया गया है। तथा गोदों का गुडा (पानेर) को भी पीएमजीएसवाई से जोड़े जाने की कार्यवाही करायें।

धन्यवाद।

मांगीलाल गरासिया

(गोगुन्दा)

दीगोद के ग्राम कनवास में तहसील तथा ग्राम बड़ौद में उप तहसील खोलने बाबत

आजादी से पूर्व कोटा रियासत के जमाने में कोटा के ग्राम कनवास व बड़ोद में तहसील हुआ करती थी। ग्राम कनवास व ग्राम बड़ौद में तहसील का भवन तथा तहसीलदार का निवास उसी समय का बना हुआ है तथा भवन आज भी अच्छी हालत में है। आजादी के बाद दोनों ही स्थान से तहसील कार्यालय बन्द कर दिया गया। कनवास में कुछ वर्ष पूर्व उप तहसील खोली गई मगर ग्राम बडौद में उप तहसील भी नहीं खोली गई है। कनवास उप तहसील क्षेत्र में 94 ग्राम आते हैं तथा इनकी कुल जनसंख्या 61,809 है तथा यहां उप तहसील के स्थान पर तहसील खोलना जन हित में होगा। ग्राम बडौद तहसील मुख्यालय दीगोद से अधिक दूरी पर होने के कारण बडौद के आस पास के गांवों के लोगों को दीगोद आने में व्यापक असुविधा होती है। अतः यह जनहित में है कि ग्राम बड़ौद में उप तहसील कार्यालय खोला जाये। इन दोनों स्थान पर तहसील भवन तथा तहसीलदार का निवास स्थान होने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं आवेगा।

भरत सिंह

(दीगोद)

सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से 17 गांवों के 19 हजार हैक्टेयर रकबे को साहवा लिफ्ट नहर से जोड़कर सिंचाई सुविधा दिलाने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भादरा तहसील के 12 गांव, नोहर तहसील के 4 गांव एवं तारानगर (चूरू) तहसील का एक गांव, कुल 17 गांवों के 19 हजार हैक्टेयर असिंचित रकबे को साहवा लिफ्ट नहर से जोड़ा जावे ताकि उक्त रकबे के काश्तकारों को इस परियोजना से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना का निर्माण क्षेत्र में पड़ने वाले अकाल का स्थाई हल करने, ग्रामीण काश्तकारों/किसानों की आर्थिक दशा सुधारने, विशेषकर सिचांई के माध्यम से खेती की पैदावार बढ़ाने व टीबा स्थिरीकरण एवं थार मरूस्थल के सूखे पेड़ पौधे को हरा भरा करने के लिये किया गया था इसके लिये सिद्धमुख वितरिका में आवंटित 206 क्यूसेक पानी से 28000 हैक्टेयर भूमि सिंचित किये जाने का लक्ष्य रखा

गया था जबकि वास्तव में इस परियोजना से सिंचाई हेतु 71 क्यूसेक पानी ही उपयोग में लिया जाकर मात्र 9000 हैक्टेयर भूमि ही सिंचित होनी हैं। शेष रहे 135 क्यूसेक पानी की कमी के कारण पूर्व निर्धारित लक्ष्य से 19 हजार हैक्टेयर भूमि भी सिंचित नहीं होगी। इससे उक्त तीन तहसीलों के 17 गांव सिंचाई से वंचित हो रहे हैं।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिये 135 क्यूसेक पानी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की साहवा लिफ्ट ब्रांच में दिया जाकर सिंचाई से वंचित 17 गांवों की भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाए।

आदर सहित।

डा. सुरेश चौधरी
(भादरा)

बस्सी ग्राम से अजमेर की अधूरी सड़क को पूर्ण कराने बाबत

मान्यवर,

मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम बस्सी जो कि अजमेर जिले के बोर्डर पर बसा हुआ है, तथा ग्राम बस्सी के नजदीक और कोई शहर स्थित नहीं होने के कारण यहां के निवासियों के समस्त कार्य अजमेर से जुड़े हुये है। वर्तमान में बस्सी से अजमेर जाने हेतु सड़क मार्ग से वाया कड़ैल, पुष्कर हो कर जाना पड़ता है। जिसकी दूरी करीब 35 किमी. पड़ती है तथा पुष्कर मेले के समय एक तरफा यातायात हो जाने से करीब 15 दिन तक ग्रामवासियों को वाया खण्डियास, अरड़का होकर अजमेर जिसकी दूरी करीब 50 कि.मी. पड़ती है। नागौर, मेड़ता, बीकानेर व जोधुपर आदि स्थानों से जयपुर भीलवाड़ा आदि स्थानों पर जाने वाले सभी वाहनों को भी काफी चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। ग्राम बस्सी, बासेंड, सिडियास, बरूण, बंवाल, मायापुर, भडसिया, कालेटडा, मण्डोवरी, पीलवा, तथा अजमेर जिले के कंवलाई, अड़ावा, गुढा, कडैल, मंझेवला, खेत, देवनगर, डूंगरियां आदि ग्रामों की गरीब जतना कृषि पर निर्भर है, जहां सब्जियों, गुलाब के फूलों की खेती एवं डेयरी के कार्य किये जाते है। जो सभी अजमेर ले जाकर मण्डी में बेचे जाते हैं। तथा स्कूल व कालेज भी अजमेर में होने के कारण इन ग्रामों के सभी विद्यार्थी अजमेर से आवागमन करते हैं। जिन्हें आने जाने में काफी समय व्यर्थ गवाना पड़ता है।

अत: ग्राम बस्सी से अजमेर जाने हेतु एक सीधा रास्ता है जो बस्सी

से होकरां (अजमेर बाईपास नं. 8) में मिलाता है जिसकी दूरी करीब 7 कि.मी. है तथा बस्सी से अजमेर इस रास्ते से करीब 17 कि.मी. पड़ता है। इस सात किमी. रास्ते पर पूर्व में अकाल राहत के अन्तर्गत काफी कार्य हो चुका है तथा कुछ कार्य और करवा कर 7 कि.मी. डामर रोड़ बना दिया जावे तो यह अजमेर बाईपास नं. 8 से जुड़कर सिर्फ 17 कि.मी. में इस क्षेत्र की जनता को अजमेर पहुंचाने वाला सीधा सड़क मार्ग बन जायेगा। यह रास्ता एक जिले से दूसरे जिले को भी जोड़ देगा। इस क्षेत्र की कृषि प्रधान जनता को अपने उत्पादन पहुंचाने में एवं विद्यार्थियों को कम खर्चे एवं कम समय में अजमेर पहुंचाने वाला रास्ता बन जायेगा। यह रास्ता पुष्कर मेले हेतु अच्छे बाईपास का कार्य भी करेगा तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पुष्कर को प्रदूषण रहित रखने एवं भारी वाहनों को बाईपास से निकालने में भी सहायक होगी।

राकेश मेघवाल

(परबतसर)

गंगरार विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को सीमेंट की सड़कों में परिवर्तित करने बाबत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क निम्न सड़कें गांवों के मध्य से होकर गुजरती है। गांवों में पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण नालियों का पानी डामरीकृत सड़कों पर भरा रहने से सड़कें टूट गई हैं। तथा पक्की सड़क के निशान भी नहीं रहे है। मेरे क्षेत्र में निम्न सड़क गांवों के मध्य से होकर गुजरती है। गांवों के मध्य भाग की सड़कों के हिस्सों को सीमेन्ट सड़क में परिवर्तित कराने का सरकार से अनुरोध करता हूं।

गांवों की सूची जिनमें से सड़कें गुजरती है।

1.	हिण्डौली	10.	उडाना
2.	राशमी	11.	भीमगढ
3.	उपरेडा	12.	खंचा
4.	मुरोली	13.	बूढ
5.	रूद	14.	खारखन्दा
6.	बोरदा	15.	गंगरार
7.	गोपालपुरा	16.	मान्यास
8.	आरनी	17.	बस्सी
9.	मात्री कूण्डिया	18.	साडास

अर्जुनलाल जीनगर

(गंगानगर)

परिशिष्ट-5

मांग संख्या-8 राजस्व पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-8 मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

1. सवाई चक व गोचर भूमि पर काफी समय से बस रहे कदीमी निवास के कब्जे का नियमन करने के संबंध में चर्चा के लिये।
2. अनुसूचित जाति व जनजाति की कृषि भूमि पर हो रहे अतिक्रमण व अवैध कब्जों को हटाने एवं भूमिहीन परिवारों को कृषि भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विभाग द्वारा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों में फैल रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

4. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नोहर साहबा लिफ्ट योजना में अधिसूचित ग्रामों को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर करने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. तहसील बीकानेर के अनेक गांवों में बकाया भू-प्रबंध कार्य से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित अनेक काश्तकारों को कृषि एवं आबादी भूमि के बकाया आवंटन कार्यों तथा अनेक काश्तकारों को पूर्व आवंटित भूमि के डबल अलाटमेंट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. उपनिवेशन तहसील पूंगल में लम्बित कार्यों के मध्यनजर तहसील पूंगल कार्यावधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

8. राजस्व न्यायालयों को उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार से अलग गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

9. विभाग द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चिन्हित मिट्टी व खुदाई स्थानों (जमीन) को आरक्षित कर आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. गैरमुमकिन नदी, नाला, पहाड़, पठार, तालाबी जमीन की किस्म परिवर्तन हेतु सर्वे करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

11. विभाग द्वारा मंदिर माफी की भूमियों पर बनी आवासीय योजनाओं का नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. कस्डोडियम भूमि पर काबिज काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) :

13. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में सुनेल सब तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने एवं रायपुर में सब तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

14. राजस्व अपील अधिकारी दौसा का कैम्प कोर्ट सिकराय में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

15. राजस्व रिकार्ड में रास्तों को खुलवाने एवं श्मशान भूमि पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

16. मंदिर माफी भूमि का खातेदारी हक किसानों को देने एवं कृषि जोत में सामूहिक खातेदारी एवं इन जोतों में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानुपर) :

17. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सारोलाकला में उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

18. विभाग द्वारा काश्तकारों को भूमि आवंटन करने में आ रही बाधाओं को हटाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) :

19. नगर निगम व नगर पालिका की पेराफेरी क्षेत्र में आने वाले गांवों को भू-आवंटन अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

20. पुष्कर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने एवं चारागाह भूमि को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित (मकराना) :

21. विभाग द्वारा राजस्व गांवों को घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

22. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम बड़वा, नांगलबोहरा, अप्रेटा आदि की भूमि को सेना द्वारा अवाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. राजस्थान के लाखों कृषकों की भूमि को खारिज करके मंदिरों के नाम गलत तरीके से करने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. विभाग द्वारा आम रास्ता खोलने एवं भूमि का सीमाज्ञान करवाने की निश्चित समय सीमा तय कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कानोता, हरडी आम रास्ते को रोके जाने से आम जन को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम बस्सी, कानोता, हरड़ी सहित कुल 195 गांवों के नक्शें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

27. विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण में, भूमि के स्वामी को उचित मुआवजा दिलाने में, पारदर्शिता अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विभाग द्वारा व्यावसायिक भूमि के विक्रय पर राजस्व दर निर्धारण हेतु समिति गठित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विभाग द्वारा सिंचित भूमि के निकट की असिंचित भूमि के विक्रय पर सिंचित भूमि के समान दर नहीं लगाने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

(श्री मदन राठौड़)

30. विभाग द्वारा डी.एल.सी. की दरों के निर्धारण में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. उप रजिस्ट्रार द्वारा लगाए गए मुद्रांक शुल्क की अपील सक्षम न्यायालय द्वारा सुने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

32. विधान सभा क्षेत्र बाली के जवाई बांध केचमेंट एरिया के किसानों को गैर-खातेदारी अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विभाग द्वारा जिला पाली के किसान वर्ग एवं भू-मालिकों के पास पट्टे, रजिस्ट्रियां, खरीद के आवश्यक प्रपत्र, स्वयं के मौके पर कब्जा आदि प्रमाण होने के उपरान्त भी सीलिंग नियम के तहत की जा रही आवश्यक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम गुढा सिरवीयान, रडिया की ढ़ाणी (पंचायत बेडा) को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र बाली में गत पांच वर्षों से अब तक सरकारी, सिवाई चक जमीन नियमन में संबंधित काश्तकारों को मालिकाना हक अधिकार का राजस्व रेकार्ड में बकाया इन्द्राज व तत्संबंधी आवश्यक प्रपत्रादि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. जिला पाली में वर्ष 2003 से अब तक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को आवंटित भूमि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

37. गंगरार स्टेशन से गुजरने वाला राष्ट्रीयराज मार्ग 79 के फोरलेन बनने से अधिग्रहण की गई निजी व्यक्तियों की जमीन का वास्तविक मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में हुई ओले एवं वर्षा से खराबे की गिरदावरी कराने एवं मुआवजा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विभाग द्वारा तहसील गंगरार के पास सरकारी भूमि पर उपखण्ड कार्यालय के भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र गंगरार के कस्बे पहुंना व सांडास उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

41. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में स्थित 100 की आबादी के सभी मजरों को राजस्व ग्राम घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

42. तहसील छोटी साटड़ी में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने व कनेरा में उप तहसील खोलने पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में मार्च में वर्षा से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2003-2004 में हजारों बीघा बिला-नाम भूमि को चारागाह में दर्ज करने पर पुन: उस भूमि को बिलानाम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. विभाग द्वारा तहसील छोटी सादड़ी के राजस्व ग्राम स्वरूपगंज, गाड़रियावास व चौहान खेड़ा को मिलाकर राजस्व ग्राम स्वरूपगंज के नाम से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा आबादी वाले मजरो, ढ़ाणियों, फलों को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

47. निवाई विधान सभा क्षेत्र के दतवास में उप तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. निवाई शहर के झिलाय रोड़ चौराहे पर स्थित ढ़ाणी जुगलपुरा के खसरा नम्बर 2971 को आईडीएसएमटी योजना के तहत आवंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

49. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायत की निम्न पाले चुण्डावाड़ा गन्धवा, रास्ता, गोडामाली, सुराता, झौंथरी, सांसरपुर, सरथूना, मोलमाया को राजस्व गांव बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा)

50. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के ग्राम भेराईफला आड़ावेला (पंचायत ऋषभदेव) ग्राम कालिया बावसी (पंचायत पीपलीए) ग्राम पानवा (पंचायत भाटिया कागदर ग्राम काटा घाटी व मालवा पंचायत-भूधर) को राजस्व ग्राम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र लाल (सुरजगढ़)

51. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में गोचर भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्रामीण इलाके के गैर मुमकिन रास्तों पर अनाधिकृत कब्जों से ग्रामवासियों को रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. तहसील बुहाना (झुंझुंनू) में नये खुले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को जमीन के पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. तहसील बुहाना (झुंझुंनू) में तहसीलदार का पद रिक्त होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

55. विभाग द्वारा किसानों की आबादी भूमि का नियमन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

56. ग्रामीण खेत मजदूरों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. राज्य में भूमि पर काश्त करने वाले किसान के नाम से गिरदावरी नहीं करने से कृषक सहायता से महरूम होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

58. राज्य में पूर्व राजाओं एवं जागीरदारों से सीलिंग से सरपल्स जमीन नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विभाग द्वारा उद्योग, आवास एवं अन्य प्रयोजन हेतु अधिग्रीहित भूमि का मुआवजा बाजार भाव से देने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. मन्दिर मूर्ती खातेदारी भूमि पर लम्बे समय से खेती कर किसानों को खातेदारी अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)

61. राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र की उपतहसील कुंआरिया को तहसील का दर्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. रेलमंगरा तहसीलदार के लम्बे समय से रिक्त पड़े पद से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दिगोद) :

63. विधान सभा क्षेत्र दीगोद की उप तहसील कनवास के मजरा आनन्दपुरा ग्राम गिरधरपुरा बरखेड़ा को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश के हर जिला स्तर पर अतिरिक्त कोष बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. तहसील दीगोंद के ग्राम बड़ोद में उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र दीगोद की उप तहसील कनवास को तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

67. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कमान्डसे डिकमान्ड किये गये आदेश से क्षेत्र में स्थित सिवाई चक भूमि को आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कमान्ड क्षेत्र में लीज धारियों को उस समय से भूमि की दर पर ब्याज लगाकर खातेदारी अधिकार देने के संबंध मे चर्चा के लिये।

69. माही प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जिस तरीके से लीजधारियों को खातेदारी अधिकार दिये गये उसी आधार पर विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के लीजधारियों को भी खातेदारी अधिकार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. तहसील हिन्डोली में पठार, खाल, दर्डे कर्डे जो काबिज काश्त है उनकी किस्म परिवर्तन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. तहसील हिन्डोली के गांवों में खसरा गिरदावरी में फसल खराबे में अवैधानिक रूप से चारे को शामिल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लाल चन्द कटारिया (आमेर) : एवं

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

72. विभाग द्वारा वक्फ जायदादों के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्तीकरण हेतु नियुक्त सर्वे आयुक्त का कार्यकाल दो वर्ष और बढ़ाये जाने तथा संभागीय मुख्यालयों पर वक्फ ट्रिब्यूनल स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

73. अलवर, भरतपुर, अजमेर, गंगानगर सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कस्टोडियन भूमि पर गैर खातेदारों को खातेदारी देने हेतु निर्धारित दर बहुत अधिक होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. डी.एल.सी. की दर बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. ग्राम बाहरमाफी तहसील रूपवास जिला भरतपुर की कृषि भूमि का गलत तरीके से मंदिर श्री लक्ष्मण जी महाराज के नाम चढ़ा दिये जाने से सैंकड़ों काश्तकारों को हो रहे आजीविका के संकट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. मंदिर माफी की जमीनों पर वर्षों से काश्त कर रहे किसानों को खातेदारी अधिकारी नहीं देने से किसानों में व्याप्त जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

77. वक्फ जायदादों के उचित रख-रखाव व उन पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

78. राजस्थान भू-दान बोर्ड जयपुर में नियम विरूद्ध किये जा रहे कार्यों की शिकायतों के बावजूद जांच न करवाने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. राजस्थान भू-दान बोर्ड जयपुर के सचिव के विरूद्ध अनियमितताओं की कई शिकायतें प्रापत होने के बावजूद भी पद से न हटाये जाने पर चर्चा के लिये।

80. ग्राम रामपुरा डाबड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर में भू-दान बोर्ड की जमीन विक्रय किये जाने पर भी आवंटी के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर)

81. फसलों के नुकसान के कारण किसानों की गिरदावरी दुबारा कराके, लोन की किस्त रूकवाने एवं ब्याज माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महीपाल यादव)

82. ओला पीड़ित पाले सर्दी व अकाल से नष्ट फसलों से प्रभावित किसानों का लगान तथा बिजली के बिल माफ करने की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिये।

83. मंदिर माफी की जमीनों पर किसानों को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. बहरोड़ तथा बानसूर में कस्टोडियन भूमि पर पुरानी दरों से काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डां. एन.एस.गुर्जर (टोडारायसिंह) :

85. विभाग द्वारा समय-समय पर राजस्व अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

86. ग्राम हमीरवास से तीन किमी उत्तर दिशा में बसी ढ़ाणी को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विभाग द्वारा गोचर भूमि में बसे हुए मकानों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विभाग द्वारा राजगढ़ बस स्टेण्ड को भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

89. तहसील लूणी जिला जोधपुर में कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. जिला जोधपुर उप तहसील झवर को तहसील में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. ग्राम करनियाली तहसील लूणी जिला जोधपुर की सरहद में स्थित खालसा भूमि को आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. जिला जोधपुर तहसील कार्यालय लूणी व उप तहसील कार्यलय झंवर के भवनों को बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

93. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वंचित 250 तक की आबादी वाले मजराओं व ढ़ाणियों को राजस्व ग्राम घोषित नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

94. धौलपुर जिले की सेंपऊ तहसील अन्तर्गत ग्राम कोलारी रेवेन्यूइन्सपेक्ट सर्किल (आर.आई.सी.) को उप तहसील बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. धौलपुर में ए.सी.एम. का पद पिछले 3-4 साल से नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. धौलपुर जिले की सेंपऊ में आर.सी.एम. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. धौलपुर जिले की सेंपऊ तहसील को उपखण्ड नहीं बनाए जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

98. विभाग द्वारा चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के स्टेलमेंट में हुये काश्तकारों की जमीन में 136 के बाद एवं अन्य गलत कार्य के संबंध में चर्चा के लिये।

100. रायपुर में उपखण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

101. विभाग द्वारा औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों के म्यूटेशन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)

102. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के तहसील मुख्यालय पर कोष कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में किसानों द्वारा काश्त की जा रही भूमि का आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

104. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की उप तहसील बालेसर को तहसील घोषित करने व नये राजस्व गांव घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

105. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में 250 के आबादी के गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

106. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटित कृषि भूमि पर ब्याज माफी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

107. सरकार द्वारा बीसलपुर से जयपुर पेयजल योजना में अधिग्रहित भूमि के बदले में काश्तकारों को भूमि देने एवं मंदिर माफी की भूमि पर काश्तकारों के अधिकार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

108. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के उपखण्ड सांभरलेक में राजस्व मामलों के फैसलों में विलम्ब व अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

109. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के कालख बांध की पाल की भूमि का निजी व्यक्ति को आवंटन किये जाने में भष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

110. गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

111. विभाग द्वारा लम्बे समय से नाजायज काश्त करने वाले काश्तकारों को टी.सी. से पुख्ता आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112 विभाग द्वारा डाग केनाल क्षेत्र नहरी भूमि 15 बीघा टी.सी. से आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विभाग द्वारा सोसायटी भूमि के पुख्ता आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. टी.सी. धारक की मृत्यु के पश्चात् वारिसान के शपथ पत्र पर एक धारक को टी.सी. की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलाली) :

115. विभाग द्वारा गोचर भूमि पर बढ़ते अतिक्रमणों को रोकने एवं रोके गये रास्तों को खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

116. अनुसूचित जाति एवं जन जाति की बैंकों में रहन सुधा भूमि की अन्य वर्गों द्वारा निलामी से बोली लगाकर क्रय भूमि का नामांकन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

117. कस्टोडीयन भूमि पर गैर खातेदारों को पट्टे देने में हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

118. उप तहसील खण्डेला (जिला सीकर) को तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

119. राज्य में भू–राजस्व अधिनियम की/धारा 91 के दुरूपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

120. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत राज्य में दर्ज मुकदमों की पत्रावालियों के साथ राजस्व पटवारियों द्वारा पुराने कब्जे काश्त का रिकार्ड प्रस्तुत करने में बरती जा रही शीथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. अतिक्रमण को आधार बनाकर राजस्व न्यायालयों द्वारा दी जा रही सजाओं के संबंध में बरती जा रही अनियमितताओं को रोकने में विफलता पर चर्चा के लिये।

122. नैनवा तहसील क्षेत्र में किसानों की पुरानी काश्त की भूमि के नियमन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. राजस्व पटवारियों का मुख्यालय पर निवास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. बूंदी जिले के बरद क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों द्वारा दबाव से सरकार को वापिस समर्पित भूमि संबंधी कार्यवाही में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर) :

125. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम भनोखर में उप तहसील स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) :

126. प्रवासी राजस्थानियों को अपनी पैतृक स्थान पर मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने में आ रही बाधाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

127. काश्तकारों की सुविधा के लिए राजस्व कानूनों का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

128. बाड़मेर एवं जैसलमेर में नये राजस्व गांव घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 150 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विभाग द्वारा पुरानी बसी हुई आबादी जो गोचर भूमि में आती है, के निर्धारित नोमर्स में शिथिलता हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

130. राजस्थान भू-राजस्व सहकारी संस्थाओं को भूमि आवंटन के अन्तर्गत ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा को कृषि हेतु आबंटित कृषि भूमि का अवसायन के बावजूद भी उस कृषि भूमि को आबादी हेतु बेचान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

131. ग्राम मालाखेड़ा जिला अलवर में तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. अलवर स्थित बहादुरपुर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. कस्टोडियन (गैर खातेदारी) में पूर्व कीमत की दर जमाकर खातेदारी देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बन्ने सिंह राठौड़ (ओसियां) :

134. जयपुर जिले के भूतपूर्व जागीदारों को 50 वर्ष पूर्व में खुदकाश्त हेतु आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

135. सिरोही जिले में खरीफ फसल वर्ष 2005 की गलत की गई गिरदावरी से संबंध में चर्चा के लिये।

136. सिरोही जिले में रबी की फसल वर्ष 2006 में भारी बरसात से हुए नुकसान के आंकलन में विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिये।

137. सिरोही जिले में ग्राम पंचायतों को आवंटित भूमि की मौके पर कब्जा सुपुर्दगी, तरमीम न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

138. सिरोही जिले में अनुसूचित जाति व जन जाति की भूमि पर से कब्जे न हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

139. सिरोही शहर में राजीव गांधी आवासीय योजना की भूमि का म्यूटेशन का अभी तक निर्णय नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

140. विभाग द्वारा नगरपालिका परबतसर को कचरा डालने हेतु भूमि आवंटन करवाने बाबत चर्चा के लिये।

141. नगर पालिका मकराना को मार्बल स्लेरी/कचरा डालने हेतु वर्तमान आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने एवं अन्यत्र आवंटन पर चर्चा के लिये।

142. परबतसर उपखण्ड कार्यालय हेतु नवीन भवन की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) :

143. ग्राम दयालपुरा तहसील बस्सी जि0 जयपुर में इन्दिरा गांधी आवासीय योजना में वर्ष 1975 में एस.सी. के व्यक्तियों को खसरा नं. 131 (रेल्वे लाइन के पास) में आवंटित भूमि को आबादी में नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

144. विधान सभा क्षेत्र बैराठ के राजस्व न्यायालय केम्प को शाहपुरा हस्तान्तरित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र बैराठ में राड़ावास ग्राम में उप तहसील खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. ग्राम नौसाल (पंचायत समिति, दांतारामगढ़, जिला सीकर) की राजकीय उच्च प्राथमिक शाला के खेल मैदान एवं ग्राम की शमशान भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या-9 वन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-9 मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री बाबू लाल नागर (दूदू) :

1. राज्य में वन भूमि चिन्हित कर इसका नक्शा ग्राम पंचायतों एवं स्कूलों में लगाये जाने तथा इसकी सुरक्षा हेतु पर्याप्त वन रक्षकों की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

(श्री बाबूलाल नागर)

2. विभाग द्वारा पर्याप्त वृक्षारोपण कराने, वनो में वृक्षों की अवैध कटाई रोकने एवं काफी समय से वन भूमि में निवास करने वाले व्यक्तियों के भवनों का नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. वन विभाग में भ्रष्टाचार आरोपित अधिकारियों व कर्मचारियों को फिल्ड पोस्टिंग से दूर रखने व उन्नत किस्म के पौधों की नर्सरी तैयार करने तथा वन भूमि में अवैध रूप से हो रहे खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

4. जिला बीकानेर में वन्य प्राणियों द्वारा काश्तकारों की फसलों को पहुंचाये जा रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. विभाग द्वारा जिला बीकानेर में वन्य जीवों की रक्षार्थ किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा के लिये।

6. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कराये जा रहे विभिन्न कार्यो पर चर्चा के लिये।

7. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में पेड़ों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. जिला बीकानेर की तहसील खाजूवाला, पूंगल एवं छतरगढ़ के अनेक काश्तकारों को आवंटित भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधारोपण एवं अन्य कार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोड़ाभीम) :

9. राज्य की वन सम्पदा पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

10. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं वन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निकायों को शामिल किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

11. सरिस्का अभ्यारण में पर्याप्त आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

12. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम गेरोटा के वन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

13. प्रदेश में हो रहे वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

14. राज्य में वृक्षों की अंधाधुन्ध कटाई से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)

15. विभाग द्वारा वनों की रक्षा व उपयोग हेतु ग्रामीण वन समितियों का सहयोग लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्री गोपाल बाहेती (पुष्कर) :

16. अजमेर जिले में नाग पहाड़, पुष्कर घाटी, काबरा पहाड़ी में वन संर्वधन हेतु विशेष पैकेज में सघन वृक्षारोपण एवं पंचकुड डीयर पार्क को अभ्यारण के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) :

17. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम धूला, दोपर बस्सी वन पहाडियों से पत्थर नहीं ले जाने की रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम खोनागोरियान में वन भूमि पर कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. विभाग द्वारा हजारों आरा मशीनों का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

20. विभाग द्वारा बंजर व शुष्क भूमि पर जीवित रहने वाले पौधे, मृदा परीक्षण करके ही लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विभाग द्वारा वन्य जीवों की रक्षा का दायित्व निकट के ग्रामीणों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. नेशलन हाई-वे के दोनों ओर वृक्षों की कटाई रोकने की जवाबदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विभाग द्वारा वनों की रक्षा का दायित्व, ठेके पर देकर प्रतिवर्ष पेड़-पौधों की वृद्वि का प्रतिशत सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मदन राठौड़)

24. विभाग द्वारा वन क्षेत्र में ज्युलीफ्लोरा (अंग्रेजी बबूल) को नष्ट करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

25. एन.एच.-76 निर्माण में कोटा से कस्बा थाना तक 30 हजार पेड़ उजाड़ने एवं वन भूमि का पर्याप्त मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

26. विधान सभा क्षेत्र बाली के आदिवासी/बीपीएल बाहुल्य वन क्षेत्रों में रोजगार एवं वन रक्षक हेतु अधिकतम कार्य स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बाली के वन क्षेत्र में एकनिट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. राज्य में देशी बबूल की कटाई पर रोक की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) :

29. विभाग द्वारा पर्यावरण दूषित करने वाले उद्योगों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट (वन) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा काश्तकारों की फसलों को बर्बाद करने वाले जानवर रोजड़ों को पकड़ कर वन्य जीव अभ्यारण में छोड़ने एवं रोजड़ों की प्रजनन क्रिया की रोक-थाम के उपायों पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

31. विभाग द्वारा वन भूमि क्षेत्र में एनकिट, तालाब एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु संबंधित विभागों को स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. सीता माता अभ्यारण बड़ी सादड़ी को राष्ट्रीय अभ्यारण का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. वन भूमि पर स्कूल भवन, सड़क व जन हितार्थ निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. तहसील छोटी सादड़ी के जन जाति क्षेत्र में वन भूमि पर कब्जों का नियमन करने पर चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमार नवलखां)

35. तहसील छोटी सादड़ी की वन भूमि क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, वन जीवों एवं पशुओं की सुरक्षा हेतु तालाब, एनिकटों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

36. विधान सभा क्षेत्र निवाई में वनों की अवैध कटाई रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. बनास प्रोजेक्ट में वर्षों से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

38. उदयपुर संभाग में जन जाति के लोग जो वन क्षेत्र में बसे हैं उन्हें नियमन/कब्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू लाल खराड़ी (फलासिया) :

39. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्र में सड़क निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के वन क्षेत्र में एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

41. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के वन क्षेत्र में एनिकट, चैकडेम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

43. विभाग द्वारा समय पर पौधे उपलब्ध नहीं कराने से ग्रामीणों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

44. विभाग द्वारा सूरजगढ़ क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वन क्षेत्र में अतिक्रमण की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिये।

(श्री सुन्दर लाल)

46. विभाग द्वारा सूरजगढ़ क्षेत्र के वनों से अवैध कटाई से उत्पन्न समस्या की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

47. विभाग द्वारा सूरजगढ़ क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन कार्य रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

48. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में तेज आंधियों से होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले के किसानों के निजी खेतों में बढ़ रहे रेत के टीब्बों को रोकने हेतु कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

50 विभाग द्वारा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित वन भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा पौधारोपण में राज्य के पारम्परिक पेड़ नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

52. विभाग द्वारा मार्बल ग्रेनाइट खनिज लीज में कनवरजन चार्ज और चेजा पत्थर का चार्ज समान होने से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

53. विभाग द्वारा वन भूमि में आबाद लोगों को पट्टा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

54. मुकन्दरा राष्ट्रीय अभ्यारण के नोटीफिकेशन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विभाग द्वारा वन एवं वन्य जीवन प्रबंधन समिति, 2005 (स्टेट एम्पावर्ड कमेटी) की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. हाडौती सम्भाग में भूमि कटाव को रोकने हेतु वन, राजस्व, बंजड भूमि तथा चारागाह भूमि पर वन विभाग द्वारा पूर्व में लगाये गये प्लान्टेशनों को नष्ट करके कोयला बनाने पर पूर्ण रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

57. विभाग द्वारा वन संरक्षण हेतु कर्मचारियों (गार्ड) की नई भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. कोटा जिले की कनवास रैंज की ग्राम पंचायत हिंगी व देवली में वन विभाग की ''राडी'' गाडरवाडा व खण्डगांव के वनों को नष्ट कर खेती करने वालों के खिलाफ वन विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

59. बूंदी जिले में वन क्षेत्र में कार्य मशीनों से करवाकर भुगतान दैनिक मजदूरी के आधार पर करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. विभाग द्वारा रामगढ़ अभ्यारण में स्थित हनुमान नाला आकोरा, बिस्धारी एवं दराकानया गांव में अधूरे एनिकटों को स्वीकृत कर जानवरों हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

61. राज्य में अभ्यारणों में जंगली जानवरों की संख्या में लगातार हो रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में वृक्षों की लगातार अवैध रूप से हो रही कटाई से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी हेतु आवश्यक प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विभाग द्वारा राज्य में स्थित जन्तुआलयों में जानवरों की खुराक पर होने वाले व्यय में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

65. वन रक्षक पद पर नियुक्त श्री महेन्द्र कुमार की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति न देने एवं मृतक की पत्नि को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत न किये जाने पर चर्चा के लिये।

66. विभाग द्वारा जयपुर की नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में वृक्षों की संख्या लगातार घटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

68. जयपुर के चिड़ियाघर को नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थानान्तरित करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. जयपुर की गलता की पहाड़ियों पर से वृक्षों की अवैध कटाई को न रोक पाने पर विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

70. विभाग द्वारा टेहड़ की नर्सरी (अलवर-बहरोड़ के बीच में) को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोड़ासिंह)

71. टोंक जिले में वन विभाग की जमीन में अवैध खनन कार्य को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

72. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में विभाग द्वारा लील की बीड को वन जीव सेन्चुरी घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

73. विभाग द्वारा जोधपुर जिले में स्थित वन क्षेत्रों का मौके पर नाम करवाकर मुरान लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

74. विभाग द्वारा वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के वन नक्शों के प्रकाशन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) :

76. जयपुर आगरा रोड स्थित खानिया ग्राम में शमशान के वन क्षेत्र में आने के कारण वन विभाग द्वारा निर्माण कार्य नहीं करने देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. विभाग द्वारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर में स्थित बाघों की पर्याप्त सुरक्षा के उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विभाग द्वारा जवाहर नगर कच्ची बस्ती, जयपुर के कुछ क्षेत्र जो वन क्षेत्र में हैं, उनहें मुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

79. विभाग द्वारा जयपुर के झालाना वन क्षेत्र में स्थित वर्षों पुराने काली माता मंदिर तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. सरिस्का अभ्यारण्य में आने वाले गांवो को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

81. धौलपुर जिले में वन भूमि/वन्य अभ्यारण्यों की सीमा का सीमाकंन नहीं होने के कारण वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा मनमानी करने से पट्टेदार खानों को भी बन्द करने तथा नाजायज परेशान करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

82. धौलपुर जिले की वन विहार सेन्चुरी के वन्य जीवों को आवश्यक सुविधाऐं व संरक्षण नहीं मिल पाने के कारण निरन्तर वन्य जीवों की घटती संख्या से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

83. धौलपुर जिले में वन विहार सेन्चुरी क्षेत्र में कूआखेड़ा, सरमथुरा सेन्चुरी तथा बाडी (रामसागर) सेंचुरी क्षेत्र में वन विभाग की मिली भगत से अवैध खनन होने से वन्य जीव की संख्या निरन्तर घटने तथा इससे पर्यावरण को खतरा होने के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

84. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गांवों में पेंथर के बच्चों के आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के पोटला में मगरमच्छों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

86. विभाग द्वारा राज्य में लम्बित सभी अभ्यारक्षण प्रस्तावों को समयबद्ध पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

87. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में वन विभाग द्वारा लगाये गये पौधों की सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में वन विभाग की भूमि की सीमाबन्धी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

89. विधान सभा क्षेत्र टीबी के सेम ग्रस्त क्षेत्र में वन विभाग के तहत सेम का प्रकोप रोकने हेतु बास का रोपण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजौरिया (फुलेरा) :

90. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वनों क अवैध कटाई के संबंध में चर्चा के लिये।

91. सांभर झील के विकास एवं विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

92. वन क्षेत्र में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. राज्य में वन क्षेत्र में अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

95. विभाग द्वारा नये वन लगाने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग पर दोनों तरफ वन लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :

96. विभाग द्वारा वन क्षेत्र में वर्षो पुरानी बसी हुई बस्तियों का नियमन करने के संबंध में चर्चा लिये।

97. राज्य में वन विभाग में फैली अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

98. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में बहरोज एवं सुड़टा में वन चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के बहरोज पंचायत के क्षेत्र में पेड़ों की हो रही अवैध कटाई के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

100. वनों के साथ जनता का जुड़ाव न होने व बृज चौरासी क्षेत्र के वनों में हो रहे खनन कार्यों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. आरक्षित वन क्षेत्र व अभ्यारण्य में अंग्रेजी बबूल के बढ़ते प्रभाव से अन्य महत्वपूर्ण वनस्पती के नष्ट होने पर चर्चा के लिये।

102. बाघ परियोजनाओं (सरिस्का) में बाघों की पुर्नस्थापना में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।

103. वन विभाग में अधिकारियों के पदों में वृद्धि व कर्मचारियों के पदों में कमी करने से वनों की समुचित सुरक्षा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. विभाग द्वारा विदेश यात्राओं पर भेजे जाने वाले बड़े अधिकारियों के अनुभवों का समुचित लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

105. रोजड़ा नामक वन्य पशु द्वारा किसानों की कृषि उपज में किए जा रहे नुकसान को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

106. विभाग द्वारा प्रति वर्ष करोडों रुपये वनसंरक्षण के नाम पर व्यय करने के उपरान्त भी प्रदेश में वनों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. ज्यूली फ्लेरा (विदेशी बबूल) के उन्मूलन अभियान में सरकार का विफलता पर चर्चा के लिये।

108. वन उपज परिवहन के नाम पर वन भूमि के बाहर मुख्य सड़कों पर जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर कर्मचारियों द्वारा मुकदमें दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) :

109. जयपुर स्थित गलता की पहाड़ी पर सूर्य मंदिर के सामने वन विभाग की निर्माणाधीन चौकी विभाग की लापरवाही के कारण एक वर्ष से अधूरी पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. जयपुर स्थित गलता की पहाड़ियों में वन विभाग के कर्मचारियों की मिली-भगत से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से क्षेत्र में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री ममता शर्मा (बूंदी) :

111. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में वन भूमि पर 50-60 सालों से चल रहे रास्तों को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जागेश्वर गर्ग (जालौर),

श्री जीतराम (मालपुरा) एवं

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर) :

112. राज्य के नागरिकों द्वारा अपनी निजी भूमि पर लगे वृक्षों की रक्षा करने तथा उनकी संख्या बढ़ाने पर प्रोत्साहन राशि एवं प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. राज्य में ऐसा पर्वतीय एवं चट्टानी वन क्षेत्र जहां न तो वृक्ष हैं तथा न उगने सम्भव हैं, उन्हें वन क्षेत्र से मुक्त कर खनिज उत्पादन हेतु उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डां. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

114. बाड़मेर एवं जैसलमेर में डेजर्ट नेशलन पार्क के अन्तर्गत आने वाले भूमि क्षेत्र में सड़क के निर्माण की स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. विभाग द्वारा मरू प्रसार रोक परियोजना के अन्तर्गत निजी भूमियों पर वृक्षारोपण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

116. वन विभाग में आने वाले गांवों की सड़कों को चालू कर ग्रामीणों को सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम राताखुर्द से श्यामा (खैरथल) मार्केटिंग कृषि विपणन रोड में वन विभाग का प्रतिबंधित 400 मीटर रोड को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढा (सिरोही) :

118. सिरोही जिले में वन्य जीवों की घटती संख्या के संबंध में चर्चा के लिये।

119. सिरोही जिले के वन क्षेत्र में व्यर्थ बहते पानी की रोकथाम हेतु एनिकट निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. सिरोही जिले के वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

121. सिरोही जिले में वन कर्मियों द्वारा पशु पालकों के साथ किए जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

122. सिरोही जिले में वन कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या में कमी की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

123. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वन विभाग की भूमि पर किये गये अतिक्रमणधारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. वन विभाग द्वारा लगाये जाने वाले वृक्षों की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-37 कृषि पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

1. विभाग द्वारा भरतपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्से में किसानों को यूरिया, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकतानुसार शुद्ध किस्म की उपलब्धता नहीं करवाने से व्याप्त जन आसंतोष पर चर्चा के लिए।

2 किसानों को उसकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिलने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिऐ ।

3 विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु अच्छी किस्म के पौधे समय पर उपलब्ध नहीं करवाने कि स्थिति पर चर्चा के लिये।

4 राज्य में ड्रिप इरीगेशन हेतु दिये जाने वाले फव्वारा सेटों पर सब्सिडी की राशि में कमी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. राज्य में भूमि सुधार (सोल कनर्वेशन) की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद)

6. राज्य में किसानों को अपनी उपज की लागत के अनुसार में बाजार मूल्य नहीं मिलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

7. राज्य में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता राशि देने हेतु कृषि उपज मण्डी की आय जो कृषि विपणन बोर्ड में जमा होती है, उसे जिला स्तर पर जिला परिषद सहायता कोष में जमा करवाकर प्रभावित कृषकों को वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. किसान बीमा योजना की सीमा तहसील क्षेत्र से हटाकर ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्ति व ग्राम स्तर पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विभाग द्वारा कृषि समस्या के निदान हेतु हर संभाग में प्रति चार माह में एक बार गोष्ठी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विभाग द्वारा सरसों की फसल को बेचने में किसानों को हो रही परेशानी का स्थाई समाधान निकालने तथा इस फसल को बायो डीजल के रूप में उपयोग करने हेतु निजी उद्योग को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर) :

11. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बानसूर के कस्बा बर्डोद में ''कृषि अनुसंधान केन्द्र'' खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा सभी फसलों पर फसल बीमा योजना का प्रावधान करने तथा ग्राम को इकाई मानकर मुआवजे की राशि प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के लाडपुरा में ''कृषि कालेज'' खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. कृषकों के कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

15. कृषि संयंत्रों व ट्रेक्टरों की नकद खरीद पर भी अनुदान राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

16. विभाग द्वारा किसानों को समय पर उन्नत किस्म के बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाने तथा फसलों में रोग लक्षण पाये जाने पर तत्काल नियंत्रण करने के उपाय व टिडडी के प्रकोप से बचाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

17. जिला बीकानेर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की गतिविधियों को बढ़ाने एवं फल-सब्जियों और औषधिय फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा कृषि विभाग के अन्य कार्यालयों में चल रहे रिक्त पदों को भरने तथा एग्रीकल्चर रिसर्च कार्य से जुड़े संस्थानों को आवश्यक सुविधा मुहैया करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

19. लूणकरणसर कृषि फार्म की बदहाल स्थिति एवं रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित काश्तकार को खराबे का आकलन संबंधित तहसील को इकाई न मानकर खराबे का आंकलन संबंधित काश्तकार का खेत अथवा गांव के आधार पर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

21. बूंदी में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. कृषक बीमा योजना द्वारा फसल खराबी हेतु तहसील स्तर का मापदण्ड बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा बिना सहमति के बीमा राशि अंशदान काटने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) :

24. विभाग द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा की गौण मण्डी छोटी सादड़ी को पृथक से मण्डी समिति का दर्जा देने पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के गांव जलिया एवं पीपलिया में मण्डी कमेटी की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. फसल बीमा योजना में तहसील को इकाई मानने से किसानों को हो रहे नुकसान से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

27. कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों के निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमान नवलखा)

28. विभाग द्वारा कृषिऋण में फसल बीमा की अनिवार्यता को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

29. कृषि उपकरणों की खरीद एवं अन्य कृषि ऋण पर ब्याज दर अन्य वाहनों की ब्याज दरों की भांति कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. किसान की बीमित फसल की हानि का आंकलन इकाई, उसकी स्वयं की काश्त फसल को ही माने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसान कहीं भी कर सकें, इस निमित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. किसान की फसल को उचित भाव आने तक सरकारी गोदाम में सुरक्षित रखकर, ऋण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. फसल खराबे पर ऋण की वसूली स्थगित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली) :

34. काश्तकारों को आवंटित कृषि भूमि पर लिये गये ऋण की ब्याज राशि में छूट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) :

35. विभाग द्वारा कृषि उत्पादों को बढ़ाने एवं नकली खाद व बीज की रोकथाम हेतु कारगर उपाय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

36. फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पंचायत स्तर को इकाई मानकर भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :

37. विधान सभा क्षेत्र घाटौल में तहसील हैड क्वाटर पर कृषि मण्डी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सहकारी समितियों को खरीफ की फसल हेतु खाद बीज वर्षा के पूर्व देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

39. विभाग द्वारा कृषि विस्तार कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु नवलगढ़ में सहायक निदेशक, कृषि एवं सहायक निदेशक उद्यान का पद स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

40. विभाग द्वारा गेहूं टमाटर के बीजों की गुणवता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

41. विभाग द्वारा किसान को उसके उत्पाद का उचित मूल्य न दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

42. सिरोही जिले में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. सिरोही जिले में घटिया क्वालिटी के बीजों की ब्रिकी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. सिरोही जिले के किसानों को फसल बीमा का उचित मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. जगंली सुअरों के हमले से किसान की मृत्यु के मामले में, किसानों को सहायता देने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. विभाग द्वारा सिरोही जिले के किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

47. किसानों से फसल बीमा प्रीमियम की वसूली करने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विभाग द्वारा बीटी काटन बीज के नुकसान से मुआवजा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र बैराठ में कृषि मण्डी की सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. कृषि लागतों के आधार पर फसलों के मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।